खण्ड-286, अंक-6
मंगलवार, 24 अग्रहायण, शक संवत् 1892
(15 दिसम्बर, 1970 ई0)

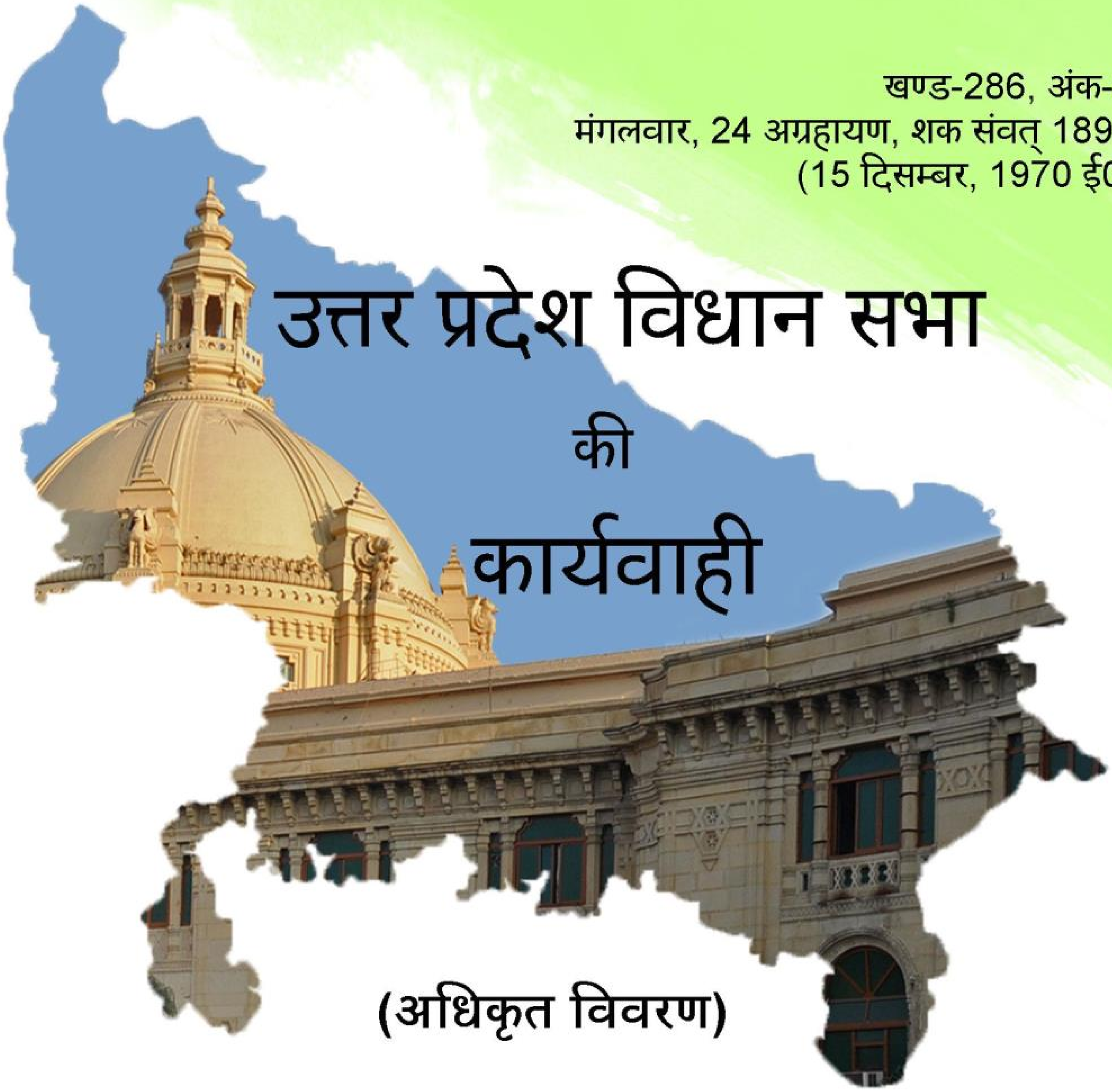

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 286 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १५ दिसम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४०३

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन,श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला–मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत ,श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी,, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री

प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मरहम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वर दत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री

रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
राम जियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रौफ खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूप नाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकरप्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्तिदेवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिव दास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)

शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश, शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र, राज्य स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर पुरुषोत्तक दास कपूर तथा राजस्व मंत्री, श्री प्रभु नारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १५ दिसम्बर, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मथुरा जिले में खाद का कारखाना

**१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार मथुरा जिले में नया खाद का कारखाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और कितनी लागत से ?

उद्योग मन्त्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)—

जी नहीं।

सरकार स्वयं कोई खाद का कारखाना मथुरा में खोलने का विचार नहीं कर रही है।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि मथुरा में खाद का कारखाना खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार या प्राइवेट कंपनी से बात की है और यदि हां, तो किस-किस से ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

एक तो बीजू पटनायक की कलिंगा फर्टीलाइजर्स ऐन्ड कैमीकल्स है जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था लेकिन उन्हें भारत सरकार से अनुमति नहीं मिली। दूसरी मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स हैं। उनसे हमने कहा कि जो भी सुविधाएं देना सम्भव हैं वह हम देंगे। लेकिन वह कोई प्रस्ताव नहीं रख सके। अभी तीन-चार दिन हुए उनका एक पत्र आया है जिस पर विचार कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

अभी मंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति नहीं मिली तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने केन्द्रीय सरकार पर कभी जोर डाला और यदि हां, तो कब-कब ?

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न है वह यह कि क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकार मथुरा जिले में नया खाद का कारखाना खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और कितनी लागत से ? जब वे विचार ही नहीं रखते कारखाना खोलने का तो जोर कैसे डालेंगे ?

श्री रामचन्द्र विकल—

यह मन्त्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में माना है कि केन्द्रीय सरकार ने इजाजत नहीं दी। उसी से सम्बन्धित मैं पूछ रहा हूं कि सरकार ने केन्द्र से कब-कब आग्रह किया ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है कि सरकार ने उनसे आग्रह किया था। प्राइवेट व्यक्तियों ने जो प्रस्ताव भेजा तो उन्हें हर प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया गया। अगर भारत सरकार से अनुमति मिल गयी होती तो हमने उन्हें सुविधायें अवश्य दी होतीं।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब जिला स्तर पर हर तरह की सुविधाएं दी जा चुकी हैं तो फिर इस में अब क्या कठिनाई है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसमें भारत सरकार की अनुमति पाना आवश्यक है। उन्होंने अनमति नहीं दी इसलिए खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी तो उसके कोई कारण भी बताये हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, वह कारण तो बताना चाहिए था उनको जिन्होंने दरख्वास्त दी थी। वह कारण मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। उन्होंने कहा कि एक पत्र तीन-चार दिन हुए आया है जिस पर वह विचार कर रहे हैं। वह पत्र किस का है और कब तक उस पर निर्णय हो जायेगा ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वह पत्र मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स का है। लेकिन मेरी सूचना यह है कि कदाचित् वे हरियाना सरकार से भी बात कर रहे हैं। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर वह यहां आयेंगे और कोई प्रस्ताव रखेंगे तो हम कारखाना यहां स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मंत्री जी ने कहा कि हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश की खाद की जरूरत को सामने रखते हुये क्या मंत्री जी स्वयं अपने इनीशिएटिव पर इस बात का प्रयास करेंगे कि वे स्वयं सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट या उन इंडस्ट्रीयलिस्ट्स से बातचीत करें जिससे कि प्रदेश की खाद की जरूरत को पूरा करने के लिये मदद मिले ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, हिन्दुस्तान लीवर्स लि० ही हैं जिन्होंने अपना इरादा प्रकट किया था कि हम इस प्रकार का कारखाना यहां पर खोलना चाहते हैं। यदि वे हमारे पास आयेंगे तब हम उनसे बातचीत करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

केन्द्रीय सरकार से भी आप कहेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

केन्द्रीय सरकार से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यह आवश्यक हुआ कि हमारे कहने से मिल जाय तो मैं इसको जरूर कहूंगा।

श्री रियासत हुसैन—

सरकार अपनी इनीशियेटिव पर प्रदेश की आवश्यकता की जरूरत को सामने रखते हुये खुद ही केन्द्रीय सरकार से कह कर इस कारखाने को खोलने का प्रयत्न करेगी ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस कारखाने को स्थापित करना एक प्राइवेट कन्सर्न का काम था और हम उसको अपनी ओर से खोल नहीं रहे हैं। जब कोई प्राइवेट कन्सर्न इस प्रकार का कोई आफर करेगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हमको भारत सरकार से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

क्या यह सरकार केन्द्रीय सरकार को नहीं लिख सकती कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर में खाद का कारखाना खोलने की आवश्यकता पर ध्यान दें ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

लिख सकती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक्सपर्ट्स की राय में देहरादून में खाद का कारखाना खोलना चाहिये। क्या सरकार इसकी जानकारी करके इस पर ऐक्शन लेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपने मूल प्रश्न से भिन्न प्रश्न उठा दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मेरी जानकारी को सही मान कर इस बात को दिखलावेंगे कि एक्सपर्ट्स ने यह राय दी है कि देहरादून में सभी साधन उपलब्ध हैं। इसकी मेरी भी जानकारी है और इस पर एक्सपर्ट्स ने राय भी दी है कि खाद का कारखाना देहरादून में खुलना चाहिये और वहां पर इसका अधिक उपयोग होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि मथुरा जिले में क्या विशेष कारण है और सुविधायें उपलब्ध हैं कि वहां पर खाद का कारखाना खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मथुरा जिले में खाद का कारखाना खोलने का जो प्रश्न उठाया गया था वह हिन्दुस्तान लीवर्स लि० की ओर से उठाया गया था और सरकार ने अपनी ओर से इसकी कोई भी जानकारी नहीं की कि वहां पर कारखाना खोलने के कोई साधन उपलब्ध हैं अथवा नहीं।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मिर्जापुर में जो खाद का कारखाना खोला जाने वाला था उसको क्यों रोक दिया गया है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मिर्जापुर के बारे में मुझे उसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

माननीय मन्त्री जी के प्रश्न से सम्बन्धित मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स लि० से उनकी बातचीत चल रही है और यह भी उन्होंने शंका प्रकट की कि कारखाने को खोलने की बात हरियाणा से भी चल रही है। वे क्या सुविधायें उनको दे रहे हैं और आप क्या सुविधायें देंगे? ऐसी कौन-सी बातें हैं कि वे यहां के बजाय हरियाणा में कारखाना खोलने वाले हैं?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है।

क्वीन्स ऐंग्लो संस्कृत इन्टर कालेज, लखनऊ में प्रशासक की नियुक्ति

**२—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने क्वीन्स ऐंग्लो संस्कृत इन्टर कालेज, लखनऊ में हाल ही में एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार को ज्ञात है कि गत ३–४ मास से उक्त कालेज में पढ़ाई नहीं हो रही है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

शिक्षा राज्य मंत्री (राजा विजय कुमार त्रिपाठी)—

जी हां। विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं, कुप्रबन्ध तथा अध्यापकों द्वारा चलाई गई हड़ताल और विवाद के कारण प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव को स्वीकार करके शासन

द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की गई । अध्यापकों तथा प्रबन्धक समिति के विवाद के कारण विद्यालय २४ सितम्बर से ५ नवम्बर तक बन्द रहा है । उसके पश्चात् शिक्षण कार्य चल रहा है ।

श्री इन्द्र लाल—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध समिति ने जो अनियमिततायें और कुप्रबन्ध की सूचना अपने प्रस्ताव द्वारा शासन को भेजीं थीं, वह अनियमिततायें क्या थीं, और क्या कुप्रबन्ध थे ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

प्रबन्ध समिति ने जो प्रस्ताव में लिखा था उसकी पूरी प्रतिलिपि तो मेरे पास है नहीं, लेकिन विद्यालय में आडिट कराया गया उसमें एकाउन्ट्स में काफी अनियमिततायें पायीं गई । इसके अतिरिक्त विद्यालय में हड़ताल हुई, इसको ध्यान में रखकर उनके प्रस्ताव को शासन ने स्वीकार कर उसमें एक एडमिनिस्ट्रटर की नियुक्ति कर दी ।

श्री इन्द्र लाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एकाउन्ट्स में जिन अनियमितताओं की रिपोर्ट शासन को भेजी गई, तो उसमें कुछ धनराशि का जिक्र था ? और यदि हां, तो कितनी धनराशि गबन की थी और कितनी धनराशि में अनियमिततायें थीं जिनकी संस्तुति प्रबन्ध समिति ने शासन को भेजी ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

जैसा मैंने अभी बताया कि पूर्ण विस्तृत रिपोर्ट मेरे पास नहीं है । इतना मालूम हुआ है कि आडिट में कुछ अनियमिततायें पायी गईं । केवल इतना ही पता है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रशासन की नियुक्ति के बाद पढ़ाई शुरू हो गई कि नहीं ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

वहां शिक्षण का कार्य हो रहा है ।

पुलिस मोटर गाड़ी से हुई मृत्यु की रिपोर्ट को कोतवाली, रायबरेली, में दर्ज करवाना

**३—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १७ नवम्बर, १९७० को लखनऊ रायबरेली रोड पर सब स्टेशन व यासीन ठेकेदार की भठिया के पश्चिम में और तलाब से १०-१५ कदम की दूरी पर लखनऊ की ओर से आती हुई एक मोटर कार से एक नौजवान व्यक्ति को कुचल कर घायल कर दिया गया? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त व्यक्ति जब जान से न मरा तो दुबारा गाड़ी घुमा कर उसे कुचल कर जान से मार डाला गया ? यदि हां, तो मोटर गाड़ी किसकी थी ? सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? मरने वाला व्यक्ति कहां का रहने वाला है ? तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह)—

दिनांक १७-११-७० को तो नहीं बल्कि दिनांक १६-११-७० को थाना कोतवाली-रायबरेली पर यह सूचना प्राप्त हुई कि लखनऊ की ओर से आती हुई मोटर गाड़ी से रतापुर चौराहा व त्रिपुला के बीच तालाब के पास एक लड़के की दुर्घटना से मत्यु हो गई । इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा कायम किया गया तथा विवेचना की जा रही है । इस घटना की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा भी की जा रही है । अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराई जा चुकी है और उससे पता चला कि दुबारा गाड़ी को वापस करके मृतक को कुचलने वाला आरोप निराधार है । मोटर गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ा जा चुका है ।

उक्त मोटर गाड़ी पुलिस की थी और मृतक जिला रायबरेली का निवासी था ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

इस विषय की गंभीरता को देखते हुए जैसी कि सूचना माननीय मंत्री ने दी है उससे पूरे विषय पर प्रकाश नहीं पड़ता है लिहाजा अपराध अनुसंधान परिषद् ने अपनी रिपोर्टस् में जो विचार प्रकट किये हैं उस रिपोर्ट को सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

गृह मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

मान्यवर, अनुसंधान विभाग ने तीन दिन के अन्दर जो जांच की है वह पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैजिस्ट्रेरियल इंक्वारी इस बीच में जारी हो गयी है लेकिन उन्होंने जो शिकायत की थी उसका उत्तर दे दिया गया है । उसमें यह बतलाया गया है कि गाड़ी को उलट करके उसे कुचला नहीं गया और वह तथ्य आपके सामने ला दिया गया ।

श्री गोविन्द सिंह--

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पुलिस की गाड़ी थी तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि पुलिस का कोई अधिकारी भी इस गाड़ी में बैठा हुआ था या नहीं ? यदि हां, तो उसने प्रथम सूचना की रिपोर्ट लिखाई थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

पुलिस का कोई अधिकारी नहीं था । स्टेशन वैगन में पुलिस का स्टाफ पीछे बैठा था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

किस दफा के अन्दर ड्राइवर का चालान किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

२७९/३०५ दफाओं के अन्तर्गत ।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)--

इस दुर्घटना के बाद मोटर गाड़ी में बैठा हुआ जो भी पुलिस का पर्सनल था उसमें से किसी ने जाकर इस दुर्घटना की रिपोर्ट लिखाई या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

ड्राइवर ने कराई यह उत्तर दिया गया है ।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)--

क्या यह सत्य है कि जब वह एक बार नहीं मरा तो दोबारा गाड़ी लौटा दी गयी। यह तथ्य पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट से ज्ञात हो सकता है, तो क्या सरकार बतायेगी कि लाश का पोस्ट मार्टम करने के बाद रिपोर्ट क्या दी गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैं तो बतला चुका हूं कि जो सी० आई० डी० ने जांच की कि गाड़ी गड्ढे की तरफ चली गयी थी और वहां से पीछे हटी लेकिन इस बीच में आदमी इकट्ठा हो गये थे तो ड्राइवर डर के मारे भाग आया। गाड़ी फिर लौटा दी गयी यह बात निराधार है। पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट जो है वह बहुत बड़ी है । इसमें बतलाया गया है कि हैमरेज और शाक से उसका स्वर्गवास हुआ ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

अनुसंधान विभाग से तीन दिन तक जांच कराई गयी लेकिन जांच अधूरी रही और इस बीच में मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी करा दी गयी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अनुसंधान विभाग द्वारा जांच हुई है वह जांच उसी के द्वारा पूरी क्यों नहीं कराई गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, चूंकि पुलिस की गाड़ी थी इसीलिये उसी दिन १६ तारीख को ही पुलिस अधीक्षक ने जिलाधीश को लिखा क्योंकि पुलिस की गाड़ी है इसलिये पुलिस जांच न करे और उचित होगा कि मैजिस्टीरियल जांच की जाय। २३ नवम्बर को मृतक का बाप भी मेरे पास आया और उसने दरख्वास्त दी कि पुलिस कर्मचारी उस गाड़ी में थे। इसलिये मैंने यह मुनासिब समझा कि उसमें सी० आई० डी० की जांच हो जायेगी। अतः यह सी० आई० डी० की जांच २३ तारीख को प्रारम्भ हो गई थी।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, इसमें जो व्यक्ति पकड़े गये थे उनकी जमानत कोर्ट में हुई थी या थाने में हुई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, रिपोर्ट तो १६ तारीख को ही लिखी गई थी। नियमानुसार जमानत हो सकती थी।

(व्यवधान)

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो व्यक्ति मारा गया है उसका नाम क्या है ? वह क्या काम करता था ? कहीं ऐसा तो नहीं था कि पुलिस वालों के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी और उसके कारण यह मारा गया हो ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और वह यह है कि अभी एक माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री जी से यह पूछा कि जमानत कोर्ट में हुई या थाने में हुई ? इसका उत्तर मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर दे दिया। आप बैठें।

तारांकित प्रश्न

मिर्जापुर में प्रस्तावित खाद का कारखाना

*१--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो यूरिया खाद का कारखाना मिर्जापुर में बनने वाला था उसके विषय में सरकार ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह निर्णय ले लिया है कि अब यह कारखाना मिर्जापुर में नहीं बनेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

राज्य सरकार स्वयं मिर्जापुर में कोई खाद का कारखाना नहीं स्थापित कर रही है। पिलानी इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को मिर्जापुर में नाइट्रोजन खाद का कारखाना स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा इरादा पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) प्रदान किया गया था। उक्त इरादा-पत्र में दी गई शर्तें कारपोरेशन द्वारा पूरी न करने पर भारत सरकार द्वारा इरादा-पत्र रद्द कर दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि मिर्जापुर में कोई खाद का कारखाना नहीं खोला जायेगा क्योंकि उसकी शर्तें पूरी नहीं हुईं। तो मान्यवर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। यह प्रदेश इस क्षेत्र में पंजाब के मुकाबले में बहुत कम है। अतः क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बातचीत करने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश में भी खाद के कारखाने खोले जायं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर ऐसा करने से यदि प्रदेश का लाभ होगा तो अवश्य केन्द्रीय सरकार से बातचीत करेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि उनको वहां पर खाद का कारखाना खोलने में इस वक्त क्या क्या डिफिकल्टीज हैं जिनके कारण वह कारखाना नहीं खुल सका ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, भारत सरकार ने लेटर आफ इन्टेन्ट प्रदान किया था और उसमें कुछ शर्तें उन्होंने लिखी थीं। उसमें एक महत्वपूर्ण शर्त मशीनरी के सम्बन्ध में थी। कारपोरेशन इस शर्त को पूरी नहीं कर सका। भारत सरकार ने इस पर कहा कि आपने इस शर्त को पूरा नहीं किया है। अतः आपका पत्र रद्द किया जाता है। भारत सरकार ने अभी तक रा-मैटीरियल के बारे में निर्णय नहीं लिया है। लेकिन भारत सरकार ने अपना निर्णय फाइनल कर दिया और अनुमति नहीं दी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो यह खाद का कारखाना खोलने का प्रस्ताव था उसमेंभविष्य में जब कभी खाद का कारखाना उद्योग विभाग खोले तो उसमें राज्य सरकार का क्या हिस्सा होगा और राज्य सरकार को इससे क्या लाभ होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न साफ नहीं है। क्या आपकी समझ में आ गया ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जी नहीं।

श्री विजय बहादुर सिंह—

क्या उद्योग मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जो लाइसेंस उस व्यक्ति को दिया गया था उन्होंने काफी जमीन मोहनपुर, जिला मिर्जापुर में खरीद ली है और काफी शर्तों को उन्होंने पूरा भी कर दिया है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसकी अवहेलना की है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कितनी जमीन खरीदी है इसकी सूचना इस समय नहीं है।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतलायेंगे कि कंपनी ने केन्द्रीय सरकार की किन-किन शर्तों को पूरा नहीं किया ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कारपोरेशन को लाइसेन्स देने हेतु लेटर आफ इन्टेन्ट दिया गया था उसमें भारत सरकार की, यह शर्तें थीं —१—योजना के कार्यान्वयन के लिये विस्तृत वित्तीय प्रस्ताव २— मशीनरी आदि खरीदने में व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा के प्रबंध का प्रस्ताव ३—कारखाना स्थापित करने में होने वाले विदेशी सहयोग का निश्चित प्रस्ताव एवं अनुबंध का आलेख ४— मशीनरी आयात के संबंध में आवेदन-पत्र आदि भारत सरकार को प्रस्तुत करना।

भारत सरकार ने किन-किन आधार पर उसको नामंजूर कर दिया, मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मंगा कर दे दी जायगी अगर मेरी सरकार के पास होगी तो।

जिला प्रतापगढ़ में नरसिंग असिस्टेन्ट का बकाया वेतन

*२—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, प्रतापगढ़ में कितने नर्सिग असिस्टेंट हैं? क्या यह सही है कि कुछ नर्सिग असिस्टेन्टों का वेतन तथा इंक्रीमेंट जून, सन् १९६२ से मार्च, १९६३ तक का नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर)—

केवल ४ नर्सिग असिस्टेन्ट हैं। इन में से एक असिस्टेन्ट का जून, १९६२ से मार्च, १९६३ की अवधि का। फरवरी, १९६३ को छोड़ कर। वेतन बिल खो जाने के कारण भुगतान नहीं हो सका है।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि जिस नर्सिग असिस्टेन्ट का वेतन जून, १९६२ से रुका हुआ है उसका नाम क्या है और वह इस समय कहां कार्य कर रहा है?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

उसका नाम सत्य नारायण सिंह है। वह प्रतापगढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी के शासनाधीन कार्य कर रहा है।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि बिल के खो जाने की जिम्मेदारी किस की है?

डाक्टर पुरुषोत्तमदास कपूर—

श्रीमन्, जब बिल वहां से बन कर डायरेक्टर के आफिस में भेजा गया तो वहां नहीं पहुंचा। वह ट्रान्जिट में हीं खो गया। अब डुप्लीकेट बिल बना लिया गया है।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह देखते हुए कि उसको ८—९ वर्ष हो गये हैं अब तुरन्त भुगतान की आज्ञा जारी की जायगी?

डाक्टर पुरुषोत्तमदास कपूर—

डुप्लीकेट बिल बनवा कर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के पास प्री आडिट के लिये भेजा गया है। वहां से आने पर पेमेन्ट की कार्यवाही की जायगी।

जिला प्रतापगढ़ के नियोजन कैम्प, कुण्डा में नसबन्दी

*३—श्री जयराम यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ नियोजन कैम्प कुण्डा में दिसम्बर, १९६९ में कितने व्यक्तियों की नसबन्दी की गई जिनकी आयु १८ वर्ष से कम थी तथा क्यों?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

जिला प्रतापगढ़ नियोजन कैम्प कुण्डा में सितम्बर, १९६९ में किसी ऐसे व्यक्ति की नसबन्दी नहीं की गई जिसकी आयु १८ वर्ष से कम थी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माननीय सदस्य जयराम जी ने २४-९-६९ को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी के पास शिकायत भेजी है कि १८ सितम्बर, १९६९ को वीरेन्द्र पुत्र, हीरा लाल जिसकी उम्र १७ साल ह और उसक गौना भी नहीं हुआ, उसकी नसबन्दी कर दी गई है ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर---

मान्यवर, वीरेन्द्र जी ने अपनी आयु ३२ साल भरी थी और तीन बच्चे लिखाये हैं और वह पढ़ा लिखा आदमी है, उसके उसमें दस्तखत हैं लेकिन इंक्वायरी में मालूम हुआ कि उसके तीन बच्चे होना गलत है, इसलिये लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है ।

श्री जयराम यादव---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वीरेन्द्र को लेखपाल ने शराब पिलाई और १० बीघे जमीन देने का झूठा आश्वासन दकर नसबन्दी कराई ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर---

मान्यवर, क्या शिकायत थी वह तो मेरे सामने नहीं है । लेकिन लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र---

अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि बहुत-सी बातें गलत निकलीं । एक यह कि उसके तीन बच्चे होना तथा उम्र गलत निकली तो क्या वे बतायगे कि उसकी सही उम्र कितनी निकली ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर---

उसकी कितनी उम्र है इसका मुझे पता नहीं है ।

श्री कृष्ण चन्द्र---

मान्यवर, मंत्री जी से जवाब दिलाइये । जब उसकी उम्र ३२ साल नहीं है तो कितनी उम्र है यह भी उनके पास होगा ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने यह कहा कि वह पढ़ा लिखा आदमी है । लेकिन उम्र के बारे में उन्हें मालूम नहीं है । १७ वर्ष होना उन्होंने कबूल नहीं किया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र---

मान्यवर, उनको मालूम है कि उसकी कितनी उम्र है । उनसे कहिये कि वे सदन को सही बात बता दें ।

श्री अध्यक्ष---

वह सही बात ही बतायेंगे ।

श्री नित्या नन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी इस तथ्य को जानने के बाद कि उसकी नसबन्दी गलत की गई और दुबारा उसका आपरेशन ठीक करने के लिये नहीं हुआ तो जिस डाक्टर ने यह आपरेशन किया उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर पुरुषोत्तमदास कपूर---

मान्यवर उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है और जैसा कि मैंने कहा कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष---

आप सुनिये । सस्पेंड करने के बाद आप क्या कार्यवाही कर रहें हैं उसका पता नहीं चलता

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर---

इसकी जांच हो रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन मांगा है कि क्या वे उस डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिसने इसका आपरेशन किया ?

श्री अध्यक्ष---

दूसरा प्रश्न यह भी है कि डाक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाहीं करेंगे ।

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर---

जांच के बाद जितने व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे सबके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन---

यह सदन में बार बार प्रश्न आता है उसमें उम्र का मामला बहुत इम्पार्टेंट है। सरकार बार बार जवाब देने पर उम्र छिपाने की कोशिश करती है । इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आप सरकार को आदेश दें कि जब यह सवाल आये तो उम्र न छिपाई जाये ।

श्री अध्यक्ष---

मैं कैसे मान लूं कि वे छिपाते हैं ।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि वह प्रश्न को समझे नहीं इसलिये मैं प्रश्न को साफ करता हूं । जानबूझ कर कोई झूठ बोलता है, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र ---

क्या माननीय मंत्री जी के पास प्रतापगढ़ तथा दूसरे जिलों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि ७०-७० वर्ष के बूढ़े और अविवाहित व्यक्तियों की जबरदस्ती नसबन्दी की जा रही है ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर ---

माननीय सदस्य अगर इस बात की कोई सूचना देंगे तो उसकी अवश्यक जांच करवाई जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री जयराम यादव---

क्या मंत्री महोदय सरकारी खर्चे से जिस लड़के की नस काट दी गई है उसको फिर से जुड़वाने की कार्यवाही करने का आदेश देंगे ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर ---

अगर उसकी तरफ से यह प्रार्थना-पत्र आयेगा तो उस पर अवश्य यह विचार किया जायेगा ।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)---

मंत्री जी ने कई मर्तबा यह जवाब दिया कि उस लेखपाल को ससपेंड कर दिया गया है और उन्होंने यह भी कहा कि आगे जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनको सजा दी जायेगी । मंत्री जी स्वयं डाक्टर हैं । वह जानते हैं कि आपरेशन लेखपाल नहीं करता डाक्टर करता है । तो पहले गलती डाक्टर ने की । वह डाक्टर अबतक क्यों नहीं ससपेंड किया गया और उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ?

(व्यवधान)

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

*४—श्री कल्पनाथ सिंह

[मन्त्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*५—६—श्री कृष्ण स्वरुप—

[मन्त्रि-परिषद के समावेश के कारण अपास्त]

जिला चमोली में एलोपैथिक व आयुर्वेदिक अस्पतालों में चिकित्सकों का अभाव

*७—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना काल के अन्दर जनपद, चमोली में कितने एलोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय खुले थे और वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में कितने ऐसे औषधालय किन-किन स्थानो में खुलेंगे ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

जिला चमोली में चौथी पंचवर्षीय योजना काल में २ एलोपैथिक और ५ आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का प्राविधान है, जिसमें से वित्तीय वर्ष १९७०—७१ में एक एलोपैथिक चिकित्सालय, स्थान गौरी कुन्ड एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थान नैनीसैंध्य में खुले हैं ।

*८—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि जनपद, चमोली में कितने एलोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय ऐसे हैं जिनके पास आपने भवन नहीं हैं, जहां चिकित्सक नहीं है ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

जिला चमोली में ११ एलोपैथिक एवं २२ आयुर्वदिक चिकित्सालयों के पास अपने भवन नहीं हैं, तथा ७ एलोपैथिक एवं ५ आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में इस समय चिकित्सक नहीं हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में खुलने वाले अस्पताल भविष्य में कहां कब तक और कितने खोले जायेंगे?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

२ एलोपैथिक तथा ५ आयुर्वेदिक अस्पतालों का प्राविधान है जिसमें से १ एलोपैथिक और १ आयुर्वदिक अस्पताल तो खुल गयें हैं और शेष इस पंचवर्षीय योजना में पूरे हो जायेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह—

जनपद, चमोली की विशेष परिस्थितयों को देखकर वहां की जिला सलाहकार समिति ने शासन से अनुरोध किया है कि कुछ अतिरिक्त अस्पताल वहां के लिये दिये जायं, तो क्या सरकार उसकी सिफारिश पर विचार करेगी ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

ऐसा प्रोपोजल इस समय तो सरकार के सामने नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह—

अधिकतर डाक्टर जाना नहीं चाहते, तो क्या सरकार ऐसा कोई नियम बनायेगी कि जिससे डाक्टरों के लिये कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में एक बार जाना आवश्यक हो जाय ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

हर प्रकार की कोशिश की जाती है कि डाक्टर पहाड़ी क्षेत्रों में जायं और यह प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

पर्वतीय क्षेत्रों में जब अन्य विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को वहां जाने पर विशेष भत्ता और सुविधायें दी जाती हैं तो क्या कोई विशेष नियम डाक्टरों के लिये भी बनाकर वहां जाने के लिये प्रोत्साहित किया जायगा ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

यह प्रश्न विचाराधीन है।

जिला सीतापुर में हरगांव के चारों तरफ सरकारी डिस्पेन्सरी

*६—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

प्रथम सत्र के ७ वें मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ३ (२-६-७०) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर में हरगांव के चारों तरफ वह कौन-कौन सी सरकारी डिसपेंसरी हैं जो एक दूसरे से ५-८ मील की परिधि में है ?

डाक्टर पुरुषोत्तमदास कपूर—

जिला सीतापुर में हरगांव के चारों तरफ ५-८ मील की परिधि में कोई सरकारी डिस्पेन्सरी तो नहीं है, किन्तु जैसा कि विगत सत्र के ७वें मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्न सं० ३ के उत्तर में कहा गया था, उस क्षेत्र के किसी भी केन्द्र स्थान से किसी रोगी को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिये ५-८ मील से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़ती ।

श्री रामलाल राही—

उत्तर में कहा गया है कि वहां ५ से ८ मील की परिधि में डिस्पेन्सरी नहीं है, तो क्या हरगांव से ५ से ८ मील की दूरी पर जो स्थान पड़ते हैं, वहां पर सरकार का डिस्पेंसरी खोलने का विचार है ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

मैंने कहा है कि ५ से ८ मील की दूरी में डिस्पेंसरी नहीं है लेकिन वह इतने फासले पर हैं कि किसी भी मरीज को ५ से ८ मील तक जाने पर कोई न कोई डिस्पेंसरी मिल जाती है ।

श्री रामलाल राही—

मैंने प्रश्न किया है कि क्या ५ से ८ मील की दूरी पर सरकार का कोई नई डिस्पेंसरी खोलने का विचार है ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

लहरपुर में एक पब्लिक हेल्थ सेन्टर है जो हरगांव से ६ मील की दूरी पर है इसलिये वहां से ५ से ८ मील की दूरी के भीतर कोई नई डिस्पेंन्सरी खोलने का अभी विचार नहीं है ।

श्री रामलाल राही—

हरगांव में जो डिस्पेंसरी है उसमें कितने डाक्टर्स और कम्पाउन्डर्स हैं और कितनी जगहों के लिये वह अस्पताल है ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न तो बड़े ब्योरे का है कि कितने डाक्टर्स हैं, कितने कम्पाउन्डर्स हैं। आप अलग अलग प्रश्न पूछ लें।

श्री राम लाल राही--

मंत्री जी ने कहा कि हर गांव से ५-८ मील के फासले पर चिकित्सा की सुविधा के लिये अपस्ताल है तो देखना तो यह भी पड़ेगा कि जो डिस्पेंसरी बनी है, उसमें २-४ शीशियां रखी हुयी हैं, कोई डाक्टर नहीं है और न वहां पर मरीजों के लिये उठने-बैठने का ही कोई प्रबन्ध है, तो फिर ऐसे अस्पताल के रहने से क्या लाभ है ?

श्री अध्यक्ष--

आप अलग-अलग प्रश्न कर लें ?

श्री रामलाल राही--

सीतापुर और हरगांव के मध्य में कितना फासला है और उनके बीच में किसी डिस्पेंसरी का होना आवश्यक है या नहीं ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर--

सीतापुर से हरगांव का फासला तो मैं नहीं बता पाऊंगा लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो जो डिस्पेंसरी है, उनको बता दूं। एक हरगांव में हैल्थ सेन्टर है, लखीमपुर में एक पब्लिक हेल्थ सेन्टर है, हरगांव में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। बड़ा गांव में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय और एक पब्लिक हेल्थ सेन्टर दोनों हैं। लखीमपुर में एक सदर अस्पताल भी है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि हरगांव से किसी को भी ५-८ मील की दूरी के फासले पर डिस्पेंसरी के लिये नहीं चलना पड़ता लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि एक डिस्पेंसरी ९ मील की दूरी पर है और दूसरी १६ मील के फासले पर है। तो इन दोनों बातों में माननीय मंत्री जी को कौन सी बात सही है, यह बात सही है या वह बात सही है कि ८ मील से दूर किसी को डिस्पेंसरी में पहुंचने के लिये नहीं जाना पड़ता है ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर--

मान्यवर, एक सिरे पर एक डिस्पेंसरी है जो ९ मील है और दूसरे सिरे पर जो डिस्पेंसरी है वह १६ मील है। अगर कोई बीच से जायेगा तो किसी भी सूरत में वह ८ मील से दूर नहीं पड़ेगी। उसे ८ मील पर कहीं न कहीं डिस्पेंसरी अवश्य मिल जायगी।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

अभी माननीय मंत्री जी नें जो उत्तर दिया कि सीतापुर में हरगांव से ८ मील दूरी पर अस्पताल है तो क्या इसी प्रकार मिर्जापुर जिलें में भी जहां पर अस्पताल ६०-६० मील पर हैं, कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उस इलाके में, जहां पर हरिजन और आदिवासी लोग रहते हैं और जहां पर पुरुषों के लिये ६०-६० मील पर और महिलाओं के लिये १५० मील के फासले पर भी दवा दारू का कोई प्रबन्ध नहीं है, ८ मील के फासले पर कोई अस्पताल खुल जाये ?

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर प्रश्न करेंगे या लिख कर माननीय मंत्री जी के पास भेज देंगे तो वे अवश्य ही विचार करेंगे।

तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, इलाहाबाद के स्टोर कीपर का निलम्बन

*१०--श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती), श्री राम करन (जिला गोरखपर) तथा श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, जिला इलाहाबाद में स्टोर कीपर श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव गबन के आरोप में निलम्बित किये गये हैं ? यदि हां, तो उन्हें किस सन् में निलम्बित किया गया है और अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि श्री श्रीवास्तव के अतिरिक्त मेडिकल आफिसर जो उस समय थे वह भी जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर--

जी हां। श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव ४ अक्टूबर, १९६७ से निलम्बित हैं। उन पर चार्ज-शीट तामील की जा चुकी है। उन्होंने अपना बचाव सम्बन्धी बयान (डिफेन्स स्टेटमेंट) दाखिल कर दिया है तथा जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है कि उक्त मामले में श्री श्रीवास्तव के अतिरिक्त मेडिकल आफिसर कहां तक उत्तरदायी हैं। अतः अभी मेडिकल आफिसर के विरुद्ध किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखपाल पांडेय--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निलम्बित स्टोर कीपर, श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव, जो कि निलम्बित किये गये थे उनकी रिपोर्ट कब आयी है, उनको चार्ज-शीट कब गयी और उनका जवाब कब मिला है ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर--

श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव को दिनांक १९-१२-६८ को चार्ज शीट दी गयी और उन्होंने अपना लिखित उत्तर १ मार्च, १९६९ को सहायक निदेशक, द्वितीय खंड, इलाहाबाद को भेजा जिनको इन्क्वायरिंग आफिसर नियुक्त किया गया था और उस इन्क्वायरिंग आफिसर ने इन्क्वायरी करके अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय को अगस्त, १९६९ में भेजी।

श्री सुखपाल पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट क्या है, उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? उसमें डाक्टर के सम्बन्ध में भी चार्ज लगाया गया है.....

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बताया कि चार्ज लगाया गया है। उसकी भी जांच होगी।

श्री सुखपाल पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बतानें की कृपा करेंगे कि जांच अधिकारी ने जो जांच रिपोर्ट दी है आफिसर के बारे में भी अपनी टिप्पणी दी है ? उसमें मेडिकल आफिसर पर भी उसमें मेडिकल आरोप सिद्ध हो रहे हैं। क्या उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर--

मेडिकल आफिसर के खिलाफ आरोप है जिनकी जांच हो रही है लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि उस डाक्टर के खिलाफ जांच हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि उस डाक्टर के खिलाफ कौन अधिकारी जांच कर रहे हैं और वह जांच किस हद तक पहुंच गई है ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर---

मान्यवर, उनके कुछ बिल बने हुये हैं और उसके ऊपर कुछ हस्ताक्षर हैं। उस हस्ताक्षर को मेडिकल आफिसर ने डिनाई किया है। इन्क्वायरी रिपोर्ट इस हद तक पहुंची है कि उनके हस्ताक्षर मिलाने की कोशिश की जा रही है उनके हस्ताक्षरों से।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गबन कितने का है ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर---

उसमें कुछ एक्सरे फीस आई थी जो बहुत दिनों तक सरकारी खजाने में दाखिल नहीं की गई। वह रुपया देर से दाखिल किया गया। यही है।

श्री राजित राम पांडेय---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो स्टोर कीपर था उसके खिलाफ जांच कर रहे हैं ? उसको सस्पेन्ड किया तो डाक्टर को क्यों सस्पेन्ड नहीं किया गया ? इसके माने यह हैं कि आप बड़े आदमी को छोड़ दें जबकि भ्रष्टाचार बड़े ही आदमियों से होता है। क्या इसकी जांच अलग से होगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मेरे गबन के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर---

अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें तो मैं दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दे दूं। अमाउन्ट तो एक्जैक्टली फाइल पर है नहीं। जहां तक डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही का सवाल है उनके खलाफ प्राइमा फेसी केस जब एस्टैब्लिश हो जायेगा वैसे ही उनके खिलाफ सस्पेन्ड होने की कार्यवाही हो सकती है।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि वे उस डाक्टर के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे ? उन डाक्टर महोदय का नाम क्या है ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर---

डाक्टर का नाम मुझे मालूम नहीं है।

राजकीय सीड स्टोर, मसोधा, जिला फैजाबाद में कथित गबन

*११---श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सीड स्टोर, मसौधा, जिला फैजाबाद में लाखों रुपये का गबन है ? यदि हां, तो सीड स्टोर की जांच करा कर क्या गोदाम मसोधा का स्पेशल आडिट कराने की कृपा करेंगे, यदि हां, तो कब तक ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप)---

जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

कृषि बीज भण्डार रामनगर, जिला फैजाबाद में अनियमिततायें

*१२—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि कृषि बीज भंडार, रामनगर, जिला फैजाबाद में कई ट्रक खाद का गबन किया गया है ? यदि हां, तो स्टाक सील करके बेरीफिकेशन किया गया है या नहीं ? यदि नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप—

रामनगर कृषि बीज भंडार पर दो ट्रक खाद के पता न चलने की रिपोर्ट मिलने पर गोदाम सील कराकर सत्यापन कराया गया और कोई गबन नहीं पाया गया । यह अवश्य है कि कुछ अनियमिततायें पाई गयीं जिन पर आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मैंने अभी पढ़ा उसके आगे इतना और जोड़ दिया जाय—"रामनगर गोदाम पर पायी गयी अनियमितता की जांच जिला कृषि अधिकारी, फैजाबाद द्वारा की जा चुकी है और उसके फलस्वरूप अनियमितता के लिये दोषी पाये गये सहायक कृषि निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार सिंह तथा भोला राम वर्मा, कामदार को कड़ी चेतावनी देते हुए उनकी चरित्र पंजिकाओं में प्रतिकूल प्रविष्टियां कर दी गयी हैं ।"

श्री अध्यक्ष—

इसकी भी एक प्रति आप मेरे कार्यालय में भेज दीजिए ।

श्री कृष्ण स्वरूप—

अच्छी बात है ।

श्री सुखपाल पांडेय—

वहां पर क्या क्या अनियमिततायें पायी गयीं और वहां का स्टोरकीपर कितने दिनों से वहीं पर कार्य कर रहा है ?

श्री कृष्णस्वरूप—

दो ट्रक खाद्य जो रामनगर गयी थी वह सीड स्टोर में न रखी जा कर दूसरी जगह रखी गयी थी । दूसरी जगह दोनों ट्रक खाद मिल गयी । यह जो अनियमितता थी इसके लिये सहायक कृषि निरीक्षक व कामदार दोनों को चेतावनी देते हुए उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल एन्ट्री कर दी गयी है ।

श्री रियासत हुसैन—

सरकार ने इस मामल को पुलिस को क्यों नहीं दिया, और क्या मंत्री जी अब इस मामले को पुलिस को देने को तैयार हैं ?

श्री कृष्णस्वरूप—

दोनों ट्रक खाद सुरक्षित मिल गयीं । विभागीय अधिकारियों ने जो भी उचित कार्यवाही समझी वह उनके खिलाफ की । उस खाद को लेजर बुक में चढ़ा भी दिया गया ।

श्री चेतराम गंगवार—

जब कृषि विभाग की ओर से इसके लिये एक सीड स्टोर बना हुआ था तो उसको दूसरी जगह गबन की दृष्टि से ही रखा गया होगा, अतः ऐसी सूरत में उनको सस्पेंड या टरमीनेट क्यों नहीं किया गया ?

श्री कृष्ण स्वरूप--

क्योंकि वह खाद प्राप्त हो गयी, अतः अधिकारियों ने जो उचित समझा, वह कार्यवाही उनके विरुद्ध की ।

श्री चेतराम गंगवार--

(व्यवधान) वह चोरी की दृष्टि से रखी गयी थी । उसको ऐसी सूरत में सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)--

खाद को गायब किया गया । वह दूसरी जगह पकड़ी गयी । तो क्या वह चोरी का मामला नहीं था और इस पर दफा ४११ के अन्तर्गत कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या ४११ के अन्तर्गत केस नहीं बनता ?

श्री कृष्ण स्वरूप--

जो अनियमितता पायी गयी उसके लिये संबंधित अधिकारियों ने जो भी जो उचित समझा, वह दंड दिया । किसी गलती के लिये एक ही बार दंड दिया जा सकता है । (व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खाद का ट्रक वहां से किस किस दिन चला और फिर कितने दिन बाद बरामद हुआ ? और यदि काफी दिन बाद बरामद हुआ तो वह मामला दफा ४११ के अन्तर्गत क्यों नहीं आता ?

श्री कृष्णस्वरूप--

पहला ट्रक जलाई, १९६९ में और दूसरा ट्रक नवम्बर, ६९ में गया और यह जानकारी मई, ७० में मिली जब वेरीफिकेशन कराया गया ।

श्री रामकरन (गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी हमारी सूचना को सही मानकर फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे पुलिस द्वारा कि जो दो ट्रक खाद प्राप्त हुआ वह मिला नहीं बल्कि, चूंकि कृषि अधिकारी, फैजाबाद का उस चोरी में हिस्सा था, यह केवल पेपर पर दिखाया गया है ?

श्री कृष्ण स्वरूप--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी यह है कि दोनों ट्रक खाद मिल गई और जिला कृषि अधिकारी का सीड स्टोर से क्या सम्बन्ध था, यह मेरी जानकारी में नहीं आया । यदि माननीय सदस्य इस बारे में जानकारी रखते हों और लिखकर दे दें, तो जांच करा ली जाएगी ।

जिला आजमगढ़ की बड़हलगंज डिस्पेन्सरी में डाक्टरों का अभाव

*१३--श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत बड़हलगंज सरकारी अस्पताल में कितने दिनों से डाक्टर नहीं है और क्यों ?

नोट--तारांकित प्रश्न १२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

बड़हलगंज डिस्पेन्सरी में ३०-३-७० से ६-१०-७० तक डाक्टर नहीं था। उक्त डिस्पेन्सरी में एक डाक्टर की तैनाती के आदेश २२-७-७० को जारी किये गये थे, परन्तु उस डाक्टर ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उसके पश्चात एक अन्य डाक्टर की तैनाती के आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिसने ७-१०-७० को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आवश्यक संख्या में पी० एम० एस० में डाक्टर उपलब्ध न होने के कारण उक्त डिस्पेन्सरी म समय पर डाक्टर तैनात न किया जा सका।

मेरठ जिले की सरकारी राशन की दूकानों पर चीनी का मंहगा रेट

*१४—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या खाद्य मन्त्री को ज्ञात है कि मेरठ जिला की राशन की सरकारी दूकानों में जो चीनी उपभोक्ताओं को १ रुपया ८५ पैसे प्रति किलो ग्राम के रेट पर बेची जाती है उसी क्वालटी की चीनी दूसरे जिलों में सरकारी दुकानों द्वारा १ रुपया ६८ पैसे प्रति किलो ग्राम के रेट पर बेची जा रही है? यह अन्तर क्यों है तथा क्या सरकार मेरठ जिल के उपभोक्ताओं को भी सस्ते रेट पर चीनी दिलान की कृपा करेगी?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्रीमती कुदसिया बेगम)—

जी हां, परन्तु यह सही नहीं है कि केवल मेरठ जिले में ही चीनी तेज भाव पर बिक रही है। वास्तविकता यह है कि पश्चिमी जोन जिसमें बुलन्दशहर, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर की चीनी मिलें आती है उन मिलों की १९६८-६९ की उत्पादन की चीनी प्रदेश के हर जिले की चीनी से करीब १६ रु० से १९ रु० तक महंगी है और जहां यह चीनी दी जाती है वहां यह महंगी बिकती है। चीनी का एलाटमेन्ट भारत सरकार करती है और उपरोक्त मिलों से भारत सरकार १९६८-६९ के उत्पादन की चीनी देती है। यह चीनी मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा बुलन्दशहर जिलों को ही एलाट की जाती है क्योंकि इसको दूर भेजने से और महंगी हो जाती है। प्रदेश सरकार प्रयत्नशील है कि भारत सरकार या तो यह महंगी चीनी न एलाट करें या कोई और उपाय निकालें जिससे इस समस्या का समाधान हो सके।

*१५—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

[२ रे शुक्रवार के ता० प्र० २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आगरा विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी सी० पी० एम० टी० परीक्षा में अनियमितताएं

*१६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि आगरा विश्वविद्यालय द्वारा सन् १९६९ की जून में लिये गये सी० पी० एम० टी० की परीक्षा में काफी अनियमिततायें हुई हैं? क्या सरकार पुनः उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण कराके इन अनियमितताओं की जांच करेगी?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई थीं, और इन शिकायतों की जांच के लिए आगरा विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउन्सिल ने एक जांच समिति नियुक्त की थी। जांच के फलस्वरूप उस समय के रजिस्ट्रार को दोषी पाया गया और उन्हें पदच्युत कर दिया गया है।

जिला टेहरी-गढ़वाल में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा अनुदान की देय धनराशि

*१७—श्री गोविन्द सिंह—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल में ३१ मार्च, १९७० के कितने रुपये की धनराशि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा अनुदान के रूप में किसानों को देय थी और उसमें से दिनांक १९ जुलाई, १९७० तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

टिहरी-गढ़वाल जनपद में ३१ मार्च, १९७० को ५,९२९ रुपये ७४ पैसे भूमि संरक्षण विभाग द्वारा अनुदान के रूप में कृषकों को देय थे जिसमें से १९-७-७० तक ४,९०४ रुपये १९ पैसे का भुगतान किया गया था ।

*१८—श्री निन्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

ग्राम झींझक, जिला कानपुर निवासी सरदार दीदार सिंह पर ऋण तथा तत्सम्बन्धी जांच

*१९—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि उद्योग विभाग, कानपुर की ओर से सरदार दीदार सिंह, ग्राम झींझक, परगना डेरापुर, जिला कानपुर को कुटीर उद्योग के वास्ते चार हजार रुपया ऋण सन १९५८ में दिया गया था, और जिसकी किस्तों की वसूली सन १९६८ तक नहीं की गई ? यदि हां तो क्यों ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जी हां ।

कारणों की जांच की जा रही है ।

*२०—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उपरोक्त श्री दीदार सिंह के झींझक से भाग जाने के कारण उक्त धन की वसूली मय ब्याज के जमानतदारों से की जा रही है । क्या यह सही है कि उद्योग विभाग के जिस अधिकारी की लापरवाही से धन नहीं वसूल किया गया उसके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कारणों का पता लगाया जा रहा है जिनके ज्ञात होने पर यथोचित कार्यवाही की जायगी ।

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में विद्यार्थियों का प्रवेश

*२१—श्री सतीशचन्द्र (जिला एटा) तथा श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ में इस वर्ष कितने विद्यार्थियों के प्रार्थना-पत्र प्रवेश के लिये प्राप्त हुये और उसमें से कितने विद्यार्थी लिये गये ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

निर्धारित तिथि तक ६८४ विद्यार्थियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए और उनमें से ५४ विद्यार्थियों का प्रवेश किया गया ।

लघु कृषक परामर्श दात्री परिषद् का गठन तथा इसकी बैठकें

*२२—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा चौधरी राम पाल सिंह यादव—

क्या सरकार ने छोटे किसानों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये एक सलाहाकार परिषद् गठित की है ? यदि हां, तो कब से और इस परिषद की सदस्य संख्या कितनी है तथा इसमें कौन-कौन से प्रतिनिधि छोटे किसानों के हैं ?

श्री अनवार अहमद—

सरकार ने छोटे किसानों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए उत्तर प्रदेश लघु कृषक परामर्श दात्री परिषद् का गठन किया है । परिषद् के गठन से सम्बन्धित विज्ञप्ति जिसमें परिषद् के गठन का समय तथा उसकी सदस्य संख्या दी हुई है, की एक प्रति संलग्न है । छोटे किसानों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रश्न अब नहीं उठता क्योंकि शासन ने परिषद को विघटित करने का निर्णय ले लिया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७०६—७०८ पर ।)

*२३—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब तक उक्त परिषद की कितनी बैठकें हो चुकी हैं और उन्होंने किन-किन विषयों पर क्या निर्णय लिये हैं ?

श्री अनवार अहमद—

उक्त परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई, अतः कोई निर्णय लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश से विदेश को निर्यात किया गया चावल

*२४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश से विदेश भेजने हेतु कितना चावल १५ मार्च, १९७० से २५ जुलाई १९७० तक बम्बई व अन्य स्थानों को भेजा गया और यह चावल किस किस्म का था तथा चालू वित्तीय वर्ष में कितना चावल विदेश और भेजा जायगा ?

श्रीमती कुदसिया बेगम—

भारतीय सरकार के आवंटन पर प्रदेश से विदेश को उच्च बासमती (निर्यात किस्म का) चावल भेजा जाता है जिसको भारतीय खाद्य निगम प्रदेशीय सरकार से लेकर बम्बई को भेजता है । भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के आधार पर १५ मार्च, १९७० से २५ जुलाई, १९७० तक उक्त किस्म का २,२५८ टन चावल केवल बम्बई को भेजा गया ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में लगभग ५,००० टन इस किस्म का चावल निर्यात हेतु भारतीय खाद्य निगम को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवा देने की आशा है ।

कर्नेलगंज, जिला गोंडा में महिला चिकित्सालय की स्थापना की मांग

*२५—श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला गोंडा के अन्तर्गत कस्बा कर्नेलगंज तथा आस-पास १५-२० मील की दूरी पर केवल एक जिला परिषद का अस्पताल है ? यदि हां, तो क्या सरकार कस्बा कर्नेलगंज में एक जनाना अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

कर्नैलगंज कस्बे में जिला परिषद का अस्पताल है। इस अस्पताल से ७ मील पश्चिम में बरगदी राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय है तथा दक्षिण पश्चिम में ७ मील की दूरी पर धनावा जिला परिषद का चिकित्सालय है। और ८ मील उत्तर में कटरा बाजार चिकित्सालय तथा ९ मील दक्षिण दिशा में परसपुर स्वास्थ्य केन्द्र है।

कर्नैलगंज में महिला चिकित्सालय की स्थापना कब तक हो जायगी, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

*२६-२७---श्री रामसागर---

[मंत्रि परिषद में समावेश के कारण अपास्त]

*२८---श्री अनन्तराम जायसवाल---

[मंत्रि-परिषद में समावेश के कारण अपास्त]

*२९---श्री शिवानन्द नौटियाल---

[२रे गुरुवार के ता० प्र० ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३०-३१---श्री शेर सिंह दानू---

[२रे गुरुवार के प्र० सं० ७७-७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला प्रसार शिक्षिका, परिवार नियोजन, लखनऊ का स्थानान्तरण

*३२---श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला प्रसार शिक्षिका परिवार नियोजन, लखनऊ वर्तमान स्थान पर कब से कार्य कर रही है? दीर्घ अवधि से एक ही स्थान पर कार्य करते रहने के तथा उनका स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण है? क्या उनका स्थानान्तरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक स्थानान्तरण कर दिया जायगा?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जिला प्रसार शिक्षिका परिवार नियोजन, लखनऊ वर्तमान स्थान पर २८-१-६६ से कार्य कर रही है। परिवार नियोजन का कार्यक्रम इस प्रकार का है जिसमें यह आवश्यक नहीं है कि किसी कार्यकर्त्ता का एक अवधि विशेष के पश्चात स्थानान्तरण कर ही दिया जाय। फिलहाल प्रशासनिक दृष्टि से उनके स्थानान्तरण का मामला अभी विचाराधीन नहीं है।

*३३---श्री कल्पनाथ सिंह---

[मन्त्रि परिषद में समावेश के कारण अपास्त]

जलालपुर डिस्पेन्सरी, जिला फैजाबाद की मिडवाइफ का बकाया वेतन

*३४---श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले की जलालपुर डिस्पेंसरी में कार्य करने वाली किन्हीं मिडवाइफों को वेतन वृद्धि सन् १९५४ से १९६५ तक तथा अवकाश वेतन सितम्बर, सन् १९६५ से अक्तूबर सन् १९६५ तक भुगतान नहीं हुआ और क्या इस सम्बन्ध में कुछ प्रार्थना पत्र स्वास्थ्य मंत्री को सन् १९६९ में प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जी हां, यह सही है कि जलालपुर डिस्पेन्सरी में एक मिडवाइफ को वेतन वृद्धि सन् १९५४ से १९६५ तक तथा अवकाश वेतन सितम्बर ६५ से अक्तूबर ६५ तक भुगतान नहीं हुआ है। यह भी सही है कि १९६९ में, इस सम्बन्ध में कुछ प्रार्थना-पत्र स्वास्थ्य मंत्री जी को प्राप्त हुये थे। शासन ने तुरन्त भुगतान करने की व्यवस्था किये जाने के लिये आदेश दे दिये थे। इस समय स्थिति यह है कि उपर्युक्त मिडवाइफ के उपर्युक्त सम्पूर्ण अवधि का देय भुगतानों का एरियर बिल बनाया जा चुका है उसके जनपद शल्यक फैजाबाद तथा क्षेत्र विकास अधिकारी जलालपुर के कार्यलयों से प्रमाणित होने के उपरान्त कुछ भुगतान तुरन्त कर दिया जायेगा और कुछ देय धन का भुगतान प्रीआडिट (Pre-audit) के बाद कर दिया जायेगा।

*३५--श्री रामगोपाल सण्ड--

[२रे बुधवार के प्र० सं० ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३६--श्री रामगोपाल सण्ड--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

राजकीय चिकित्सालयों में डाक्टरों की कमी

*३७--श्री कल्यान सिंह तथा श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में राजकीय अस्पताल में दिनांक ३०अप्रैल १९७० तक किस-किस अस्पताल में डाक्टर नहीं हैं वहां डाक्टर न होने के क्या कारण है तथा इन अस्पतालों में डाक्टर उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, तथा कब तक उत्तर प्रदेश के समस्त अस्पतालों में डाक्टर उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

†सूचना संलग्न है।

चिकित्सालयों में डाक्टर न होने का मुख्य कारण यह है कि प्रादेशिक चिकित्सा सेवा में डाक्टरों की कमी है।

मेडिकल कालेजों से अब अधिक संख्या में डा० निकल रहे हैं, तथा शासन द्वारा प्रयत्नों के कारण अन्य प्रदेशों से भी डाक्टर उपलब्ध होने की सम्भावना है। ऐसी आशा है कि निकट भविष्य में डाक्टरों की कमी प्रदेशीय चिकित्सा सेवाओं में दूर हो जायेगी।

*३८-३९--श्री रामसागर--

[मंत्री परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*४०--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला मेरठ में स्वास्थ्य सहायकों की सेवा-समाप्ति तथा पुनर्नियुक्ति

*४१--श्री कल्यान सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ के अतर्गत २८ फरवरी, १९७० को किन-किन स्वास्थ्य सहायकों की बिना कारण बताये सेवायें समाप्त कर दी गई ? क्या जिनकी सेवायें समाप्त की गई उनके प्रति कोई शिकायतें थीं ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित कर्मचारियों को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जिला मेरठ के अन्तर्गत २८ फरवरी, १९७० को ९२ स्वास्थ्य सहायकों की (सूची संलग्न है) सेवायें समाप्त की गई थी। इनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। इसलिए कारण बताओं नोटिस के दिये जाने की आवश्यकता नहीं थी।

(देखिए नत्थी, 'ख' आगे पृष्ट ७०९-७१० पर)

*४२--श्री कल्यान सिंह--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति उसी पद पर दिनांक १ मार्च, १९७० को जिलाधिकारी मेरठ ने की थी ? यदि हां, तो ऐसा कौन-कौन से स्वास्थ्य सहायक है जिनकी सेवायें दिनांक २१ अप्रैल, १९७० से पुन सम्माप्त कर दी ? उनकी सेवाओं की समाप्ति के क्या कारण है। क्या सरकार उन्हें पुन सेवा में लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो क्यों '

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जी हां, २१-४-७० को पांच स्वास्थ्य सहायकों सर्व श्री बी० एस० बन्सल, हेम सिंह, चमन प्रकाश, देव दत्त शर्मा और सूरज भान की सेवाएं पुन समाप्त कर दी गई क्योंकि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। इन्हें पुनः सेवा में लेने पर विचार करने का प्रश्न नहीं है।

*४३-४४--श्री शेरसिंह दानू--

[२रे गुरुवार के प्र० सं० ७४-७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४५-४६--श्री दल सिंगार तथा श्री भीभा प्रसाद--

[२रे बुधवार के प्र० सं० ६३-६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला उत्तरकाशी में मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को सीमान्त विशेष वेतन

*४७--श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

क्या मुख्य मंत्री को यह मालूम है कि सीमान्त जिला उत्तरकाशी में मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को सीमान्त विशेष वेतन नहीं मिलता ? क्या सरकार अन्य विभागों की तरह इस विभाग के कर्मचारियों को भी विशेष भत्ता देने की कृपा करेगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जी हां। शासन ने दिनांक २० दिसम्बर, १९६९ को सम्बन्धित कर्मचारियों को सीमान्त विशेष वेतन दिये जाने के आदेश प्रसारित कर दिये है। उक्त कर्मचारियों को मार्च १९६७ से दिसम्बर १९६९ तक का सीमान्त विशेष वेतन दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

जिला परिषद्, टिहरी गढवाल द्वारा प्रस्तावित पेयजल योजनायें

*४८--श्री गोविन्द सिंह--

क्या विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् टिहरी-गढ़वाल से गत तीन वर्षों में कितनी पेयजल योजनायें प्रस्तावित की गई, उनमें से कितनों का सर्वेक्षण कर दिया गया और कितनी निर्माणार्थ स्वीकृत कर दी गई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रूपनाथ सिंह यादव)--

जिला परिषद टिहरी-गढ़वाल द्वारा गत तीन वर्षों में ५०० गांवों की जल संपूर्ति योजनायें बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इनकी स्थिति इस प्रकार है :--

१—योजनायें जो तैयार हो गयी हैं और उनके लिए धन आवंटित कर दिया गया है ११३ गांव
२—योजनायें जो तैयार हो गयी है किन्तु अभी धन की व्यवस्था नहीं की जा सकी है । २५ गांव
३—योजनायें जो बन रही है ४० गांव
४—योजनायें जिनपर सर्वेक्षण जारी है ८७ गांव
५—योजनायें जिनके सर्वेक्षण का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है २३५ गांव

आजमगढ़ जिले में शवगृह का निर्माण

*४९—श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में स्थित पोस्टमार्टम हाउस को हटाने के लिये जनता तथा विधायकों की ओर से विगत दो वर्षों में कितने प्रार्थना-पत्र आये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसके बारे में गत् दो वर्षों १९६८ व १९६९ में २ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ।

नये शवगृह के निर्माण के लिये सन् १९६४ में ही स्वीकृति दे दी गयी थी लेकिन इसके लिये कोई उपयुक्त स्थल (साइट) न मिलने के कारण यह निर्माण कार्य सम्पादित नहीं किया जा सका । अब यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा शवगृह के ही स्थान पर एक नया शवगृह आवश्यक परिवर्तन व परिवर्द्धन के साथ बनाया जाय । इसके कार्य के लिये १२,००० रु० तखमीनों की स्वीकृति दे दी गयी है ।

गढ़वाल जिले के चिकित्सालयों में डाक्टरों की कमी

*५०—श्री शिवानन्द नौटियल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में दिनांक १ अगस्त १९७० को कितने अस्पताल ऐसे थे जिनमें डाक्टर नहीं थे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

गढ़वाल जिले के ११ (ग्यारह) चिकित्सालयों में पहली अगस्त, १९७० को डाक्टर नहीं थे ।

*५१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक इन स्थानों पर डाक्टर भेज दिये जायंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उपरोक्त ११ चिकित्सालयों में से दो में डाक्टरों की तैनाती के आदेश जारी कर दिये गये हैं । डाक्टर उपलब्ध होते ही बाकी नौ रिक्त स्थान में डाक्टर तैनात कर दिये जायेंगे ।

गोंडा में परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों की सेवा-समाप्ति

*५२—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिलाधिकारी गोंडा ने अपने दिनांक १४ जून, १९७० के आदेश से दस परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों की सेवायें किस आधार पर समाप्त की है ? इनमें से प्रत्येक की कितने कितने दिनों की सेवा अवधि थी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जिलाधिकारी गोण्डा ने अपने १४ जून १९७० के आदेश से जिन दस परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों की सेवायें समाप्त की थीं वे सभी अस्थायी थे । नियुक्ति की शर्तों के आधार पर ही उक्त कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई थीं क्योंकि उनकी सेवाओं की विभाग को आवश्यकता नहीं थी । उनकी सेवा अवधि का ब्यौरा इस प्रकार है --

श्री बालक राम तिवारी सेवा अवधि ४ साल २ माह ११ दिन ।
श्री राजाराम उपाध्याय सेवा अवधि १ साल १० माह ९ दिन
श्री माधवशरण श्रीवास्तव सेवा अवधि १ साल १० माह ४ दिन ।
श्री गुलाम रब्बानी सेवा अवधि १ साल ११ माह ११ दिन ।
श्री के० एन सिंह सेवा अवधि २ साल २ माह २५ दिन ।
श्री बी० पी० वर्मा सेवा अवधि ३ साल २ माह १५ दिन ।
श्री इमदाद अहमद सेवा अवधि ३ साल २ माह १२ दिन ।
श्री डी० एम० सिंह सेवा अवधि १ साल १माह ११ दिन ।
श्री जे० पी० दुबे सेवा अवधि १ साल १ माह १ दिन
श्री सूर्य प्रकाश आर्य सेवा अवधि १ साल, ० माह २३ दिन ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार हेतु अर्जित की गयी भूमि

*५३--श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर) तथा श्री जे० एन० सिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हरिद्वार के निर्माण के लिये कुल कितनी भूमि अधिग्रहित की गई थी और उसमें कितनी भूमि के उपर कारखाने का निर्माण किया गया है और कितनी भूमि इस समय शेष है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिस भूमि पर कारखाने का निर्माण नहीं हुआ है वह गत दस वर्षों से किसी प्रयोग में नहीं आ रही है ? यदि हां तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि यह भूमि भूमिहीन व्यक्तियों में अस्थायी रूप पट्टे पर आवंटित कर दी जाय ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० हरिद्वार के निर्माण के लिये लगभग ६५०० एकड़ भूमि अर्जित की गई थी । इसमें से ३००० एकड़ भूमि पर कारखाने, कालोनी इत्यादि का निर्माण हुआ है । लगभग ९२८ एकड़ भूमि थी जिसको कारखाने तथा तत्सम्बन्धी कार्यों के लिए निकट भविष्य में आवश्यकता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के पास है ।

लगभग २२७२ एकड़ भूमि प्रोजेक्ट की प्रसार योजना के लिये थी बाद में उपयोग में लाई जाने का विचार है । फिलहाल इसमें से लगभग २२६३ एकड़ भूमि अस्थायी तौर पर खेती के लिये पट्टे पर देने हेतु निर्धारित कर दी गई है जिसमें से १५७७.७५ एकड़ भूमि पट्टे पर उठाई जा चुकी है । ४९९.९५ एकड़ भूमि ऐसी है जो खेती के लिये उपयुक्त नहीं है । १८५.३० एकड़ भूमि को पट्टे पर देने की कार्यवाही की जा रही है ।

उसके अतिरिक्त लगभग ३०० एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को औद्योगिक क्षेत्र प्रायोजना में उपयोग हेतु दे दी गई है ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उन्नाव का बकाया किराया

*५४--श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव में कितने और कहां कहां पर ऐसे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं जो किराये के भवनों में चल रहे है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जिला उन्नाव में केवल एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ग्राम ऊगू में है जो किराये क भवन में चल रहा है।

*५५--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त चिकित्सालयों के भवनों का मासिक किराया कितना कितना है और उनमें से प्रत्येक का कब तक का किराया भवनों के स्वामियों को विभाग द्वारा अदा किया जा चुका है और शेष के न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ऊगू के भवन का मासिक किराया ४० रुपये है। दिनांक १-४-७० से ३१-९-७० की अवधि का किराया भवन के स्वामी को अदा किया जा चुका है तथा दिनांक २२-३-६७ से ३१-३-७० तक के किराये के भुगतान का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

जिला अस्पताल, सीतापुर में शैय्याओं की वृद्धि

*५६--श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)--

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सीतापुर जिले के जिला अस्पताल में मरीजों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए शैय्याओं के बढ़ाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इनडोर में कितनी बेड्स कब तक बढ़ा दी जायेंगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जी हां, २५ अतिरिक्त शैय्याओं की वृद्धि की स्वीकृति शासन ने १? सितम्बर, १९७० को प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त ८० शैय्याओं के वार्ड के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस वार्ड का निर्माण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में उपलब्ध साधनों के अनुसार कराया जायगा।

इलाहाबाद में यमुना तथा गंगा के पवित्र जल को दूषित होने से बचाव की योजना

*५७--श्री राम गोपाल सण्ड--

क्या राज्य सरकार इलाहाबाद में पवित्र यमुना तथा गंगा नदी में गिरने वाले दूषित जल को रोकने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब प्रारम्भ होगी तथा इस पर कितना व्यय होगा ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

जी हां। योजना अलग-अलग क्षेत्र के लिए खण्ड में विभाजित करके बनाई और कार्यान्वित की जा रही है। इसके समस्त कार्यों का कुल अनुमानित व्यय मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग, ने लगभग १ करोड़ रु० बताया है।

*५८--श्री सजीवनलाल--

[२रे शुक्रवार के प्र० सं० ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५९--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)--

[२रे शुक्रवार के प्र० सं० ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६०—श्री रामचन्द्र विकल—

[२ रे सोमवार के प्र० सं० ३८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

जिला कृषि अधिकारी, सीतापुर की अनियमितताओं की जांच

*६१—श्री रामलाल राही—

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला सीतापुर के कृषि विभाग में गोल-माल किये जाने से संबंधित शिकायतों पर उप निदेशक, लखनऊ मंडल आडिट पार्टी ने वित्तीय वर्ष १९६८-६९ की अपनी आडिट रिपोर्ट में एक लाख साठ हजार रुपये के लगभग का गोल-माल पाया है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के आधार पर क्या सरकार ने संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो कब और क्या कार्यवाही की गई है?

श्री अनवार अहमद—

जी हां, उप निदेशक, लखनऊ मंडल की आडिट पार्टी द्वारा जिला कृषि अधिकारी, सीतापुर के वर्ष १९६८-६९ के लेखा की जांच की गई थी जिसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। इन अनियमितताओं पर जिला कृषि अधिकारी, सीतापुर का स्पष्टीकरण मांगा गया है एवं मामले की विस्तार में छानबीन की जा रही है। जिसके पश्चात दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

*६२—श्री रामचन्द्र विकल—

[३रे गुरुवार के प्र० सं० ९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला पूर्ति कार्यालय, लखनऊ के सीनियर इन्सपेक्टर

*६३—श्री पन्ना लाल गुप्त (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सप्लाई आफिस, लखनऊ के सीनियर इंस्पेक्टर कितनी अवधि से लखनऊ में ही कार्य कर रहे हैं और किन कारणों से उनका स्थानान्तरण बार-बार निरस्त करके उन्हें लखनऊ में रखा गया है?

श्रीमती कुदसिया बेगम—

जिला पूर्ति कार्यालय लखनऊ में ७ पद सीनियर इस्पेक्टर के स्वीकृत हैं और उन पदों पर निम्नलिखित निरीक्षक कार्य कर रहे हैं:—

(१)	श्री कालिका प्रसाद श्रीवास्तव	२-९-६९
(२)	एस० एन० आबदी	२४-७-७०
(३)	राम मोहन श्रीवास्तव	२५-८-७०
(४)	छैल बिहारी श्रीवास्तव	६-८-७०
(५)	सिद्धेश्वर प्रसाद शुक्ल	१४-७-६९
(६)	श्री जाफर रजा जैदी	१६-१०-६८
(७)	रिक्त है।	

क्रम संख्या ६ पर उल्लिखित श्री जैदी को छोड़कर किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया अतः बार-बार रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता। श्री जैदी का स्थानान्तरण फिलहाल स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया।

महमूदाबाद, जिला सीतापुर के मेले में सिनेमा का प्रदर्शन

*६४—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के कस्बे महमूदाबाद में एक मेला १४ अप्रैल से २१ अप्रैल सन १९७० तक लगा था उसमें परिवार नियोजन विभाग से एक सिनेमा प्रचारार्थ गया था किन्तु सिनेमा न दिखा कर वापस चले आने का क्या कारण है? तथा इस पर कितना धन व्यय हुआ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां। कथित मेले में एक सिनेमा प्रचारार्थ गया था। यह सही नहीं है कि सिनेमा बगैर प्रदर्शन किये वापस चला आया। १७ तथा २० अप्रैल, १९७० को दो सफल प्रदर्शन मेले में हुए। १६ तथा १८ अप्रैल, १९७० को भी प्रदर्शन का प्रचार किया गया किन्तु बिजली की कमी के कारण सफल प्रदर्शन नहीं हो पाया। इस मद पर २५७ रु० २६ पैसे का व्यय हुआ।

सरकार द्वारा मेसर्स सिन्थेटिक्स ऐण्ड केमिकल्स, बरेली की खाली जमीन को कब्जे में लेना

*६५—श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार के पास कानून विभाग से रबर फैक्ट्री की भूमि सरकारी कब्जे में लेने के विषय में कानूनी राय प्राप्त की गई? यदि हां, तो क्या सरकार ने भूमि कब्जे में लेने का निर्णय कर लिया है?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जी हां। सरकार ने यह निर्णय भी ले लिया है कि मेसर्स सिन्थेटिक्स ऐण्ड कैमिकल्स लि०, बरेली के पास अब तक खाली पड़ी हुई भूमि को कम्पनी से वापस ले लिया जावे।

*६६—श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

[मन्त्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

जिला अल्मोड़ा के हाट ग्राम पनेर गांव हेतु पेयजल योजना

*६७—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतावेंगे कि जिला अल्मोड़ा विकास क्षेत्र द्वारा हाट ग्राम पनेर गांव के लिये कोई पेयजल योजना बनी है? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत क्या-क्या कार्य हुये?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जी नहीं, कोई कार्य नहीं हुए।

*६८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि अगर पेयजल योजना नहीं बनी है तो उसे बनाने का विचार सरकार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जी हां, लेकिन अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कब तक कार्य हाथ में लिया जा सकेगा।

*६९—श्री रामचन्द्र विकल—

[४थें बुधवार के प्र० सं० २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जिला चिकित्सालय, बलिया को अनुदान

१—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिला चिकित्सालय को वित्तीय वर्ष १९६९—७० में कुल कितना अनुदान किस-किस मद के लिये दिया गया है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७११ पर)

बलिया जिले में लाइसेन्स प्राप्त कोयला विक्रेता

२—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिला बलिया के अन्तर्गत कितने लाइसेन्स प्राप्त कोयला विक्रेता हैं ?

श्रीमती कुदसिया बेगम—

८०।

जिला बहराइच में नस बन्दियां तथा लूप

३—श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९६८ से ३० जुलाई, १९७० तक बहराइच जिले में कितनी नसबन्दियां की गयीं एवं कितने लूप लगाये गये तथा इस अवधि तक परिवार नियोजन पर कितना धन व्यय किया गया ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कथित अवधि में बहराइच जिले में १,९७८ पुरुष नसबन्दियां और ७८ महिला नसबन्दियां की गयीं और ३,८३५ लूप लगाये गये तथा उसी अवधि में परिवार नियोजन पर रु० ८,६९,९६४. ५७ पैसे व्यय किए गए।

४—श्री नेतराम सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

५—श्री सियाराम तथा श्री नेतराम सिंह—

[३रे बुधवार के प्र० सं० ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भूतपूर्व सदस्य, श्री कृष्ण शरण आर्य के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मन्त्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है यह सूचित करते हुए कि हमारी विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री कृष्ण शरण आर्य का देहावसान हो गया। उनका देहावसान १२ दिसम्बर को हुआ। वह कांग्रेस के बड़े पुराने कार्यकर्त्ता थे और वह १९५२ से १९५७ तक इस विधान सभा

के सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त वह अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी सम्बन्ध रखते थे और समाज सेवा में लगे रहते थे। मैं इस अवसर पर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि उनके परिवार को हमारी तरफ से सम्वेदनायें प्रकट की जाएंगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला–वाराणसी)—

मान्यवर, श्री आर्य जी रामपुर के निवासी थे और उस जमाने में भी उन्होंने बड़ा काम किया था, जबकि देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने का प्रश्न उठा था, उन्होंने आन्दोलन भी किए थे। कठिनाइयां और यातनाएं भी सही थीं। हमारी विधान सभा के भी वह सदस्य रहे हैं और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। रामपुर की साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थाओं से उनका बड़ा सम्बन्ध रहा है, विशेषकर हिन्दी के वह बड़े प्रबल समर्थक थे और उस दिशा में उन्होंने बहुत कुछ काम भी किए थे। हमारी विधान सभा के थोड़े ही समय मेम्बर रहे–सन् ५२ से ५७ तक। आज उनके देहावसान की सूचना पाकर हम सब दुखी हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले और उनके दुखित परिवार के प्रति अपनी सम्वेदना प्रकट करता हूं और माननीय नेता सदन ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)

मान्यवर, स्वर्गीय आर्य जी के बारे में जो भावनाएं माननीय मुख्य मन्त्री और नेता विरोधी दल ने व्यक्त की है मैं अपने को और अपने दल को उन भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, कृष्णशरण जी आर्य १९५२ से १९५७ तक इस विधान सभा में हमारे साथ रहे थे। उनसे हमारा निजी सम्पर्क भी था। वह बहुत अच्छे समाजसेवी थे। देश के लिए अपना बलिदान दिया था। उनका दुखद निधन जो रेलवे दुर्घटना से हुआ है उनके प्रति नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी सम्वेदना उनके परिवार तक पहुंचे।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आर्य जी के निधन पर नेता सदन, नेता विरोधी दल और विरोधी दल की अन्य पार्टियों के नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं भी अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी सम्वेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे

श्री छांगुर (जिला हजारीबाग)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कृष्णशरण आर्य के निधन पर हमें हार्दिक दुख है। उनके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और विभिन्न दलों के माननीय नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी सम्वेदना उनके परिवार तक भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन तथा नेता विरोधी दल ने और अन्य सदस्यों ने श्री कृष्णशरण आर्य की मृत्यु के सम्बन्ध में जो भावनाएं व्यक्त कीं, उनसे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। कल मेरे पास उनके लड़के का तार आया, कि मेरे पिता जी का देहान्त हो गया। आज एक समाचार-पत्र दफ्तर में आया है। शायद किसी पैसेंजर ट्रेन से उनकी मृत्यु हुई। खैर, उनकी जांच होगी। लेकिन बड़ी दुखद घटना हुई है, वह एक अच्छे कार्यकर्ता थे वैसे तो सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता थे ही लेकिन कांग्रेस के जितने रामपुर में कार्य हुए हैं उनमें

[श्री अध्यक्ष]

सक्रिय भाग लेते रहे हैं। कांग्रेस के वे भक्त रहे थे। उसके लिए उन्होंने हरदम कष्ट सहन किये। मैं जानता हूं कि हिन्दी के वह बहुत भक्त थे और सदन में हिन्दी के भाषण हो इस विषय में हमेशा जोर देते रहते थे। १९५२ से १९५७ तक वह यहां के सदस्य रहे हैं। ऐसे सज्जन पुरुष जो हरदम जनता की सेवा करते रहे उनकी मत्यु पर मुझे भी व्यक्तिगत दुख हुआ है सदन की ओर से सभी पार्टियों ने दुख व्यक्त किया है। ये भावनाएं मैं उनके कुटुम्ब, उनके लड़के के पास भेज दूंगा। अब दो मिनट के लिए हमको परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि वह उनकी आत्मा को शान्ति दे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये।)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

आप सब लोग बैठ जायं। मैंने श्री नित्यानन्द स्वामी को मौका दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी हाल में समाचार-पत्रों में छपा है...

(व्यवधान)

आप लोग शोर मचाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

यह शोर मचाते हैं, यह शब्द संसदीय हैं या असंसदीय हैं।

माननीय सदस्य, देहरादून ने कहा कि शोर मचाते हैं। यह संसदीय है या असंसदीय है?

श्री अध्यक्ष---

शोर मचाते हैं तो शोर के सिवा और क्या कहा जावेगा। यह असंसदीय नहीं है। जब मैंने बोलने की इजाजत नहीं दी है तो यह शोर है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

धन्यवाद। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि देश का दुर्भाग्य है कि जो आज केन्द्रीय सरकार है वह ऐसी योजना बना रही है कि न सिर्फ लोक सभा बल्कि सभी असेम्बली में इमरजेंसी डिक्लेअर कराकर.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मेरी बात सुन ली जाय।

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरी बात सुन ली जाय कि मैं क्या कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

माननीय वित्त मंत्री जी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरी बात सुन ली जाय । मैं यह कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं । वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सारे देश में इमरजेन्सी डिक्लेअर की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । माननीय वित्त मंत्री जी ।

वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की अधिसूचना†

वित्त राज्य मंत्री (श्री रामसिंह खन्ना)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की अधिसूचना संख्या एस० टी० २४३८/१०:९००(७५)६९-दिनांक १० सितम्बर, १९७० को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कृषि विभाग की अधिसूचना†

कृषि राज्य मंत्री (श्री कृष्णस्वरूप)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कृषि (ख) विभाग की अधिसूचना संख्या बी–२३६९/१२ बी–४०(४)–६७, दिनांक २३ जुलाई, १९७० द्वारा प्रख्यापित 'परिनियम' को, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ की धार २९ की उपधारा (१) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

व्यवस्था के प्रश्नों को सुनने के उपरान्त ही निर्णय देने की प्रार्थना

श्री गोविन्द सिंह (जिल टेहरी–गढ़वाल)—

मुझे एक सूचना चाहिये थी ।

(व्यवधान)

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री अध्यक्ष--

यह चीज गलत है। इस तरह से लगातार व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही नियम के अनुसार होनी चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठावे तो यह उचित होगा कि आप उसे सुन कर अपनी व्यवस्था उसके ऊपर दें। जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है इसमें यह है कि कुछ लड़के जो गिरफ्तार किये गये हैं, कोई अदालत नहीं बैठ रही है जिससे उनकी जमानत भी हो जाय और उनके साथ जेल में बर्ताव भी एक विवादमूलक हो रहा है। उसी प्रश्न को कुछ लोग यहां उठाना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो उसे सुन लें और उसका उत्तर मिल जाय तो फिर कार्यवाही चलती रहे।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न श्री नित्यानन्द जी ने उठाया था।

(व्यवधान)

आप अध्यक्ष को सुनना ही नहीं चाहते हैं।

(कुछ क्षण पश्चात्)

मैं उनको रोकने वाला था, इसके पहले ये अध्यक्ष बन गये--पांडेय जी और उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रश्न उन्होंने उठाया है इसलिये आपका यह व्यवस्था का प्रश्न ठीक नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने बराबर बोलना जारी रखा और यह कहने लगे कि मेरी बात सुनिये। इस तरह से जब करने का यह तरीका ठीक नहीं है। जो भी प्रश्न आप उठावें उसे लिखित दें और उसके ऊपर मेरा निर्णय लें।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

मैंने लिखित दिया है। तीन रोज से लगातार मैं लिखित दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

४ बजे बाद निर्णय में आती है। नियमानुसार मैं ऐसा एक ही प्रश्न एक दिन में ले सकता हूं। अगर आपका एक प्रश्न है और कोई दूसरा प्रश्न ज्यादा महत्व का है तो उसे पहले मैं ले लूंगा। कल अध्यापकों का प्रश्न आया था जिसे मैंने सुना और उसे स्वीकार कर लिया। अब विद्यार्थियों का प्रश्न आया है। पहले अध्यापकों आ प्रश्न आया था इसलिये उसे मैंने स्वीकार कर लिया। विद्यार्थियों के सम्बन्ध में भी कोई प्रश्न है तो उसे आप लिखकर दें लेकिन इस तरह से व्यवस्था का प्रश्न नहीं आ सकता। प्रश्न नियम ५१ के अन्तर्गत आप दें तो उसमें जो सबसे ज्यादा महत्व का होगा उसे मैं ले लूंगा। लेकिन इस तरह से डिबेट करना कि नियम ५१ में हमारा प्रश्न आज ही ले लें, इस तरह बहस से करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इस तरह की कोई बात कहें और अगर अध्यक्ष इजाजत दे तो उसके ऊपर सरकार उत्तर देगी लेकिन आप एकदम से प्रश्न करना शुरू करदें कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं और सरकार उसका उत्तर हमें अभी दे दे तो इस तरह से सदन की व्यवस्था नहीं रह सकती है। जब आर्डर में न हो और आप नया प्रश्न करना शुरू कर दें तो इस तरह से कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। आप नियम ५१ में प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं, दो घंटे की बहस

की लिखित प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन एक नयी बात एकाएक लेकर व्यवस्था का प्रश्न उठाना और उस पर बहस शुरू कर देना, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन् से मुझे यह निवेदन करना है कि कोई न आपको डिक्टेट करने की बात है, न कोई किया जाना चाहिये और न कोई किया जा सकता है। सवाल यह है कि जब किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया और जिस प्रकार इस वक्त समझाया कि इसे दफा ५१ में ले आवें या अल्पसूचित में ले आवें तो यही कह देते। जब धारणा होती है कि प्रश्न उठाया जा रहा है, वह लिया नहीं जा रहा है और न लिया जायेगा तब यह होता है। मान्यवर, इतना कह देते कि दफा ५१ में उठावें। पांच-सात लड़के जेल में बन्द हैं और उनके साथ विभेद मूलक बर्ताव हो रहा है। उसको यहां न उठावें तो कहां उठावें।

श्री अध्यक्ष—

आज ४ बजे के लिए दिया है। यह सब जानते हैं कि ५१ में कोई प्रश्न देते हैं तो मैं चार बजे उसका फैसला देता हूं। लेकिन लोग अभी बोलना चाहते हैं और एक साथ बोलना चाहते हैं। पांडेय जी बोलना चाहते हैं, चेतराम जी बोलना चाहते हैं। जो सदन की पद्धति है उसके हिसाब से काम होना चाहिये।

(व्यवधान)

भावी कार्यक्रम के बारे में जानकारी

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय मुझे यह कहना है कि कार्यक्रम के बारे में कल भी प्रश्न आया और आज भी आया। कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं है। कल इनका बजट खत्म हो जायेगा तो फिर १७/१८ वाला भी घपले में है। जब कार्यक्रम निश्चित नहीं है तो यूनियन से सम्बन्धित जो अध्यादेश हैं जोकि बहुत महत्वपूर्ण है, वह कब लिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मेरा निवेदन यह है कि कुछ आर्डीनेन्सेज प्रोमलगेट हुए हैं। वह इस सदन की मेज पर रखे गये हैं। पहला अवसर उनके डिसएप्रूवल करने का मिलना चाहिए था। आपके सामने प्रस्ताव आये लेकिन अब तक किसी भी दिन की कार्यसूची में उन प्रस्तावों को अग्रेयता नहीं मिली है। कल सप्लीमेंटरी बजट लेने के बाद यह सरकार अपनी पुरानी परम्परा को निभाते हुए सदन को नहीं चलायेगी। हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि कोई दिन आप निश्चित करें कि अननुमोदन के प्रस्ताव आवें।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पूछा गया कि कार्यक्रम में नहीं है। १८ तारीख तक कार्यक्रम बता दिया गया था यह कार्यक्रम होगा। जहां तक कि इसके अननुमोदन का प्रश्न है यह प्रश्न आना आवश्यक है वह नहीं आया। इसलिये वह आयगा जरूर और अगर वह नहीं लाते हैं किसी दिन भी नहीं आता है सदन के विचारार्थ तो जितने अध्यादेश हैं वे समाप्त हो जायेंगे ६ हफ्ते के अन्दर। इस लिये सरकार के ही यह हित में है कि उसको पहले ही लावें। अगर कार्य मंत्रणा समिति में यह पास हुआ है तो इसको अवश्य सदन में लाना चाहिये।

एक सदस्य—

मान्यवर, आप जो कुछ कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। कई दफे कहा गया कि आप लाउडस्पीकर को ठीक करवायें परन्तु यह नहीं हुआ। कुछ समझ में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति में आया और यह फैसला हो गया कि १७ और १८ तारीख में यह कार्यक्रम होगा। १८ तारीख को असरकारी दिन है इसलिये १७ तारीख का फैसला करके १८ तारीख को आपके सामने आ जायेगा कि किस-दिन उसका अननुमोदन लिया जायेगा। उसके लिये टाइम निर्धारित करके लाना पड़ेगा। अगर वह बिल नहीं लाना चाहते हैं तो सरकार को कहना पड़ेगा कि हम अध्यादेश को वापस लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, बुनियादी प्रश्न यह है कि एक काम को सरकार कर चुकी और गलत तरीके से अध्यादेश जारी किया गया। यह प्रश्न तो बिल्कुल ही भिन्न है कि अध्यादेश को विधेयक बनाने के लिए सरकार उसके लिये कोई विधेयक लाये या नहीं। जो ऐक्ट सरकार कर चुकी है अध्यादेशों को निकालकर उनको यह सदन इनएप्रोप्रियेट करता है इसलिये यह सदन इसी अधिवेशन के अन्दर इस प्रश्न को लाना चाहता है। इस प्रश्न को सरकार के विवेक पर नहीं छोड़ना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक कल शाम को होने वाली थी परन्तु वह स्थगित कर दी गई और आज सबेरे होने वाली थी और वह भी नहीं हुई। मान्यवर, संविधान के आर्टिकिल २१३ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी प्रति मेरे पास अंग्रेजी में है जो मैं पढ़ता हूं। इसमें लिखा है कि—

"An Ordinance promulgated under this Article shall have the same force and effect as an Act of the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the re-assembly of the Legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any, upon the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council and (*b*) may be withdrawn at any time by the Governor."

मान्यवर, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यदि कोई अध्यादेश जारी होने के ६ हफ्ते के अन्दर सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाता तो वह समाप्त हो जायेगा। लेकिन वह आर्डीनेन्स ६ हफ्ते पहले भी समाप्त हो सकता है जिस तारीख को दोनों सदन अननुमोदन डिस्एप्रूवल का प्रस्ताव पारित कर दें। तो यह जो संविधान के नियम हैं उसमें सरकार के बस की बात नहीं है और आप भी श्रीमन्, इसमें सरकार की कोई बात मानने के लिये बाध्य नहीं हैं किसी प्रकार से, क्योंकि कन्स्टीट्यूशन में हमको यह अधिकार उपलब्ध है। उस में है' 'may be withdrawn at any time by the Governor," अगर यह आर्डीनेन्स वापिस नहीं लिया जाता है तो छः हफ्ते पहले सदन को समाप्त करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

और वह अधिकार मौजूद है आपको। आपने अननुमोदन का प्रस्ताव दिया और मैंने स्वीकार भी कर लिया क्योंकि वह इन आर्डर है। दूसरी चीज यह है कि उसको तीन दिन के बाद, जब आप नोटिस दें उसके तीन दिन के बाद, लेना चाहिये। इस चीज को भी मैंने आपके सामने रखा था और उस समय भी आपने यही चीज पढ़ी थी। तो जो कमेटी बैठी थी उसमें मैंने

यही कहा कि ५–६ प्रस्ताव हैं आप पहले तय कर लें कि कब किस क्रम में वे सदन में रखे जायेंगे। और समय भी तय कर लें कि कितनी-कितनी देर तक इन पर बहस होगी। इस विषय में एक दूसरा प्रश्न उठा कि साढ़े ६ एकड़ वाला भी महत्वपूर्ण है और सरकार इसको भी टालना चाहती है, इस बात की शंका जाहिर की गई। तो यह बात बहुत दिनों से कही जा रही है कि ४ बजे १५ तारीख को ले लिया जायगा। उसके बाद यह प्रश्न उठा कि अननुमोदन का प्रस्ताव कब लेंगे? उसके लिये १७ तारीख के अननुमोदन का प्रस्ताव के लिये दिन मुकर्रर करने की तय हुई और कहा गया कि हम लोग कार्य-मंत्रणा-समिति में, बैठेंगे तथा कुछ दूसरे विषयों पर झगड़े थे उस पर। सरकार की तरफ से एक सज्जन ने कहा कि हम शाम को इसका निर्णय कर लेंगे। मैंने उसी शाम को साढ़े ६ बजे की नोटिस निकाल दी कि कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होगी तब वही मंत्री कहने लगे, १७ तारीख को जब तय हो चुका कि कैबनेट की मीटिंग है। मैंने कहा कि १७ तारीख को ही बैठक रखेंगे। १७ तारीख तो पहले से ही तय हो चुकी है उसमें कोई टालने वाली बात नहीं है। मैं तो और जल्दी करना चाहता था। इस वजह से कि हम लोगों का १८ तारीख तक का प्रोग्राम बन चुका था तो हमें १८ तारीख के बाद ही उन विषयों को रखना पड़ेगा। यह निश्चय कर चुके हैं। अब आपने साढ़े ६ एकड़ वाली बात भी पेश कर दी।

(व्यवधान)

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आपने तो मुझे अध्यक्ष बना दिया अब तो आप मेरी बात सुन लें। मान्यवर, आज तक के विधान सभा के इतिहास में मैंने कभी भी आपकी की आज्ञा की अवहेलना नहीं की। किन्तु जब मैं खड़ा होता हूं तो कुछ ऐसा मौका आता है कि आप मुझे सुनने के मूड में नहीं रहते और एकदफा 'न' निकलने के बाद 'न' ही करते रहते हैं। मैंने कल एक मौलिक प्रश्न उठाया था। आपने उस पर आज्ञादी, लेकिन जब मैंने कहना शुरू किया तो आपने सुनने से इन्कार कर दिया और आपने यह आदेश दे दिये कि कार्यवाही में लिखा न जाय। और आज उस पर हल्ला मचा तो आपने बड़ी नम्र दिली से कहा कि इस पर नियम ५१ के अन्तर्गत नोटिस दिया जाय। अगर कल मेरी प्रार्थना पर आपने यह बतला दिया होता तो आज सदन का यह समय बरबाद न होता। मुझे दुख है कि कुछ सदस्य बड़ी ऊलजलूल बातें सेंटर के बारे में कहा करते हैं उनको आप शान्तिपूर्वक सुन लेते हैं लेकिन मैं इसी विधान सभा के बारे में कहता हूं तो आप जबरदस्ती बिठा देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसी को रोक रहा था।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

५ लड़के जेल में सी क्लास में बन्द हैं। उसके सम्बन्ध में आवाज उठाना मेरा अनिवार्य कर्त्तव्य है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने बतला दिया। अब आप बैठ जायं।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जितना समय आप लोग इधर लेंगे उतना समय सवा ६ एकड़ वाले प्रस्ताव पर कट जायगा ।

प्रश्नों के निश्चित उत्तर दिलवाने की प्रार्थना

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मैं कोई इर्रिलेवेंट बात नहीं कह रहा हूं । सदन में जो सदस्य चुन कर आते हैं उनके अधिकारों के आप कस्टोडियन हैं और हम अगर कोई प्रश्न करें तो सरकार को चाहिये कि वह हमको निश्चित उत्तर दे । मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान नियमावली के नियम २६ की ओर दिलाना चाहता हूं "प्रश्न प्रशासन के ऐसे विषय से सम्बद्ध होना चाहिये जिसके लिये शासन उत्तरदायी है । उसका प्रयोजन लोक महत्व के विषय में सूचना प्राप्त अथवा कार्यवाही का सुझाव देना होगा ।" तो इस एजेंडे पर जो तारांकित प्रश्न ३ है उसमें यह था कि १८ साल से कम उम्र के कितने आप्रेशंस हुए ? उन्होंने बतलाया कि १८ साल से कम उम्र के इतने हैं । फिर माननीय मंत्री बतलाते हैं कि ३२ साल के इतने हैं लेकिन यह नहीं बतलाया कि १६ वर्ष के बच्चों के कितने हुए ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप मेरे कमरे में पूछ सकते हैं ।

श्री चेतराम गंगवार—

यह प्रश्न ऐसा है जिसको यहीं पूछना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

इसको यहां नहीं पूछना चाहिये । आपको कमरे में पहले बातचीत कर लेना चाहिये ।

श्री चेतराम गंगवार—

मैंने आपकी आज्ञा से प्रश्न किया । जिसकी पत्नी होती है उसकी स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है उसको बतलाने के लिये आपने मंत्री जी को आदेश दिया लेकिन मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया । आपको मंत्रीगण को ताकीद करना चाहिये कि जो प्रश्नकर्त्ता हैं उनको उन्हें निश्चित उत्तर दें । अगर नहीं दे सकते हैं तो किसी दूसरे तरह से समझायें ।

श्री अध्यक्ष—

उनका उत्तर ठीक है ।

भावी कार्यक्रम के बारे में जानकारी (क्रमगत)

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)—

मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सबक हमको न सीखने दिया जाय कि जब तक हम जोर से न बोलें तब तक बोलने का मौका नही मिलेगा । अभी आपने जो स्पष्टीकरण सदन में दिया उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि यह मामला बड़ा गंभीर है । अध्यक्ष ने जिस तरह से मायूसी अभी जाहिर की तो उससे काम नहीं चलेगा और इस सदन के अधिकार जो हैं उनकी हत्या होगी । कार्य-मंत्रणा समिति में श्रीमन् तशरीफ रखते हैं । वहां श्रीमन् को जोर देना चाहिये कि जो अननुमोदन का प्रस्ताव है इसको नहीं टाला जा सकता । अगर कार्य मंत्रणा समिति उसे किसी दूसरे दिन के लिये टालना चाहती है तो आपको नामंजूर कर देना चाहिये । सारे के सारे काम वोट से नहीं होते । कुछ अधिकार श्रीमन को ऐसे हैं जो वोट से परे हैं । मान लीजिये कल यह हाउस उठ जाय तो यह अननुमोदन का प्रस्ताव कैसे

आयेगा ? श्रीमन् ने जो यह फरमाया कि अगर नहीं आया तो वह लैप्स हो जायगा। लैप्स होना एक चीज है और डिस्एप्रूव करना दूसरी चीज है, दोनों में अन्तर है। हमारा जो बहुत बड़ा अधिकार है लैप्स होने पर उसका हनन् हो जायेगा। आपने जो यह कहा कि लैप्स हो जायगा तो कदाचित आप यह समझते हैं कि लैप्स होगा तो कोई हर्ज नहीं है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप स्वयं इतना ध्यान नहीं रखेंगे अध्यक्ष की हैसियत से और यह देखते रहेंगे कि मिनिस्टर क्या कहते हैं या कार्य मंत्रणा समिति क्या कहती है तो यह ठीक नहीं। मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी आज कैबिनेट की मीटिंग है.....

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं आप से एक व्यवस्था चाहता हूं।....

सहकारिता उपमन्त्री (श्री महीलाल)--

मान्यवर, मैंने कल आप को यह सुझाव दिया था कि शासन इस अननुमोदन के प्रस्ताव को आज लेने को तैयार है किन्तु वहां पर जो विरोधी दल के प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि हमें आज का समय इस मालगुजारी वाले विधेयक के लिये दिया जाय क्योंकि वह भी कम जरूरी नहीं है। इसलिये उस विधेयक को आज एजेन्डे में रख लिया गया।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं आप से यह व्यवस्था चाहता हूं कि नियमावली के नियम २४ के अन्तर्गत जो आप कार्यवाही देखते हैं ....

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि शासन भी कल की बैठक में एक मत नहीं था। उनकी ओर से तीन बोलियां बोली जा रही थीं.....

श्री अध्यक्ष--

तीन नहीं, तो दो बोलियां अवश्य थीं।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, नियम २४ के अन्तर्गत इस सदन की कार्यवाही चलाने के लिये, नेता सदन और अध्यक्ष दोनों के परामर्श से, हमारा नियम बना हुआ है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि हम लोग यहां पर ७ तारीख से बैठे हुये हैं और जिस दिन से आर्डिनेन्स जारी हुआ उसी दिन से जनता में खुशी हो गई है। तो आप और नेता सदन आर्डिनेन्स की प्रायोरिटी को देखकर, उसे सदन में प्रस्तुत कर देना चाहिये। सदन चाहे उसे रिजेक्ट करे या उसे अप्रूव करे। तो इस तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अगर सभी लोग मेरा ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे और मैं उन्हें सुनता रहूं तो काम कैसे चलेगा.....देखिये एक सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री रियासत हुसैन--

यह तो आप की जिम्मेदारी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, अब व्यवस्था करने वाले थक गये हैं। इसलिए मैं वह बात न उठा कर एक शुद्धि करना चाहता हूं। एक तालिका आप के विभाग से माननीय सदस्यों को बंटी है उसमें श्री तेजभान सिंह जो एस० एस० पी० के सदस्य हैं, उनको निर्दलीय के रूप में दिखाया गया है। श्रीमन्, उन्होंने २ सितम्बर को रजिस्ट्री द्वारा आपको यह सूचना भेज दी थी कि वे एस० एस० पी० के सदस्य हैं। जो गल्ती हुई उसे आप अपने कार्यालय में ठीक करवा लें।

श्री अध्यक्ष—

आप तो एक नया विषय ही ले आये। जो बात चल रही थी उसका खण्डन हो गया। यह तो पार्टी का सवाल है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। महत्वपूर्ण विधेयक आने वाला है।

(व्यवधान)

देवरिया तथा जालौन जिले के सहकारी बैंकों के निर्वाचन टालने की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, देवरिया जिला सहकारी बैंक के ए०जी० एम० के टालने के निस्पद् ९ तारीख को मैंने दफा ५६ के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था। वह एडजोर्नमेंट का था। उस सम्बन्ध में १४ तारीख को माननीय मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया था वह तथ्यों पर आधारित नहीं है और न नियमों के अनुकूल है। इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रतिवेदन कल ही आपको दिया था जिसमें मैंने लिखा है कि विवाद के लिये इसमें कम से कम आधे दिन का समय दिया जाय। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इसमें जनतांत्रिक परम्पराओं के विनाश की भी संभावना है।.. और १८ तारीख को यह हाउस एडजोर्न हो जायेगा और इसके लिये समय नहीं मिल पायेगा। तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि उस पर आपने क्या निर्णय लिया है?

श्री अध्यक्ष—

आपने लिखकर दे दिया है?

श्री राजमंगल पांडेय—

जी हां, मैंने कल ही आप को लिखकर दिया है कि आधे दिन की बहस का समय दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, उसमें देवरिया जिले का ही नहीं था। उसमें दो जिले देवरिया और जालौन दोनों के बारे में स्टेटमेंट था। तो जालौन के बारे में भी होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इसे देखकर बता दूंगा।

भावी कार्यक्रम के बारे में जानकारी (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

अभी जैसा सवाल उठाया गया अननुमोदन के प्रस्ताव की ऐसी प्रायोरिटी नहीं होती कि उस को तत्काल ले लिया जाय। सवाल यह है कि जब बहुत से अननुमोदन के प्रस्ताव होंगे तो यह निर्णय करना ही पड़ेगा कि कौन-सा प्रस्ताव किस तारीख को लिया जाय और उसको कितना समय दिया जाय। कल यह तय हुआ कि पहले बजट के पहिले सभी को ले लिया जाय और १७ तारीख को बैठकर इसकी प्रायोरिटी तय कर ली जायगी। यह १८ तारीख को बता दिया जायगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में अभी मैं निर्णय नहीं ले सका हूं। और लोगों ने भी अखबार वालों के विरुद्ध इस तरह की बात रखी है। आज मैं इसको देख लूंगा। और कल इसके बारे में अपना फैसला दे दूंगा। और नोटिस भी इसके बारे में आये हैं। श्रीकृष्ण चन्द्र शर्मा ने भी एक नोटिस दिया है।

अब आगे का काम शुरू होगा। राजस्व मंत्री जी अपना प्रस्ताव रखेंगे।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७०†

राजस्व मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह विधेयक विशेषतौर से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० तथा यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में संशोधन करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विधेयक इस समय सदन के सामने विचार करने के लिये रखा जा रहा है।

मान्यवर, हमारे देश में जो आजादी का संघर्ष हुआ, उसमें आपने भी एक सैनिक और नेता की हैसियत से हिस्सा लिया। हमारे विरोधी पक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने भी उस संबंध में आजादी की जंग में अगुआई की तथा कुरबानी कीं। इस पक्ष में बठने वाले बहुतेरे सदस्यों में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने आजादी के संघर्ष में उसी प्रकार हिस्सा लिया है जिस प्रकार से देश को आजादी दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने वाले लोगों ने लिया था। ऐसी स्थिति में जो इस विधेयक में विशेषतौर से जो बात लिखी गयी है वह यह है कि सवा छः एकड़ तक लगान माफ कर दिया जायगा। गरीब किसान जिनके पास १० बीघा तक जमीन है उनकी मालगुजारी हमेशा हमेशा के लिये उत्तर प्रदेश के अन्दर समाप्त की जा रही है। (मेजों का थपथपाया जाना)।

श्री अध्यक्ष--

आप एकड़ों में ही बोलें क्योंकि बीघा सब जगह अलग-अलग नाम का होता है।

---

†८ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मेरा मतलब साढे छः एकड़ से है।

इस मौके पर मैं यह कहना चाहता हूं और मैं अपने विरोधी दल के नेता को याद दिलाना चाहता हूं कि इस चीज का आश्वासन उस कांग्रेस ने दिया था जो गांधीजी वाली कांग्रेस थी, जिसने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सन् १९२१ में आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में जो निर्णय करांची प्रस्ताव में लिया गया था उसी सिलसिले में बाम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी यह बात सामने आयी कि अलाभकर जोत वाले किसानों को मालगुजारी से निजात दिलाई जाय।

यह १९२१ का करांची कांग्रेस का फैसला है और उसी समय बम्बई कांग्रेस कमेटी ने भी निर्णय लिया। मुझे यह कहते हुये अत्यंत हर्ष होता है कि वह आश्वासन जो आजादी जंग के सिलसिले में कांग्रेस कमेटी ने दिया था उसकी पूर्ति का दिन आज हमें देखने को मिल रहा है। मैं अपने दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं कि केवल १९२१ का ही प्रश्न नहीं है बल्कि इसके साथ-साथ १९३६ में जो लखनऊ में कांग्रेस ने तथा फैजपुर की कांग्रेस ने भी फैसला किया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि १९४६–४७ में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। १९४२ की आजादी के संघर्ष के बाद कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सवा छः एकड़ तक मालगुजारी माफ करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी मालगुजारी की माफी नहीं की गयी। लेकिन आज उन दोस्तों की इच्छा भी इसके पक्ष में है, इसलिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं अविभाजित कांग्रेस की साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ने के बाद मांग थी कि इस देश में आर्थिक सुधारों के मामले में क्रांतिकारी कदमों के उठाने की बात थी और १९४८ में जब कांग्रेस से हम जुदा हुये और हमारे माननीय नेता जो इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे हैं और हम में से बहुत-से माननीय सदस्य जो इस समय विरोधी पक्ष में हैं, वे जानते हैं कि आचार्य नरेंद्रदेव, डाक्टर राममनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस छोड़ी तो हमारा निश्चय था कि कम से कम वे कदम जो क्रांतिकारी कदम रहे हैं उनके साथ हम रहें।

आज हमें बहुत खुशी है कि १९६७ में जब कांग्रेस को हटने का मौका मिला और तीन चौथाई भारत से कांग्रेस से सत्ता से हटी २१–२२ वर्ष के राज्य के बाद, उस समय कांग्रेस ने जो निर्णय लिया था उसको सोचने विचारने का मौका मिला। १९६७ की संविद सरकार ने सवा छै एकड़ की आधी मालगुजारी समाप्त करने के लिए मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया था। उसी आधार पर यह बात बराबर आगे बढ़ती चली गई।

मान्यवर, आपको भी और इस आदरणीय सदन के माननीम सदस्यों को भी जानकारी है कि जब पिछली सरकार जो कांग्रेस के टूटने के बाद थी, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी के नेतृत्व में, मैं उनको धन्यबाद देना चाहता हूं और उनकी सरकार को देना चाहता हूं कि उन्होंने आर्डीनेंस निकाल कर सवा छै एकड़ तक मालगुजारी की माफी का निर्णय लिया था। पिछली मिली-जुली सरकार के माल मंत्री, चतुर्भुज शर्मा जी का जो भाषण था उसके साथ हम लोगों की पूरी हमदर्दी है। ३ १/८ एकड़ के सिलसिले में उस सरकार ने निश्चय किया था। लेकिन सवा छै एकड़ के मामले में जो आज विधेयक उपस्थित हो रहा है, सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों को और विशेषतौर से जो गरीबों के एक्सपोरियंस रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए ३ १/८ एकड़ की जगह पर सवा छै एकड़ तक लगान माफी का विधेयक आ रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि आज वह दिन है जब हम इस बात पर विशेष तौर से गौर करने की आवश्यकता है कि जब भी हम इस संबंध में कोई निर्णय करें या कोई ऐसा रास्ता निकालें तो सभी साथियों को लेकर उसको कार्यान्वित करें।

आज यह बात सही है कि लाखों की संख्या में अलाभकर जोतों से मालगुजारी समाप्त करने के लिये आन्दोलन चलाया गया और लाठियां खाई । समाजवादी आन्दोलन कितनी मर्तबा चलाया गया, इस बात की सबको जानकारी है ।

(इस समय १ बजे उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुए ।)

लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज यह सवा ६ एकड़ की मालगुजारी की माफी का मामला संविद के जितने घटक हैं, सबने मिलकर यह फैसला किया है । यह केवल किसी एक दल का फैसला नहीं है । यह संविद सरकार का निर्णय है जिसके जरिये संविद की सरकार इस देश में गरीबों के मामले में खूंटा गाड़ना चाहती है, वह गरीब की पक्षधर बनना चाहती है । और इसीलिये संविद की सरकार ने ३-१/८ एकड़ की मालगुजारी की माफी के स्थान पर सवा ६ एकड़ की मालगुजारी की माफी का निर्णय लिया । इस अवसर पर मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं और मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे जो माननीय सदस्य इस संबंध में अपनी राय रखते हैं उनको इस बात की जानकारी है कि जहां तक अलाभकर जोतों की परिभाषा का प्रश्न है सन् १९४७ में जब जमीदारी विनाश कमेटी बनी थी, उसने इस पर विचार किया था और सवा ६ एकड़ तक की जोतों को अलाभकर माना था था । इसीलिये सवा ६ एकड़ के लगान माफी का निर्णय संविद सरकार ने लिया । आज जो स्थिति है, इसमें जो मैंने संशोधन वगैरह देखे, इसमे प्रवर समिति को भेजने का भी संशोधन है । यह विधेयक पहले यहां आया था और फिर प्रवर समिति में गया था और प्रवर समिति की एक राय थी । उस राय को इस विधेयक में मूलतः लाने का प्रयास किया गया है और इस बात की कोशिश रही है कि प्रवर समिति के सामने जो बिचार हुआ उसको इस विधेयक में सन्निहित किया जाय । इसीलिए पुनः इस विधेयक को प्रवर समिति मे ले जाने की गात अपनी जगह पर उचित नहीं होगी । और चूंकि यह प्रश्न बहुत अर्से से उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के सामने है और इस विधान सभा के सामने है इसलिए इसको आज ही पारित करना उचित और जायज होगा ।

मैं इस विधेयक में जो मोटी मोटी बातें हैं उनके सम्बन्ध में थोड़ी-सी स्थिति रख देना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि इस समय जो मौजूदा रबी फसल है, जो खेतों मे खड़ी है, जिसमें यह विधेयक पास हो रहा है, विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है कि मौजूदा रबी से जिसकी बुवाई इस समय हुई है उस फसल पर १० बीघा तक के काश्तकारों को मालगुजारी नहीं देनी पड़ेगी ।

जहां तक परिवार की परिभाषा का प्रश्न है वह इस विधेयक में बहुत ही स्पष्ट कर दी गई और यह कह दिया गया है कि खातेदार का मतलब पति और पत्नी तथा उनके अवयस्क बच्चों से है । इस संबंध में यह बात भी कही गई है कि जहां तक मालगुजारी से मुक्त होने के बाद जो यह गलत धारणा बनी हुई थी कि जो छोटे किसान हैं उनकी मिलकियत नही रह जायगी । लगभग सभी माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सवा ६ एकड़ की मालगुजारी के खात्मे से आज किसी भी तरह से मिलकियत पर आंच आने की बात नहीं है और इसीलिए इस विधेयक में ही व्यवस्था है कि जो मालगुजारी उनके नाम पर दर्ज है वह खतौनी में दर्ज रहेगी ।

(इस समय १ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

और मालगुजारी दर्ज रहने के साथ साथ ऋण लेने के संबंध और तकाबी लेने के संबंध में जो भी सुविधायें किसानों को मालगुजारी के सम्बन्ध में प्राप्त थीं वे सब अपनी अगह पर वैसी ही बनी रहे । खतौनी में मौजूदा मालगुजारी उसी तरह से दर्ज रहेगी जिससे कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो । इस सम्बन्ध में श्रीमन् आपकी भी जानकारी है और माननीय सदन के सदस्यों की भी जानकारी होगी कि प्रदेश में इस बात की व्यवस्था है कि जो इस प्रदेश

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

के किसान हैं उनके लिए जोतबही की व्यवस्था इस सरकार ने कर रक्खी है, जोतबहियां अनिवार्यतः सभी किसानों को मिलेगी और उनमें किसानों के जो पूरे खेत हैं उनकी जो पूरी भूमि है वह सब उस जोत बही में दर्ज रहेगी और उसकी वजह से उनकी मिलकियत पर किसी तरह की भी आंच आने का प्रश्न नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक में यह भी साफ तौर से कह दिया गया है कि इस विधेयक के माध्यम से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था . . .

एक सदस्य--

जोतबही की कोई कीमत भी होगी ? यह जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

माननीय सदस्य को जानकारी है और उसके बावजूद भी वह जानकारी करना चाहते हैं तो मैं. . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, आपने जानकारी की इजाजत दे दी है तो मैं भी एक जानकारी चाहता हूं। "स्वतंत्र भारत" में राज्य गृह मंत्री जी का एक इन्टरव्यू छपा है जिसमें लिखा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार यह चाहती है कि सारे लगान की मौजूदा व्यवस्था खत्म कर दी जाय और किसानों पर उनकी कार्मशियल क्राप के आधार पर कर लगाया जाय। यह नीति उनकी छपी है, उसी समाचार में यह भी था कि ५ जनों की एक कैबिनेट कमेटी इसके लिए बनी है और जो २२ करोड़ रुपए की हानि इस माफी से होगी उसकी पूर्ति के लिये-कौन कौन से टैक्स लगायेंगे, इस तरह की सरकार की बात चल रही है, तो कृपया मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डाल दें।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनारायण सिंह--

जहां तक आय-कर की बात है हमारी तरफ से ऐसा कोई विचार इस संबंध में नहीं रहा है और हमारे मित्र श्री नारायण दत्त जी तो पुराने समाजवादी हैं और आज तो वह और भी अधिक क्रान्तिकारी समाजवादी हैं ऐसी अवस्था में हमें उनसे आशा है कि सर्वोच्च सुविधा प्राप्त वर्ग पर बोझ बढ़े इस संबंध में वह अपने स्वतंत्र सुझाव रखेंगे, ऐसी आशा हमें उनसे थी।. . . . .

श्री अध्यक्ष--

इस पर ४ बजे तक का समय है, जो महत्व की बातें हैं वही कहें, ज्यादा डिटेल में आप न जाएं।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

इस विधेयक के द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है, उसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि जहां तक गांव समाज की जमीनों का संबंध है अभी तक स्थिति यह थी कि गांव सभा की जमीनों पर जो नाजायज पट्टे होते थे उनको निरस्त किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी को या एस० डी० ओ० को अलग से कार्यवाही करना पड़ती थी, और श्रीमन्, इसमें जो मौलिक सुधार किया गया है वह यह है कि जहां पर नाजायज पट्टे होंगे या नाजायज बन्दोबस्त होंगे जिलाधीश उनको खारिज करेंगे और वे उसके साथ-साथ बेदखली भी करेंगे जिससे गांव समाजों की जो जमीनें गलत स्थिति में हैं, वे न रहें।

इसमें एक सुधार और यह किया गया है कि धारा १९८ में पहले मिलिट्री के अधिकारियों को जमीन दे दी जाती थी, वह अब निकाल दिया गया है क्योंकि जमीन कम है और जो भूमिहीन हैं, उनको जमीन नहीं मिल पाती थी। इसमें यह व्यवस्था जरूर है कि अगर कोई सेना में किसी की मृत्यु हो जाय तो जो उसका परिवार है, उसको दी जाय। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, उनको भी मिलेगी लेकिन आफिसर्स को नहीं।

इसमें यह भी किया गया है कि कृषि विद्यालय या जो पशुपालन विद्यालय या जो हार्टिकल्चर के उद्यान हैं, उनको गांव सभाओं की जमीन १२-१/२ एकड़ से ज्यादा न दी जाय। देखने में यह आया है कि बहुत से स्थानों पर गांव समाज की जमीनों को नाजायज तौर पर अपने विद्यालयों के नाम में करके दूसरे कामों में लगा लेते हैं जिससे भूमिहीनों को ज्यादा जमीन नहीं मिल पाती है।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)--

क्या आपने इस विधेयक में इन्डस्ट्रिएलिस्ट्स के पास जो जमीन है, उसको भी निकालने की कोई व्यवस्था की है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

इस विधेयक में इस बात की भी व्यवस्था है कि जो सीलिंग ऐक्ट के मुताबिक जो अतिरिक्त जमीन फैक्ट्रियों के मालिकों के पास या दूसरे लोगों के पास ४ हजार एकड़ भूमि पड़ी है तो वे मुकदमें में जा करके पूरी की पूरी स्टे करालें तो इस विधेयक में यह भी प्राविधान किया गया है कि अपीलों में ऐसे स्थगन आदेश न हों जिनको अतिरिक्त भूमि होना निर्विवाद है।

इसके अतिरिक्त लैंड रिकार्ड आपरेशन के सिलसिले में इस बात को देखा गया कि कहीं कहीं पर आपरेशन में मौके पर जाकर टाइटिल को देखें। इस विधेयक में ज्यादा उलट फेर नहीं किया गया है लेकिन किसकी मिल्कियत है तय करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी वांछनीय समझा गया कि जहां कहीं रिकार्ड आपरेशन के अन्तर्गत नया रेकार्ड बनाया जावे वहां रेकार्ड अधिकारी को यह अधिकार हो कि वह ऐसे व्यक्तियों, जो समय व्यतीत होने के कारण बेदखल नहीं किये जा सकते हैं, के संबंधी विवादों को सरसरी जांच के बाद निस्तारण कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जो बातें बहस के दौरान उठेंगी उन बातों पर विचार करके अपने उत्तर के समय जवाब दूंगा। जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है। यह छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये और उपेक्षित और पद दलित लोगों की ओर समाज का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित करने के लिये, यह विधेयक सदन में प्रस्तुत करने की बात हुई है। जहां तक इस विधेयक को पास करने का प्रश्न है मुझे आशा है माननीय सदस्य इसे निश्चित समय के अन्दर पास करने की कृपा करेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं विधेयक का स्वागत करता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

श्री रामगोपाल सण्ड तथा श्री माता प्रसाद इसमें एक संशोधन रखने वाले हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं तो ऐसा मानता हूं कि प्रवर समिति में इस प्रस्ताव को पेश न किया जाय...

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० को एक प्रवर समिति के पास भेजा जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में दे दे, यह प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं राजस्व मंत्री जी से एक आश्वासन चाहता हूं। मैंने लगभग २० वर्ष कर्मचारियों और छोटे तबकों के लोगों में काम किया है। अनेक बार मैंने उनके लिये जेल यात्रा भी की है। माननीय राजस्व मंत्री के मन में भी गरीब किसानों के प्रति पीड़ा है। वहां वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि गरीब किसान का बेटा आज सरकारी कर्मचारी बनता है। इस विधेयक के अन्दर उस संबंध में जो धारा लिखी है मैं उसी का आश्वासन मंत्री जी से चाहूंगा। जो सरकारी कर्मचारी राजस्व विभाग में हैं उनमें से बीस हजार की संख्या में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के कर्मचारी निकाले जायेंगे जिससे एक करोड़ रुपये की बचत होगी उनके लिये भी कोई न कोई आश्वासन मैं राजस्व मंत्री जी से चाहता हूं ....

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, यह सरकारी पक्ष के हैं। क्या यह चाहते हैं कि प्रवर समिति को भेजा जाय?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

सरकारी कर्मचारियों को निकालने की कोई धारा नहीं है।

श्री रामगोपाल सण्ड--

मैंने बात भी की थी कि सरकारी कर्मचारी नहीं निकाले जायेंगे। मैं अपने संशोधन को इसलिये वापिस लेता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं और इस बात का भी समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है और आज ही उसे स्वीकार कर लेना सर्वथा उचित होगा। इसका समर्थन करते हुए कुछ बातों की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बहुत कठिनाइयों के बाद और बहुत दिनों के बाद और बहुत दिक्कतों के बाद यह विधेयक आ सका। हमारे राजस्व मंत्री जी ने अलाभकर जोतों की मालगुजारी माफ की जाय, इसके संबंध में जो मांग रखी है उसके इतिहास पर कुछ थोड़ा-सा प्रकाश डाला। मान्यवर, मैं आपको स्मरण कराऊं कि कराची कांग्रेस के पहले भी १९३० में हमारे प्रदेश में एक एग्रेरियन इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी और उसने जांच की थी यहां के किसानों की और खेती की स्थिति पर और उस इंक्वायरी कमेटी में यह भी मांग की गई थी कि अलाभकर जोत पर से मालगुजारी माफ की जाय। इसके बाद कराची की कांग्रेस हुई और यह उत्तर प्रदेश का ही जोर था और दबाव था कि वहां कराची की कांग्रेस में यह मांग रक्खें कि अलाभकर जोतों से मालगुजारी माफ की जाय। तब से बराबर यह सिलसिला चलता रहा है।

१९४६-४७ में जमींदारी उन्मूलन के संबंध में एक कमेटी इसी प्रदेश में बनी थी, उसने यह सिफारिश की कि जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाय। उस कमेटी का मुझे भी एक सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें एक यह सिफारिश भी थी कि अलाभकर जोतों परसे मालगुजारी माफ कर दी जाय। इस प्रदेश की आय का करीब ३८-३९ फीसदी हिस्सा भू-राजस्व से ही प्राप्त होता है। भू-राजस्व इस प्रदेश की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। अतः यह प्रश्न भी मुख्य रूप से सामने आता रहा है कि इस कमी

को कैसे पूरा किया जायेगा ? प्रदेश के साधनों को देखते हुए विकास के कार्यों को कैसे हम आगे बढ़ा सकेंगे ? साथ ही यह भी बराबर प्रयत्न होता रहा है कि ऐसा प्रयत्न किया जाय जिससे कि अलाभकर जोतों को यथ शीघ्र लाभकर बनाया जाय, वे अलाभकर न रहने पाएं।

१९६६ में ही प्रदेश कांग्रेस का जो सम्मेलन मुजफ्फरनगर में हुआ था, माननीय गृह मंत्री भी उसमें मौजूद थे, उसमें भी यह प्रस्ताव पास किया गया था कि साढ़े ६ या सवा ६ एकड़ तक की जोतों को हम अलाभकर मान लें और उस पर मालगुजारी माफ कर दी जाय। उस प्रस्ताव का वहां पर बड़े-बड़े नेताओं ने विरोध किया था, गुप्ता जी ने भी विरोध किया था, चौधरी चरण सिंह जी ने भी विरोध किया था, किन्तु प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हुआ और उसी के अनुसार सन् ६७ के चुनाव के कांग्रेस के घोषणा-पत्र में भी यह बात कही गई कि सवा ६ एकड़ तक लगान माफ कर दिया जाय। जो सरकार उस समय बनी वह केवल १७–१८ दिन ही चली। उसके बाद संविद की सरकार बनी। जितने दिन वह सरकार चली उसमें भी बराबर इसी प्रश्न पर विवाद होता रहा। सरकार में शामिल कुछ घटक उसके पक्ष में, थे, कुछ विरोध में थे। संविद सरकार के टूटने के मुख्य जो कारण थे उसमें, मान्यवर, एक कारण यह भी था। १९६९ में फिर चुनाव हुआ। दूसरी सरकार बनी। वह सरकार भी फरवरी, ७० में फिर बदली, कांग्रेस का विभाजन हुआ, और बहुत से लोग उससे बाहर चले गये। जो सरकार बनी उसने एक आर्डिनेंस जारी किया। फिर यहां विधान सभा में बहुत मतभेद के बाद सवा ३ एकड़ तक लगान माफ करने का विधेयक पास किया गया। जब यह प्रस्ताव यहां विधान सभा में लाया गया तो मुझसे भी पूछा गया। मैंने उस समय अपनी राय यह दी थी कि चौधरी साहब ने हमारे बहुत आग्रह पर सवा ३ एकड़ स्वीकार किया है, इस समय इसे स्वीकार कर लें, लेकिन हमें तो प्रसन्नता तब होगी जब सवा तीन एकड़ की जगह सवा ६ एकड़ लगान माफ कर दिया जाय।

(व्यवधान)

मुझे आज प्रसन्नता है कि जैसा अभी मालूम हुआ, सरकार के सभी घटकों ने इसे स्वीकार कर लिया है। तो यह प्रसन्नता की बात है कि वे घटक भी जो इसके विरुद्ध थे, भला इस जमाने में और राजनैतिक परिस्थितियों के प्रभाव में इससे सहमत हो गये और एक अच्छी बात को स्वीकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप आज यह विधेयक संविद की तरफ से आया है। इस विधेयक को रबी से लागू करने की बात कही जा रही है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी दिक्कतों के बाद, बड़े झगड़ों के बाद, बड़ी खुशामदों के बाद और मिलने-जुलने के बाद, कहने-सुनने के बाद किसी प्रकार सवा ६ एकड़ तक की जोत पर से लगान माफी का यह विधेयक आया है, इसलिये इसको फिर के लिये न टाला जाय। मान्यवर, मुझे पुराना दोहा याद आता है—

"काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परलय होयगी बहुरि करोगे कब।"

इसलिये अच्छा होगा कि इसे रबी तक न टाला जाय, बल्कि जैसा बांकेलाल जी ने कहा है आर्डिनेन्स के ऊपर यह हुकूमत चल रही है, इसको देखते हुये अच्छा हो कि लगान माफी खरीफ से ही कर दी जाये। ताकि इस संबंध में जो संदेह और शंकाएं उत्पन्न होती रही हैं, उसका निराकरण हो जाए और मुझे प्रसन्नता होगी कि जो संशोधन पेश किया जायगा खरीफ से करने के लिये उसे हमारे समाजवादी और अत्यन्त प्रगतिशील राजस्व मंत्री जी अवश्य ही और तत्काल ही स्वीकार कर लेंगे।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का भू-राजस्व सरकारी राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस बारे में १९६८–६९ में जो प्रदेश में कर जांच समिति बनी थी, उसने बड़ी परिश्रम से अपनी रिपोर्ट में इसकी चर्चा की है और इसकी समीक्षा भी की है। सन् १९५३–५४ में भारत सरकार ने एक टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन बिठाया था। हमारे प्रदेश में ही नहीं सारे देश में यह भू-राजस्व सरकार की आमदनी का एक बहुत बड़ा भाग रहा है। उत्तर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

प्रदेश में जैसा मैंने निवेदन किया ३८–३८–१/२ परसेन्ट और शायद सबसे बड़ा स्त्रोत प्रशासन की आय का भू-राजस्व ही रहा है। शायद सन् ६५–६६ तक जब तक बिक्री-कर व आबकारी कर ने अपना विशिष्ट स्थान नहीं ग्रहण किया था, भू-राजस्व ही प्रदेश की आय का सबसे बड़ा साधन था। आज भी जैसा सुनने में आ रहा है, यदि इसको हम माफ करेंगे तो करीब १५–१६ करोड़ और कुल मिलाकर २२ करोड़ रुपये की राजस्व में कमी हो जावेगी। अवश्य ही इस विषय में सरकार विचार करती होगी कि जो हमारी इतनी बड़ी आय कम होगी, उसकी पूर्ति कैसे की जाये।

हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के संचालन के लिये, इससे पहले की सरकार और उससे भी पूर्व की सरकार बराबर विचार करती रही है कि हम योजनाओं को पूरा करने में कैसे सहायक हों और कहां कहां से आमदनी बढ़ाई जायें। तो जहां किसान के ऊपर से बोझ हट रहा है, वहां दूसरी ओर यह प्रश्न आ जाता है कि ऐसी व्यवस्था अवश्य की जाये कि किसान के विकास की जो योजनायें हमारी हैं, उनमें कोई कमी नहीं आनी चाहिये। ५ साल की योजनाओं में अगर २२ करोड़ के हिसाब से कमी हुई तो ५ साल में ११० करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी। यह इतना बड़ा गैप होगा। जहां आज ही उनके संचालन में कठिनाई पड़ रही है, उस दशा में क्या स्थिति होगी, यह विचार लेने की बात है। इस विषय में सरकार ने क्या सोचा है, वह भी सदन के सामने आ जाना चाहिये। जो कर-जांच समिति थी और टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन जो बैठा था, उसने इस विषय में विचार किया है। मेरा खयाल है कि उनका जो प्रतिवेदन है, उस पर सरकार ने अवश्य ध्यान दिया होगा। उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं कि किस प्रकार यह आमदनी, यदि इसमें से कभी कभी हो, पूरी करने की व्यवस्था की जाये––बड़ी जोतों पर कैसे अधिभार बढ़ाया जाये। क्योंकि जमींदारी एबालीशन के बाद ४० साल तक कोई लगान वृद्धि न करने का निर्णय लिया गया था और उसमें कई तरह की नवैइतें भी पैदा हुई, जिनमें परस्पर बड़ा अन्तर है।

एक व्यवस्था यह भी की गई कि १० गुना जो लगान जमा कर दे, उसका लगान माफ कर दिया जाये। १८७५ के बाद हमारे प्रदेश में बन्दोबस्त नहीं हुआ। अब लगान एक तरह से एक ही प्रकार से लोगों पर समान तरह का नहीं है। किसी को कुछ ज्यादा है, किसी को कुछ कम है। शायद बन्दोबस्त हुआ होता तो इन के कमियो को दूर किया जाता। लेकिन वह हुआ नहीं। तो किसी प्रकार लगान को समानान्तर लाया जाय, किस प्रकार होने वाली कमी को पूरा करने की चेष्टा की जाय, इस सम्बन्ध में सुझाव है। मुख्य सुझाव यह है कि स्लेब की बेसिस पर उन्होंने पांच एकड़ तक रखा था। अगर छोटी जोतो को मुक्त करते हैं तो किस प्रकार और जोतों के ऊपर लगान लगायें जो कि कुछ कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सके, क्योंकि उसके अनुसार, अगर उनकी बात मान ली जाय, तो ७–८ करोड़ केवल आमदनी बढ़ती है। २०–२२ करोड़ की कमी को पूरा करने के लिए मंत्रि परिषद ने विचार किया होगा। यह बात भी उस रिपोर्ट में मौजूद है। हम सब इस बात को जानते हैं कि आज किसान लगान माफ कराने के लिये उतना उत्सुक नहीं है जितना उत्सुक वह इस बात के लिए है कि उस को पानी मिले, बिजली मिले, खाद मिले, उसे अच्छा बीज मिले क्योंकि खेती की प्रक्रिया में बड़ा सुधार हो चुका है। बहुत से वैज्ञानिक साधनों के द्वारा आज उनकी उपज बढ़ायी जा सकती है। साथ ही उसके पैदा किये हुए सामान का पहले से मूल्य भी अच्छा मिल रहा है, यद्यपि इधर कुछ गिरावट आयी है। तो आज किसान इस बात की मांग करता है कि ये साधन उसे उपलब्ध हों। साथ ही वह यह चाहता है कि जो इनपुटस हैं उनका खर्चा उस पर कम पड़े। खाद सस्ती हो, पानी का रेट कम हो, बिजली का रेट कम हो ताकि जो वह अपनी पूंजी लगाता है, और जो मूल्य उसे मिलता है, उसके हिसाब से उसका खर्चा कम पड़े।

आज खेती ने भी उद्योग का स्वरूप धारण कर लिया है। आज किसान इस बात के लिए उत्सुक नहीं है कि उसका लगान माफ किया जाय। इस बात के लिए उत्सुक है कि खेती की

पैदावार बढ़ती है और खेती के लिए जिन पदार्थों की जरूरत है उसकी खपत करने में उसको जो पैसा खर्च करना पड़ता है उस पैसे में कमी की जाय। वह तभी हो सकता है जब कि योजनायें हमारी और विशेष सफलता के साथ चल सकें। योजनायें तभी चल सकती हैं जब उनके लिए साधन अपने प्रदेश से एकत्र कर सकें और साधन सामग्री उन्हें दे सकें। उद्योगों का विकास इसी बात पर निर्भर करता है कि कृषि का उत्पादन बढ़े और उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए लगान माफी ही एक मात्र मार्ग नहीं है बल्कि उन साधनों को जुटाना भी अत्यन्त आवश्यक है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। हम आशा करते हैं कि इस विषय में सरकार विचार करती होगी और सदन के सम्मुख कुछ अपने विचार भी इस बारे में रखेगी ताकि इस कमी को किसी प्रकार पूरा किया जा सके।

दूसरी बात मैं यह भी कह रहा था कि किसान के मन में फैली हुई आशंका है कि लगान की यह माफी होने के बाद हमारी जमीन हमारे हाथ से न निकल जाय। राजस्व मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया। राजस्व मंत्री को भली भांति मालूम होगा कि हमारे यहां लैंड रेकार्ड्स बहुत नाकाफी है और असंतोषप्रद हैं बल्कि ऊपर से नीचे तक बहुत गलत भी हैं। कारण उसका यह है कि बन्दोबस्त, लैंड आपरेशन हुआ नहीं जो कागजात दुरुस्त किये जांय। आज भी बहुत कमी है। कई बार मांग हो चुकी है कि उसे दुरुस्त कराया जाय। मान्यवर, बन्दोबस्त का समय है नहीं। केवल कागज में नाम रहने से किसान को संतोष भी नहीं होगा। क्या यह मुमकिन है और मैं समझता हूं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे कोई संशोधन स्वीकार कर लें, जो सवा छः एकड़ तक लगान की माफी है लगान की माफी की रसीद बराबर उसको मिलती रहे। रसीद से उसके पास सबूत रहेगा कि यह जोत और आराजी उसकी है और ऐसा न होने पर किसान को तबालत हो सकती है क्योंकि लैंड रिकार्ड्स जो हमारे यहां हैं वह बहुत सही नहीं हैं। श्रीमन्, हम सब लोगों को मालूम है कि जायदाद सम्बन्धी कितने ही लैंड रिकार्ड्स ठीक न होने के कारण मामले उठा करते हैं। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा सीलिंग ऐक्ट पूरी तरह से लागू किया जाय, कानूनन उसे लागू किया जाय और उससे जो जमीन निकले वह उन लोगों को दी जाय जो कि लैंडलेस लेबरर हैं। वह किसी जाति के हों लेकिन जो भूमिहीन हैं लेकिन खेत पर काम करने वाले हैं, उन्हें वह जमीन दी जाय। उन लोगों को किस प्रकार प्राथमिकता मिले इसके सम्बन्ध में जो आप बिल ला रहे हैं उसमें होना चाहिये। यदि वह उसमें न हो तो इसके लिये व्यवस्था करना चाहिये।

अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को आज ही स्वीकार किया जाय और साथ ही साथ या घोषणा कर दी जाय कि खरीफ से ही हम ६ १/४ एकड़ लगान की माफी करते हैं ताकि इस अध्याय की इतिश्री हो जाय और किसानों को लगान से छूट मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जो सुझाव रखे गये हैं उनके सम्बन्ध में संशोधन होंगे, जिन्हें सरकार स्वीकार करेगी और उनको ध्यान में रखकर वह सदन में ऐसी व्यवस्था करेगी कि उन सुझावों को कैसे पूरा किया जा सके और साथ ही जो भू-राजस्व से सरकार को घाटा होगा उसको कैसे पूरा करेगी ताकि हमारी योजनायें पूरी हो सकें।

श्रीमन् अभी मंत्रीजी ने कहा कि हम खाद का कारखाना पब्लिक सेक्टर में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। जो सरकार के आय के साधन हैं उन्हीं के अनुसार कार्य हो सकता है। हमको केन्द्रीय सरकार से जो सहायता मिलती है वह नेशनल डेवलपमेन्ट काउन्सिल में मुख्य मंत्रीगण बैठकर तय करते हैं। केन्द्रीय सरकार को जली-कटी सुनाने से काम नहीं चलता है इसलिये अपने साधन भी बढ़ाने पड़ेंगे। एक तरफ जहां गरीब किसानों को माफी देने की बात है वहीं दूसरी तरफ जिस वर्ग के पास साधन हैं उनसे हम धन पा सकते हैं और उस वर्ग के मुनाफा के भागी हो सकते हैं ताकि घाटा पूरा हो सके और हमारे

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

साधन बढ़ सकें। तभी हम अपनी योजनाओं को पूरा कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जो मुनासिब संशोधन हैं उनको स्वीकार किया जायगा और इस को आज ही हम स्वीकार करेंगे।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री की तरफ से जो आज यह विधेयक पेश हुआ है उसका स्वागत करता हूं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार को जनता के दबाव के कारण यह संशोधन लाना ही पड़ा है। बहरहाल यह भी पिछली बार की तरह अलिफ लैला जैसा किस्सा न बन जाय। क्योंकि यह संशोधन ४ मर्तबा आ चुका है कि ६ १/४ एकड़ तक के किसानों को लगान से माफी की जाय लेकिन वह कहानी बनकर रह गई। संविद सरकार में भी और गुप्ताजी की सरकार में भी और फिर चरण सिंह सरकार में तो ३ १/४ एकड़ रह गया।

(इस समय १ बजकर ३६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

और अब यह प्रश्न फिर आया है।

जैसा कि हमारे विरोधी दल के नेता और दूसरे साथियों के विचार इस विषय में हैं कि इनको आज से ही अगर लागू कर दिया जाय और खरीफ की फसल से लागू कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा है। परन्तु यह मालूम देता है कि इस विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाये हैं। हमारा एक ही कहना है कि इसमें तीन चार कटेगरीज दी गयी हैं। जिसमें भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को निम्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है और ऐसी स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को फायदा मिलना मुश्किल होगा। इसलिये उसे सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिये। इसमें यह भी दिया गया है कि मंडल में रहने वाला कोई भी भूमिहीन राजनीतिक पीड़ित, जिसे कोई राजनीतिक पेंशन न मिलती हो, उसे भी जमीन दी जायगी। राजनीतिक पीड़ित किसी वक्त में बड़े-बड़े सरमायेदार और जमींदार तथा बड़े-बड़े पूंजीपति भी रह चुके होंगे—जैसे श्री राम रतन गुप्त और राजा साहब, भदरी आदि। अगर उनको भी एक ही श्रेणी में ले लेंगे तो फिर इस तरह की जमीन गरीब किसानों को मिलना मुश्किल है। इसलिये भूमिहीन की परिभाषा में यह भी देखा जाय कि कौन सा आदमी भूमिहीन है और उसकी उसे क्या जरुरत है।

इस नियम के अन्तर्गत पहले भी जो कुछ कहा गया है उसका लाभ जनता को नहीं पहुंच सका। यह भी कहा गया था कि ३२ लाख एकड़ जमीन हमारे प्रदेश के अन्दर गांव समाज को दी जायेगी और वह जमीन भूमिहीन और गरीब किसानों में बांटी जायेगी लेकिन अभी तक केवल १४ लाख एकड़ जमीन ही बांटी जा चुकी है और १८ लाख एकड़ जमीन अब भी पड़ी है। इससे पहले जो राजस्व मंत्री थे उन्होंने एलान किया था कि ३० जून तक पूरी जमीन बंट जायेगी और वह भूमिहीन गरीब किसानों तक पहुंच जायेगी लेकिन आज मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अब तक वह जमीन बंट पायी? नहीं बंट पायी। और इसके पहले जब संविद की सरकार थी उसने यह भी कहा था कि पुराने जमाने में पहले पट्टे जो हुए थे उनकी जांच हो। ३ लाख पट्टे जो हुए थे उनकी जांच की गयी तो उनमें से लगभग २ लाख पट्टे गलत पाये गये और उक्त पट्टों की भी उन्हीं से जांच कराई गयी जिन एजेंसीज ने पहले वे पट्टे दिये थे। उन्हीं से जांच कराने से पता चला कि इसमें २ लाख गलत और अगर फिर से जांच हो तो सम्भव है कि जो एक लाख पट्टे बाकी रह गये हैं वे भी गलत पाये जांय। इसलिये हमारा यह कहना है कि पहले वाले पट्टे की जांच कराई जायं और इसके फल स्वरूप जो जमीन निकले उसे गरीब और भूमिहीन किसानों में जल्दी से जल्दी बांट दिया जाय जिससे हमारा देश आत्म निर्भर बन सके और हम अनाज की पैदावार में आगे बढ़ सकें।

इस सम्बन्ध में मुझे एक और निवेदन करना है कि अभी तक ज्यादातर उन्हीं को जमीन के पट्टे मिले हैं जिनके पास शुगर मिल्स आदि हैं। इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि उनसे जमीन लेकर, उनके पट्टे को समाप्त कर भूमि गरीब और भूमिहीन किसानों में बांट दी जाय।

मुझे यह भी पता चला है कि इन पट्टों के सम्बन्ध में मिल मालिकों ने रिट तक दायर कर रखी हैं जिससे वह जमीन अभी तक हाई कोर्ट का चक्कर काट रही हैं। इस पर ध्यान दें कि उन लोगों से जो सैकड़ों और हजारों बीघे जमीन पर काबिज हैं, और अवैधानिक रूप से काबिज हैं, उनसे जमीन लेकर इस जमीन का बटवारा जल्द से जल्द किया जाय।

आखिर में मुझे यह कहना है कि यह कदम आज से २० साल पहले ही उठाना चाहिये था जो अब उठाया जा रहा है। यह कदम तो उचित है लेकिन बहुत देर हो गयी है। अगर पहले कदम उठाया गया होता तो जनता को इसमें काफी सुविधा पहुंच गयी होती और हम गल्ले के मामले में आत्म निर्भर हो जाते। एक निवेदन और करना है जिसका जिक्र माननीय राजस्व मंत्री जी ने नहीं किया और वह यह कि ३० एकड़ की हम बंदी के सम्बन्ध में उन्हें क्या कहना है, इस विषय पर वे बतलावें।

चौधरी साहब ने भी बहुत पहले ऐलान किया था कि हम ३० एकड़ की हदबन्दी करने वाले हैं लेकिन वह नहीं हुई और आज भी उसका कोई जिक्र नहीं है। और न ही यह जिक्र है कि इससे निकली हुई भूमि भूमिहीन किसानों को दी जायेगी और अगर दी जायेगी तो कब तक दी जायेगी। ३० जून तक हमारे प्रदेश के अन्दर ३५ लाख एकड़ जमीन जो गांव समाज के पास थी और उसमें जो २१ लाख एकड़ रह गयी है उसके पट्टे कब तक किये जायेंगे यह आश्वासन आज हाउस के अन्दर मिल जाय तो उन भूमिहीनों को और मजदूरों को, जो बिस्वा-बिस्वा, बीघे-बीघे जमीन के लिए तड़फ रहे हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, अनाज पैदा कर सकते हैं और जिन्होंने पैदा करके दिखाया है, कुछ आशा बंधे।

११५-डी के अन्दर भूमिहीन किसानों को बेदखल करके पचास गुना जुर्माना किया गया। उनकी जमीनें ले लेते हैं और उनके ऊपर डिग्रियां हैं। वे घर से निकाले जायेंगे। उनके लिये भी आप कुछ आश्वासन दें। अभी यह भी मैंने सुना है कि पचास गुने के बजाय पांच गुना हो गया है। जो जुर्माने भूमिहीनों पर पहले हुए हैं वे भी पांच गुना रह जायं तो उसका भी आश्वासन दें जिससे कि हम जनता में कह सकें कि यह सुविधायें भूमिहीनों को मिलने वाली हैं। ११५-डी के अन्दर जो पिटा है वह भूमिहीन ही पिटा है। बड़े बड़े आदमी तो कलक्टर, तहसीलदार और पटवारी से मिलकर निकल गये हैं। उन पर कोई जुर्माना नहीं हुआ है। जिन्होंने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा किया और जिनके पास पहले से जमीनें थीं उनके ऊपर ११५ डी की कार्यवाही होनी चाहिए थी लेकिन उनके ऊपर न होकर भूमिहीनों पर हुई। उनकी हालत आज बदतर होती जा रही है। आज स्थिति यह हो गयी है कि जो जबरदस्त हैं या जो अराजक तत्व हैं वे गरीबों की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और वह बेचारा गरीब न्याय के लिए दरवाजा खटखटाता फिर रहा है। सरकार न्याय के लिए भी कुछ ऐसा करती कि उसको सस्ता न्याय मिलता और उसकी जमीन न छीनी जा सकती।

इसके साथ ही अगर आपको प्रदेश को समृद्धिशाली बनाना है तो कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि बाजार पर भी आपका नियंत्रण हो। आज हापुड़ और चंदौसी का आढ़ती जो कहता है वही होता है। बाजार का भाव उनके हाथ में है। इसलिए बाजार पर नियन्त्रण सरकार का होना चाहिए जिससे कि किसान को उसके द्वारा पैदा की गयी वस्तुओं का उचित मूल्य मिल सके। किसानों को सुविधा प्राप्त हो सके। उसके लिये बीज, पानी बाजार पर नियन्त्रण आदि की सुविधायें प्राप्त हो सकें। भूमिहीन किसानों को भूमि दी जाय और बड़े बड़े मिल मालिकों, शक्कर मिलों के मालिकों से इस भूमि को लेकर भूमिहीनों को दिया जा सके, गरीबों को दिया जाय जिससे असमानता दूर हो सके। इन शब्दों के साथ जो कानून आया है उसका मैं स्वागत करता हूं।

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए ५ सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक आवश्यक सूचना दे दूं कि आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट में ५ सदस्यों के स्थान पर जिनका कार्यकाल १० अक्तूबर, १९७० को समाप्त हो गया है माननीय अध्यक्ष ने इस प्रकार से कार्यक्रम को स्वीकार किया है :

१—नामनिर्देश पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय—१५ दिसम्बर, १९७० को ४ बजे तक। २—नामनिर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा का समय—१५ दिसम्बर, १९७० को ४.३० बजे। ३—नामों की वापसी की तिथि तथा समय—१८ दिसम्बर, १९७० को ४ बजे तक। ४—निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान २१ दिसम्बर, १९७० को विधान वाचनालय में १२ बजे से ४ बजे तक होगा।

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० (क्रमागत)

श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्भवतः इस सदन के लिये यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिवस है। ऐतिहासिक दिवस मैं इसलिये कह रहा हूं कि सवा ६ एकड़ भूमि पर लगान की समाप्ति हो इसके लिये हमारे समाजवादी कार्यकर्तागण कितनी ही बार सत्याग्रह कर चुके हैं, जेल के सीखचों में बन्द किये गये हैं और उन्होंने लाठी डन्डा भी सहा है। मैं इस विधेयक, जिसमें सवा ६ एकड़ तक की भूमि के लगान की समाप्ति का प्रश्न निहित है स्वागत करता हूं। हमारे स्वर्गीय राममनोहर लोहिया जी को मैं साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आज उनकी मुराद पूरी हुई। यों यह सही है कि कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में इस प्रकार के प्रस्ताव होते रहे हैं परन्तु इसका कार्यान्वियन कभी नहीं हो सका जिसको आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। श्रीमन्, विरोधी पक्ष से यह कहा गया कि खरीफ से ही इसकी समाप्ति हो जानी चाहिये, यदि राजस्व मंत्री जी ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा होगा और न कर सकें तो रबी से तो इसको हो जाना अवश्य चाहिये। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी की भी घोषणा हो चुकी है और आज का प्रस्ताव उनकी घोषणा के अनुरूप ही हुआ है। विरोधी पक्ष से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको खरीफ और रबी के झमेले के कारण न टालें परन्तु इसको शीघ्र ही स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राजित राम जी आप किस अधिकार से बोलने के लिये खड़े हुये हैं, आप बैठ जांय।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

हम तो चाहते हैं कि खरीफ से ही इसको लागू किया जाय।

श्री राम देव—

श्रीमन्, मैं किसान हूं और यह जानता हूं कि लगान की वसूलयाबी कब होती है। यह सही है कि खरीफ की फसल का लगान वसूल हो गया होगा और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि लगान की वसूली ऐसी होती है कि कभी कभी पूरे वर्ष का लगान वसूल कर लिया जाता है। तो हो सकता है कि कुछ वैधानिक दिक्कतें पड़े उनके लगान की वसूली को लौटाने में या और जो दिक्कतें हैं उनके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना अवश्य कहता हूं कि खरीफ और रबी का झमेला मेरे विरोधी भाई छोड़ दें। हमारे राजस्व मन्त्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो रबी बोई गई है, जो खेतों में लहलहा रही है, उसी रबी से यानी सन् १९७० से रबी पर लगान समाप्त होने जा रहा है।

इसके अलावा श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो आज प्रस्तुत है उसमें कुछ और बातें हैं उनकी ओर मैं इंगित करना चाहता हूं। इसमें भूमिहीनों की वाकई जो परिभाषा है वह पूरी स्पष्ट की गई है। भूमिहीनों की परिभाषा इससे पहले कदाचित् यह थी जिनके पास ५ बीघे तक की भूमि रहती थी, वह सभी भूमिहीन माने जाते थे। अब जिनके पास न तो सीरदारी कुछ रहेगी, न कुछ आसामी की भूमि रहेगी, न कुछ भूमिधरी की भूमि रहेगी, वह सभी भूमिहीन माने जायेंगे। इसलिये भी यह विधेयक स्वागत के योग्य है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि ५ बीघे तक के लोग जब भूमिहीन माने जाते थे, जो हरिजन होते थे, छोटे व्यक्ति मजदूर होते थे उनको भूमि नहीं मिलती थी, लेकिन अब भूमिहीन वही माने जायेंगे जो न सीरदारी रखते हैं, न आसामी भूमि रखते हैं और न भूमिधरी भूमि रखते हैं। श्रीमन्, एक बात मैं और यह कहना चाहता हूं कि राजस्व मन्त्रीजी ने एक जगह यह कहा है कि मिलकियत १० बीघे तक वालों की बनी रहे तो उसके लिये जो लगान है दर्ज रहेगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

मैं राजस्व मन्त्रीजी यह कहना चाहता हूं कि लगान क्यों दर्ज रहेगा? लगान अगर समाप्त हो रहा है सवा ६ एकड़ तक के किसानों का, तो लगान दर्ज रहने की कोई आवश्यकता मेरी दृष्टि में नहीं है और वह लगान दर्ज नहीं होना चाहिये। पता नहीं क्या वाकया कब हो, क्या स्थिति आवे, और इस चीज को लोग क्या समझें। इसलिये जिनका लगान समाप्त हो गया है तो सबकी पासबुक से भी लगान समाप्त हो जाना चाहिये। श्रीमान, मैं राजस्व मन्त्री का ध्यान एक विशेष महत्वपूर्ण बात की ओर ले जाना चाहता हूं कि आज भी गांव प्रधान गलत रीतियों से, अवैध रीति से तहसीलों में पट्टे कर रहे हैं। अभी भी पट्टे हो रहे हैं। मैं जहां का हूं वहां चकबन्दी चल रही है। चकबन्दी के समय पट्टे नहीं होने चाहिये। लेकिन पिछली तारीखों में प्रतापगढ़ जनपद के विभिन्न तहसीलों में जैसे पट्टी, सदर आदि तहसीलों में जब से चकबन्दी शुरू नहीं हुई थी पुरानी तारीख में बराबर पट्टे हो रहे हैं।

जब पंचायत के प्रधानों के चुनावों का अध्यादेश बना था और यह तय हो गया था कि अब पुराने प्रधान, प्रधान पद के लिये खड़े नहीं हो सकेंगे तो प्रधानों में ८० प्रतिशत ने गांव समाजों से सम्बन्धित जो ऊसर, बंजर तथा परती भूमि थी उसका पट्टा पिछली तारीखों में किया। तो मैं राजस्व मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे पट्टे जो अवैध रीति से विभन्न तहसीलों में किये जा रहे हैं उनका खात्मा होना चाहिये। आपसे मैं निवेदन करूं कि ११५-सी के मुकदमें तहसीलों में बहुत चल रहे हैं और उनका परिणाम यह हो रहा है कि जिन भूमिहीनों के पास भूमि नहीं थी उन्होंने अपने मकानों के सामने १० बिस्वा, २० बिस्वा या २, ३, बीघे भूमि पर कब्जा कर लिया था उनको उससे बेदखल किया जा रहा है और कई वर्षों की लागत लगा कर १ हजार से लेकर ५ हजार रुपये तक उन पर अर्थ दंड लगाया जा रहा है। इसके लिये भी मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे वैधानिक ढंग से कोई उपाय सोचें वर्ना भूमिहीन को जिसने कब्जा किया है थोड़ी-थोड़ी जमीन पर उसको बेदखल किया जा रहा है और सत्य कहना चाहता हूं कि जिनके पास अधिक भूमि है और जो अधिक भूमि पर कब्जा किये हुए हैं उनके खिलाफ ११५-सी नहीं चल रहा है उनके खिलाफ लेखपालों ने रिपोर्ट नहीं की है और न कानूनगो ने उनके खिलाफ रिपोर्ट की है और वे ५० से ले कर २०० एकड़ तक की अमीन पर अवैध रीति से कब्जा किये हुए हैं। उनके खिलाफ न कोई रिपोर्ट है और न उनके खिलाफ कोई मुकदमा है।

माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने सवा ६ एकड़ पर लगान माफी का ऐलान किया है अगर उसी तरह से ११५-सी के गरीबों पर, भूमिहीनों पर जो मुकदमें चल रहे हैं उनसे भी उनको मुक्त कर दें तो जनतंत्र के इतिहास में बहुत शानदार और महत्वपूर्ण रोल उनका होगा। अगर ऐसा नहीं हो सका तो जो गरीब जनता है वह पिस जायगी और जिनके पास ज्यादा भूमि है वह नहीं पिसेंगे क्योंकि उनमें से कोई उद्योग मंत्री है केन्द्र में, प्रदेश में अथवा कोई राजा है और कोई महाराजा है और उनके पास ४ सौ, ५०० एकड़ तक जमीन है, लेकिन जिसके पास १ बीघा अथवा १० बिस्वा जमीन है वह ११५-सी का शिकार हो रहा है। इससे आप गरीबों को मुक्त करायें।

[श्री रामदेव]

मैं राजस्व मंत्री का ध्यान थोड़ा चकबन्दी की ओर खींचना चाहता हूं। इस विधेयक में है कि स्कूलों के लिये अथवा जो मिलीट्री के आफिशियल्स हैं उनको भूमि न दी जायगी लेकिन जहां-जहां चकबन्दी चल रही है वहां स्कूलों के लिये, चाहे प्राइमरी हों, जूनियर हाई स्कूल हों अथवा दूसरे स्कूल हों उन स्कूलों के लिये आवश्यकता से अधिक भूमि काश्तकारों की ली जा रही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस ढंग का एक डाइरेक्टिव, एक निर्देश या आदेश आप चकबन्दी अधिकारियों को प्रेषित कर दें कि इस दशा में स्कूलों या अन्य संस्थाओं को जो अधिक भूमि देने की बात है, मैं नहीं कहता हूं कि उनको भूमि न दी जाय, उनको अवश्य स्कूल की क्रीड़ा के लिये और जो स्कूल के अन्य कार्यकलाप हैं उनके लिये उन्हें भूमि दी जाय किन्तु जितनी कि आवश्यक हो उतनी ही भूमि उनको दी जाय, अनावश्यक रीति से या किसी के जोर दबाव से आवश्यकता से अधिक भूमि न दी जाय। मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता हूं किन्तु यह कहना चाहता हूं कि स्कूलों के नाम पर चकबन्दी के माध्यम से ज्यादा भूमि निकल रही है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रकार का एक डाइरेक्टिव, या एक आदेश भेज कर इसको भी समाप्त करने का प्रयास करें।

इसके अलावा मैं अधिक क्या कहूं, मुझे प्रसन्नता है और अतीव प्रसन्नता है क्योंकि मैं स्वयं सवा छः एकड़ भूमि लगान की समाप्ति के लिये दर्जनों बार जेल के सीकचों में बन्द हो चुका हूं। मैं इसको ज्यादा इजहार नहीं करना चाहता हूं। अन्त में मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और अपने विरोध-पक्ष के दोस्तों से निवेदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज आप कृपा करके किसी भी प्रकार के झमेले को उपस्थित न करें और सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित होने दें।

*श्री कृष्ण चन्द—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर जो विधेयक माननीय राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है....।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, इधर भी कौरव पांडव की सेना पर अपनी निगाह डालें.....

श्री उपाध्यक्ष—

हां, मेरी निगाह वहां तक जाती है।

श्री कृष्ण चन्द्र —

मान्यवर, आज ४ बजे तक इस विधेयक को पास होना है अतः समय ज्यादा नहीं है। मान्यवर, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे आज इस विधेयक को यहां पर लाये हैं। हमारे नेता विरोधी दल ने भी शासन को बधाई दी है और प्रसन्नता व्यक्त की है उसको यहां पर प्रस्तुत करने के लिये। और उन्होंने एक इतिहास पर भी प्रकाश डाला है। शासन ने अधिकांशतः इस इतिहास से प्रेरित होकर के यह विधेयक यहां पर उपस्थित किया है। किन्तु मान्यवर, मैं इस विधेयक को यहां पर प्रस्तुत करने के लिये सर्व प्रथम और सबसे मुख्य रूप से अपने एस० एस० पी० दल के कार्यकर्ता और नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, उनके अकथनीय प्रयत्नों के बाद और संघर्षों के बाद आज यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है। यह उनकी सूझ-बूझ का परिणाम है, यह उनकी बुद्धि का ही परिणाम है कि राजनीतिक शतरंज में जिस तरह से उन्होंने अपना खेल खेला है यह उसी बुद्धिमानी का परिणाम है। आज यहां पर यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है और सारा सदन चाहे कोई इधर बैठा हो या उधर बैठा हो, एक स्वर से इस विधेयक का समर्थन कर रहा है।

(तालियां)

मान्यवर, यह सुखद आश्चर्य की बात है कि इस समय सदन में विधेयक के निराधार वे जनप्रतिनिधि लोग नहीं हैं, जो पिछली सरकार में रह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने भी इस विधेयक को अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। इससे सुखद आश्चर्य और कोई नहीं हो सकता। मान्यवर, ६७ में जब संविद की सरकार बनी तब भी मुख्य रूप से संसोपा ने यह मांग प्रस्तुत की थी कि सवा छः एकड़ तक की भूमि का लगान माफ किया जाय। लेकिन उस समय कंसेशन के रूप में सवा तीन एकड़ तक का ही लगान माफ हुआ। मान्यवर, १९६९ में मध्यवर्ती चुनाव के बाद जब गुप्ता जी की सरकार यहां आयी तो आज इस तरक बैठे हुए बहुत से लोगों ने उन पर दबाव डाला, उनसे आग्रह किया कि सवा छः एकड़ तक का लगान माफ कर दिया जाय। अतः यह प्रश्न एक तबके का प्रश्न नहीं था बल्कि सर्वसम्मति से एक राजनैतिक प्रश्न बन गया था। इस लिए इस प्रश्न का निराकरण तभी हो सकता था जब सवा छः एकड़ तक के लगान की माफी हो जाये। मुझे दुःख है कि उस समय के मुख्य मंत्री और उस समय की सरकार ने इस प्रकार का निबटारा इस प्रकार से नहीं किया, जिस प्रकार से इसका निबटारा आज किया गया है।

गुप्ता जी के बाद चौधरी साहब की सरकार पुनः बनी और उसने सवा तीन एकड़ कन्सेशन वाले प्रस्ताव को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया। उसमें भी हममें से कई लोगों द्वारा इस मांग को पुनः रखा गया कि सवा तीन एकड़ के बजाय सवा छः एकड़ कर दिया जाय। लेकिन उस समय यह नहीं हो सका। इसलिये आज मैं विशेषरूप से मंत्री जी को बधाई दे रहा हूं। विशेष रूप से इसलिये कि सारे विरोधों के होते हुए भी संसोपा के मंत्रियों ने और उनके दल के लोगों ने दूसरी प्रकार के लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, उनके दिमाग़ों पर विजय प्राप्त कर ली। जो लोग चट्टान की तरह लगान माफी के बीच में अड़े हुए थे, उनके मस्तिष्क को जीत लिया। इसके लिये मैं माननीय प्रभुनारायण सिंह जी को व्यक्तिगत रूप से बधाई देता हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

आपके इस तरह करने से हम लोगों में फूट पड़ने वाली नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र—

मेरा तो मतलब यह नहीं था, लेकिन आपका यह कहना जरूर इस बात का द्योतक है कि कोई फूट का आधार है। मैं तो उदारतापूर्वक मुबारकबाद दे रहा था, लेकिन उससे आपको जो शक हुआ, उससे मालूम हुआ कि फूट का बीज कहीं जरूर है और वह पनप रहा है। तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आज के दिन को मैं रेड लेटर डे मानता हूं। आज यह विधेयक पास होगा। मुझे एक शक है उसको मैं व्यक्त कर देना चाहता हूं और वह यह है कि इसकी क्षति जो होगी, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि ११० करोड़ रुपये की क्षति इससे पांच वर्ष में होगी तो मेरा संदेह यह है कि इस क्षति की पूर्ति के लिये ऐसे टैक्सेज न लगायें जिनका भार गरीबों पर पड़े क्योंकि जिस दिन इस विधेयक की सूचना राजस्व मंत्री ने दी और सवा तीन एकड़ वाले विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा चाही उसी दिन दो विधेयक पास किये गये। एक रजिस्ट्रेशन की ड्यूटी बढ़ाने का तथा दूसरा मनोरंजन कर बढ़ाने का था। इन दोनों विधेयकों का परिणाम बड़े आदमियों पर न पड़कर गरीबों पर पड़ने वाला है। इस लिये मैं चाहता हूं कि अगर ११० करोड़ रुपये की क्षति पूर्ति गरीब आदमियों से न की गई, जिस तबके के लोगों को माफी दी गई तो आप सचमुच और अत्यधिक मेरे बधाई के पात्र होंगे। लेकिन यदि आपने जो चीजें बायें हाथ से दी है वह दायें हाथ से वापस ले ली तो मैं बधाई नहीं दे सकता हूं और सदन भी अपनी बधाई को वापस ले लेगा।

मान्यवर, टैक्स लगाने के लिये टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है। अभी इस प्रदेश में ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो टैक्सों से अछूता रहा है, जिसने कर वंचना की है, जिसने कर छिपाया है, जिस पर अरबों रुपया आज भी कर का बकाया है और उनके दांत उखाड़ने की हिम्मत और साहस अब तक किसी प्रदेशीय सरकार का नहीं रहा है। यदि इसकी

[श्री कृष्ण चन्द्र]

पूर्ति होनी है और होनी चाहिये और अगर नहीं हुई तो हमारे विकास और नियोजन के कार्य अधूरे रह जायेंगे। इस लिये अगर वे अधूरे रह गये तो यह लक्ष्य और उद्देश्य कि आप गरीब आदमी को उठाना चाहते हैं, उसको रोशनी देना चाहते हैं, उसकी रीढ़ में बल देना चाहते हैं वे सब अधूरे रह जायंगे। इसलिये इसकी क्षति पूर्ति होनी चाहिये और उन लोगों से होनी चाहिये जिनके ऊपर अभी तक कानून का हाथ नहीं पहुंच सका है।

इसलिये मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि यदि इस तरह का कोई कार्यक्रम लाया जाय जिसके द्वारा निर्धनों पर टैक्स बढ़ने की बात हो तो समाजवादी नेता के नाते आप उस विधेयक का डट कर विरोध करें और इस तरफ के बैठने वाले आपका साथ देंगे। मैं इसका विश्वास दिलाता हूं। (इस समय कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) अभी मैं बोल रहा हूं। मैंने समाप्त नहीं किया है। माननीय त्रिपाठी जी आप की उजलत समझ नहीं पा रहा हूं, पीछे जो बैठे हैं उनकी तो समझ में आ रही है। यह मुहब्बत कब से पैदा हो गई सवा छः एकड़ वाली बात से, यह समझ में नहीं आ रहा है।

मान्यवर, एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जहां आपने इतनी उदारता दिखलाई है, जहां आप डेढ़ हाथ से उदारता बांट रहे हैं और माननीय राजस्व मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ से उलीच दीजिये इस उदारता को और जहां आप रबी की माफी कर रहे हैं वहां खरीफ से कर दीजिये। इसमें क्या दिक्कत है। यह आंकड़े तो माननीय चौधरी चरण सिंह ने भी हमको दिये थे जो आप दे रहे हैं। उनकी भाषा आपने कैसे सीख ली? तो आप उन आंकड़ों के चक्कर में मत आइये। आप खरीफ से इसकी माफी कर दीजिये। हमारे बुन्देलखंड में राजस्व विभाग का ऐसा नियम है कि खरीफ और रबी का इकट्ठा वसूल हो जाता है। अगर वहां पर अभी नहीं हुआ है तो महीने भर के अन्दर ऐसा कार्यक्रम शुरू हो जायेगा कि रबी और खरीफ दोनों का इकटठा वसूल हो जायेगा और आपका जो उद्देश्य है रबी से माफ करने का वह पूरा नहीं होगा। आज ४-५ साल से बुन्देलखंड में ओला और सूखा पड़ रहा है। वहां पर ७५ फीसदी से ज्यादा ओले से प्रभावित सैकड़ों गांव हैं लेकिन वहां के राजस्व विभाग के अधिकारी खरीफ और रबी दोनों का लगान इकटठा वसूल कर रहे हैं। आप प्रदेश के दूसरे अंचलों के लिये चाहे रबी से ही करें, मैं कोई अड़ंगा नहीं डालूंगा—मेरे मित्र ने कहा, अड़ंगा न डालिये—लेकिन मेहरबानी कर के बुन्देलखंड में उन ओलापीड़ित किसानों से जिनके पास सवा ६ एकड़ तक जमीन है लगान की वसूली रोक दें। (कुछ शोर होने पर) कड़वी बात तो कह नहीं रहा, लेकिन अगर मीठी बात भी आपको कड़वी लगती है तो जायका बदलने का इलाज कराइये।

एक बात और कहना चाहता हूं भूमि व्यवस्था के संबंध में और उसका ताल्लुक बुन्देलखंड से है। अब तक जो परिपाटी रही है वह यह कि बुन्देलखंड को जमीन के संबंध में दुगनी रिआयत दी जाती थी। आपने डेढ़ गुनी ही कर दी। ऐसा क्यों? आप तो प्रतिक्रियावादी नजर आ रहे हैं। बुन्देलखंड की साढ़े १२ एकड़ जमीन बराबर है बाकी जगहों की सवा ६ एकड़ जमीन के। यह मेरा संशोधन नहीं है लेकिन यह मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको आप मान लें।

भूमि-व्यवस्था के संबंध में आखिरी बात कह कर मैं बैठ जाऊंगा। प्रदेश भर में ६ लाख एकड़ परती जमीन बांटी गयी है जिसमें से पौने दो लाख एकड़ अकेले झांसी जिले में ही बांटी गयी है। लेकिन बहुत सी जमीन ऐसी है जो गलत बांटी गयी है। उसका सुधार होना चाहिये। हमने जहां कलेक्टर और कमिश्नर को एक नया रेकार्ड कायम करने पर बधाई दी वहां उनसे यह भी कहा कि काफी जमीन गलत लोगों को मिल गयी है। आपने भूमि समिति बनायी। मैं तो समझता था कि क्रान्तिकारी जमात से क्रान्तिकारी कदम उठेगा हमारे राजस्व मंत्री जी का। लेकिन मैं समझता हूं कि वह भी पचड़े में पड़ गये और सरकार की रट में आ गये और उन्होंने भी भूमि-व्यवस्था समिति का अध्यक्ष कलेक्टर को बना दिया। उसके ऊपर तो प्रशासन का जो

बोझ है उसी से वह दबा जा रहा है और यह जो भूमि की व्यवस्था का प्रश्न है वह इन कलेक्टरों के बस का नहीं है। यह तो एक राजनैतिक और इकनामिक प्रश्न है, जिनका सम्बन्ध भू-क्रान्ति से रहा है, जो इसके अलम्बरदार रहे हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में इस कार्य के अग्रदूत रहे हैं उनके करने का यह कार्य हो सकता था, कलेक्टर को पहनाने से यह काम न होगा। इस समिति का अध्यक्ष वही होना चाहिये था जिसने इस अभियान का संचालन किया है। किसी गैर सरकारी या नान-आफिशियल लोग हैं उनमें से कोई इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता।

इतना कह कर अन्त में मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस विधेयक को लाने के लिये और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरफ के बैठने वाले इस विधेयक का और उनके द्वारा उठाये हुये हर अच्छे कदम पर उनका समर्थन करेंगे और सहयोग देंगे और इस विधेयक को आज ४ बजे उनके साथ मिल कर पारित करेंगे।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज इस विधेयक का माननीय नेता विरोधी दल ने भी बड़े जोरदार शब्दों में स्वागत किया है और अपने सम्मानित साथी माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा ने भी माननीय राजस्व मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दी है। इस संबंध में मुझे एक बहुत छोटा सा किस्सा याद आ गया जब मैंने उस तरफ की इन बधाईयों की तरफ देखा। एक दूकानदार था, उसने एक हज्जाम से अपनी हजामत बनवाई और जब पैसे की बात आई तो दूकानदार से हज्जाम ने कहा कि क्या देंगे? इस पर दुकानदार ने कहा कि तुम्हें खुश कर देंगे। नाई ने उसकी हजामत इस बात पर बना दी। दुकानदार ने उसको दो आने निकाल कर दिये, उस पर नाई ने कहा कि इतने से तो मैं खुश नहीं हूं, धीरे-धीरे हजार दो हजार देने पर भी दुकानदार राजी हो गया लेकिन नाई ने कहा कि मैं तो इतने पर खुश नहीं हूं। इस तरह से उन की यह चर्चा पांच सात दिन तक चलती रही। इसी बीच में एक दिन जमींदार का सिपाही उस दुकानदार के यहां सामान खरीदने आया। उस सिपाही का जो जमींदार था उसके औलाद नहीं थी। लेकिन अब चूंकि जमींदार के लड़का हो गया था इस लिये दुकानदार ने नाई से पूछा कि अब तो लड़का जमीदार साहब के हो गया है, अब तो तुम खुश हो, हजारों रुपये की जायदाद जा रही थी अब उसका अधिकारी पैदा हो गया है। इस पर नाई ने कहा कि मेरे नाखुश होने की क्या बात है मैं खुश हूं, मेरा बाप खुश है मेरा दादा खुश है। ठीक इसी तरह से जो बधाई उधर से दी जा रही है मुझे ऐसा लगा कि विरोधी दल की इस विधेयक पर जो खुशी है वह ऊपरी है, दिल से नहीं है। गला दबा है, ऊपर से ही खुशी जाहिर की जा रही है। क्योंकि आज जनतन्त्र के इस ऐतिहासिक दिवस के अन्दर प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को [× × × ×] जिससे उनके दिमाग सही हो गये हैं.....

(व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र—

मेरा उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है, [* * * *] यह असंसदीय शब्द हैं और इनका कोई सम्बन्ध आज के विषय से नहीं है, उनको कार्यवाही से निकाला जाय और वह इनको वापस लें.....

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

आज वह इस निर्णय से खुश हैं, इसी से उनका पर्दाफाश हो गया है, इससे जाहिर है कि वह प्रिवी पर्सेज का समर्थन करते हैं.....

(व्यवधान)

[× × × ×] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री बसन्त लाल शर्मा से) आप ऐसी बात क्यों कहते हैं, आपका [* * *] यह कहने से क्या मतलब है ? आप इस विधेयक के बारे में ही कहें, यहां किस्से कहने से काम नहीं चलेगा ।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । जिस ढंग से उधर से बात होती है, इधर से भी वैसी ही बात कह दी जाती है.....

श्री उपाध्यक्ष—

[* * *] यह नहीं लिखा जायगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है....।

श्री कृष्ण चन्द्र—

उन्होंने जो यह कहा है कि [* * *] इसको माननीय सदस्य वापस लें, इसका वापस कराना आवश्यक है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रधान मंत्री के बारे में टीका की गयी है, वह लिखी नहीं जायेगी ।

श्री बसन्त लाल शर्मा—

श्रीमन्, यदि मेरे दोस्त इतने नाराज हैं तो मैं अपने शब्द वापस ही लिये लेता हूं । इनके न लिखने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

श्रीमन्, क्या इनका यह कहना मुनासिब है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं ऐसी बातें कहने की इजाजत नहीं दूंगा जबकि ऐसा अच्छा वातावरण चल रहा हो ।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

श्रीमन्, मैंने तो अपने शब्द वापस ले लिये हैं ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इसमें जो सवा ६ एकड़ तक की लगान माफी के बारे में चर्चा की गयी है, वास्तव में इसमें २ रायें नहीं हैं । यह विधेयक आज संविद सरकार की ओर से आया है और इसका सारे सदन ने स्वागत किया है । मान्यवर, मैं भी इसका स्वागत करता हूं । इसके उद्धरण में भी कहा गया है कि सन् १९३० में, सन् १९३१ में और सन् १९४६ में अलाभकर जोतों के विषय में खर्चा की गयी थी । मान्यवर, मेरी छोटी सी दलील है कि १९३० को आज लगभग ४० वर्ष हो गये हैं, उस समय आबादी का घनत्व इतना नहीं था जितना आज है और उस समय परिस्थिति ही कुछ और थी जब कि आज की परिस्थिति कुछ और ही है । यह विधेयक हम सब लोगों को प्रिय और अच्छा मालूम हो रहा है क्योंकि यह स्वाभाविक है कि लगान माफी का नाम सुनकर । निश्चय ही छोटे किसानों में खुशी की लहर दौड़ेगी, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत विचार आपके सामने रखना चाहता हूं । जहां तक मालगुजारी की माफी का प्रश्न है यह बहुत ज्यादा हितकर नहीं होता । किसी भी राज्य के लिये ४ बातों का होना बहुत आवश्यक है । एक है निश्चित भू-भाग, दूसरा है आमान्य, तीसरा है सेना और चौथा है कोश । तो भू-राजस्व को राज्य को ग्रहण करने का हक है....

[* * *] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, कि माननीय सदस्य इस विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में बोल रहे हैं।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि भू-राजस्व का लिया जाना जनता के, प्रजा के हित में होता है। तो मेरा निवेदन यह था कि जो हुआ है उससे गरीब किसानों को फायदा होगा। दलीलें यह भी दी गयी और माननीय दूबे जी ने कहा कि "मालगुजारी" शब्द को समाप्त कर देना चाहिये। मैं इस मत का समर्थन नहीं करता हूं। "मालगुजारी" शब्द यदि इस विधेयक में रहेगा तो किसानों की भूमि का मूल्यांकन हो सकेगा, तकावी ऋण और अगर वह किसी की जमानत करना चाहेगा कर सकेगा, भूमि अधिकार प्राप्त कर सकेगा, यदि वह किसी को अपनी भूमि का हस्तान्तरण करना चाहेगा तो उसका मूल्यांकन कर सकेगा। इसलिये शब्द "मालगुजारी" का रखा रहना बहुत आवश्वक है। अगर आज इन छोटे किसानों को भी जिनकी जोतें अलाभकर हैं, उनकी जोतों को लाभ पहुंचाने के लिये मुफ्त पानी दिया जाता, मुफ्त बिजली दी जाती, मुफ्त खाद दी जाती, उनके बच्चों की शिक्षा मुफ्त दी जाती तो उनमें आर्थिक चेतना आती। तो यदि इस प्रकार का कोई कदम सरकार की ओर से उठाया जाता तो जरूर किसानों का फायदा होता। आज कोई भी किसान नहीं चाहता है कि हमारा लगान माफ हो जाय।

किसान तो हमेशा यह चाहता है कि अधिकार उसका रहना चाहिये। यदि आज हम लगान माफकर रहे हैं तो लगान माफ करने के साथ-साथ मालगुजारी भी माफ कर दें तो उसको अपने अधिकार का विश्वास नहीं रह जायेगा। इसलिये मालगुजारी का लिखा रहना बहुत आवश्यक है। मैं यह कहना चाहता था कि इसमें जो भूमि समिति बनी है और जो भूमि के वितरण की एक स्थिति रक्खी है, उसमें जो हरिजन तबका है, जो खेतिहर भूमिहीन मजदूर है उनको भूमि मिलनी चाहिये और जो बड़े-बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने नामों से लम्प-सम रूप से कब्जा करा रक्खा है उनको भूमि नहीं मिलनी चाहिये। इसमें पट्टे के निरस्त करने के बारे में खर्चा की गई है। वह साधारणतः स्वागत करने योग्य है। लेकिन मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम समाज की भूमि पर उन लोगों का कब्जा है जिनके पास १५० या २०० एकड़ भूमि है वे २२९-बी की कार्यवाही कराके अपने नाम सीरदारी का खाता लिखाना चाहते हैं जिसमें गांव समाज की जमीनें झगड़ें में फंसी हुई है। एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जिन आदमियों के पास साढ़े बारह एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है गांव समाज की किसी प्रकार की भूमि पर यदि उसको नाजायज कब्जा हो गया है तो उसको वहां सीरदारी कायम करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये और इस प्रकार के मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिये। इन चीजों के साथ-साथ शिक्षा संस्थाओं के बारे में भी व्यवस्था की गई है। उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा संस्थाओं की जो भूमि है उन पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है और फिर नाजायज तरीके से उनको अपने हक में कर लेना चाहते हैं। इसके बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको ही बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और इसके साथ मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और उसके नेता माल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिन परिस्थितियों में यह विधेयक आया है, जब कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी नेता रह चुके हैं और गुप्ता जी नेता रह चुके हैं, इन ऐसी प्रबल शक्तियों के विरोध करने के बाद और आज भी हमारे माल मंत्री महोदय ऐसे खेमे में और ऐसे आदमियों की गोद में बैठे हुये हैं जो महान प्रतिक्रियावादी और पूंजीपतियों के समर्थक हैं, उनकी गोद में बैठ कर यह मना लिया है तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अभी-अभी इसी सदन में हमारे साथी

[श्री शिवकुमार]

ने प्रमाणित कर दिया कि उनके साथ ऐसे तत्व हैं जो प्रिवीपर्स का विरोध करते हैं—ऐसे प्रतिक्रियावादी तत्वों के बीच में रह कर उन्होंने यह जो काम किया है उसके लिये मैं उनको कोटिशः धन्यवाद देता हूं ।

जैसा कि माल मंत्री ने बताया कि कांग्रेस के दो सेशन हुए । कराची और लखनऊ के सेशनों में इस बात का निर्णय ले लिया गया था कि सवा छः एकड़ की मालगुजारी माफ होनी चाहिये और वह निर्णय कार्यान्वित नहीं हो सका । उसका कारण रही हमारी यह सरकार जिसमें हम लोग भी शामिल हैं जिसके एक बार नेता चन्द्र भानु गुप्ता थे और दूसरी बार चरण सिंह जी नेता थे और चाहते हुए भी कि सवा छः एकड़ का लगान माफ हो हम कामयाब नहीं हो सके । ये हमसे बहादुर साबित हुये जिन्होंने उनको इस काम के लिये मना लिया । जिस समय कांग्रेस ने किसानों की मालगुजारी की माफी के लिये प्रस्ताव पास किया था उस समय किसानों पर एक देय था वह थी मालगुजारी का मान्यवर, अब उसमें परिवर्तन आ गया है । आज मालगुजारी गौण हो गई है और उसके मुकाबिले में बिजली का बिल, सिंचाई के खर्चे, अनाज की मन्दी वगैरह परेशानियां बढ़ गई हैं । लेकिन आज मालगुजारी माफ करने से गांव की एक कहावत ही चरितार्थ होती है कि "घर जरै, घूर बुतावै" क्योंकि आज उसको जो कष्ट दे रहा है वह है बिजली का बिल । दो, तीन महीने मुश्किल से किसान अपना ट्यूबवैल चलाता है और बिजली विभाग का बिल साढ़े १२ सौ रुपये का आता है । यह चीज उसको परेशान किये हुये हैं ।

आज खाद के दाम बढ़ रहे हैं, जितनी भी किसान के जरूरत की चीजे हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं जिसने किसान की कमर तोड़ रखी है । उधर नये-नये वैज्ञानिक तरीकों से, किसान अधिक मेहनत करके जब अपनी उपज को बढ़ाता है तो उसकी कीमत उसको कम मिलती है, उसकी पैदा की हुई चीजों की कीमतें घट रही हैं । (व्यवधान), अतः मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार किसान की भलाई के लिये वे यह बिल लाये हैं उसी प्रकार किसान की और तकलीफों को दूर करने के लिये भी वे शीघ्र कार्यवाही करें । मैं जानता हूं उनके मार्ग में कठिनाइयां हैं । अगर सरकार को टूटने का डर न होता तो यह लोग कभी सवा ६ एकड़ लगान माफी की बात को स्वीकार न करते । यह लोग मजबूरी में इसका समर्थन कर रहे हैं । मैं माननीय प्रभुनारायण सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वे किसानों की और तकलीफों को भी दूर करें तथा इन लोगों से होशियार रहें । एक कहानी है । एक बाघ जब बहुत बूढ़ा हो गया, शिकार को जाने लायक नहीं रहा, चलना फिरना उसके लिये कठिन हो गया तो वह सोने का एक कड़ा लेकर बैठ गया और कहने लगा कि अब तो मैं भगत हो गया हूं, आप लोग यह कड़ा ले लीजिये । इस प्रकार जब भी कोई कड़ा लेने के लिये उसके पास आता, वह बाघ उसे मार कर खा जाता । तो मैं माननीय प्रभुनारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इन सिंडीकेट वालों से सावधान रहें । कहीं उनके चंगुल में न फंस जायं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि जिन पर माननीय मंत्री जी विचार करने की कृपा करें । मान्यवर, जितनी बातें इसमें कहीं गयी हैं वे सभी किसानों के हित में है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां बहुत से लोग अवैध रूप से कब्जा किये हुये थे (व्यवधान) जिन पर मुकदमा चल रहा था, वे आज भी कब्जा किये बैठे हैं । लेकिन जो भूमिहीन हैं उनके पास जमीन नहीं है । जिनके पास जमीनें थीं, उन्हीं को जमीनें दी गयी हैं, जो भूमिहीन थे, गरीब थे, उन्हीं पर मुकदमे चलाये गये, उन्हीं के पट्टे खारिज कर दिये गये । इस ओर मंत्री जी ध्यान दें । मैं अपने जिले गोरखपुर की बात कह रहा हूं । वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे । वे बेदखल किये गये, लेकिन उनका कब्जा उस भूमि पर बना हुआ है ।

और जो ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में मिलना चाहिए उन पर कुछ जुर्माने लाद दिए गये हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसकी सही-सही जांच हो कि वास्तव में कौन आदमी ऐसा है जो गलत है और कौन सही है ।

मान्यवर, राजस्व मंत्री का जो वक्तव्य मैंने अखबार में देखा कि पट्टों के वितरण के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ क्षेत्रीय विधायकों की एक कमेटी बनेगी उससे मुझे खुशी हुई यदि इस प्रकार की कमेटी बन जाती तो अच्छा होता । क्योंकि उनको पट्टे बंजर आदि भूमि के असर और दबाव में आकर दे दिया गया है । जिनकी मांग सही थी और जिनको वास्तव में जमीन मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली है । इसके साथ-साथ जहां चकबन्दी पहले ही से हो चुकी है, वहां पर बहुत अनियमितताएं हुई हैं, वहां पर भूमिहीनों को तालाब, पोखर आदि की जमीनें दे दी गई हैं और अच्छी-अच्छी भूमि उन्हें दी गई है जिनको कोई जमीन नहीं मिलनी चाहिए थी ।

दूसरी बात यह है कि कुछ आबाद लोग ऐसे बने हुए हैं कि जिनके घर पहले से हैं और बाद में वहां आबादी छोड़ी गई है, उनसे ग्राम प्रधान आदि ज्यादती करके आबादी की भूमि का लाभ उठाकर गलत ढंग से पैसा ले रहे हैं । जहां तहां चक रोड छोड़ी गई हैं, जो कि गलत उद्देश्यों से छोड़ी गई है, उनको उपयोग सार्वजनिक हित में होना चाहिए ।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं—जहां चकबन्दी हो रही है, वहां भी अनेक अनियमितताएं सामने आ रही हैं । जहां तक अछूतों का संबंध है, हरिजन जो मरे बैल आदि ले जाते हैं उनके लिए जमीन नहीं छोड़ी जा रही है, जिससे वहां का सारा वातावरण गंदा होता है । इसलिए जहां हरिजन है, वहां गांव से कुछ दूरी पर मरे बैल आदि गाड़ने के लिए जमीन अवश्य छोड़ी जाए, ताकि सारा वातावरण गंदा न हो । हमारे समाज में धोबियों का भी एक समुदाय है। उनके लिए भी धोबी-घाट आदि की व्यवस्था होनी चाहिए । हमारे जिले के बांसगांव क्षेत्र में यह काम नहीं हो रहा है, जिससे धोबी आदि बहुत परेशान हैं । इसलिए सरकार सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर, इस संबंध में उचित कार्यवाही करे ।

एक बात यह है कि इस संशोधन से जो छूट मिली है—१५ करोड़ का उससे घाटा हुआ है, किन्तु फिर भी उस संशोधन में इतनी और व्यवस्था कर दी जाए कि किसानों के लिए थोड़े बहुत पानी का भी प्रबन्ध हो जाए ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय राजस्व मंत्री ने जो विधेयक पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और जहां तक मुबारकवाद का सवाल है, सभी प्रगतिशील पार्टियों का, उनके कार्यकर्त्ताओं का और उनके साथ जितनी भी जनता रही है इस मांग को पूरा कराने के लिए, वे सभी मुबारकबाद के हकदार हैं, और हमारे राजस्वमंत्री भी चूंकि उसके एक हिस्सा रहे हैं, वे भी मुबारकबाद के हकदार हैं और इस हैसियत से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं । लेकिन जो कुछ नेता विरोधी दल ने कहा है और जो संशोधन रखा है कि जब इसका खात्मा करना है, तो आखिर १५ दिसम्बर से क्यों नहीं, इसमें मेरा तर्क है । माननीय मंत्री जी उस अमली परेशानी को देखें जो सामने आयेगी । मौजूदा विधेयक के हिसाब से रबी में छूट दी जाएगी खरीफ में छूट नहीं दी जायगी । इसी विधेयक में लिखा कि ५० लाख रुपये की आमदनी छटनी से होगी जो वसूलयाबी में अमीन और चपरासी लगे हुए हैं उनकी छटनी भी की जायगी । ७५–८० फीसदी किसान छोटे हैं । अगर आप रेकार्ड देखें तो हर अमीन, चूंकि उस पर तहसीलदार का दबाव होता है अपनी डिमांड जल्दी से जल्दी पूरी करो इसलिए आम तौर पर प्रैक्टिस यह होती है कि छोटे-छोटे खातों की वसूलयाबी पहले दफा खरीफ की फसल की वसूलयाबी में ही कर लेता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

आज १५ दिसम्बर से सीजनल चपरासी रखे गये हैं । कल से दो चपरासी और एक अमीन हर गांव में जायेंगे । उनका तरीका यह है कि छोटे खातों की वसूलियाबी बेबाकी के इंटरेस्ट में अभी कर लेंगे । उसको रोक नहीं सकेंगे । दूसरे अमीन यह भी सोचेगा कि छटनी में आ रहे हैं नाजायज तरीके से जितना पैसा इकट्ठा हो सके वह भी करले तो बेहतर है । वह पूरे कलेक्शन डिपार्टमेंट को मौका दे रहे हैं छः महीने का कि इन छः महीनों जितना रुपया गरीब किसानों से इकटठा कर सकते हो कर लें । उसके बाद उस गरीब किसान के लिए भागने दौड़ने का रास्ता खुल जाय । सीधी सी बात है कि आज की तारीख से सीजनल वसूलियाबी शुरू होती है । आज यहां ऐलान कर दें कि खरीफ की बिलकुल वसूतियाबी नहीं होगी तो कोई अमीन वसूलियाबी करने नही जायगा । आठ नौ महीने आप को मिलेंगे, रेकार्ड बनवाइये । जब रबी का आन्दोलन आये तो उस वक्त जो भी किसान ४० बीघे का हो जिससे वसूलियाबी हो उससे लगान ले लें । लेकिन अगर किसान के दिलो दिमाग में यह बात नहीं बैठा पाएंगे कि १६ दिसम्बर से जमीन लगान लेने नहीं आयेगा तो वह फंस जायगा । अमीन और चपरासी उसको फांस देंगे और वह जगह-जगह तहसील में चक्कर काटता फिरेगा । अगर आप वाकई रिलीफ चाहते हैं तो आज से ऐलान कीजिये कि कल १६ दिसम्बर से कोई अमीन और चपरासी वसूलयाबी के लिए नहीं जायागा । यह बहुत आवश्यक है । इसलिए यह अमेंडमेंट जोड़ दें कि १३७८ फसली की खरीफ के फसल से माफी होगी ।

दूसरे, आपने इसमें यह लिखा है कि सवा छः एकड़, ४० बीघे से कम जो भूमिधार और सीरदार हैं उनको छूट मिलेगी । मैं समझता हूं कि इसके अन्दर आप यह करें कि किसी भी श्रेणी का काश्तकार हो जो भी मदद सरकार को देनी है उसको वह मदद मिले । सवा छः एकड़ से नीचे वाले को अमीन और चपरासी से मुक्ति मिले । कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनकी वसूलियाबी अमीन चपरासी ही करते हैं । इसमें यह बिल्कुल साफ करना चाहिए जो सीरदार किसी भी श्रेणी का काश्तकार है जिसकी वसूलयाबी सरकारी अमीन के द्वारा होती है वह उससे मुक्त हो जाय ।

मैं तीन चार बातों की ओर और कहना चाहता हूं । इस सिलसिले में एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जमींन का १९८ का आधार आपने बनाया है कि हाकिम परगना, कलेक्टर को अधिकार रहेगा कि सरप्लस जमीन लैंडलेस को दे । यह ठीक है लेकिन इसका प्रैक्टिकल पहलू भी आपको सोचना चाहिये । जिस गांव में भी सरप्लस जमीन है वहां पर जब तक तहसीलदार मौके पर जाकर जमींन बांटेगा नहीं और कब्जा नहीं करायेगा तब तक आपका बटवारा बेकार रहेगा । मिसाल के तौर पर मेरे मुरादाबाद में एक गांव गोबर्धनपुर है वहां पर ८ हरिजनों के परिवार को २०, २० बीघा जमीन मिली हुई है लेकिन चौथा दिन है वह कह रहे थे कि जमीन मिली है, ३ साल से लगान अमीन ले जाता है, हर साल रसीद दे जाता है, फिर भी उस पर उनका कब्जा नहीं है । उस जमीन पर गांव के बड़े-बड़े जमींदारों का ही कब्जा है जिनके पास कि हजारों एकड़ के फार्म्स हैं । तो यह प्रैक्टिकल एसपेक्ट है । जब तक आप सरप्लस जमीन का हाथों हाथ बटवारा नहीं करेंगे और कब्जा नहीं करायेंगे तब तक यह अमली बात नहीं होगी ।

आप ने कहा है कि जिन लोगों ने अनधिकृत कब्जे किये हैं उनके बटवारे का प्रयास किया जायगा । ठीक है लेकिन कैसे आप इसको अमल करायेंगे । मेरे यहां आंवला घाट गांव में चकबन्दी हुई । २३ एकड़ जमीन सरप्लस निकाली गई लेकिन वहां पर जो कुंवर साहब हैं उनके फार्म के बीच में वह जमीन पड़ गई है । उन्होंने वह जमीन अपने कब्जे में कर ली है । उनका ट्रेक्टर उस पर चल रहा है । तो यह कैसे हो गया कि गांव की सारी सरप्लस जमीन एक ही जगह पर पड़ गई । जब मैंने डी० एम० से कहा कि सारे गांव की बचत की जमीन एक ही जगह पर छूट गई है तो कोई उत्तर नहीं दे सके । अगर यह जमीन किसी हरिजन के कब्जे में होती तो अनअथाराइज्ड कब्जे के नाम पर उसको बेदखल कर दिया जाता लेकिन वह कहते हैं कि हमने डी० जी० आर० के पास यह मामला भेजा है कि बेदखल करावें । अगर आप चाहते है

कि जो फाजिल जमीन है उसका हाथों साथ बटवारा हो तो तरीका यह है कि कानून को इफेक्टिव बनाया जाय और डी० एम०, हाकिम परगना और तहसीलदार को यह इख्तियार होना चाहिये कि वह मौके पर जाय और जमीन बांटने के बाद कब्जा कराये ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चकबन्दी का कानून बना है उत्तर प्रदेश में रहने वाले हरिजनों और लैंजलेस लेबर की बदकिस्मती है कि उनको चकबन्दी की जमीन मिलेगी या नहीं है। चकबन्दी खतम भी हो रही है और इस ऐक्ट में अब तक बीसों अमेन्डमेंट हुए है लेकिन यह संशोधन नहीं किया गया कि गांव की चकबन्दी के कारण जो फाजिल जमीन है वह नक्शा २३ के समय यदि वहां हरिजन रहते हैं या लैंडलेस लेबर रहता है, तो उसी वक्त उसका चेक कट जाना चाहिये । और उसे बतला देना चाहिए कि तुम लैंडलेस हो, तुम हरिजन हो और गांव के अन्दर ८ परसेंट जो जमीन सरप्लस है, उसके बांटने में तुमको प्रायरिटी दी जा रही है और तुम्हारा यह चेक कट गया और तुम्हारा यह लगान बंध गया। लेकिन चकबन्दी के बीच में आपने यह व्यवस्था नहीं की । इस तरह से क्या आप ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि लैंडलेस को और गरीब हरिजनों को गांव की सरप्लस जमीन मिल सके इसमें मुझे शक और सन्देह है ।

आप जरा इसका सर्वे तो करा लें कि आपकी पूरी तहसील में कितने लोगों ने जमीन खरीदी बैनामे हुए, और उन्होंने हलफनामे दाखिल कर दिये कि समस्त उत्तर प्रदेश में हमारे पास साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है । लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा लें और देखें कि जिन लोगों ने हलफनामे दाखिल किये हैं कि हमारे पास समस्त उत्तर प्रदेश में साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, क्या यह सच है ? मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास ३०–३० और ४०–४० एकड़ तक जमीन है और उन्होंने एक जगह बैठे-बैठे एक-एक दाखिल खारिज के लिये ३०–४० रुपये देकर अपने नाम दाखिल खारिज करा ली है । इसके लिये उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी ने जांच पड़ताल भी नहीं की कि उसके पास साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन है या नहीं है, जब यह पोजीशन है आपके कानून की तो फिर आगे क्या होगा ।

एक व्यवस्था आपने यह की है कि लगान रहेगा, जमाबन्दी रहेगी, बही खाते में रसीद देना होगा और उसके अन्दर लगान लिखा रहेगा । इस तरह से मैं समझता हूं कि उसके ऊपर आप थोड़ा और बोझ बनाये रखना चाहते हैं और वह सोच सकता है कि इस साल तो सरकार ने लगान नहीं लिया लेकिन कहीं अगली फसल में वह वसूल न कर ले । इसके लिये जरूरी है कि कुछ न कुछ उसका वैल्यूएशन हो ताकि वह कहीं जमानत दे सके या कहीं लोन लेना हो तो उसके लिये वह कह सके कि उसकी जमीन की कीमत इतनी है । अगर लगान के कालम में केवल छूट लिखा रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा ? उसमें यह लिख देना चाहिये कि चूंकि ४० बीघे से कम जमीन है इसलिये लगान में छूट है लेकिन उस जमीन का वैल्यूएशन रेकार्ड में होना चाहिये जिससे आगे चल कर किसान किसी परेशानी में पड़े—चाहे जमानत देने की बात हो, चाहे लोन लेने की बात हो ।

अब मैं ११५ डी० के बारे में कुछ कह दूं । वह इतना इनअफेक्टिव है कि ग्राम मझौली, परगना बिलारी, जिला मुरादाबाद में सन् ६२-६३ में ग्राम समाज की जमीन पर अनअथाराइज्ड कब्जा कर लिया गया और उस पर अपने मकान बना लिये, कुछ लोग तब से तमाम कोर्ट में मुकदमें लड़े जा रहे है । हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ गया और जिन लोगों नें अनअथाराइज्ड कब्जा किया था वे हाईकोर्ट से हार गये लेकिन ११५ डी व सी के अन्तर्गत उनके वे मकान नहीं गिरवाये जा सके और न एक जमीन की सफाई कराई जा सकी । कहा गया है कि ११५ डी और सी के अन्दर कानून बनाने की बात होगी और सारी चीजें सामने रखी जायेंगी । एक बार में फिर माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो पट्टेबाजी होती है, जो फर्जी ओआपरेटिव

[श्री रियासत हुसैन]

सोसाइटीज बनी हुई है उनकी भी जरा जांच करा लें कि वाकई में वह कोआपरेटिव सोसाइटी है भी या नहीं है या केवल जमीन को हड़प करने के लिये ही ये सोसाइटीज बनाई गयी है ।

मेरे पड़ोस में ही एक लक्ष्मीपुर ज्वाइंट कोआपरेटिव सोसाइटी है, पता नहीं वह सोसाइटी है कहां । लेकिन उस सोसाइटी के नाम ३४ एकड़ जमीन है जिसे प्रधान और लेखपाल ने गलत तौर से पैसे लिखकर पट्टा लिख दिया है । चूंकि वे लोग शहर के रहने वाले हैं इसलिये मुकदमें लड़ रहे हैं और इस तरह से सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, रेवेन्यू कोर्ट में भी मुकदमा लड़ रहे हैं, गरज यह कि कोई कोर्ट उन्होंने छोड़ा नहीं है । इस तरह से जो वहां के १८ हरिजन लैंडलेस लेबर है और जिनके दखल में वह जमीन होनी चाहिये थी वे काफी परेशानी में हैं । आखिर यह क्या है, एक तरफ तो कानून है कि लैंडलेस को जमीन दी जाय लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, वे आदालतों में जाकर उनसे टक्कर कैसे ले सकते है । इसका नतीजा यह होगा कि किसी न कि किसी दिन अदम पैरवी में मुकदमा खारिज । मुकदमे के लिये आवाज लगी और कोई हाजिर नहीं हुआ तो मुकदमा खारिज हो जायेगा । कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम पर वे ३४ एकड़ जमीन के मालिक बने हुए है, एक दिन उन पर ९१ रुपये का लगान भी बंध जायेगा ।

श्रीमन्, यदि आप चाहते हैं गरीब हरिजन के हक की रक्षा करना, जो हमारा आपका फर्ज है, और अगर हम प्रगतिशील बनना चाहते हैं तो इन सारी बातों की तरफ ध्यान देकर अभी से ऐलान करें कि १६ तारीख से कोई अमीन या चपरासी गांव में लगान वसूल करने नहीं जायगा ।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस भूमि संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं लेकिन कुछ बातें मुझे अपने क्षेत्र की विशेष रूप से कहनी हैं । हमारा मिर्जापुर क्षेत्र बहुत पिछड़ा है । यों तो सवा छः एकड़ पर लगान की छूट देकर, समाजवाद का नारा तो लगाया जाता था लेकिन आज उसका पहला दिन है, गरीबों को राहत दी गयी है । मिर्जापुर का राबर्ट्सगंज और दुद्धी क्षेत्र ऐसा है जहां ब्रिटिश काल से लेकर जमींदारी विनाश के बाद भी सेटिलमेंट नहीं किया गया । वहां जो हरिजन आदिवासी हैं उन्हें बेदखल किया जा रहा है । जब मैं उधर बैठता था तो मैंने आग्रह किया था कि यह बहुत अहम समस्या है, सेटिलमेंट नहीं किया गया है, पैटाइम होनी चाहिये लेकिन वह सब कुछ नहीं हुआ और उनकी जो जमीन है वह ली जा रही है । मेरा राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां के लिए कोई ऐसा नियम बनावें कि जिस जमीन पर वह गरीब हरिजन बसा हुआ है वह उसके नाम कर दी जाय । वहां की जमीन वन विभाग ले रहा है और एक एक दिन में पांच पांच सौ सात सात सौ मुकदमें लगाये जाते हैं । नतीजा यह है कि मुकदमों की तो सुनवाई होती नहीं केवल तारीख बदल दी जाती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जमीन जो वन विभाग ले रहा है इसमें हस्तक्षेप करें और वहां के मुकदमों को स्टे करवायें । वह पहाड़ी क्षेत्र है और रेश्यों एक एकड़ और डेढ़ एकड़ का रखा गया है । वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है । इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां रेश्यो कम से कम एक और दो का रखा जाय । इन शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन और करना चाहता हूं कि वहां चकबन्दी हो रही है जिसमें यह देखा गया है कि जो हरिजन आबादी है वह दर्ज नहीं की जाती है । इसलिये उन हरिजनों के लिए भी थोड़ी जमीन रखी जानी चाहिये, ऐसी कुछ व्यवस्था की जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आज जो बिल सदन में पेश हुआ है वह स्वागत करने लायक है । हमारे बहुत से साथियों ने इसका स्वागत किया है परन्तु जब स्वागत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करने का सवाल लेते है इसमें हमारे एस० एस० पी० के भाइयों का नाम अधिक होता है जिस कारण हमारे कुछ भाइयों को इससे कुछ रंज होता है कि इसमें हमारा नाम नहीं लिया जा रहा है परन्तु यह सवाल ऐसा था कि समारे एस०एस०पी० के भाइयों का इसमें एक नारा था कि यह हो इस कारण मैं अपने उन भाइयों को धन्यवाद देता हूं।

इसी सवा ६ एकड़ वाले मसले को लेकर ही समारी पिछली संविद की सरकार से वे अलग हो गये थे और वह सरकार फेल हो गई थी। आज भी वही सवाल फिर उनके सामने था। एस० एस० पी० के भाइयों के दवाव देने के कारण और सरकार को बचाने के लिये अन्य घटकों ने भी इसको स्वीकार कर लिया। यद्यपि वे दिल से इसको मंजूर नहीं करते हैं। मंत्री जी ने कहा है कि यह बिल जो पेश किया गया है वह प्रदेश के गरीब किसानों के हित में है, प्रदेश की गरीब जनता का भला करने के लिये है और इसीलिये इसको उन्होंने पेश किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से सवा ६ एकड़ लगान माफ करने से देश के गरीब किसानों का भला हो जाय यह कहना ठीक नहीं है।

देश के अन्दर ऐसे बहुत से लोग हैं जो गावों में जाकर मजदूरी करते हैं और उनक पास एक बिस्वा भूमि भी नहीं है। उनकी हालत बहुत ही खराब है। ऐसे मजदूरी करने वालें मजदूर हमारे प्रदेश में कितने हैं। मान्यवर, इनको संख्या बहुत अधिक हैं वे आधे से अधिक हैं। ऐसी हालत में यह कहना कि मंत्री जी देश के गरीब लोगों का भला करना चाहते हैं ठीक नहीं है। ऐसे लोगों का भला इस प्रकार के बिल के होने वाला नहीं है जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है, जो केवल मजदूरी करते हैं और इससे भी उनका पेट नहीं भर पाता है। यदि मंत्री जी चाहते हैं और उनकी वास्तव में यह भावना है कि गरीबों का भला हो तो इसके लिये उनको अन्य उपाय भी करना होगा। यह तो ठीक है जो आपने किया है और उसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

मैं अन्य ४ घटकों से यह उम्मीद नहीं करता कि वह इस प्रकार का को बिल ला सकेंगे जो इन गरीब मजदूरों का हित कर सके परन्तु एस० एस० पी० से जरूर इस प्रकार की उम्मीद करता हूं कि वह अवश्य इस दिशा की ओर बढ़ेंगे। एस०एस०पी० ने बड़े संघर्षों के बाद अपने उस नारे को साकार रूप प्रदान करवाने में सफलता पाई और उसका सदन में आज एलान कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह ऐसा भी कदम उठायें जिनके पास एक बिस्वा भी भूमि नहीं है उनका भी भला हो सके, उनकी भी गरीबी दूर हो सके। मैं यह चाहता हूं कि आप इसका भी एलान करें कि जो मजदूर खेतों में काम करता है उसको जमीन का मालिकाना हक दिया जाय तभी वास्तविक रूप में उनकी गरीबी दूर हो सकेगी। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस प्रकार का कोई कदम अवश्य उठायें। जो मजदूर गल्ला पैदा करता है वह उठ कर उसी के घर में जाये तभी यह वास्तविक गरीबी का प्रश्न हल हो सकता है। जिस तरह से इतने दिनों की लड़ाई के बाद यह दिन भी आया कि सवा ६ एकड़ का लगान माफ हो रहा है उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस प्रकार का बिल सदन में लायें जिससे उन लाखों करोड़ों मजदूरों का भी भला हो सके। जो मजदूर खेत में काम करता है वह गल्ला पैदा करके अपने ही घर में ला सके तभी हमारे प्रदेश की गरीबी दूर हो सकती है।

जब वह आन्दोलन करते हैं तो आप उन्हें नक्सलबाड़ी के नाम पर उनको दबाना चाहते है, वह आपके बस की बात नहीं है। अब गरीब लोग सोचने लगे हैं और संगठित आपनीं मांगों को मनवाने के लिये तैयार हो गये हैं। आपके चिल्लाने से वे लोग रुक नहीं सकते। मैं एक सुझाव माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो बात हमने इस वक्त बताई अगर वह समझते है कि इसमें कठिनाई होगी, तो एक सुझाव यह है कि गांव समाज के पास जो ८ परसेंट भूमि रिजर्व गरीबों के बटवारे के लिये है मैं चाहता हूं कि उस रिजर्वेशन की जो सीमा है उसको आप तोड़ दें और उन सारी जमीनों को जिनके पास जमीन नहीं है उनके बांट दें। आपने एक शर्त

[श्री छांगुर]

यह लगा रखी है कि बंटवारा के सम्बन्ध बें उसे लेखपाल, तहसीलदार, एस०डी०ओ० से स्वीकृति लेनी होगी तभी जमीन दी जायगी तो श्रीमन, गांव के जो गरीब लोग है वे इस शर्त को पूरा नहीं कर पाते हैं । शर्त तो वही पूरा करते हैं जो गांव के बड़े-बड़े आदमी हैं । वही लोग तहसीलदार को खुश कर सकते हैं या और जो बड़े-बड़े अधिकारी है उनको खुश कर सकते हैं । इसलिये म यह चाहता हूं कि आप यह शर्त तोड़ दें और एक स्वर से एलान कर दें कि जो गांव के अन्दर जमीन है उसको गरीब आदमी कब्जा कर सकता है जिनके पास जमीन नहीं है । और अगर गांव के आदमी उसको ऐसा करने से रोके तो पुलिस उन पर मुकदमा चलावे । लेकिन होता इसका उल्टा है । अगर वह जमीन के पास जाते हैं तो उल्टे मुकदमा उनके ऊपर चल जाता है ।

एक मिनट अ.र लूंगा मैं श्रीमन् । यह जो जोत बही की कीमत का सवाल है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं । अगर उसकी कीमत सरकार निर्धारित करेगी तो इससे गांव में वे गरीब लोग जो लगान २ आने, ४ आने, या ८ आने देते हैं वह जोतवही की कीमत नहीं दे पावेंगे । जितनी लगान की माफी नहीं होगी उससे ज्यादा वह जोत बही की कीमत देंगे । इसलिये श्रीमन् जोत बही की कोई कीमत सरकार निर्धारित न करे और उनको मुफ्त में बंटवाई जाय जिससे गरीबों पर उस का भार न पड़े ।

*श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं विरोधी दल के लोगोंको भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सवा छः एकड़ पर लगान साफी के सम्बन्ध में इस विधेयक का समर्थन किया और स्वागत किया । लेकिन वह समय गुजर गया और कहने की बात रह गई । जब वक्त था श्रेय लेना था उस समय आप लोगों ने श्रेय नहीं लूटा । उस समय तो सवा ३ एकड़ पर ही चर्चा करके खामोश हो गये । मैं माननीय रियासत हुसैन को भी धन्यवाद देता हूं कि जब सवा ६ एकड़ वाली बात आई तो उन्होंने प्रवर समिति में भेजने की बात कही और आज मैं सवा ६ एकड़ लगान की माफी के सिलसिले में छोटे बड़े सभी को पहचान गया हूं कि कितनी हमदर्दी है उन लोगों को है गरीब आदमियों के साथ । जब मुझे कुछ कहने का और मौका आयेगा तो मैं कहूंगा, लेकिन आज भी कुछ कहूंगा । सवाल यह है कि महात्मा गांधी के आशीर्वाद से या डा० राम मनोहर लोहिया के आशीर्वाद से या माननीय चन्द्र-भानु गुप्त, माननीय चरण सिंह या कमलापति जी के आशीर्वाद से सवा ६ एकड़ लगान माफी का जो प्रस्ताव आया है उसके लिये मैं इन सभो माननीय नेताओं को धन्यवाद देता हूं और खासतौर से अपने मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

सवा ६ एकड़ लगान माफी के संबंध में जो चर्चा त्रिपाठी जी ने की है कि २२ करोड़ रुपया गरीबों पर से लगान का बोझ हट जायगा लेकिन वह रुपया आयेगा कहां से जब कि विकास का कार्य करना है ? इसके लिए हमारी सरकार सबल है । वह सोच करे बैठी है, हिम्मत लेकर बैठी है और वह सारे घाटे को पूरा करेगी । इसके लिये उनको विशेष चिन्ता न करना चाहिये । यह चिन्ता करते-करते गरीबों के तमाम कामों को लोगों ने पिछड़ा दिया । योजनायें अरबों की होती हैं और यह २२ करोड़ रुपया तो दाल में नमक के बराबर होता है । उसके समाप्त हो जाने से कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है न देश का न प्रदेश का और न प्रगति से संबंधित । ये सब दलीलें युक्तिसंगत नहीं मालूम होती हैं । इससे गरीबों में बड़ी चेतना आयेगी । जो लोग यह कहते हैं कि विश्वास उठ जायगा, हमारे खेत कैसे रहेंगे जब लगान नहीं देंगे लेकिन मैं जहां तक समझता हूं जब लगान समाप्त हो जायगा तब किसान समझेगा कि वह खेत का अकेला मालिक है । जैसे मकान में कोई रहता है और किराया देता है तो असल मालिक तो किराया लेने वाला होता है, देने वाला नहीं होता और जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किराया समाप्त हो जायगा तो मकान में रहने वाला आदमी समझेगा कि यह इसी तरह से यह सरकार समझती थी कि यह जमीन उसकी है लेकिन जिस दिन लगान लेना समाप्त कर दिया जायगा गरीब समझेगा कि निश्चित रूप से जमीन का मालिक वह है ।

लगान का लिया जाना समान्तवादी मनोवृत्ति का परिचायक था । यह लगान मेरी राय में तो उत्तर प्रदेश के सभी किसानों पर से हटा दिया जाय । लगान अमेरिका, रूस अथवा जापान में कहीं भी नहीं लिया जाता है और किसी भी देश में जमीन का किराया किसान से वसूल नहीं किया जाता है । जब तक जमीन का किराया सरकार वसूल करती है तब तक किसान अपने को जमीन का मालिक घोषित नहीं कर सकता । इसलिये मैं तो सवा छै एकड़ पर से और समूचे किसानों के ऊपर से लगान का बोझ हटवा देना चाहता हूं, यह मेरी हार्दिक इच्छा है और तभी किसान खेती में तरक्की कर सके । सिंचाई का रेट भी कम होना चाहिये और खाद भी उसको सस्ती उपलब्ध होनी चाहिये तभी किसान खेती में प्रगति करेगा और पूरे देश के अन्न संकट को दूर कर सकेगा । इसके अलावा भी खेती में प्रगति हो सकेगी कि जिनके पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं उनकी सीलिंग की जाय ।

बड़े फार्म वाले सोचते होंगे कहीं यह २२ करोड़ रुपये का बोझ उन पर न डाल दिया जाय । इसमें कोई हर्ज भी नहीं है क्योंकि सारी चीजों का फायदा अब बड़ा किसान ले लेता है और छोटा किसान तरसता रह जाता है । अगर उनके ऊपर २२ करोड़ लाद दिये जायं तो कोई हर्ज की बात भी नहीं है । लेकिन मैं तिवारी जी से तथा कमलापति जी से जो बड़े-बड़े फार्मस को जोतने वाले हैं उनसे कहूंगा कि उनके ऊपर ज्यादा बोझा चला जायगा, ऐसा नहीं होगा, उनके साथ हम लोग रियायत करेंगे । यहां पर सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं लेकिन आज साबित हो जायगा कौन गरीब का हमदर्द है और कौन अमीर का पक्षपाती ? थोड़े ही दिनों में सारी स्थिति साफ हो जायगी और गरीब इस बात को आज समझ रहा है कि कैसे लोग आज शासन में हैं और क्या-क्या कर रहे हैं ? अब सभी का परदा फाश होने वाला है बहुत जल्दी ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन के बटवारे की बात जब आती है तो यह नारा लगाया जाता है कि धरती बटेंगी बिना मुनाफे, खेतीबाड़ी उस पर नल गेगी मालगुजारी तब बड़े लोगों का दिल तिलमिला उठता था । आज ऐसा अवसर आ गया है, आज ऐसी मजबूरियां आ गई हैं जिससे सभी लोगों को समर्थन करना पड़ रहा है । मैं यहां पर एक शेर आपको कहना चाहता हूं ।

खुशी क्या शय है पूछना चाहिये उस शख्स के दिल से ।
तमन्ना जिसकी निकली हो, मगर निकली हो दिल से ।।

इस सवा छै एकड़ लगान माफी के बाबत एस०एस० पी० के जो कारनामें रहे हैं, इस संबंध में पिछला इतिहास क्या बताता है कि मेरे जैसा आदमी इसके पीछे गोरखपुर जेल में डंडा खाया हूं । १३/१४ बार जेल गया हूं और बाद में भी अनेकों बार जेल में गया हूं और यह उसी जेल में जाने का परिणाम है । तो मैं फिर से वही शेर दुहराना चाहता हूं ।

खुशी क्या शय है पूछना चाहिये उस शख्स के दिल से ।
तमन्ना जिसकी निकली हो, मगर निकली हो दिल से ।।

यह सवा छः एकड़ लगान माफी की बात हम लोगों के हृदय की पुकार है और इधर के लोगों के दिल की आवाज है । यह आवाज हमारे चन्द्रभानु गुप्ता की, माननीय प्रभु नारायण की और राजनारायण जी की है । अन्त में मैं उनको तथा विरोधी पक्ष के सभी नेताओं को जो उधर बैठे हैं तथा सभी माननीय सदस्यों को धन्यबाद देता हूं और इस प्रस्ताव का हृदय चे समर्थन करता हूं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । मैं अपने माल मंत्री जी को उसी प्रकार इस विधेयक के लाने में धन्यवाद देता हूं जैसे कि ३२ दांतों के बीच यदि जिह्वा कुछ बोलने की चेष्टा करे तो वह अपनी बाणी निकाल ही देती है । मान्यवर, इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि भूमिहीन का केवल मर्यादा से ही नहीं बल्कि नाम से भी उसका शोषण हुआ है । उसके नाम की आज २० वर्ष में बिक्री हुई । भूमिहीन के लिए हम लोग प्रस्ताव करते आये हैं, उनके साथ वायदे करते आये हैं कि तुम्हारे लिये यह करेंगे । जैसा कि अभी यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा है कि यहां तो लगान देना उसका अधिकार होता है, स्वामित्व नहीं मिलता है । इसका कारण यह है कि जो भूमिहीन भूखा है, पीड़ित है उसको आप आखिरी में रखते हैं । उनके साथ अभी तक जो अन्याय होता आया है उनका कहना है कि इस विधेयक को लाने से उसका किसी हद तक समाधान हो जायेगा । किन्तु मान्यवर, वह स्थिति वहां पर वैसी की वैसी इस विधेयक में है । आप इसके क्रम में देख सकते हैं । मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह बेचारा जो नहर के टेल का आदमी होता है भूमिहीन खेतिहर मजदूर, वह इस विधेयक में सबसे आखीर में है । स्पष्टीकरण में भूमिहीन और खेतिहर के दो भाग किये गये हैं ।

मान्यवर, भूमिहीन की जो परिभाषा की गई है उसके अन्दर पति, पत्नी और उसके बच्चे लिये जाते हैं, पिता नहीं लिया जाता है और वही एक कारण है जिसकी वजह से भूमिहीन को भूमि का हक नहीं मिलता है क्योंकि पिता के नाम जमीन होती है और पुत्र के पास अगर जमीन नहीं है तो उसकी पत्नी और लड़कों के पास जमीन नहीं होती । उसका पुत्र भूमि-हीन कहलाता है । अतः उसके अन्दर "पिता" शब्द को भी जोड़ देना चाहिये, यदि सरकार चाहे कि शोषण को रोकना है ।

मान्यवर, बल प्रयोग के लिए धारा २ में यह प्राविधान किया गया है कि अगर किसी जमीन के बटवारे से आपत्ति हो तो वह कलेक्टर के यहां अपने मामले को पेश कर सकता है । और अगर कलेक्टर संतुष्ट हो जाय तो वह जमीन ग्राम समाज को लौटा दी जायगी । और वह बल प्रयोग कर सकता है । मैं पूछना चाहता हूं कि वह भूमिहीन जिसके पास कोई अपना मूलधन नहीं है, जो सुबह से शाम तक पिस कर अपना पेट पालता है, उसकी क्या सामर्थ्य है कि वह फीस देकर अदालत में मुकदमा लड़ सके, कलेक्टर के पास जा सके ? वहां तो वही लोग जायेंगे जिनके पास धन है और साधन है । अब जमीन तो ग्राम समाज को लौटा दी जायगी और अगर वह किसी प्रकार का बल प्रयोग करता है तो ऐसा होगा जैसा कि माननीय रियासत हुसेन साहब ने कहा । जैसा कि माल मंत्री जी ने कहा कि हम को तो गरीबों का खूंटा गाड़ना है । लेकिन आज गरीब यह महसूस नहीं करता है कि यह सरकार उसकी सरकार है । जब वह अपने अधिकारों के लिए अदालत में जाता है कि उसके पास वकीलों को देने के लिये पैसा नहीं है । जब वह किसी छोटे अधिकारी के पास जाता है तो उसको देने के लिये भी उसके पास पैसा नहीं है, इसलिये छोटे अधिकारी का दरवाजा भी उसके लिये बन्द हो जाता है । जब वह ऊपर के अधिकारी के पास जाता है तो बड़े-बड़े राजनैतिक लोग उसके विरुद्ध पहुंच जाते हैं, अतः वहां उसका दरवाजा बन्द हो जाता है । इसलिये आज भूमिहीन महसूस करता है कि यह सरकार उसके लिए नहीं है, सत्ता उसके लिये नहीं है । मैं चाहता हूं कि भूमिहीन यह महसूस करे कि सत्ता उसके लिये है । जहां तक बल प्रयोग की बात है, अगर कलेक्टर संतुष्ट हो जाय तो उसको स्वयं बल प्रयोग करके भूमिहीन को कब्जा दिलाना चाहिये । कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक कर दिया जाय कि वे भूमिहीन को जमीन का कब्जा दिलायें । अगर वह कब्जा नहीं दिला पाता है तो उसका जवाब तलब किया जाना चाहिये और इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होनी चाहिये ।

खरीफ से मालगुजारी माफ करने के लिए अनुरोध किया गया । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली जुलाई में ही बाढ़ का कैसे तांडव नृत्य हुआ था । हजारों घर बह गये थे, लाखों आदमी बेघरबार हो गये थे । बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास २–४ बीघा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए खरीफ से ही मालगुजारी को माफ कर दिया जाना चाहिये । उस सरकारी पक्ष में भी राजितराम सरीखे लोग जब मौजूद हैं तो हमें पूर्ण आशा है कि वे लोग अवश्य ही खरीफ वाले प्रस्ताव के लिये सरकार को राजी करा लेंगे । मैं आशा करता हूं कि सब लोग सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

अभी माननीय बसन्त लाल जी शर्मा ने राज्य की परिभाषा बतायी उसमें उन्होंने जो कुछ बताया उससे मैं यह जरूर कह सकता हूं कि उसमें एक चीज जरूर छूट गयी है, उसमें वैलफेयर मिसिंग है । लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि इस प्रतिद्वन्दिता में माननीय मंत्री ने मंत्रिमंडल के घटकों में विरोधाभास होते हुए भी इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करा लिया । इसका मुझे हर्ष है ।

मान्यवर, नाई के बाल काटने की बात थी । (लाल बत्ती होने पर) दो मिनट का हमें समय और दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्षमा करें । अब समय नहीं है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मैं अनुरोध करता हूं कि अभी शहरी जमींदारी समाप्त नहीं हुई और कोर्ट आफ वार्ड्स की भी कायम है । माल मंत्री जी इसको समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठायें । आज जिसके पास सवा बारह एकड़ जमीन है वह एक जनरेशन के बाद अनइकोनोमिक होल्डिंग हो जायेगी । इसके पीछे समाजवाद का सिद्धांत रखना होगा । हमें भूमि का सोशलाइजेशन करना होगा । जब तक भूमि का सोशलाइजेशन नहीं होगा तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है । इस दृष्टि से भूमि सुधार विधेयक को लाना आवश्यक होगा ।

श्री विजयबहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है. . .

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, विवाद के लिए समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है ।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मान्यवर, ऐसा है कि इस समय साढ़े तीन बज गये हैं और आज इस विधेयक को पास होना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ५-५ मिनट के अन्दर आप लोग अपनी बात रख लें ।

*श्री विजयबहादुर सिंह--

मान्यवर, आज विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक दिन है। जो महापुरुष इसका प्रणेता था वह अपनी अंतिम सांस तक सवा छै एकड़ की बात बराबर कहता रहा। आज इस प्रदेश में यह विधेयक रखकर हमने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है इसके लिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी तथा इस सरकार को बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि जो विधेयक पेश हुआ है, मैं उसकी तुलना केंद्रीय सरकार के काले कारनामे से करना चाहता हूं जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा प्रिवीपर्सेज का मामला किया गया। यह बड़े २ राजा और महाराजाओं के महलों से यह चीज आई है। लेकिन आज जो विधेयक है उसका परिणाम गरीब किसान और मजदूरों के ऊपर है। इससे निश्चय ही उनको साहस मिलेगा और उनके कदम आगे बढ़ेंगे।

मान्यवर, मुझे अत्यंत खेद है और यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज डाक्टर लोहिया साहब नहीं रहे अन्यथा आज जो चीज की गई है, यदि वे जीवित होते तो निश्चय ही वे हमारे सामने तत्काल कोई ऐसी चीज रखते जिससे गरीबी मिट जाती, बेरोजगारी मिट जाती। आज जो सवा छै एकड़ पर लगान माफी का निर्णय किया है उसके साथ ही साथ हम लोगों को यह भी निश्चय करना चाहिये कि हर खेत तक पानी पहुंचाया जायेगा। इसके लिये प्रबन्ध करना चाहिये चाहे इसमें अरबों रुपया क्यों न खर्च हो। यदि हम खेतों को पानी नहीं देंगे, अच्छी खाद नहीं देंगे और अच्छे बीज नहीं देंगे तो गरीब बराबर गरीब बना रहेगा और गरीब किसान अपने खेतों को कभी भी लाभकारी नहीं बना सकता है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं और इसके साथ ही साथ माननीय लोहिया जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं क्योंकि वे इसके प्रणेता थे।

(श्री रामचन्द्र विकल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामगोपाल संड--

श्रीमन, दो मिनट का समय मुझे दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो बोल चुके हैं।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से माननीय माल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को आज अपने द्वारा पेश किया है। कराची कांग्रेस से ले कर आज तक के इतिहास की कुछ चर्चा माननीय माल मंत्री जी ने भी की और माननीय नेता विरोधी दल ने भी इस बीच में किन-किन पार्टियों का क्या क्या सहयोग रहा किसान की सवा ६ एकड़ और अलाभकर जोतों पर से लगान माफ कराने में वह सारा इतिहास माननीय नेता विरोधी दल और माननीय माल मंत्री जी भी बता चुके ह, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। जहां मैं माल मंत्री जी को बधाई दे रहा हूं इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के लिये जिसकी पृष्ठभूमि में अनेक सरकारों का आवागमन हुआ है वहां मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी इस सवाल पर हमेशा से अपना एक दृष्टिकोण रखती रही है। चाहे वह पहली संविद रही हो और चाहे आज की संविद रही हो यह श्रेय विशेषकर एस० एस० पी० को जाता है, इसमें कोई दो रायें नहीं है। मैं आज इस बात के लिये इस सरकार के समस्त दलों को भी बधाई देना चाहता हूं कि चाहे उनके कोई भी मतभेद रहे हों, चाहे वे इस सवाल को चाहते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हों या न चाहते हों, चाहे उनके दलों की कोई भी स्थिति रही हो मगर आज इस प्रस्ताव को वह सर्व-सम्मति से लाये हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि सवा ६ एकड़ का लगान, जिस पर इतने बड़े राजनैतिक परिवर्तन हुये और उसके बाद आया, यदि इस देश में मेहनत करने वाले किसानों और मजदूरों को हमारे राजनैतिक दल पहले से ही समझ लिया करें तो यह मजबूरियों में काम न हुआ करें आज जितनी मजबूरियों के बाद यह प्रस्ताव आया है, जिसको मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं एक और निवेदन इस सदन के सभी दलों के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर देश के अन्दर आर्थिक क्रान्ति लानी है तो मेहनत करने वाले किसान और मजदूरों को साधन और सम्मान देना होगा जिसके बगैर इस देश में आर्थिक क्रान्ति कोई ला नहीं सकेगा।

जिस तरह से आज किसान के सवा ६ एकड़ तक के लगान को आज हम छोड़ रहे हैं वहीं हमें अनेक उन सवालों पर जो कई माननीय सदस्यों ने उठाये हैं गौर करना होगा। अभी माल मंत्री जी ने रबी से छोड़ने की बात कही और नेता विरोधी दल और लोगों ने खरीफ से छोड़ने के लिये कहा है। मुझे उम्मीद है कि वह खरीफ से इस बात को मानेंगे और वह इसलिये मानेंगे कि वह तो रबी १९६८ से छोड़ने के हामी हैं, अब तो कुछ ज्यादा जा चुका है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, माल मंत्री जी के अंचल में हो या न हो, हमारे पश्चिमी जिलों में पेशगी लगान वसूल कर लिया गया रबी का भी। तो उस पेशगी लगान का क्या होगा इसको मंत्री जी स्पष्ट करें। दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि लगान जो आप रख रहे हैं खाते पर दर्ज केवल इसलिये कि उसको ऋण मिल जाये और उसकी हैसियत जमीन से निकाली जा सकती है। इसको संदेह में आप न रखें कि खाते में दर्ज है तो वह यकीन नहीं आयेगा। उसी बिना पर उसे कर्जा दिया जा सकता है, उसकी जमानत भी मानी जा सकती है। तो यह पैसे की वजह से हैसियत न हो, हैसियत तो जमीन की वजह से होनी चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जोत बही का सवाल बहुत लोगों ने उठाया। किसान को इत्मिनान हो कि वह अपनी जमीन का मालिक है। उसकी कीमत पर भ्रम अभी तक बना हुआ है। अभी तक उस पर ३ रुपये लिखा हुआ है, यह मेरी सही जानकारी है। जिम्मेदार अफसरों तक ने कह दिया कि जो कीमत लिखी है वही वसूल की जायगी अनेक जगह ३ रुपया कीमत वसूल की गई है, आप इसकी जानकारी करायें कि कहां-कहां इस पुस्तिका का एक रुपए के बजाय ३ रुपया देना पड़ा है। यह लोग वहां बड़ी हिम्मत से कहते हैं कि जो लिखा है वही लिया जायगा।

लगान के साथ-साथ इस विधेयक में कुछ और बातें भी जोड़ी गई हैं। यह सही है कि जो जमीन को जोते वही उसका मालिक हो लेकिन इस सिद्धान्त के खिलाफ व्यावहारिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि गरीब आदमी या कमजोर आदमी या जिसके पास लाठी की ताकत नहीं है वह जमीन को जोतने वाला अपनी उस जमीन से तो क्या अपने रहने तक की जमीन से भी हाथ धोता जा रहा है जो जोते वही जमीन का मालिक इसको आप इस पृष्ठभूमि में देखें तो इसका पता करें कि वाकई में जिसके पास जमीन है वह उस की रक्षा कर पाते हैं या नहीं। जहां तक भूमिहीनों का सवाल है, उन को जमीन आप भी दे रहे हैं, विनोवा जी भी दिला रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या वह गरीब बेचारे अपनी जमीन की रक्षा कर पा रहे हैं। इसकी विशेष व्यवस्था होनी चाहिये कि जो जमीन इन गरीबों को मिलती है वह उसके मालिक बने भी रहते हैं या नहीं। उनसे जमीन जबरदस्ती छीनी जाती है और जबरदस्ती कब्जे किये जाते हैं।

आप जरा सरकारी कर्मचारियों के विषय में भी जानकारी करें, अगर आप केवल तहसीलदार और पटवारियों के बारे में ही जानकारी करें तो अनेक शिकायतें आप को मिलेंगी कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन करा ली है। एक पटवारी ने तो अपनी बीबी के नाम ही जमीन लिखा दी और जब उस से पूछा गया तो उस ने यह कह दिया कि इस नाम की मेरी बीबी ही नहीं है उसने साफ इनकार कर दिया कि जमीन उसके नाम हो सकती है लेकिन वह मेरी बीबी ही नहीं है, उसका नाम दूसरा है। ऐसी अनेक घटनायें हुई हैं, अगर आप जांच करायेंगे तो लेखपाल से लेकर

[श्री रामचन्द्र विकल]

तहसीलदार तक, एस० डी० एम० को अभी नहीं कहता, लेकिन सरकारी कर्मचारी कानूनगो तहसीलदार तक कितनी ही जमीनों पर कब्जा कर बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप सरकारी कर्मचारियों और अफसरों पर न रखकर कोई सर्वदलीय समिति बना दें जो इस तरह की भूमि की व्यवस्था को देखे। आप के लखनऊ के पास ही बड़े-बड़े अफसरों के सरकारी फार्म खुले हुये हैं, यह कैसे बन गये, बड़े अफसरों ने किस तरह से यह फार्म बनाये हैं इसकी जांच आप करायें तो आप को मालूम होगा कि इसके पीछे क्या कहानी छिपी है। आपने बड़ा व्यापक प्रश्न लगान के साथ जोड़ दिया है। अच्छा होता उस पर और बहस होती लेकिन चूंकि आज यह ऐतिहासिक फैसला हो रहा है इसलिये मैं इस लगान छोड़ने के फैसले का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं तो कहूंगा कि यह फैसला आज से बहुत पहले हो जाना चाहिये था लेकिन देर आये दुरुस्त आये।

बड़े बड़े राजनैतिक दलों की सरकारें यहीं रही और राजनैतिक उथल-पुथल हुई और बहुत दिन के बाद आज यह चीज इस शक्ल में आई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोगों ने तो यहां तक किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश की और नारा दिया कि "लगान माफ तो जमीन साफ।" लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी बातें करने वाले दल भी लगान की माफी का समर्थन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, मैं तो पहले ही बधाई दे चुका हूं कि जो लोग इस राय के नहीं थे वह भी किसी परिस्थितिवश आज इस राय के हो गये हैं तो वे भी बधाई के पात्र हैं, और इस समय उनको भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि कभी भी कोई अच्छी बात यदि किसी की समझ में आ जाये तो वह उसके लिये बधाई का पात्र है ही। वह प्रशंसा का पात्र हो जाता है। मैं इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के लिये आज सभी दलों को बधाई देता हूं क्योंकि यह एक सर्वसम्मत प्रस्ताव होगा।

जहां तक मुझे आशा है इस प्रस्ताव का शायद ही कोई विरोध करे क्योंकि विभिन्न दलों के द्वारा यह सर्वसम्मति से आ रहा है। जितने विरोधी पक्ष के लोग हैं वे भी इसका समर्थन करते हैं। मुझे इसलिये भी खुशी है कि जो बहुत दिनों से लगान बढ़ाने की बात कहते थे वह भी लगान घटाने पर राजी हो गये और इसके लिये मैं उनको भी बधाई देता हूं। जो लोग सरकार में रहकर अब तक लगान बढ़ाने, आबपाशी बढ़ाने और बिजली की दरों को बढ़ाने के हक में थे, वे भी अब किसानों केलगान घटाने पर आ गये। मैं उनका स्वागत करता हूं। इन शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं माननीय माल मंत्री जी का, उनकी पार्टी का और सदन के सभी दलों का हृदय से आभारी हूं।

श्री कन्हैया लाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)—

श्रीमान्, जो विधेयक मा० राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में मैं अपने २–४ सुझाव भी पेश करूंगा। श्रीमन्, पिछली सरकार के समय में भूमि सुधार मूल्यांकन समिति का गठन हुआ था, जिसकी २–४ मीटिंग्स भी हुयी थीं और उसके बाद कई महीने गुजर गये, उस समिति का क्या हुआ, उसकी मीटिंग की भी कोई सूचना नहीं हुयी, जो हम लोगों ने उसमें कार्यक्रम बनाया था और रूपरेखा बनायी थी कि भविष्य में उसके आधार पर कार्यवाही होगी, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिली। श्रीमन्, उस समिति का मैं भी एक सदस्य था। जब इसकी दूसरी मीटिंग हुयी थी उसमें पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों में जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां जाकर देखें कि किस आधार पर पट्टे हुए हैं, वे सही हुए हैं, या गलत हुए हैं, यह कार्य समिति के लिए रखा गया था। इसलिए मैं माननीय माल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसकी भी जानकारी अपने उत्तर में करा दें।

श्रीमन्, मैं पूर्वी जिलों के ऐसे सैकड़ों हरिजन भाइयों को जानता हूं जिनके पास २–२ बिस्वे भी जमीन नहीं है, बेचारे भूमिहीन हैं और जीविका अर्जन हेतु बम्बई और कानपुर जैसे शहरों में

चले जात हैं और २–२ साल बाहर रहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात की जांच करवायें कि किस प्रकार से यह पट्टे किये जाते हैं, किस प्रकार से खेत दिए जाते हैं, खेती करने के लिए। मैं अपने क्षेत्र हरदोई का जिक्र करूं, वहां पर कई लिखित शिकायतें जिलाधीश को दी गईं कि लेखपाल आदि जो कर्मचारी हैं, व सौ-सौ रुपया लेकर पट्टे कराते है और ग्राम सभा के प्रधान जिनके पास पहले से ही ५-५ सौ या ८-८ सौ बीघा जमीन होती है, वे अपने भाई भतीजों के नाम से गलत पट्टे कराते ह और जो वास्तव में भूमिहीन हैं, विशेषकर हरिजन भाई ही भूमिहीन रह जाते ह। इसलिये मेरा सुझाव है कि जब पट्टे कराने का अवसर आये तो जैसे विकल जी ने कहा कि तहसीलदार मौके पर जायं तो एस० डी० एम० भी मौके पर मौजूद रहें ताकि खतिहार मजदूरों को भूमिहीनों को उनके जीवन यापन लिए भूमि दी जा सके।

श्रीमन्, आज सारे प्रदेश में बाल्मीकि, भंगी या मेहतरों को देख लिया जाय और इसकी जांच करवा ली जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि इस समाज की उन्नति के लिए विशेष तरीके से एक समिति का गठन किया जाय, जो इसकी जांच करें, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनके लिए कोई उद्योग नहीं। कहीं कहीं पर ये लोग सुअर पाल कर जीवन निर्वाह करते हैं। फसल के मौके पर जो मेहतर गांव की सफाई करते हैं, अनाज का एक गठ्ठी अपनी सेवा के मुआविजे में लेकर अपना जीवनयापन करते हैं। प्रदेश भर में यह मेहतर समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि शायद ही खेती के लिए किसी के पास में २-३ बीघा जमीन हो। इसलिए मैं पुनः राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि भूमि सुधार मूल्यांकन समिति का पुनर्गठन करें और यह जानकारी करायें कि इस बाल्मीकी समाज के पास खेती के लिए कोई जमीन है या नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय राजस्व मंत्री को बधाई दूंगा और अपने विरोध पक्ष से नम्र निवेदन करूंगा कि वे संशोधन को वापस लें और जो रबी से लगान माफी की बात कही गई है उसको मान लें ताकि सारे देश में एक चीज लागू हो। "सारी जाती देखिये, आधी लीजै बांट।" जो होने वाला फायदा है गरीब किसानों को, विशेषकर हरिजन समाज को मिले, वह उससे वंचित न रह जाय।

*श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

आपने जो अवसर दिया है उसका मैं आभारी हूं.....

श्री प्रभुनारायण सिंह—

चार बजने में दस मिनट रह गये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो प्रस्ताव रख दिया कि पांच बजे तक चलायें इसलिये मजबूरी है। अच्छा, तो अब इनके (श्री कृष्ण कान्त अवस्थी) बोलने के बाद आप बोलियेगा।

श्री कृष्ण कान्त—

माननीय राजस्व मंत्री के लिये आज दोनो पक्षों से बधाईयों का तांता लगा हुआ है। मैं भी समझूंगा कि मैं इसके लिये बधाई दूं। साथ ही साथ मैं यह चाहूंगा कि अच्छा यह होता कि एक और विधेयक जो ३० एकड़ अधिकतम सीमा निश्चित कर लेता माननीय राजस्व मंत्री द्वारा सदन में आता तो इससे बधाई का तांता उनको और मिलता और समाजवाद की दिशा में उनका कदम उठा होता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण कान्त]

राजस्व मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं उसके सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । इस विधेयक में जो भूमिहीन को जमीन देने का प्रश्न आया है उसके बारे में मैं अपने सीतापुर जिले की मिसाल दे दूं । वहां भूमिहीनो में जो भूमि का वितरण किया जा रहा है वह वहां के लेखपाल और कानूनगो द्वारा २५ रुपये से सौ रुपये लेकर हो रहा है । साथ में जो सीलिंग के पट्टे जारी किये गये थे, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि उन पट्टों को रद्द करके उन पट्टों के भूमिहीनों में वितरित किया जाय । इसके अलावा इस प्रदेश में जहां भूमि की सीलिंग बढ़ाई थी वहां बड़े-बड़े मिल मालिकों के पास हजारों एकड़ जमीन है । मालूम हुआ कि उनके पट्टे दोबारा उनके नाम कर दिये गये थे । मेरा निवेदन है कि मिल मालिकों के पट्टे रद्द करके भूमिहीनों में वितरित किये जायं । भूमिहीनो पर जो मुकदमें चलाये गये हैं, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनके जुर्मानों को रद्द कर दें जिससे भूमिहीनो का उद्धार हो सके ।

मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां पर विधेयक में बहुत सी चीजें आई हैं वहीं पर प्रदेश में नदियों द्वारा जो कटी हुई भूमि होती है वहां पर न किसानों को बसाने की सुविधा मिल पाती है और न वह पैमायश करके भूमिहीनों को मिल पाती है जिससे सैंकड़ों झगड़े बाद में पैदा होते हैं और उन किसानों को न्यायालय में जाना पड़ता है और हजारों रुपया इस तरह से बरबाद होता है । एक बात की ओर मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज समाजवाद की दिशा में कदम उठ रहा है वहां मैं यह भी चाहूंगा कि किसानों के कब्जे में अरसे से भूमि चली आ रही है । जिन किसानों का कब्जा पांच साल तक दर्ज रहा हो उसको सीरदार घोषित करने की कृपा करें । ऐसी स्थिति में जब देश में एक आवाज उठ रही है और दोनों पक्षों में आपस में समाजवाद की होड़ लग रही है, यह लगान का मसला हमारे संसोपा भाई उठा रहे थे परन्तु आज अवसर आया है कि माननीय राजस्व मंत्री द्वारा सदन में यह विधेयक पेश हुआ है और दोनों पक्ष इसको सहर्ष स्वीकृति देने को तैयार हैं ।

*श्री मैनेजर सिंह—

मेरा निवेदन है, मान्यवर, कि इस सदन में आपके द्वारा यह व्यवस्था दी जाती है कि नियमानुसार ही बुलाया जाता है । मुझे अनुभव होता है कि उस स्थान से सूची के आधार पर या जो माननीय सदस्य उस स्थान पर जाते हैं उनको बुलाया जाता है यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यहां पर परम्परा के अनुकूल कार्य नहीं होता है । मैं इसके विरोध स्वरूप सदन से बाहर जा रहा हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया पहले बैठें । मैं मैनेजरसिंह जी से कहूंगा कि वे पहले सुन लें । जो भी मेरे पास मंच पर आये, मैंने उनको बोलने का समय नहीं दिया । डाक्टर अवधेश का नाम भी इसीलिये कट गया कि वे मेरे पास आये थे । जो भी यहां आया, उसका नाम कट गया । जो भी निर्देश सदन देता है उसके अनुसार मैं कार्य करता हूं । आपको इस तरह का लाञ्छन पीठासीन अधिकारी पर लगाना नहीं चाहिये । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आसन ग्रहण करें । न आपने नाम भेजा, न बोलने की इच्छा प्रकट की । अगर आप सदन के बाहर चले जायंगे तो आप सदन का अपमान करेंगे । आखिर आप चाहते क्या हैं ? आप आसन ग्रहण करें । क्या आप चाहते हैं यह सदन आपकी ही इच्छानुसार चले ?

श्री मैनेजरसिंह—

मैंने आपके अवैधानिक कार्य संचालन का विरोध किया है और उसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मैनेजर सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप नहीं जा सकते हैं। इसको मैं सदन का अवमान मानता हूं। मेरी व्यवस्था के विरोध में अगर आप जायेंगे तो इसके लिये कार्यवाही की जायेगी। कल इस पर विचार होगा।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल, तथा उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस अवसर पर मुझे धन्यवाद दिया है, आभारी हूं और उनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि सवा ६ एकड़ की माफी को उनका दल भी चाहता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक के आने के बाद सरकार के राजस्व में जो कमी होगी उससे इस प्रदेश को क्षति पहुंच सकती है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो २२ करोड़ के घाटे की बात कही गयी है, वह वास्तव में ठीक नहीं है। इससे १४ करोड़ की हानि होगी, यानी आय में कमी होगी। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि अपने प्रदेश की जो योजनायें हैं तथा उनके लिये जिन चीजों की आवश्यकता है, यह सरकार उनको कायम रखना चाहती है। इतना ही नहीं, बल्कि योजनाओं को ऐसा बनाना चाहती है जिससे कि इस प्रदेश के किसानों और जनता की तरक्की हो सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

बिना रुपये के।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

यह संविद की सरकार चाहती है कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे किसानों को बिजली और पानी उपलब्ध हो सके। उसके लिये यह मौजूदा सरकार प्रयत्नशील है। माननीय तिवारी जी ने कहा कि बिना रुपये के। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस समय एक तरफ तो वे सवा ६ एकड़ लगान माफी का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी समय उनके दिमाग में यह बात कैसे आयी? एक ओर समर्थन करना और दूसरी ओर उसी समय यह प्रश्न करना यह बताता है कि उनके मन में कहीं दरअसल खोट की स्थिति तो नहीं है। इसलिये मैं उन्हें ही आश्वासन इस समय दे सकता हूं कि जहां तक इस प्रदेश की तरक्की और योजना का प्रश्न है, संविद की सरकार उसमें किसी तरह की कमी नहीं करना चाहती है। साथ ही मुझे इस बात की आशा है जब कभी इस हेतु साधन जुटाने का प्रश्न उठेगा, जैसा कि नेता विरोधी दल ने सदन में कहा है जो सुख-सुविधा प्राप्त वर्ग इस प्रदेश में है, उसपर कोई जिम्मेदारी लादी जाएगी तो सारा विरोधी दल और उनका दल मेरे साथ रहेगा।

नेता विरोधी दल ने एक सुझाव यह भी दिया कि जो बन्दोबस्त है, वह सन १८७५ का है। उस बन्दोबस्त से आज तक की स्थिति में बहुत बदलाव हो गया है। उससे मुझे ऐसा आभास हुआ कि नेता विरोधी दल यह चाहते हैं कि पुनः बन्दोबस्त का सिलसिला इस प्रदेश में लागू किया जाए। फिर से सेटेलमेंट किया जाये। मैं समझता हूं उनकी यह इच्छा होगी कि पानी और बिजली की व्यवस्था होने के कारण जो जमीन में तरक्की हुई है, उसके कारण पहले जो स्थिति थी, उसमें रिसेटेलमेंट जरूरी हो गया है। उनके इस सुझाव की बहुत अहमियत है, उस पर राजस्व विभाग और पूरा मंत्रिमंडल बहुत ही गम्भीरता से विचार करेगा, मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं नेता विरोधी दल और उनके दल को। आज की बदली हुई स्थिति में रिसेटेलमेंट जरूरी है और उस संबंध में सरकार विचार कर रही है और विचार करेगी। यदि किसी माननीय मित्र के मन में या किसी माननीय सदस्य के मन में यह इच्छा हो कि संविद की सरकार, उत्तर प्रदेश की योजनाओं के संबंध में, और प्रदेश की तरक्की के संबध में साधन जुटाने से मुकर जाएगी, तो सदन के सामने मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि संविद की सरकार इससे किसी तरह से भी मुकरेगी नहीं और प्रदेश की तरक्की के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह कदम सरकार उठाएगी।

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

कुछ माननीय सदस्यों ने इस संबध में यहां पर सवाल उठाया जो हमें प्रिय हैं, राजनैतिक दृष्टि से भी और यूं भी। श्री छांगुर राम और श्री सजीवन लाल तक अपनी बात में पहुंचाना चाहता हूं जिन्होंने जिक्र किया और साथ में राजा साहब—विश्व प्रताप सिंह ने जिक्र किया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मैं अपने नाम में संशोधन चाहता हूं। मेरा नाम सिर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह है।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मुझे इस बात से खुशी है कि राजासाहब काफी प्रगतिशील रहे हैं, उन्होंने अपनी जमीनें बांटी हैं। तो हम सब लोगों के मन में उनकी ओर ध्यान जाना बहुत ही लाभप्रद है। तीनों माननीय सदस्यों ने कहा और दो माननीय सदस्यों ने भी कहा, जहां तक हरिजन भूमिहीनों का सवाल है उनकी ओर जितना ध्यान देना चाहिये उतना नहीं दिया गया। इस विधेयक में उनकी ओर पूरी तरह से ध्यान देने की बात की गयी है।

मैं कहता हूं कि जो इस समय भूमि सुधार कानून हैं जो कई हिस्सों में कानून बंटे हुए हैं, उनको एक जगह लाने के लिए और भूमि के कानून में सुधार करने के लिए एक कमेटी बनी थी। उसकी संस्तुति आ जाने पर हम विस्तार के साथ विधेयक लाना चाहते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जो भी कमियां भूमि सुधार के सिलसिले में रही हैं उनकी पूरी तरह से दूर किया जाय। जो समय हमें मिला, उस बीच में जितने सुधार अपेक्षित थे हमने करने का प्रयास किया है।

विश्वनाथ प्रताप जी ने एक बात वरीयता वाले प्रश्न पर कही। जहां तक वरीयता का प्रश्न है पहले जो है मंडल में रहने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिहीन खेतिहर मजदूर है। वरीयता के क्रम में परिगणित और अनुसूचित लोगों को जो मंडल में रहने वाले हैं भूमिहीन खेतिहार मजदूरों में, उनको वरीयता है जहां तक दूसरे भूमिहीनों के मुकाबले में उनको देने की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमिहीनों को जमीन मिले, गरीब लोगों को, हरिजन और पिछड़े लोगों को जमीन मिले, इस बात को ध्यान में रख कर इसमें सीमा रखी गयी है। गांव सभा में जो विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालय जो पशुपालन से सम्बन्धित हों, उद्यान और कृषि से सम्बन्धित हो, केवल उन्हीं तक सीमा करके, साढ़े बारह एकड़ से ऊपर गांव सभा की जमीन बन्दोबस्त नहीं हो सकती है। अभी तक सीमा नहीं थी। गांव समाज की शिक्षा संस्थाओं के साथ जमीन के बन्दोबस्त की सीमा हमने बांध दी है। साथ ही साथ मिलिटरी के अफसरों को जो जमीन मिलती थी, उनको हमने निकाल दिया। साथ ही साथ हमने यह किया कि दस बीघे तक जो बात थी पांच बीघे पक्के तक जमीन मिलने की बात रहेगी।

चौथे, हमने खेतिहार मजदूर की परिभाषा में खेतिहार मजदूर उसी को माना है जो खेतिहर मजदूर गांव में खेती के काम में लगा है या साझेदारी के काम में लगा है। उसको पहले वरीयता देने के बाद दूसरे भूमि हीन आएंगे। तो शहर वाला कोई भूमिहीन गांव में जमीन नहीं ले पायेगा। इस विधेयक के अन्दर उन बातों का भी ध्यान रखा गया है।

हमारे माननीय सदस्यों का यह कहना जायज है कि बहुत जगहों पर पट्टे नाजायज हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो पट्टे जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानूक के अनुसार नहीं हुए हैं, जो नाजायज हैं, उनको कैंसिल किया जाय। इसके सम्बन्ध में इसी विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि जिलाधीश जब पट्टे निरस्त करेगा तो ११५ (सी०) और (डी०) में नहीं जायगा। बल्कि तुरन्त बेदखल कर देगा जिसमें एक साल या छः महीने का समय जो लगता है वह नहीं लगेगा।

कोई भी जबरदस्त आदमी जो गांव सभा की जमीन पर काबिज होगा उससे नाजायज जमीन खाली करवायी जायगी। चाहे शासन को जो भी कड़ाई करनी पड़े शासन वह कार्यवाही करेगा।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस समय जो एस० डी० ओज० हैं, जिलाधीश हैं उनको सर्कुलर भेज दिया गया है कि शीतकालीन दौरे के मौके पर वह दस पांच गांव चुने और मौके पर जाकर देखें कि गांव सभा की जमीन पर जो लोग नाजायज तौर पर कब्जा किये हैं उनको बेदखल किया जाय। इस सम्बन्ध में हमारे बुन्देलखंड के मित्र श्री कृष्ण जी शर्मा ने कुछ कमेटी के सम्बन्ध में कहा था। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, कमेटी में जिला मैजिस्ट्रेट को अध्यक्ष बनाने की बात हो गई है। मेरी इच्छा नहीं थी, मैं इसको नहीं चाहता था कि जिला मैजिस्ट्रेट इस कमेटी का अध्यक्ष हो लेकिन मेरे सामने जिम्मेदारी थी। यह जो दल इस सदन में बैठे हुये हैं, उनके माननीय सदस्यों को इस बात के कहने का मौका न मिले कि गरीबों को जमीन देने के मामले में दल गत आधार चुना गया, इस लिये जो कमेटी बनी उसमें जितने भी सदस्य चने हुये नमाइन्दे हैं, सभी मेम्बर हैं और साथ ही साथ सभी मान्यता प्राप्त दलों के अध्यक्षों या मंत्रियों को यह सर्कुलर जा रहा है कि दल की तरफ से जो नामजद होगा वह भी इस कमेटी का मेम्बर रहेगा। जब जिलाधीश नहीं रहेगा तो असेम्बली का मेम्बर उस सभा की सदारत करेगा, जिलाधीश के बाद कोई दूसरा सदारत नहीं करेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र—

इस बात पर पुनर्विचार कर लें।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मैं कुछ जिलों में गया तो कहा गया कि पट्टे नाजायज हुये हैं। मेरे सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि जिला कमेटी के साथ साथ तहसील कमेटी भी बनाई जाय और हम इस पर विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर महीने में इस कमेटी की बैठक हो और जितने पट्टे हुये हैं वह इस कमेटी के सामने आयें और उनको दलों के चने हुये नुमायन्दे देखें और जितने गलत पट्टे हुये हैं उनको बदलावें और निरस्त करायें।

मान्यवर, इस मौके पर इस सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं और मान्यता प्राप्त दलों के सभी सदस्यों से मेरा अनरोध है कि उनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी इस काम की है। मुझे याद है कि जब सन ५२ में भूमि सुधार के सिलसिले में आन्दोलन हुआ था तो उस समय समाजवादी दल के लोग विरोध पक्ष में थे और उस मौके पर जो १३५९ फैसली के आधार पर शिकमीदार थे, जो जमीन पर काबिज थे, तो उनको हक देने की बात हुई। उस मौके पर हमने बड़े काम किये थे कि जो सही शिकमीदार ह, और जमीन पर काबिज हैं, उनको उस पर अधिकार मिलना चाहिये। इसलिये मैं इस मौक पर यह कहना चाहता हूं कि दूसरे दलों के लोग भी इस बात को देखें कि जहां नाजायज पट्टे हुये ह उनको निरस्त कराने की बात हो तो उसमें मदद करें और सही तरीके से पट्टे करावें। मैं इन चन्द शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो प्रस्ताव सदन के सामने रक्खा गया है, उसे पास करने की कृपा करें।

श्री चेतराम गंगवार—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं। सदन ने निर्दिष्ट किया था कि उस समय तक इसको खत्म कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

कलेक्शन अमीन की छंटनी के सिलसिले में जो १ करोड़ रुपये की बचत होगी, उस सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप कृपा कर के बैठें, पहले मैं इस पर वोट ले लूं।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

अध्याय २

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम का संशोधन

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम सं० १ की धारा ३ का संशोधन

२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ में, खंड (८-क) के उप-खन्ड (क) में अंक तथा शब्द "६.२५ एकड़" के स्थान पर अंक तथा शब्द "१.८९ हेक्टेयर (४.६८७५ एकड़)" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खड २ इस विधेयक का अग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

धारा १९८ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १९८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

धारा १९५ और १९७ के अधीन भूमि उठाने में व्यक्तियों का तारतम्य

"१९८—(१) धारा १९५ या धारा १९७ के अधीन व्यक्तियों को सीरदार या असामी के रूप में भूमि उठाते समय (जिसे आगे इस धारा में "भूमि की प्रदेशना" कहा गया है) भूमि प्रबन्धक समिति, धारा १७८ के अधीन किसी न्यायालय द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये, निम्नलिखित तारतम्य का अनुसरण करेगी—

(क) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश या माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई शिक्षा संस्था जो कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन में शिक्षा देती हो या इन विषयों में अन्वेषण कार्य की व्यवस्था करती हो;

(ख) ऐसे व्यक्ति की, जिसने संघ की सशस्त्र सेना में सक्रिय सेवा करते हुये शत्रु आक्रमण के कारण अपना जीवन बलिदान किया हो, मण्डल में रहने वाली भूमिहीन विधवा, उसके भूमिहीन पुत्र, उसकी भूमिहीन अविवाहित पुत्रियां और उसके भूमिहीन माता-पिता;

(ग) मण्डल में रहने वाले कोई ऐसा व्यक्ति जो निहित होने के दिनांक को या उसके पश्चात भूमि अर्जित करने से संबंधित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उसकी भूमि अनिवार्यतः अर्जित किये जाने के कारण भूमिहीन हो गया हो;

(घ) मण्डल में रहने वाला कोई भूमिहीन व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना सेवा से (अधिकारी के रूप में सेवा से भिन्न) निवृत्त, निर्मुक्त या सेवा मुक्त हो.

(ङ) मण्डल में रहने वाला कोई भूमिहीन राजनीतिक पीड़ित जिसे कोई राजनीतिक पेन्शन न मिली हो;

(च) मण्डल में रहने वाला और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिहीन खेतिहर मजदूर;

(छ) मण्डल में रहने वाला कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर;

(ज) कोई भूमिधर सीरदार या असामी जिसके पास मण्डल में १.२६ हेक्टेयर (३.१२५ एकड़) से कम क्षेत्रफल की भूमि हो;

(झ) कोई अन्य व्यक्ति।

स्पष्टीकरण १—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये—

(१) "भूमिहीन" का अभिदश ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास या जिसकी पत्नी या, यथा स्थिति, जिसके पति या अवयस्क बच्चों के पास भूमि धर, सीरदार या असामी के रूप में से कोई भूमि न हो, और सिवाय खंड (ग) के, न ही प्रदेशन के दिनांक के ठीक पूर्व, दो वर्ष के भीतर इस रूप में, कोई भूमि रही हो; और

(२) "खेतिहर मजदूर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन खेतिहर मजदूरी या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भूमि पर कृषि कार्यों के वास्तविक संचालन में ऐसी भूमि की पैदावार में अंशाधिकार के प्रतिफल में उसकी सहायता या उसके साथ मिल कर कार्य करता हो।

स्पष्टीकरण २—खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिये "राजनीतिक पीड़ित" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे १९३० से १९४७ तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से सम्बद्ध किसी आन्दोलन में भाग लेने के लिये कम से कम तीन माह के लिये निवारक निरोध या कारावास का दण्ड (या तो मौलिक दण्ड के रूप में या अर्थ दण्ड न देने के कारण) भुगतने का प्रमाण पत्र कलेक्टर द्वारा दिया जाय।

(२) ऐसी भूमि का क्षेत्रफल जो—

(१) उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन किसी शिक्षा संस्था को प्रदिष्ट की जाय, प्रदेशना के ठीक पूर्व संस्था द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर ५.०४ हेक्टेयर (१२.५० एकड़) से अधिक न होगा;

(२) उपधारा (१) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ) या खंड (झ) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जाय, १.२६ हेक्टेयर (३.१२५ एकड़) से अधिक न होगा और

(३) उपधारा (१) खंड (ज) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जाय, प्रदेशना के ठीक पूर्व भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि को मिलाकर १.२६ हेक्टेयर (३.१२५ एकड़) से अधिक न होगा।

(३) कलेक्टर ऐसी प्रदेशना के बारे में नियत रीति से स्वतः जांच कर सकता है और भूमि प्रदिष्ट किये जाने से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशना अनियमित है तो वह—

(१) प्रदेशना और, यदि कोई हो, पट्टा निरस्त कर सकता है, और तदुपरान्त प्रदिष्ट या पट्टे पर दी गयी भूमि में प्रदेशन-गृहीता या पट्टेदार अथवा

उसके माध्यम से दावा रखने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जावेंगे, और ऐसी भूमि गांव सभा को लौट जायेगी; और

(२) यह आदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि धारण करने या रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल किये जाने के पश्चात उस भूमि का कब्जा तत्काल गांव सभा को दे दिया जाय, और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

(४) उपधारा (३) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा ३३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अन्तिम होगा ।"

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन रखता हूं—

खंड ३ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा १९८ में प्रस्तावित संशोधन (१) (क) के पूर्व (क-१) नई उपधारा जोड़ दी जाय—

"(क-१)—ऐसे व्यक्ति को जिनके पास आबादी की भूमि नहीं है या बहुत दिनों से आबाद होने के बावजूद उनकी आबादी सरकारी कागजात में दर्ज नहीं है ।"

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मुझे यह स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा १९८ म प्रस्तावित संशोधन (१) (क) के पूर्व (क-१) नई उपधारा जोड़ दी जाय—

"(क-१)—ऐसे व्यक्ति को जिनके पास आबादी की भूमि नहीं है या बहुत दिनों से आबाद होने के बावजूद उनकी आबादी सरकारी कागजात में दर्ज नहीं है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान)

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करूं, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि समिति जो ग्राम समाज की जमीन का एलाटमेंट करती है काश्तकारी के लिये वही तो आबादी के लिये भी जमीन एलाट कर सकती है ? माननीय मंत्री जी ने श्री माता प्रसाद जी के द्वारा आबादी की जमीन के एलाटमेंट के प्रश्न पर कहा था कि समिति ग्राम समाज की जमीन का एलाटमेंट करती है, चाहे वह लैन्ड मैनेजमेंन्ट कमेटी हो या और कोई कमेटी हो । तो मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि गांव समाज की जमीन का पट्टा चाहे आबादी के लिये हो, चाहे काश्त के लिये हो, वही कर सकती है । जब काश्त के लिये कर सकती है तो आबादी के लिये भी कर सकती है । पहले माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें तो मैं अपने संशोधन को पेश करूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें । इस तरह की कोई शर्त आप इसमें नहीं रख सकते । इसको रखना हो तो रखें, न रखना हो तो न रखें । इसके पहले कोई चिट्ठी पत्री लिख कर आपको आश्वासन नहीं मिला और भाषण के बीच में भी आपने ऐसी कोई बात नहीं कही ।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह---

कम से कम बीसों बार मैं खड़ा हुआ हूं अपनी बात कहने के लिये लेकिन आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। इस संशोधन पर बोलने के लिये कम से कम दो मिनट का समय तो मुझे आप देंगे। जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा मेरा कहना यह है कि संपत्ति ग्रामसभा का एलाटमेंट होता है तो आबादी के लिये भी किया जाता है। लेकिन मंत्री जी ने कहा कि वह जमीन आबादी के लिये नहीं हो सकती तो यह कैसे उन्होंने कह दिया।

श्री प्रभुनारायण सिंह---

जहां तक आबादी का प्रश्न है वह किसी के नाम में दर्ज नहीं होती। इस समय हमारे प्रदेश में सभी जगह चकबन्दी चल रही है और दो-तिहाई स्थानों पर चकबन्दी खत्म हो गयी है। जहां चकबन्दी हो गयी वहां आबादी के लिये और गरीब व पिछड़े लोगों के लिये विचार हो गया और जहां चकबन्दी हो रही है वहां विचार करने का प्रश्न है।

श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)---

जहां आबादी के लिये नहीं रखी गयी वहां क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं इजाजत नहीं देता। आप मंत्री जी से पूछ लीजियेगा।

श्री राम सिंह---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १९८ की उपधारा (१) के भाग (क) के पूर्व निम्नलिखित भाग (अ) के रूप में जोड़ दिया जाय---

"(अ) ऐसे व्यक्ति को जिसके पास आबादी की भूमि नहीं है अथवा उसके परिवार की संख्या तथा आवश्यकता के अनुरूप आबादी भूमि कम है को उसकी आबादी के लिये"

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३--में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १९८ की उपधारा (१) के भाग (क) के पूर्व निम्नलिखित भाग (अ) के रूप में जोड़ दिया जाय---

"(अ) ऐसे व्यक्ति को जिसके पास आबादी की भूमि नहीं है अथवा उसके परिवार की संख्या तथा आवश्यकता के अनुरूप आबादी की भूमि कम है को उसकी आबादी के लिये"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री माता प्रसाद---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उक्त प्रस्तावित धारा १९८ (१) (क) के स्थान पर इसी खंड (१) के उपखंड (ङ) को रख दिया जाय। हरिजनों को छठवें स्थान पर रखा गया है.....

श्री प्रभुनारायण सिंह---

विधेयक को बहुत सोच समझकर रखा गया है और सभी बातों पर विचार किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उक्त प्रस्तावित धारा १९८ (१) (क) के स्थान पर इसी खंड (१) के उप खंड (ङ) को रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राम सिंह---

मान्यवर, जब आप किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहते तब मैं क्या कहूं ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इस समय इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं रख सकता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

नयी धारा-२४७-ख का बढ़ाया जाना

४---मूल अधिनियम की धारा २४७-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय अर्थात्---

कतिपय दशाओं में मालगुजारी देने के दायित्व से छूट ।

"२४७---ख---(१) धारा २४५, २४६ तथा २४७ में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे परिवार के, जिसके सदस्यों द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किसी कृषि वर्ष के प्रारम्भ पर भूमि धर या सीरदार के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल २.५२ हेक्टेयर (६.२५ एकड़) से अधिक न हो, प्रत्येक सदस्य को उस वर्ष के संबंध में देय मालगुजारी क दायित्व से छूट होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त छूट १ जुलाई, १९७० को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के दौरान मालगुजारी की केवल रबी किस्त के संबंध में लागू होगी ।

(२) किसी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य का किसी खाते में अंश, यह निश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि वह उपधारा (१) में उल्लिखित छूट का हकदार है या नहीं ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जायगा जो नियत किया जाय, किन्तु कोई ऐसा अवधारण खाते से संबंधित किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर बन्धनकारी नहीं होगा ।

(३) नियत प्राधिकारी, प्रत्येक मण्डल के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की, जो उपधारा (१) में उल्लिखित छूट के हकदार हों, एक सूची, जिसमें ऐसे ब्योरे, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से किये जायेंगे, तैयार करेगा और ऐसे दिनांकों के पूर्व प्रकाशित करेगा, जो नियत किये जायं और ऐसी सूची के संगत उद्धरण संबंधित व्यक्तियों को वितरित करायेगा ।

(४) उपधारा (२) के अधीन अंशों का अवधारण, किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए, इस उपधारा का प्रयोजनों के लिये अंतिम होगा ।

(५) इस धारा के उपबन्धों के होते-हुये भी, किसी खाते के लिये निर्धारित मालगुजारी अधिकार-अभिलेखों में पूरी-पूरी लिखी जायगी, और सभी प्रयोजनों के लिये, और विशेष रूप से, किसी सीरदार की दशा में, धारा १३४ के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा देय मालगुजारी समझी जायगी ।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिये "परिवार" के अन्तर्गत कोई व्यक्ति उसका पति या उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं, हैं । "

श्री उपाध्यक्ष—

अब खंड ४ को ले लिया जाय ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, पेज ४० पर दिया है कि जो खंड प्रस्तुत किये जायेंगे उस समय प्रस्तुतकर्त्ता को अपने विचार प्रकट करने का हक है । इस कारण मान्यवर, आप संशोधनों को प्रकट करते समय उनके विचारों को व्यक्त करने का भी अवसर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

विधेयक को समय के अन्दर ही पारित करना है इसका भी तो ध्यान रखना आवश्यक है ।

श्री राम सिंह—

जब प्रारम्भ में ही राजस्व मंत्री जी ने कहा था तो उसको तो करना चाहिये । सन्ड जी और माता प्रसाद जी को वापस किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता हूं । यहां पर जो सदस्य बैठे हैं वे काफी जागरूक सदस्य हैं । जब संशोधन रखा गया और वापस किया गया, एक माननीय सदस्य को उसी वक्त कहना चाहिये । अब हम आगे चले गये हैं और वापस नहीं जा सकते ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, जो संशोधन यहां पर छपा है उसके रूप में थोड़ा सा अन्तर करना चाहता हूं । रबी के स्थान पर खरीफ रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल का और आपका एक सा ही है । यदि आप इसको नहीं रखना चाहते हैं तो हम आगे चलें ।

श्री गोविन्द सिंह—

नहीं मान्यवर, मैं रखता हूं । खंड ४ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २४७—ख (१) के प्रतिबन्ध वाले पद की पहली लाइन में "१ जुलाई, १९७०" को हटा कर उसके स्थान पर "१५ जनवरी, १९७०" रखा जाय ।

मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तमाम सदन ने एक मत से, एक राय से इस बिल का स्वागत किया है । जब लेखपाल छोटे जोतवालों से लगान वसूल करते हैं तो वे साल भर का लगान वसूल करते हैं ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया । लेकिन यह जो संशोधन रखा गया है, उसमें बड़ी परेशानी है, इस वजह से चूंकि कृषि वर्ष जुलाई से जून तक होता है, जनवरी से होता नहीं है । इसलिये इसके मानने का सवाल नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २४७-ख (१) के प्रतिबन्ध वाले पद की पहली लाइन में "१ जुलाई, १९७०" हटाकर उसके स्थान पर "१५ जनवरी, १९७०" रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं । खंड ४ के उपखंड (१) में "रबी" के स्थान पर "खरीफ" शब्द रखा जाय । मैं माननीय राजस्व मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह तो बहुत समाजवादी हैं और मेरे इस संशोधन को मान लेंगे ।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

माननीय सदस्य तो प्रवर समिति की सिफारिशों से बाहर चले गये हैं । दूसरे वसूली हो चुकी है इसमें झंझट बहुत है । इसको मानने से विधेयक की मंशा डिफीट हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) में "रबी" के स्थान पर "खरीफ" शब्द रखा जाय ।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शांति से अपने स्थान पर जमे रहिये । घंटी बज रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, इससे स्पष्ट होता है कि ये सवा ६ एकड़ लगान की माफी नहीं चाहते ।

कुछ सदस्य—

दरवाजा खुला हुआ है, उसे बन्द किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

४.३८ पर घंटी बन्द हो जायगी, तब दरवाजा बन्द हो जायगा ।

(घंटी बन्द होने पर)

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड १ में "रबी" के स्थान पर "खरीफ" शब्द रखा जाय ।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है....

(व्यवधान)

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री दीपनारायण मणि)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं स्वयं १५ मिनट का समय बढ़ा सकता हूं । इसलिये बढ़ाता हूं ।

(विभाजन की प्रक्रिया समाप्त होने पर)

विभाजन का परिणाम इस प्रकार है । इसके पहले मैं यह बता दूं कि एक नाम के बारे में शक हो गया है वह है श्री धर्मबीर जो दो जगह लिखा हुआ है । उस नाम को इस परिणाम में नहीं जोड़ा गया है । पूरा नतीजा इस प्रकार है । पक्ष में १२६ और विपक्ष में २२३ । (तालियां)

(व्यवधान)

अब यह संशोधन गिर गया ।

(सदन का विभाजन निम्न प्रकार से हुआ।)

पक्ष में—१२६

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
उदित नारायण, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी, श्रीमती
कृष्णकांत, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
केदारनाथ, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
चंचल सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
त्रिवेणी, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
पन्नालाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रियदर्शी जेटली, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बेनीसिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भइया)
माता प्रसाद, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मोहन सिंह, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेश्वर सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री

रामशिरोमणि, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह, राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्रीश चन्द्र, श्री
सजीवन लाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरवंश प्रसाद, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री

विपक्ष में—२२२

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
कोरी सुखलाल, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गिरजा शंकर, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

गिरधारीलाल चौधरी, श्री
घासीराम, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगबीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जय राम यादव, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दीपनारायण मणि, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धर्मबीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धूम प्रसाद, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बदनसिंह, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला बाराणसी
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री

रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम गोपाल संड, श्री
राम चरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामवचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राव अब्दुरीफे खां, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शांति देवी, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
श्यामलाल, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छुन्न बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियाराम, श्री
सुखबीर, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनरायन, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री

हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

(*नोट—श्री किशन लाल द्वारा दो जगह हस्ताक्षर कर देने के कारण संख्या में एक की कमी कर दी गयी।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५—१३

५—मूल अधिनियम की धारा २९४ की उपधारा (२) में खंड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्— धारा २९४ का संशोधन

"(ककक) प्राधिकारी जो धारा २४७—ख में उल्लिखित छूट पाने के हकदार खातेदारों की सूची तैयार और प्रकाशित करेगा, ऐसी सूची में दर्ज किये जाने वाले ब्योरे, सूची का प्रपत्र, उसके प्रकाशन की रीति, दिनांक जिनके पूर्व वह प्रकाशित की जायगी, रीति जिसके अनुसार तथा समय जिसके भीतर ऐसी सूची में दर्ज ब्योरे में किसी लुप्ति के या उसके विरुद्ध आपत्तियां की जा सकती हैं, और रीति जिसके अनुसार तथा प्राधिकारी जिसके द्वारा उन आपत्तियों का निस्तारण किया जायगा, और उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन अंशों का अवधारण करने से सम्बद्ध विषय,"

६—मूल अधिनियम की धारा ३३७ में खंड (कक) निकाल दिया जाय। धारा ३३७ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, क्रम-संख्या २० और २०—क तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां निकाल दी जायं। अनुसूची २ का संशोधन

अध्याय ३

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० का संशोधन

८—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत—सीमा आरोपण अधिनियम १९६०, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १३ की उपधारा (३) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६१ धारा १३ का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि भूमि के उस भाग के संबंध में, जिसके अतिरिक्त होने के बारे में या तो धारा १० की उपधारा (२) के अधीन या धारा ११ की उपधारा (२) के अधीन आपत्ति में विवाद नहीं उठाया गया था अथवा अपील में विवाद न उठाया गया हो उस आदेश का प्रवर्तन, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, स्थगित नहीं किया जायगा, और अट्ठाइस सितम्बर, १९७० के पूर्व इस उपधारा के अधीन दिया गया कोई स्थगन आदेश, राज्य सरकार द्वारा अपील न्यायालय को तदर्थ आवेदन—पत्र दिये जाने पर, उस न्यायालय द्वारा तदनुसार परिष्कृत कर दिया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस प्रतिबन्धात्मक खंड के प्रयोजनार्थ धारा ९ या धारा १० के अधीन किसी नोटिस की, या नियत प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों की, निय-

मितता विध्यनुकूलता या वैधता के संबंध में कोई विवाद, स्वतः, भूमि का अतिरिक्त भूमि होने से संबंधित विवाद नहीं समझा जायेगा।"

धारा २६-क का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा २६-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ के प्रारम्भ होने के पूर्व अन्तरिम अवधि के लिये पट्टे पर दी गई भूमि का बन्दोबस्त

"२६-क—किसी व्यक्ति को धारा २६ की उपधारा (२) के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ के ठीक पूर्व थी, अन्तरिम अवधि के लिये पट्टे पर दी गयी अतिरिक्त भूमि ऐसी अवधि के अन्त में, कलेक्टर द्वारा वापस ले ली जायेगी, और तत्पश्चात् उसका बन्दोबस्त धारा २७ के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जो, यदि इस प्रकार पट्टे पर उठायी गयी अतिरिक्त भूमि की गणना न की जाती और यदि वह मण्डल का निवासी होता तो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ की उपधारा (१) के खंड (ख) से (ज) तक में से किसी खंड के अन्तर्गत आता, तो उस भूमि में से उतनी भूमि का बन्दोबस्त जो उसके द्वारा अन्य प्रकारेण धृत भूमि के क्षेत्रफल को, यदि कोई हो, जोड़ कर १.२६ हेक्टेयर (३.१२५ एकड़) से अधिक न होती तो, उस व्यक्ति की इच्छा पर, उक्त अवधि के अन्त में अथवा उससे पूर्व कलेक्टर द्वारा उसी व्यक्ति के साथ किया जायगा।"

धारा २७ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा २७ में, उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(३) किसी शेष अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त कलेक्टर द्वारा ऐसे तारतम्य के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए किया जायगा जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ की क्रमशः उपधारा (१) और (२) में निर्दिष्ट हैं, सिवाय इसके कि उसमें निर्दिष्ट, मंडल में रहने की अर्हता लागू न होगी।"

अध्याय ४

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट, संख्या ३, १९०१ धारा ४०-ए का संशोधन

११—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है की धारा ४०-ए स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

आगम-वादों के संबंध में अपवाद।

"४०-ए—धारा ३३, धारा ३५, धारा ३९, धारा ४०, धारा ४१, या धारा ५४ के अधीन दिये गये किसी आदेश से किसी खाते में अधिकार के आधार पर अनुतोष के लिए किसी सक्षम न्यायालय में किसी वाद पर कोई रुकावट न होगी।"

१२—मूल अधिनियम की धारा ५४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

धारा ५४ का संशोधन

"५४ (१) अभिलेख अधिकारी संबंधित व्यक्तियों को नियत प्रपत्र में वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टियों और अशुद्धियों तथा विवादों की सूची के उद्धरण देगा।

निर्विवाद प्रविष्टियां और प्रविष्टियों से संबंधित विवादों का अभिलेख अधिकारी द्वारा निस्तारण।

(२) यदि ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाय, कोई अपत्ति प्राप्त न हो तो प्रविष्टि निर्विवाद समझी जायगी।

(३) अभिलेख अधिकारी, स्वतः या उपर्युक्त विहित अवधि के भीतर कोई अपत्ति प्राप्त होने पर, किसी प्रविष्टि के संबंध में किसी विवाद का निर्णय, यथास्थिति, धारा ४० धारा ४१ या धारा ४३ के उपबन्धों के अनुसार करेगा और यदि विवाद में आगम का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो तो वह उसका निर्णय सरसरी तौर पर जांच करने के पश्चात् करेगा।"

अध्याय ५
निरसन

१३—उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७०, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आध्यादेश संख्या १८, १९७०

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२ तथा १३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक
उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७०

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० और यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१ ई०
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६१,
यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १
प्रारम्भिक

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभु नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ सूचनायें मैं सदन को देता हूं जो कि नियम ५१ के अन्तर्गत आई हैं । यह ९ सूचनायें हैं । तो सबसे पहले श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन जी की हैं—कि चीनी मिलों पर किसानों का बकाया धन तथा चीनी मिल नवाबगंज को किसानों द्वारा गन्ना की सप्लाई बन्द करने तथा कृषकों से भ्रष्ट तरीकों से धन कमानेवाले सी० डी० आई० (एम०) का स्थानांतरण करने के सम्बन्ध में है, को स्वीकार नहीं किया गया है । भेड़ियों के आतंक के सम्बन्ध में जो है वह २४ तारीख के वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुआ है । माननीय रामगोपाल जी संड की सूचना इस प्रकार है कि "इलाहाबाद विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिये बन्द होने के कारण अभिभावकों में व्याप्त असंतोष के संबंध है ।" माननीय अध्यक्ष ने इसको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

वक्तव्य दिला दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में देखेंगे । माननीय हरिवंश सहाय जी का एक प्रस्ताव है कि "१४–१२–७० को नवलपुर चौराहे (जिला देवरिया) पर बस दुर्घटना से ४ व्यक्तियों की मृत्यु तथा अन्य सवारियों के घायल होने के सम्बन्ध में । यह केवल २२–१२–७० को वक्तव्य के लिये स्वीकार हुआ है । माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने प्रश्न दिया है कि "साम्यवादियों तथा अन्य अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में एक अन्य राज्य स्थापित करने की कोशिश करने के संबंध में । इसको स्वीकार नहीं किया गया है । माननीय प्यारेलाल शर्मा, श्री गंगा प्रसाद, श्री रामलाल राही तथा श्री हुक्म सिंह परिहार ने प्रश्न दिया है कि "जिला शाहजहांपुर की नगरपालिका तिलहर के अध्यक्ष तथा सदस्यों के अत्याचारों के विरोध में अध्यापकों द्वारा ५–१२–७० से अनशन करने के सम्बन्ध में" यह प्रश्न स्वीकार नहीं हुआ है । माननीय श्री रामदेव दुबे ने प्रतापगढ़ जिले के कुन्डा थाने के अन्तर्गत मानिकपुर ग्राम के निवासी श्री रामनाथ के घर से डाकुओं द्वारा लूट मार करने तथा नक्सलपंथी जिन्दाबाद के नारे लगने के संबंध में प्रश्न दिया है यह २३–१२–७० के लिये वक्तव्य के लिये स्वीकार हुआ है । माननीय चेतराम गंगवारव तथा श्री भानु प्रताप सिंह जी ने एक प्रश्न "जिला बरेली के क्लारा स्वान अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के

सम्बन्ध में आन्दोलन करने तथा डा० बाल कुठार द्वारा आन्दोलन करने वालों के साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में एक प्रश्न दिया है यह स्वीकार नहीं किया गया है। माननीय त्रिवेणी राय तथा श्रीमती डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी जी ने एक प्रश्न "इलाहाबाद नगर-पालिका के कर्मचारियों की मांगों को लेकर श्री बच्चूलाल तिवारी द्वारा अनशन करने के संबंध में, दिया है जो स्वीकार नहीं हुआ है। माननीय प्रियदर्शी जेतली तथा श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह जी ने एक प्रश्न "दफा १४४ में गिरफ्तार (लखनऊ में) किये गये विद्यार्थियों के अपर क्लास न दिया जाना तथा जमानत न होना, दिया है यह १७-१२-७० के लिये वक्तव्य के लिये स्वीकार हुआ है। आज कामरोको प्रस्ताव केवल एक ही प्राप्त हुआ है। माननीय नित्यानन्द स्वामी जी का कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है कि "प्रदेश में अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा नक्सलवादियों के नाम से, जमीनों पर कब्जा करने, लूटमार करने तथा नक्सलवादियों द्वारा प्रशिक्षण कैम्प लगाने व नैपाल के रास्ते अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके आतंक फैलाने के संबंध में।" यह स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री रामगोपाल संड---

शिक्षा मन्त्री जी वक्तव्य दिला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर बाद में बात कर लें।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैंने दफा ५१ के अन्तर्गत लोकमहत्व का प्रश्न दिया था।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर बात कर लीजिये। अगर स्वीकार होने लायक होगा तो स्वीकार किया जायेगा। जो स्वीकार हुआ है उसके बारे में पहले सुनिये।

अलक नन्दा की बाढ़ से चमोली एवं पिथौरागढ़ जिलों में हुई क्षति एवं पीड़ितों को प्रदत्त सहायता के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व राज्य मंत्री (श्री दीपनारायण मणि)---

मैं विनम्रता के साथ सदन के समक्ष निवेदन करूंगा कि गत २० व २१ जुलाई, १९७० को चमोली जिले में अतिवृष्टि के कारण अलकनन्दा तथा उसकी अन्य सहायक नदियों धौली गंगा, विरही गंगा, मंदाकिनी, पिण्डर तथा पातालगंगा में अचानक भीषण बाढ़ आ गई थी। शीघ्र ही बाढ़ सन् १९३४ ई० की उच्चतम बाढ़ सीमा को पार कर गई। जल स्तर एकदम जगह-जगह घाटी की चौड़ाई के अनुसार ३० फीट से १८० फीट तक बढ़ गया था। इस बाढ़ के कारण जिले के १०१ ग्राम प्रभावित हुए। बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण २६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और २९ व्यक्तियों का पता नहीं है। वे लापता व्यक्ति उस दुर्भाग्यशाली रात में बेलाकूची में थे। वे भी संभवतः मर गये होंगे।

बाढ़ के कारण १३१.३० एकड़ भूमि की फसल नष्ट हो गई जिसकी अनुमानित लागत ५१ हजार रुपये आंकी गई है। इसके अतिरिक्त भू-स्खलन के कारण ३८२ एकड़ खेतिहर भूमि भी प्रभावित हुई जिसकी लागत १.५२ लाख रुपये अनुमानित है।

[श्री दीप नारायण मणि]

इस बाढ़ से ६०४ मकान भी नष्ट हो गये जिनकी अनुमानित लागत १०.२ लाख रुपये आंकी गई है। १४२ जानवरों की भी मृत्यु हो गई। २७ गौशालायें, ४७ घराठ (वाटर मिल) एवं ४ पंपिंग सेट भी बाढ़ से नष्ट हो गये। इन सब का मूल्य लगभग ५३ हजार रुपये आंका गया है। इसके अलावा २५ मोटर गाड़ियां जो घटना के दिन रात्रि के समय बेला कूची में खड़ी थीं, बाढ़ से बह गई। इनका अनुमानित मूल्य लगभग १३ लाख रुपये आंका गया है। व्यावसायिक व घरेलू सामान जो इस बाढ़ से नष्ट हुआ, उनका मूल्य ३ लाख रुपये अनुमानित है। इस प्रकार निजी सम्पत्ति को बाढ़ एवं भू-स्खलन से कुल २८.७७ लाख रुपये का नुकसान हुआ। इसके अलावा राज्य सरकार की सम्पत्ति को भी जिनमें १५ पैदल मार्ग, ५ पुल एवं कुछ सड़कें शामिल हैं लगभग ५०.७५ लाख रुपये की क्षति पहुंची। राज्य सरकार एवं निजी सम्पत्ति के अलावा डी० जी० बी० आर० के ६ मोटर पुल एवं कुछ सड़कों को भारी क्षति पहुंची।

इस बाढ़ एवं भू-स्खलन के कारण जो व्यक्ति पीड़ित हुये उन्हें तुरन्त नकद सहायता के रूप में मौके पर जाकर ८०,००० रुपये शासन द्वारा वितरित किये गये। इसके अलावा पीड़ितों को कपड़े, कम्बल, दलिया, राशन एवं अन्यान्य खाद्य सामग्री मुफ्त बांटी गई और रोगियों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की गई है। भू-स्खलन के कारण जिन ग्रामों को क्षति पहुंची उनके निवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा कर फिलहाल रहने की व्यवस्था कर दी गई। उनके स्थायी पुनर्वास की योजना अभी विचाराधीन है। १,४१०. यात्रियों को जो बद्रीनाथ, जोशीमठ तथा बेलाकूची में रास्ता खराब हो जाने के कारण रुक गये थे, सुरक्षित रुप से रेल हेड तक पहुंचा दिया गया।

अब तक चमोली के पीड़ितों की सहायता के लिये शासन द्वारा निम्नलिखित धनराशि आवंचित की जा चुकी है :—

	रुपये
१—अहेतुक सहायता	१,१३,०००
२—प्रकीर्ण व्यय	११,०००
३—तकावी	३५,०००
४—प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष से ..	३५,०००

पिथौरागढ़

पिथौरागढ़ जिले में भी जुलाई की अतिवृष्टि का प्रभाव पड़ा जिसके कारण जौलजीबाई तथा धारचूला मार्ग कई स्थानों पर टूट गया। गलाटी गढ़ का मोटर पुल बह गया। जौलजीबाई का चेक पोस्ट तथा सेरा का पटवारी क्वार्टर्स क्षतिग्रस्त हो गये। धारचूला के चौदास तथा गौरीछाल क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ। मुन्सियारी तहसील के जिमोघाट, मदकरिया, सेराघाट तथा ला के झूले वाले पुल नष्ट हो गये। कुल आठ पुल नष्ट हो गये। ३७ मनुष्यों एवं २०३ पशुओं की मृत्य हो गई। २२८ मकान क्षतिग्रस्त हुए जिनका मूल्य साढ़े तीन लाख रुपये आंका गया है।

पीड़ितों को सहायता देने के लिये पिथौरागढ़ जिले को निम्नवत् धनराशि आवंटित की गई है :—

	रुपये
१—अहेतुक सहायता तथा गृह निर्माण अनुदान ..	१,०४,०००
२—कंटिजेंट व्यय	५०१
३—तकावी	३२,०००
४—प्रधान मंत्री सहायता कोष से	१५,०००

पिथौरागढ़ के भोटियों को जिनके मकान नष्ट हो गये ह पुनः बसाने का मसला विचाराधीन है।

केयर संस्था की ओर चमोली और पिथौरागढ़ के पीड़ितों के लिये ९०० कम्बल दिये गये हैं जिनका वितरण निर्धन पीड़ितों के बीच किया गया है।

आवागमन की सड़कों को ठीक किया जा रहा है। कुछ सड़कें ठीक हो भी चुकी हैं। ग्रामवासियों द्वारा गांव छोड़ने की सूचना शासन को नहीं है।

शासन अपने सीमित साधनों से पीड़ितों की भरसक मदद कर रहा है।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बाढ़ चमोली में आयी थी, उसकी सूचना सरकार को कब मिली और क्या यह सच है कि सब से पहले २० तारीख को ११ बजे इसकी घोषणा पीकिंग रेडियो ने की थी ?

श्री दीप नारायण मणि---

मुझे इसकी सूचना तो नहीं है लेकिन जिस दिन भारतीय रेडियो से सूचना आयी, बाढ़ आने के दूसरे दिन, माननीय नारायण दत्त तिवारी स्वयं हवाई जहाज से गये।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या इस प्रदेश के अन्दर कोई फलड बाडी सिस्टम एक्जिस्ट करता है या नहीं, यदि नहीं तो क्या सरकार की कोई फलड बौडी सिस्टम बनाने की योजना है ?

श्री दीपनारायण मणि---

इस प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ तो प्रायः हर साल आया करती है, नदियां हैं, इसलिये जो साधारण व्यवस्था है फलड कन्ट्रोल की वह ही रही है। इस सम्बन्ध में कोई विशेष संस्था या इस तरह का संगठन बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

दिल्ली के प्रमुख समाचार पत्रों में यह छपा था कि यदि पुलिस वाले मोटर गाड़ियों को उस जगह पर जहां रोका गया था, न रोकते तो यह जो जन हानि हुयी, यह बचायी जा सकती थी, या न होती, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री दीपनारायण मणि---

मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य मुझे लिखकर भेजेंगे तो जांच करवा लूंगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मंत्री जी ने कहा कि उनके पास कोई योजना नहीं है। ऐसे सामरिक महत्व के स्थानों पर जब बाढ़ आवे तो सूचना तत्काल मिलनी चाहिये। यह सामरिक महत्व का स्थान था और इस प्रदेश का महत्वपूर्ण अंग है तो ऐसे निर्जन स्थानों पर क्या शासन कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि बाढ़ की सूचना तत्काल उनको मिल जाय ? क्या सरकार यह भी व्यवस्था करेगी कि कोई ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय जिससे बराबर ऐसे स्थानों से सम्पर्क बना रहे ?

श्री दीपनारायण मणि---

मैंने यह कहा था कि हर जगह फलड पोस्ट बनी हुयी हैं और जिलाधीश उसकी वायरलेस से सूचना देने के अधिकारी ह। इसलिये हमें तत्काल सूचना मिली।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

श्रीमन्, यह रिपोर्ट अपने आप में इतनी गलत है कि जिसको देखकर मुझे इतना क्षोभ हुआ कि जिसको मैं यहां पर व्यक्त नहीं कर सकता हूं। बाढ़ आयी, जिससे कितना ही नुकसान

[श्री इन्द्रमणी]

हुआ। मैंने नियम १०३ में एक लिखित प्रस्ताव दिया ताकि उत्तर प्रदेश के सभी लोग इससे अवगत हो जायें क्योंकि हमारी सुरक्षा का सवाल है। जोशीमठ और चमोली बिल्कुल अलग हैं। आज वे मोटर रोड से अलग हैं। अब मैं प्रश्न करता हूं।

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १८९३ के बाद यह जो अचानक इतनी भीषण दुर्घटना हुई है इसका कारण क्या है? १००.३ एकड़ फसल नष्ट हुई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस फसल के साथ जमीन भी हमेशा के लिये नष्ट हो गई है या नहीं? जो पुल और सड़कें नष्ट हुई हैं, सरकार ने उनके प्रति क्या किया?

श्री दीपनारायण मणि---

जैसा वक्तव्य में कहा जा चुका है कि यह एक ऐसी घटना थी जो मानव-बुद्धि के अनुमान में नहीं थी। अकस्मात् बाढ़ आ गई और पानी बहुत ऊपर उठ गया। यह आकस्मिक घटना घटी। भविष्य के लिये प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी घटना घटे तो उसका उपचार किया जा सके।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)---

मान्यवर, रिपोर्ट में जो तथ्य दिये गये हैं वे काफी गलत हैं। बेला कूची में जो गाड़ियां बहीं उनकी संख्या २५ दी गई है जबकि उनकी संख्या ३३ है। ग्रामवासियों ने ग्राम नहीं छोड़ा यह कहा गया है। बीस परिवार भोटिया के गांव सिरौरी में बसने लगे हैं। उन्होंने गांव छोड़ दिया है। तीन गांव ऐसे हैं जो कतई रहने लायक नहीं रह गये हैं वे हैं, डूंगरा, परौली और परेनी। बाढ़ से थोड़े दिनों बाद उन्होंने गांव छोड़ दिये थे। राजस्व मंत्री ने कहा कि उन लोगों के स्थायी पुनर्वास की योजना शासन के विचाराधीन है। मैं जानना चाहूंगा कि वह योजना क्या है? खासकर इन तीन ग्रामवासियों की जो उजड़ चुके हैं उन्हें क्या तराई भाभर में बसाने की योजना है। सितम्बर मास में एक शिष्ट मंडल आया था और वह तत्कालीन मुख्य मंत्री से मिला था कि हमको तराई भाबर में बसाया जाय।

श्री दीपनारायण मणि---

जिन ग्रामों को क्षति पहुंची है उनको रहने के लिये व्यवस्था कर दी गई है। उनके स्थायी निवास की योजना विचाराधीन है। स्थायी निवास के सम्बन्ध में शासन विचार कर रहा है। जब योजना बन जायेगी तो अवगत करा दिया जायेगा।

श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)---

नदी के किनारे के जो गांव थे उनको बसाने के लिये फ्लड कन्ट्रोल द्वारा क्या योजना बनाई जा रही है? जो बेघरबार हो गये हैं उनको मुआविजा दिया जाता है। इन नियमों में बदलाव करने का सरकार का विचार है या नहीं?

(इस समय ५ बजकर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री दीपनारायण मणि---

मान्यवर, हमारे राजस्व विभाग को जो व्यवस्था करनी है उसमें परिवर्तन की बात नहीं हुई है और न व्यवस्था की।

श्री गोविन्द सिंह---

इस बाढ़ से जो मकान नष्ट हो गये हैं उनमें प्रति मकान को बनाने के लिये सरकार ने कितने रुपये की सहायता दी है?

श्री दीपनारायण मणि---

मैंने तो बता दिया था जितनी सहायता दी गई है। कितनी सहायता दी गई है वह तो वक्तव्य से स्पष्ट है।

श्री गोविन्द सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता था कि प्रति मकान बनाने के लिये कितनी सहायता दी गई है ?

श्री दीपनारायण मणि---

इसकी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। एकमुश्त जो रकम दी गई है वह लिखी गई है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, ४८ घंटे के बाद अखिल भारतीय रेडियो से इस समाचार का पता लगा और तभी उत्तर प्रदेश की सरकार को उसका ज्ञान हुआ। तो ऐसी सूरत में क्या मंत्री जी एसी व्यवस्था करेंगे कि जब कभी ऐसी दुर्घटनायें हुआ करें तो उसकी सूचना तत्काल शासन को मिला करे ?

श्री दीपनारायण मणि---

इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, यह साधारण दुर्घटना नहीं है। इसमें काफी जन-धन की हानि हुई है और वह बाढ़ से के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से हुई है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंग कि एक्सपट कमेटी बिठा कर यह जांच करायेंगे कि यह दुर्घटना क्यों हुई और क्या उसको रोका जा सकता था ?

श्री दीपनारायण मणि---

शासन को इसकी सूचना नहीं है कि अन्य कारणों से हानि हुई है। अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे और उसमें कोई अन्य कारण बतायेंगे तो उसकी जांच करायी जा सकती है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

श्रीमन्, यह दुर्घटना जो हुई वह बेलाकूची वाली सड़क के कारण हुई है। इस सड़क को १९४४ में संबंधित इन्जीनियरों न पास नहीं किया था और इसके स्थान पर चमोली से हाट विष्णु प्रयाग बद्रीनाथ वाल मोटर मार्ग की सलाह दी थी और जोशीमठ के पास अलखनन्दा पर पुल बनाने की योजना दी थी। तो क्या उस इन्जीनियर कि रिपोर्ट को मंगा कर माननीय मंत्री जी देखने की कृपा करेंगे ?

श्री दीपनारायण मणि---

माननीय सदस्य अगर लिख कर देंगे तो उसे देख लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप नोट कर लें उसे मंगा कर देख लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या इस बात को देखते हुये कि इस सदन के एम० एल० एज० जो वहां के स्थानीय एम० एल०ए० हैं तीनों, जिन्होंने वहां के बारे में व्यक्तिगत जानकारी दी है, उसके आधार पर क्या

[श्री गोविन्द सिंह]

माननीय राजस्व मंत्री जी कोई इन्क्वायरी कमीशन बिठायेंगे क्योंकि उनका कहना है कि यह रिपोर्ट बिलकुल गलत है ?

श्री दीपनारायण मणि---

कमीशन बिठाने की जरूरत नहीं है । यदि वहां के तीनों माननीय सदस्य सामूहिक रूप से लिख कर कुछ सुझाव देंगे तो विचार कर लिया जायेगा ।

श्री गोविन्द सिंह---

जब इस आदरणीय सदन में यह प्रश्न उठाया गया तो लिखकर देने की जरूरत क्या है ?

(व्यवधान)

श्री दीपनारायण मणि---

श्रीमन्, मैंने कहा कि यदि तीनों माननीय सदस्य लिखकर कुछ सझाव देंगे तो उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

जब आल इंडिया रेडियो से उस घटना का प्रसारण हुआ तब आपको पता चला, इससे ज्यादा आपके अधिकारियों की नेग्लीजेन्स और क्या हो सकती है । तो क्या इस मामले की जांच के लिये कोई नान आफिशियल कमेटी बिठायेंगे, उसमें उनको क्या परेशानी है ?

श्री दीपनारायण मणि---

मान्यवर, मैंने कहा कि शासन को जो सूचना मिली वह मैंने दे दी । अगर माननीय सदस्य दोबारा कुछ फैक्ट्स लिखकर देंगे तो फिर से जांच करा लेंगे ।

श्री रियासत हुसैन---

नान आफिशियल कमेटी आप बिठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा कि आप लिखकर दे दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

हम यहां पर जो बार-बार कह रहे हैं, वह क्या लिखित से कम है । प्रोसीडिंग्स लिखी जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष---

लिखने से विषय में स्पष्टता तथा स्थिरता आ जाती है । प्रोसीडिंग्स से आप कह सकते हैं कि हमने यह बात लिखी थी या यह नहीं लिखी थी ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

जब अधिकारी एक बार अपनी गलती छिपाने के लिए ऐसी रिपोर्ट दे चुके हैं, तो वह तो बार-बार ऐसी रिपोर्ट देंगे ही । अतः मेरा सुझाव है जैसा रियासत हुसैन जी ने कहा कि एक नान आफिशियल कमेटी बिठा दी जाए जो यह देखे कि उनकी रिपोर्ट ठीक या है नहीं ? और वास्तविकता क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने तो तीन आदमियों की कमेटी के बारे में बता दिया ।

श्री नौनिहाल सिंह---

सवाल तो जांच कराने का नान आफिशियल मेम्बर से है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

एक नान आफिशियल इंक्वायरी बाडी बना दी जायगी, यह आश्वासन यदि मंत्री जी दे दें तो हम लिखकर दे देंगे ।

श्री दीपनारायण मणि---

मान्यवर, मैंने यह कहा कि अगर तीनों सदस्य लिखकर दें और विशेष बात लिखकर दें, तो उनको जिला अधिकारियों के साथ लेकर जांच करा ली जायगी ।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)---

मैं राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता था कि जबकि दोनों तरफ के सारे सम्मानित सदस्य आपसे इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक कमेटी नान आफिशियल मेम्बरों की बनाकर जांच करा लीजिए, तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत है ? (व्यवधान) बड़े अफसोस की बात है जब मेम्बर सरकार में आ जाते हैं तो उनको अफसरों से बड़ा प्रेम हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष---

आप उस अपील के बारे में वक्तव्य या उत्तर देना चाहें, तो दें वह फिर समाप्त हो जायगा जैसे अधिकारी हैं वैसे एक मनुष्य मंत्री जी भी हैं । जैसे अफसर जो एक बार रिपोर्ट दे चुका उससे पीछे हटना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह की स्थिति इनके साथ भी हो सकती है । इसलिए आप इनके कमरे में जाकर बात कर लें । तो शायद आपकी अपील स्वीकार हो जाए ।

श्री गोविन्द सिंह---

जब यहां नहीं मानते तो वहां कैसे मानेंगे ?

श्री इन्द्रमणी---

चित्रकोटि के बारे में जो हमने कहा, तो क्या मंत्री जी स्वयं अपने आप वहां जाकर यथार्थता को जानना चाहेंगे कि वहां पर जन जीवन बिलकुल समाप्त हो चुका है ।

श्री दीपनारायण मणि---

जब बाढ़ आती है भीषण होती है । वहां पर भी काफी भीषण बाढ़ आई । शासन की ओर से भी रिपोर्ट आई उसकी गम्भीरता है । और जो सहायता हो सकती थी वह शासन ने पहुंचाई है । अब कोई विशेष बात है तो बात और है । यों मैं तो वहां जा चुका हूं । अगर माननीय सदस्य लिखकर दें तो फिर जांच करा ली जाएगी ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, यह जो हम लोग कार्य-स्थगन प्रस्ताव देते हैं । मुझे मालूम है कि जो प्रायरिटीज की लिस्ट है उसमें आखिर में जगह दी हुई है । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप यहां पर कई बार उपस्थित नहीं होते । मैंने नक्सलपंथियों की गतिविधि के बारे में जो उत्तर प्रदेश में आतंक मचा है, आज दिया था । माननीय उपाध्यक्ष के सामने कह नहीं सकते, हमारी मजबूरियां हैं । आपने उसको वक्तव्य तक के लिए नहीं स्वीकार किया ।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

परिमल घोष कलकत्ता में मारे गये । सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर हंगामा मचा हुआ है । आप कहीं तो स्वीकार कर लें । हम कहां आप से कहें ? आप कहते हैं कि हमारे कमरे में आ जाइये ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको व्यवस्था देता हूं । आप सुनिए । आपका कामरोको प्रस्ताव जो था उसमें जितनी कार्यवाहियां हो रही है सब इकट्ठी रख दी है । गोली किस ने कहां मारी यह कुछ नहीं था । उसमें था कि ऐसी-ऐसी कार्यवाही हो रही है । उसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव कैसे हो जायगा । आप मुझ से सलाह भी कर लिया करें । जेटली साहब मेरे पास आये । उन्होंने दिया था विद्यार्थियों के बारे में । यहां भी कह रहे थे और मेरे कमरे में भी आये । जब उनकी बात पढ़ी तो उसमें लिखा ही नहीं था कि कहां पर विद्यार्थी पकड़े गये क्योंकि वह कई जगह पकड़े गये । तो सरकार क्या उत्तर देगी । जब मैंने उनसे उस कमी को बताया तो उन्होंने कहा कि वे लखनऊ के विद्यार्थी थे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मुझे दुख इस बात का है, कि कम्युनिस्टों के खिलाफ जो आ रहा था वह आपने रोक दिया, यह खुश हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने बताया कि लखनऊ के विद्यार्थी पहले पकड़े गये । मैंने लिख लिया लखनऊ । लेकिन अगर गोल बात रहे तो उसका जवाब सरकार कैसे दे सकती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

बताया था । सुल्तानपुर का है ।

श्री अध्यक्ष---

यह निश्चित बात हो गयी---लखनऊ के विद्यार्थी । तब मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया ।

श्री अध्यक्ष---

श्री उदित नारायण ।

विभाजन में गलत हस्ताक्षर बनाने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो अभी मतदान हुआ है इसमें कुछ भारी गलतियां हुई है । कुल हाजिरी ३४६ थी और वोट आपके ३४९ हैं । धर्मवीर जी के दो दस्तखत हुए हैं । मुझे पता चला है कि और भी दस्तखत हुए हैं । इसकी जांच करवाइये और आगे के लिए व्यवस्था कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने पार्टियों के नेताओं को इसी काम के लिए बुलाया था । सचेतक तो जमा हो जाते हैं, नेता नहीं हो पाते । पिछली दफा नेताओं को इसीलिए बुलाया था । बाद में आपने शिकायत की, मैंने इनक्वारी की और जब ये नहीं आये मैंने बैठक कैंसिल कर दी । अगर ऐसी कोई बात हो कि जो रेजल्ट आउट किया गया है उसमें ऐसा फर्क दिखता है कि जीत दूसरी ओर की हो सकती थी तो मैं रिजेल्ट को कैंसिल कर देता । अगर ऐसा हुआ हो तो उसके लिए कार्यवाही जरूर करूंगा । और यह सदन के सामने आ जायगा कि किन लोगों ने गलती की ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

वह आपने ठीक कर दिया है, यह हमने सोचा था। अब देखते हैं कि टोटल नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष---

अब भूमि आन्दोलन के बारे में आप कहिए।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न [क्रमागत]

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)---

इसके पहले कि दफा ५३ का विषय मैं आपके सम्मुख उपस्थित करूं अभी जो पहले चर्चा हो रही थी, जो व्यवस्था का प्रश्न नित्यानन्द जी ने उठाया उसके विषय में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

उसके लिए मैंने नहीं बुलाया है। इसमें आपका नाम मौजूद है, नियम ५३ के बारे में।

श्री उदित नारायण---

तो एक ही वाक्य सुन लें। यह जरा अच्छा नहीं मालूम पड़ता कि आपसे किसी काम को यह कह कर करा लें कि उपाध्यक्ष करते नहीं, आप आ गये हैं, आप ही सुन लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मैं स्पष्टीकरण के लिए कहना चाहता हूं। वह कहते है कि इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय लेते हैं स्वीकार या अस्वीकार करने का। इस लिए मेरे सामने क्या अपील करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

जब मैंने रिजेक्ट कर दिया तो आपके चर्चा करने की जरूरत नहीं थी।

श्री उदित नारायण---

यहां पर अव्यवस्था व्यवस्था के नाम पर होती है।

श्री अध्यक्ष---

आप ठीक कह रहे है। मैंने भी एक दिन यह कहा था।

भूमि आन्दोलन में कारावासित सत्याग्रहियों तथा श्री मंजूर अहमद, सदस्य, विधान सभा के प्रति मारपीट के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)---

अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि नियम ५३ के अन्तर्गत विषय की चर्चा करूं, उससे सम्बन्धित एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। श्रीमन्, इस समय जो विषय आपके सामने उपस्थित हो रहा है, यह अत्यन्त गंभीर है। मुझे दुख है कि गंभीरता को सरकारी पक्ष ने नगण्य कर दिया है। यह चर्चा ऐसी नहीं थी कि इसमें मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्री जी न होते। चर्चा एक माने में कारागार विभाग से सम्बन्धित है लेकिन अगर देखा जाय तो यह मुख्य मंत्री से सम्बन्धित है। इसमें लिखा हुआ है कि जब यह हुई है, तो इसकी सूचना मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी और आपको मंजूर अहमद साहब ने दी है। तो इसकी भी गरिमा नहीं रही कि एक माननीय इस सदन के सदस्य को एक अदना अधिकारी की यह जुर्रत हो कि वह कोठरी में बन्द करके उसको मार सकता

[श्री उदित नारायण]

है । तो अगर यह बात अहम नहीं है तो जनतंत्र नहीं चलेगा । यह प्रश्न नहीं है कि माननीय मन्जूर अहमद मारे गये । मैं दूसरा प्रश्न नहीं मिलाऊंगा, इसकी अहमियत कम हो जावेगी । यह बात मुख्य मंत्री जी के पास जाय, गृह मंत्री जी के पास जाय और विवाद आये, तो क्या मैं समझूं कि उनको ज्ञान नहीं है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य मंजूर अहमद को जेल में मारा गया है । यह उनका कहना काफी होना चाहिये । इस के बाद किसी गवाही की जरूरत नहीं होना चाहिये । इतना काफी है कि इस सदन का एक सम्मानित सदस्य कहता है कि यह दुर्घटना घटी । तो यह सरकार कैसी है ?

श्री अध्यक्ष---

मैं उनको बुलाता हूं, आप बैठे जायं । यह महत्व का प्रश्न है, इसलिये ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है । यह मुझे अखरता है । जैसे विरोधी दल के नेता है वह जब किसी महत्व-पूर्ण बिल पर बोलें तो कम से कम मैंने यह तय किया है कि मैं बैठूंगा जबतक कि उनकी बात सुन न लूं । तो मेरा मत है कि जिस समय नेता विरोधी दल का भाषण हो उस समय नेता सदन को भी उपस्थित रहना चाहिये । मैं इसको पूरा-पूरा प्रेस करूंगा । वह अभी आये हैं, ऐसे प्रश्न उनके सामने आये नहीं हैं । मैं समझता हूं कि गृह मंत्रीजी को इसमें होना चाहिये था ।

श्री उदित नारायण---

तो श्रीमन् आज इसको स्थगित कर दें, और कल दो घंटे की चर्चा ले लें और उसमें गृह मंत्री और मुख्य मंत्रीजी उपस्थित रहें ।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास ऐसे कई सवाल है इसलिये मैं इसको स्थगित नहीं करूंगा । कल से रोज दो-दो घंटे शाम को बैठना है । मैं इस वक्त उनसे कहता हूं और कहला भेजता हूं कि गृह मंत्रीजी को आना चाहिये । आप अपना भाषण जारी रक्खें । कारागार मंत्री से इसका सम्बन्ध इसलिये है कि कहा गया है कि कारागार में ही उनको मारा पीटा गया ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री पहले पहल मुख्य मंत्री बने हैं । उन्हें यह विदित नहीं है कि शिष्टाचार क्या होता है । कृपा करके आप उनको इस शिष्टाचार से अवगत करा दें । आपसे मेरा यही निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं जरूर अवगत करा दूंगा ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री के लिये उस तरह की बात कहना उचित नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह---

मैं फिर दोबारा उसी बात को कहता हूं ।

श्री इन्द्रमणी---

श्रीमन्, यह उचित बात नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, नेगी जी ने जिस ढंग से माननीय नेता सदन के बारे में कहा है कि उनको शिष्टाचार तक का ज्ञान नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वे सारे सदन के नेता हैं और सभी जानते हैं

कि उनकी तबियत इस वक्त खराब है और ऐसी हालत में नेगी जी द्वारा उनको शिष्टाचार सिखलाने का उपदेश किया जाय, यह हास्यास्पद सा लगता है । इस पर उन्हें आपको रोकना चाहिये था ।

श्री गोविन्द सिंह—

अगर बीमारी की बात थी तो इस सम्बन्ध में आपसे उनको निवेदन करना चाहिये था । अगर वे नहीं आ सकते थे तो गृह मंत्री को आना चाहिये था । अगर मुख्य मंत्री बैठे हों तो माननीय नेता विरोधी दल को भी मौजूद रहना चाहिये । यही शिष्टाचार है । मेरा निवेदन है कि उनके नोटिस में इस बात को लाना कोई बुरी बात नहीं है । अगर वे बीमार हैं तो उन्हें आपको सूचित करना चाहिये था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन् मुझे इस पर बड़ी आपत्ति है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी कम से कम इस बात की जांच तो कर लेते कि किन परिस्थिति में वे नहीं आये । उनकी अनुपस्थिति में आपने भी उनसे अपनी सहमति प्रकट कर दी । नेगी जी के यहां शिष्टाचार तो होता नहीं है । रूस में जो कुछ होता है वे कहते हैं ।

श्री इन्द्रमणी—

नेता सदन के लिये इस तरह की बात कहना बड़ी आपत्तिजनक है । पहले ये अपने शब्दों को वापस लें ।

एक सदस्य—

जब आपने नेगी जी की बात मान ली कि वे सही कहते हैं और आपने कहा कि उनको इससे अवगत करा देंगे कि शिष्टाचार क्या है, फिर इन लोगों को इसमें आपत्ति की क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष—

अब इसके ऊपर चर्चा कोई नहीं हो सकती । मैंने आपसे कह दिया कि मेरा यह लास्ट वर्ड है । शिष्टाचार का यह तरीका है । मैं मुख्य मंत्री और गृह मंत्री दोनों से कह दूंगा लेकिन इस ढंग से नहीं कहूंगा कि जिस ढंग से आप कह रहे हैं ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री दीपनारायण मणि)—

श्रीमन्, आप कहें तो मैं इनको शिष्टाचार सिखला दूं ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे साथ भी आप शिष्टाचार का व्यवहार करेंगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूं । जब मैं कहता हूं कि यह खतम हो गया तो फिर उसके ऊपर बहस करने का किसी को कोई हक नहीं है । मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि गृह मंत्री जी को यहां बुलवा लूं ।

श्री उदितनारायण—

कम से कम गृह मंत्री को तो यहां होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

कारागार से सम्बन्धित जो मंत्री हैं वे बैठे हैं । वे बहुत जिम्मेदार आदमी हैं ।

श्री उदितनारायण—

कारागार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । केवल इससे सम्बन्धित है कि सदन के एक माननीय सदस्य का यह कहना है कि उसके साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार इस सरकार के अधिकारियों ने किया और उसकी सूचना उसने मुख्य मंत्री को दी, माननीय अध्यक्ष को दी,

[श्री उदित नारायण]

उपाध्यक्ष को दी और गृह मंत्री को दी। इस तरह से इसका सम्बन्ध कारागार मंत्री से नहीं रह जाता है। हम यह जानना चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने क्या किया, गृह मंत्री ने क्या किया? क्या उनका कुछ करने का कर्त्तव्य था या नहीं। उनके कान पर भी जूंरेंगी कि माननीय सदस्यों के साथ बाहर क्या व्यवहार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

कारागार मंत्री का फर्ज है कि जो चीज आप कहेंगे वे उन्हें सुना दें। आप शायद चर्चा नहीं करना चाहते।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

चर्चा करना चाहते हैं। श्रीमन् डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले का उच्च अधिकारी है। उनको जेल के बारे में शिकायती पत्र दिया गया। इसका सीधा सम्बन्ध जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से हो जाता है जो कि मुख्य मंत्री जी के पास है। मुख्य मंत्री जी का होना यहां जरूरी है। हम तो कहना चाहते हैं। लेकिन जवाब तो उनकी तरफ से आयेगा। यह तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन आज इसे स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

स्थगित तो मैं नहीं करूंगा। आप कह लें। एक मंत्री, दो मंत्री सब एकसे हैं। ज्वाइंट रेसापान्सीबिलिटी है। आगे जो व्यवहार करना है उसकी बात मैं उनसे कह दूंगा। लेकिन आज की चर्चा को समाप्त करें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य का मामला है। एक माननीय सदस्य की शिकायत है जैसा कि माननीय शर्मा जी ने कहा। जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनका सामान छीना गया। इस तरह के प्रश्न संसद में उठाये गये हैं और वहां माननीय अध्यक्ष ने उन अधिकारियों को तलब किया सदन में। यह विशेषाधिकार का सवाल है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ किया या नहीं यह अलग सवाल है। यह तो विशेषाधिकार का प्रश्न है। उसको विशेषाधिकार में लाये और इस मामले का निपटारा कराये जिनके खिलाफ यह शिकायत है। माननीय सदस्य की शिकायत पर उनको तलब किया जाय और कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका सुझाव है। नियम ५२ में इसको मैंने रखा है तो इस पर कार्यवाही शुरू करें।

एक सदस्य—

विशेषाधिकार की अवहेलना का भी दिया था। मुख्य मंत्री जी यहां नहीं है, गृह मंत्री जी नहीं है तो कौन बतलायेंगा कि क्या कार्यवाही सरकार ने की।

श्री अध्यक्ष—

सदन में आप चर्चा नहीं करना चाहते।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

इतना निवेदन जरूर है कि माननीय मंजूर अहमद में और एक मामूली क्रिमिनल में जिसको जेल में पीटा जाय डिस्टिंक्शन करें। परिस्थिति की गरिमा को देखते हुए जरूरी है कि माननीय

सदस्य का अपमान किया गया और उसकी सूचना मुख्य मंत्री जी, गृह मंत्री और माननीय अध्यक्ष के पास भेजी गयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं भी इसकी गरिमा को समझते हैं और समझकर ही निर्णय दिया है कि गृह मंत्री को यहां होना चाहिये। मुख्य मंत्री जी तो अस्वस्थ्य है, लेकिन गृह मंत्री तो आ सकते है। ऐसी कौन-सी कठिनाई हो रही है कि जब इतना इम्पार्टेन्ट प्रश्न है, गृह मंत्री जी नहीं बैठ सकते। आप उन्हें तुरन्त बुलवा दें। हम चर्चा तो चलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप चर्चा चलायें। गृह मंत्री जी को बुलाया जा सकता है क्योंकि मुख्य मंत्री बीमार हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, आप मार्शल को भेज कर गृह मंत्री जी को बुलवायें।

श्री अध्यक्ष—

आप शुरू करें।

श्री उदित नारायण—

अध्यक्ष महोदय, आपको और इस सम्मानित सदन को भलीभांति विदित है कि गत सितम्बर मास में हमारे प्रदेश ही नहीं सारे देश के राजनीतिक दलों ने यह निर्णय लिया कि हमारे देश में व्याप्त जो विषमता है जो निर्धनता है, हमारे देश में व्याप्त जो ऐसे लोग है जिनके पास एक बिस्वा भी भूमि नहीं है और दूसरी और ऐसे लोग है जिनके पास हजारों बीघा जमीन है वह उसको दबायें बैठे हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी न्यायप्रिय सरकार को बरदाश्त नहीं करना चाहिये और न किसी भी न्याय प्रिय आदमी को बरदाश्त करना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी राजनीतिक नेता अथवा कार्यकर्त्ता को यह मालूम पड़े कि किसी स्थान पर कोई अन्याय हो रहा है तो वह चुप बैठे। अन्याय की वह परिभाषा है जिसमें कि सभी चीजें होंगी, ऐसे समय उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उसके मुकाबिले में संघर्ष करे। इसका निष्कर्ष न्यायप्रिय लोगों को स्वयं निकालना है कि कौन सी चीज न्याय संगत है और कौन सी न्यायसंगत नहीं है। जो लोग जनतंत्र में जनता की सेवा करने का दम भरते है उनका यह अधिकार है और कर्त्तव्य है कि वह इसका स्वयं विश्लेषण करे। अब प्रश्न यह है कि यदि सचमुच ही हम यह समझते है कि जनतंत्र में वास्तव में इमानदारी से कार्य नहीं हो रहा है तो हमको यह अधिकार है कि हम सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर सकते है जो हमारा अधिकार है।

आज सभी लोग इसको मानते हैं यह एक तथ्य है और जिस दिन इसको नहीं मानेंगे और जिस दिन यह दकियानूसी ख्याल हो जायेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़ताल, संघर्ष करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है और जेल जाने का कोई महत्व नहीं है। उस दिन हमारा जनतंत्र ही समाप्त हो जाता है। उनको धीरे-धीरे इसी नतीजे पर आना पड़ेगा चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों अथवा विरोधी पक्ष के वे इसको अच्छी तरह से समझ लें कि सभा के अन्दर जो इस प्रकार की असमानता है, समाज के अन्दर जो अन्याय है उसको यदि दूर करने के लिए वे प्रयत्नशील नहीं होंगे तो यह तो अपने ही कर्मों का दोष कहा जायेगा। मैं इस इन्सटेन्स पर कह रहा था कि माननीय मंजूर अहमद साहब जेल गये थे। एस० एस० पी० ने एलान किया था कि उसके सभी कार्यकर्त्ताओं का कर्त्तव्य है वे जावें और जिन लोगों के पास उनकी आवश्यकता से अधिक जमीनें है उसको लेकर उन लोगों में वितरित कर दी जायं जिनके पास कोई भी भूमि नहीं है, भूमि को तकसीम करें। माननीय मंजूर अहमद के साथ १० साथी और थे लगभग ३०० आदमी मेरठ जेल में बन्द हुये थे। १० आदमियों के डाक्टरी प्रमाण-पत्र मेरे पास ह जिनकी सूचना सभी लोगों के पास भेजी जा चुकी है कि उनके साथ क्या

[श्री उदित नारायण]

कुछ किया गया। धारा १४४ लागू होती है उस सिलसिले में जो लोग पकड़ कर जेलों को भेजे जाते ह उससे यह चीज एकदम भिन्न थी। जो लोग पकड़े गये थे उनको पुलिस ने लाठियों से मारा और क्या-क्या ज्यादतियां उनके साथ नहीं कीं। यही नहीं जो सत्याग्रही लोग पकड़ कर जेलों में बन्द किये गये थे वहां पर जेलों के अन्दर जाकर भी उनको मारा गया।

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि उनके १० साथियों को जेल के अन्दर ले जाया गया और बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की वहां के कर्मचारियों ने और इसके प्रमाण स्वरूप हमारे पास डाक्टर की रिपोर्ट मौजूद है। यह अहम बात एक तरीके से और हो जाती है कि हमारे पास वह भी कागजात मौजूद हैं जिनसे मालूम होगा कि माननीय मन्जूर अहमद ने उससे पहले, जिस जेल में यह बन्द हुये थे, उस जेल के अधिकारियों के खिलाफ कई महीनों से लगातार शिकायत करते रहे थे कि वहां पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है। इससे यह बात जाहिर होती है कि उन्होंने पुरानी रंजिश मानकर इनको पीटा हो।

माननीय स्वामी प्रसाद सिंह जिस समय वह कारावास मन्त्री थे, वह भी मिलने गये थे। माननीय मंजूर अहमद साहब ने इन अधिकारियों की शिकायत उनसे की और उन्होंने इसकी जांच के बारे में आदेश दिये। लेकिन उस जांच की रिपोर्ट अभी तक पता नहीं। मालूम नहीं कि जांच हुई कि नहीं। पता नहीं मान्यवर, यह जो व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है पता नहीं वह कहां जाकर रुकेगी। कितना ही बड़ा हाकिम क्यों न हो, नीचे का हाकिम जो लिख देता है वही माना जाता है। इसका कारण यह है कि यहां कोई सुनने वाला नहीं है। श्रीमन्, मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि, इसमें ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिनकी वजह से आपको इस नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी कि माननीय मन्जूर अहमद साहब को जो मारा गया था वह पुरानी रंजिश के ऊपर मारा गया था। वही नहीं, मान्यवर, मारे गये बल्कि उनके दूसरे साथी भी मारे गये।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके वह घटना सुना दीजिये। जिससे वह प्रकाश में आ जाय। प्रकाश आ जाने से ज्यादा असर होता है।

श्री उदित नारायण—

मान्यवर, १३—९—७० को मेरठ जेल में काफी तादाद में सत्याग्रही बन्द किये गये और वहां उनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनका माल लूट लिया गया। उनके पास कपड़े, घड़ी, अंगूठी, जूते, इत्यादि और बहुत सा नकद रुपया सत्याग्रहियों का था जो उनके मिलने वाले लाये थे या सामान लाये थे। श्रीमन्, मेरे पास लिखा हुआ है, ३० किलो चीनी, ३० किलो प्याज, बीड़ी के बंडल, वगैरह इस लिस्ट में दिया है, इन सब चीजों को लूट लिया और इनको मारा। १३ तारीख के बाद १६ तारीख को माननीय मन्जूर अहमद की रिहाई का परवाना अदालत से आया जेल में। जेल के अधिकारियों ने इसकी सूचना मन्जूर अहमद साहब को दी कि उनका रिहाई का परवाना आया है और उनको रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर आते ही, उनको फिर बहाना करके, या किसी और कारण से यह कहा गया कि रिहाई का जो परवाना है वह गलत है और उनको फिर से ले जाकर कोठरी में बन्द कर दिया।

श्रीमन्, मैं आपकी सूचना के लिये यह भी बता दूं कि इनको वहां बराबर अकेली कोठरी में रखा गया। रात्रि में मान्यवर, कुछ लोग लाठी लेकर, छुरा लेकर आये और कुछ कागज लाये। उन कागजों को इनके सामने रखकर इनसे दस्तखत करने के लिये कहा। इन्होंने दस्तखत करने से इन्कार किया तो उन्होंने जबरन इनके हाथ बांधे, पैर बांधे और इनको मारा गया। जब यह अर्द्ध मूर्छित अवस्था में थे, क्योंकि इनके चोट बहुत पहुंची, इन्होंने मजबूरी में कुछ कागजों पर

दस्तखत किये । श्रीमन्, मेरे पास मंजूर अहमद साहब के जो चोटें आयीं हैं, उनकी रिपोर्ट हैं । उनके १२ चोटें आयी हैं ।

कुंवर देवेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)---

ये चोटें जेल के अन्दर आयी हैं या बाहर ।

श्री उदित नारायण---

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं वे क्या इस बात को कहना चाहते हैं कि उनको ये चोटें जेल के बाहर आयी थीं ?

कुंवर देवेन्द्र सिंह---

म यह पूछ रहा था कि आपको यह कैसे मालूम कि ये चोटें जेल के अन्दर आयीं ?

श्री उदित नारायण---

डाक्टरी मुआयने से मालूम हुआ और माननीय मंजूर अहमद साहब ने स्वयं कहा कि उनको ये चोटें जेल के अन्दर आयीं । मैं नहीं समझता कि कोई माननीय सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्य के इस प्रकार के बयान को चैलेन्ज कर सकता है । माननीय उप मंत्री ने जो बात कही है उससे आप नहीं समझते कि उसका क्या परिणाम हो सकता है कि उनको जेल से बाहर चोटें आयीं । वे जो बात कह रहे हैं, उसके महत्व को सोचे बिना ही कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंजूर अहमद को १२ चोटें आयीं जिसमें से ७ सोटें ऐसी हैं जिनके बारे में लिखा गया है कि वे ७ : १२ सें० मी० की हैं । यह हालत तो एक एम० एल० ए० की है । एक और संयोग है मैं संयोग शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूं । यह १३ तारीख की घटना है । जबकि इस प्रकार से सत्याग्रहियों को पीटा गया । आपको याद होगा १० या ११ तारीख को चरण सिंह जी का एक बयान छपा कि जिसमें जनाब ने फरमाया कि "जेल्स विल नाट बि पिकनिक स्पाट्स" ऐसी बात कहना किसी जिम्मेदार ओहदे पर रहने वाले के लिये शोभा नहीं देती । इस बात के क्या माने हैं । जेल्स के रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार ही यहां पर व्यवहार होता है । इसके बावजूद भी यह बयान देने के क्या मानी होते हैं । यह किस लिये कहा गया । क्याइसलिये कहा गया कि वहां जो नियम बने हुए हैं उनका पालन नहीं होता या इसलिये कहा गया कि उन अधिकारियों को यह समझ लेना चाहिये कि जेल में जो नियम बने हुये हैं वे काफी नहीं हैं, एक-एक मुखालिफ को दुरुस्त कर दिया जायगा । ऐसा उपाय किया जाना चाहिये कि लोगों को यह सीख मिले कि वे वैसा आचरण भविष्य में न करें । जो मंत्रिगण और सदस्यगण यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह माननीय मंजूर अहमद साहब की ही बात नहीं है ।

आज माननीय मंजूर अहमद साहब इधर बैठे हैं और आप लोग उस तरफ सरकार में बैठे हुए हैं और इसलिय उनको पिटवाया गया । इस प्रकार से जनतंत्र नहीं चल सकता । इससे हमारी असेम्बली की महिमा किसी भी प्रकार से बढ़ने वाली नहीं है । सदन के किसी भी माननीय सदस्य के सम्मान को इस प्रकार से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिये । यह बड़े दुःख की बात है कि जेल के साधारण अधिकारी उसको इस प्रकार से चोटें पहुंचायें । यह जानते हुए कि यह एम० एल० ए० है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां कुछ इस तरह की पार्टीबंदी है, हमारी जहनियत इतनी खराब हो गयी है कि हम दूसरे पक्ष के लोगों को अपने से हेठा समझते हैं । अधिकारी लोग यह समझते हैं कि सारे राजनैतिक कार्यकर्ता जो सरकार में हैं, चाहे वे मंत्री हों या सरकारी पक्ष हों, उन लोगों की यह जहनियत बन गयी है कि अगर उनके मुखालिफ को पीटा जाता है तो उनको खुशी होती है । इसके बिना यह हो नहीं सकता कि मामूली जेल का अधिकारी एक एम० एल० ए० को पीट दे ।

[श्री उदित नारायण]

मैं बहुत नम्रता से यह निवेदन कर देना चाहता हूं मंत्रिगण से और जो भी माननीय सदस्य बैठे हैं, उनसे यह विनम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर इस जहनियत को बढ़ावा दिया गया तो जनतंत्र नहीं चल सकता। आज तो मंजूर अहमद साहब ने इस को बरदाश्त कर लिया लेकिन कभी इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। यदि कोई अधिकार में रह कर किसी को अपमानित करना चाहता है तो बाहर वाला यह भी सोच सकता है कि उस अधिकार वाले को बाहर अपमानित किया जाय। उस समय क्या होगा। आप यहां पर मंत्री या मुख्य मंत्री हैं और आपने किसी को जेल में पिटवा दिया। और वह सड़क पर पिटवाने लगे तो क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। मैं समझता हूं कि आपके जनतंत्र के इतिहास में ऐसी इनोगिनी घटनायें होंगी और उनमें से यह एक घटना है मुझे श्रीमन्, बड़ी तकलीफ हुई और मैं समझता हूं कि श्रीमन्, ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मुझे मजबूर किया कि मैं उन बातों को गृह मंत्री या मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में भी आपके सामने उपस्थित करूं। मैं उन बातों को जब तक गृह मंत्री या मुख्य मंत्री न आ जायं नहीं कहना चाहता था लेकिन आपने कहा कि आपको करना है। मैं समझता हूं कि यह सदन उसी समय चल सकेगा जब हम यह जानते हुये कि इस कुर्सी से गलत आज्ञा हो रही है तब भी उसको शिरोधार्य करेंगे। श्रीमन्, ने कहा था कि गृह मंत्री न आयें, मुख्य मंत्री न आयें, आप प्रारम्भ कीजिये। लेकिन मैं समझता था कि जब मैं प्रारम्भ करूंगा तब आप उनको बुलाकर यहां पर बिठा देंगे। यह कोई अच्छी बात होने वाली नहीं है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज श्रीमन्, के सामने ऐसा प्रश्न उपस्थित है और उस पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करने की कृपा करें क्योंकि यहां पर हर जो माननीय सदस्य बैठता है उसका सम्मान है, इस आदरणीय सदन का सम्मान है और उसकी रक्षा श्रीमन् करते हैं। अगर यहां का कोई एम० एल० ए० बाहर पिटेगा तो वह अपमानित नहीं होगा बल्कि माननीय अध्यक्ष महोदय का अपमान होगा क्योंकि उसके सम्मान की रक्षा का कार्य आपके हाथों में सौंपा गया है। आप ऐसे स्थान पर बिठाये गये हैं और सदन में हर माननीय सदस्य की इज्जत होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले को इस तरह से देखिये जिससे मालूम हो कि बहुत बड़ी घटना हुई है और साधारण तौर पर इस घटना को लिया गया तो अच्छा असर नहीं होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि गृह मंत्री तथा मुख्य मंत्री के सामने ये तथ्य उपस्थित थे। उन्हें यह जानने की चिन्ता होना चाहिये माननीय मन्जूर अहमद ने यह गलत कहा है या सही कहा है। कुछ हो, कोई कारण नहीं हो सकता कि कोई सम्मानित सदस्य यह कहे कि उसके चोटें बना ली हैं और आपके सामने आ गये हैं। जिस दिन यह हालत हो जायेगी उस दिन जनतंत्र हमारे यहां से विदा हो जायेगा हम और आप चाहे जो कहते रहें। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह विषय केवल चर्चा का विषय बन कर न रह जाये बल्कि इसके आगे भी कार्यवाही हो। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिये और दोषी व्यक्ति को सजा दी जाय। यह कोई मामूली बात नहीं है। एक एम० एल० ए० ने लिखकर भेजा कि मेरे साथ फलां अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इससे उसके दिल में क्या इज्जत होगी। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि ऐसी कार्यवाही होनी चाहिये। साधारण कार्यवाही न होकर असाधारण कार्यवाही होनी चाहिये ताकि अधिकारियों को मालूम हो और वे भविष्य में लापरवाही न करें और श्रीमन्, के सदन में जो माननीय सदस्य आते हैं उनको भी मालूम हो उनके सम्मान की रक्षा होगी।

कारागार उप मंत्री (श्री अनीसुर्रहमान)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना घटी उसके संबंध में यह जो कहा जा रहा है कि साधारणतया कोई जांच नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। मैजिस्ट्रीयल इंक्वायरी हुई और माननीय सदस्य के तमाम हितों की रक्षा के साथ-साथ कोशिश की गई कि उनके साथ जो कुछ हुआ है उसकी सही

जानकारी हो। उनको कई दफा नोटिस दिये गये और उनको बुलाने की भी कोशिश की गई। लेकिन वे इंक्वायरी के सामने उपस्थिति नहीं हो सके। दूसरे लोगों ने जो कहा उसको हम सुन रहे हैं। मैं जनतंत्र में विश्वास रखता हूं। मेरी पार्टी भी और पार्टियों की तरह इसमें विश्वास रखती है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि मेरे किसी सत्याग्रही साथी ने किसी को मारा नहीं होगा। माननीय सदस्य के साथ जो घटना हुई है उसका ज्यादा ब्योरा मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इंक्वायरी के समय वे उपस्थित नहीं हुये और सारी कोशिशों को विफल बनाकर जो कुछ कहा जायेगा उसको सुनेंगे।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मुझे आज अफसोस है कि मेरे एक साथी ने, माननीय मंत्री ने यह कहा। जब से यह मंत्रि-मंडल बना है तब से लगातार मैं अपने मंत्रियों से कह रहा हूं। मैं ही नहीं, मेरे पुराने साथी हकीम अब्दुल अजीज जिनके मुंह में पेशाब किया गया, महावीर सिंह निर्वाण, जो आज खाट पर लेटे हैं, पेशाब करने भी नहीं उतर सकते और शायद जिन्दगी भर नहीं उतर सकते और वह कसाई आज वहां बैठा है। मैंने खुद कहा कि ढाई, तीन लाख का सरकारी माल उसके यहां हैं, आप चलें मैं पकड़वा दूंगा। मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी के क्या माने हैं? मैजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करेगा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की, जेलर की? हमें वह क्या न्याय देंगे। भूतपूर्व मंत्री नें सुपरिन्टेंडेंट, जेल के खिलाफ लिखा। आजतक उसका तबादला नहीं हुआ। यह लिखा कि उसके खिलाफ विजिलेन्स की जांच हो और उसे फौरन सस्पेंड किया जाय। लेकिन चूंकि आई० जी०, डी० आई० जी० उसकी हिमायत करते हैं इसलिये उसका कुछ नहीं हुआ।

हमारे १५० साथियों को नंगा किया गया और टांगे चीर करके जैसे पुलिस मारती है ऐसे मारा गया। एक साथी महेन्द्र कुमार आज हापुड़ में लेटे हुये हैं। वह सोशलिस्ट पार्टी के सन् १९३० के कार्यकर्ता हैं। अब्दुल मजीद कुरेशी सन् १९३२ में जेल गये। वह गूंगा आदमी, उसके ३७ चोटें लगीं। महाबीर सिंह निर्वाण, जो पार्टी के एक बहुत जिम्मेदार आदमी हैं उनके २१ चोटें लगी। मंत्रीजी कहते हैं कि मैंने इन्क्वायरी में सहयोग नहीं दिया। सरकारी डाक्टर ने मेरा मुआयना किया है। मेरे गले में चोट है, हाथों में भी है, जिस्म में भी हैं। मेरा ३५० रुपया लूट लिया। बेगुनाह आदमी का राहजनी में आप चालान करा देंगे। इतने हल्केपन से जवाब दे देने से जनतंत्र नहीं चलेगा। मेरे साथी ने कह दिया कि हम देखेंगे। कब तक देखियेगा। कैसे जनतंत्र चलेगा? मुझे मारा, पीटा गया, ठीक है। जेल में मुझे क्यों मारा गया १९५८ से लगातार मुख्य मंत्री को, मंत्रियों को, आई० जी० और गृह मंत्री को, सभी को हम शिकायती पत्र लिख कर देते रहे कि उन्होंने सरकारी फार्म का इतना गल्ला काट लिया। डी० आई० जी० ने सरकारी गेहूं के २६ बोरे पकड़े। उसके बाद मंत्री जी गये। उन्होंने घी, तेल, राशन पकड़ा। परन्तु वह हमसे नहीं मिले, चले आये। लेकिन मुझे मालूम है कि उन्होंने फाइल पर लिखा कि इस आदमी को हटा दिया जाय और विजिलेन्स की जांच कराई जाय। कौन सी बात आप देखना चाहते हैं? पेशाब भी करायेंगे, मारेंगे भी, लूटेंगे भी। अब और क्या चाहते हैं।

मेरे साथियों का कम से कम साढ़े तीन हजार लूट लिया। प्रोफेसर अन्सारी को नंगा कर के भेजा। जब वह बाहर गये तो नेकर पहन कर गये। रामसेवक यादव, एम० पी० ने सारी घटना देखी और इनकी फाइल में उनके बयान भी मौजूद है। इसके बावजूद आज भी वह अधिकारी मेरठ में दनदना रहा है। और जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया उनका आई० जी० से मिल कर राष्ट्रपति शासन के जमाने में तबादला करवा दिया। आज पांच रोज लगातार हो गये कहते हुये कि ढाई, तीन लाख रुपये का सरकारी माल चलिये मेरे साथ मैं पकड़वा दूंगा।

इतने के बावजूद आप और क्या चाहते हैं? कैसे यह गाड़ी चलेगी? कैसे हमारी जिन्दगी रहेगी। इस तरह के काम को हम भी कर सकते हैं लेकिन वह एक गैरमोहज्जब काम

[श्री मन्जूर अहमद]

होगा और वह जनतंत्र में शोभा नहीं देता कि एक अधिकारी को पिटवाया जाय या किसी मंत्री को पिटवाया जाय। अगर हम किसी मंत्री को पिटवाते हैं तो वह तो हमें पकड़वा देंगे। अगर मंत्री जी आज सोचते हों कि यह मंजूर अहमद बोल रहा है तो मेरी जगह कोई भी हो किसी भी दल का कोई सदस्य हो उन सबके सुपुर्द यह इन्क्वायरी की जाय जो हमारी बात सुने और पता लगाने की कोशिश करे, मेरी गलत बात हो तो मेरे कहने पर अमल न किया जाय। अगर आपको जनतन्त्र को जिन्दा रखना है तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह मेरे और मेरे साथियों के डाक्टरी मुआयने की रिपोर्ट को देखें, ६८ से आजतक के सारे कारनामों को देख लें और ऐसे अधिकारी को फौरन सस्पेंड करें और कम से कम इधर के और उधर के सदस्यों की एक कमेटी बिठा दें जो उसके बारे में जानकारी हासिल करे, उसको सदन में बुलाया जाय और अगर उसके पास २–३ लाख रुपये अगर मिल जायं तो मेरी बात को सही मानकर उसके खिलाफ कार्यवाही करें। अगर उसके कालीन और रुपया दिया हुआ डी० आई० जी० मुकुन्द के घर मिल जाय तो मेरी बात सही है। हमारे जेल मंत्री जी और उपमंत्री जी जेल में रहे हैं वह तो कम से कम अब कुर्सी ही की तरफ न देखें बल्कि वह इनसानियत व मनुष्यता की तरफ देखें, वह मेरठ की जेल में रहे हैं और मुमकिन है कि उनको भी कभी फिर जेल में जाना ही पड़े कोई जरूरी नहीं है कि वह ज्यादा दिनों तक यहां मंत्री ही बने रहें इन शब्दों के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा कि इन सारे मामलात की फौरन गम्भीरता से इन्क्वायरी कराके ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)—

श्रीमान् अध्यक्ष, जी आज यह विचाराधीन प्रश्न है कि आया माननीय सदस्य मंजूर अहमद जी मेरठ जेल में पीटे गये या नहीं। उस वक्त मैं कारागार मंत्री था और यह बात सही है कि मेरे जमाने में मेरठ जेल के इस सुपरिन्टेंडेंट की शिकायतें बराबर आती थीं और वह शिकायतें उस वक्त श्री मंजूर अहमद जी के नाम से आती थीं। जब वह जेल में थे तो मैं भी उस जेल में गया था और वहां मैं उन से मिला भी था। जितनी भर उस जेल सुपरिन्टेंडेंट की भ्रष्टाचर, गबन और कैदियों के साथ ज्यादती की शिकायतें थीं वह सब मुझे मालूम हैं। उस वक्त यहां तक हुआ कि जब मैं वहां का मुआयना करके सर्किट हाउस में था तो उस सुपरिंटेंडेंट की यह हिम्मत कि उसने मुझ को शाम को दावत के लिए अपने यहां इनवाइट किया। मैंने उन से कहा कि आप को बिना किसी इत्तिला के इस तरह से दावत देने की हिम्मत कैसे पड़ी तो मेरे पी०ए० ने कहा कि वह मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि उन के पास दरियां बहुत अच्छी हैं और अगर मंत्री जी को जरूरत हो तो वह मिल जायंगी।

मैंने अपने उस मुआयने में और बातों के अलावा यह भी लिखा कि यह शख्स इतना करप्ट है कि उस ने मिनिस्टर तक को करप्ट करने की कोशिश की लेकिन मुझे अफसोस है कि इतना सब लिखने के बावजूद वह इसी इंतजार में रहा कि किसी वक्त भी यह मंत्री वहां से हट जाय क्योंकि मि० अरोरा, आई० जी० के कृपा पात्र हैं। मैं मौजूदा मंत्री जी से कहूंगा कि उसका कारण यह है कि इस जेल का भ्रष्टाचार शायद आप इन सूरतों में, इन परिस्थितियों में नहीं हटा सकेंगे क्योंकि जो विभाग के हेड हैं वह सुपरिंटेंडेंट से आई०जी० बना दिये गये हैं। जबकि आई० जी०, डी० आई० जी० वगैरा से आई० सी०एस० व पी०सी०एस०ग्रेड के होने चाहिये। कारण यही है कि जो उनके पुराने क्लीक्स हैं उनसे वह बाज नहीं आ सकते। आजकल जो भ्रष्टाचार है उसका मुझे इल्म है, यहां तक कि मेरे स्तीफे के इल्म तक उस सुपरिंटेंडेंट मि० अरोरा के खिलाफ अपनी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी और बाद में मुझे मालूम हुआ कि यह मि० अरोरा बड़े खुश हुये और उन्होंने यहां तक कहा कि देखता हूं कि मंत्री जी क्या मेरा करते हैं।

इसके बाद जब पिटायी हुयी, मुझे खबर मिली तो मैं जेल में भी गया और यह बात सही है कि उस अधीक्षक ने जो आन्दोलन करने वाले कार्यकर्ता थे, उनको बुरी तरह से पिटवाया।

उसकी रिपोर्ट मैंने आई० जी० साहब को दी कि इसकी मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो नहीं होनी चाहिये क्योंकि मैजिस्टीरियल एन्क्वायरी तो बेकार की चीज है बल्कि कुछ और बड़ी कायवाही होनी चाहिये । दूसरे मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी जेलर के खिलाफ या सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ कुछ करते हुए नहीं देखा गया तो अध्यक्ष जी, आपके सामने, जो मेरे इल्म में है वह यह है कि यह सही तथ्य है कि जो सुपरिंटेंडेंट हैं, वे बहुत ही भ्रष्टाचारी है और हमारे आई०जी० के कृपापात्र हैं । इसलिये उनका वहां से न तो ट्रांसफर हुआ और न और कोई कार्यवाही हुयी और न उसके बारे में कोई रिपोर्ट ही भेजी गयी । यह बात सही है कि उस जेल के सुपरिंटेंडेंट साहब एस्टीमेट भेज देते हैं और हमारे आई० जी० साहब बिना किसी टेकनिकल हैंड के छानबीन के उसको एक्सैप्ट कर लेते हैं । चाहे कैदियों की रोटी हों, कपड़ा हो, और चाहे दरियां हों सब म करप्शन है । तो इस प्रकार से वहां पर सदन के माननीय सदस्य का अपमान करके सदन का अपमान हुआ है और मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस पर अच्छी तरह से जांच होनी चाहिये ताकि जो तथ्य हों वे प्रकाश में आ सकें ।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न इस समय सदन के समुख प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि माननीय मंजूर अहमद साहब को जेल में पीटा गया और उसकी गम्भीरता पर अब से पहले सभी सदस्य काफी बोल चुके हैं । (माननीय गृह मंत्री के सदन में आने पर)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सदन की भावनाओं का पालन कराया और गृह मंत्री जी को यहां पर बुला लिया ताकि जो सदस्यों के साथ व्यवहार हुआ है, उनकी कहानी को वे सुन लें । यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है । माननीय मंजूर अहमद साहब को जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी क सदस्य ह, के बारे में जिस हल्केपन से हमारे उपमंत्री साहब न जवाब दे दिया, मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है । आज जो नैनीताल और मिर्जापुर की जेलें हैं उनमें कैदियों को स्वतंत्रता से काम करने की इजाजत है, वे खुले में रह सकते ह लेकिन एक सदस्य को कोठारी में बन्द कर दिया गया । आज जेलों में सुधार की बातें की जाती हैं लेकिन हम वास्तविकता में उसके विपरीत देख रहे हैं । जसा मंजूर अहमद साहब ने कहा कि उनक साथ ही नहीं बल्कि उनके साथियों के साथ भी जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उतना दुर्व्यवहार हुआ उसको सुनकर, अध्यक्ष महोदय, आप उन सबंधित दोषी कर्मचारियों को सदन के सामन बुलाकर पेश करें और सफाई के लिए मौका दें कि उन्होंने वास्तव में मंजूर अहमद साहब को और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सजा दी या नहीं । अध्यक्ष महोदय, यह लोक सभा तक में हो चुका है, दूसरे म आपसे प्रार्थना करूंगा कि कोई जुडिशियल इंक्वायरी और बिठायें। कौन सी इन्क्वायरी में मंजूर अहमद साहब ने इंकार कर दिया और व नहीं गये। म कहता हूं कि जुडिसियल इन्क्वायरी बैठायें अकेले मंजूर अहमद साहब के लिये ही नहीं तमाम जेलों में राजनैतिक कार्यकर्ता जिस प्रकार से पीटे गये थे मैं सबकी जानकारी के लिए कहता हूं । राजनैतिक कार्यकर्ताओं की यह दशा होगी ? अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आन्दोलन में राजनैतिक कायकर्ताओं को अलग से दर्जा नहीं दिया गया । जो अब से पहले सरकार थी उनका इरादा मालूम पड़ता था कि जेल पिकनिक नहीं है, जेल जानेवालों को समझा दो कि जेल में क्या होता है और उस वक्त एक-एक सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता मुझे मिल, मुझसे सदन के बाद भी मिले जिन्होंने कहा कि इस जालिम सरकार को नहीं कहते । हमारे कायकर्ताओं को बुरी तरह पीटा गया । जो उपमंत्री जी बयान दे रहे हैं वे सोशलिस्ट पार्टी क कायकर्ता थे अब वे कुर्सी पर आने से इतने बदल गये हैं । मगर इस सदन के सदस्यों का सम्मान और भावी राजनतिक पीड़ितों के लिये जो परम्परायें हैं वे अमर रहती हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामचन्द्र विकल]

मुझे यह भी दुख है कि हमारे जो सरकारी पक्ष के लोग हैं उन्हें इस घटना में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने गृह मंत्री जी को भी बुला लिया मगर उनकी भी इस घटना के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है और जो सोशलिस्ट पार्टी है सरकार में उसकी भी दिलचस्पी नहीं है। आज सारा विरोध पक्ष बैठा हुआ है। उन्होंने सदन में सदस्यों का सम्मान कायम रक्खा है। मगर मैं नहीं कहता कि जो आज की सरकार है वह उस नक्शे-कदम पर नहीं चलना चाहती। अध्यक्ष महोदय, यह बदले की भावना से ही ऐसा किया गया है। मंजूर अहमद साहब गाहे बगाहे कुछ कह देत ह। भूतपूर्व मुख्य मंत्री से कुछ सवाल कर लेते थे या मेरठ जिले में गतिविधियां रखते हैं। तो उसकी वजह से इतनी यातनायें या ताड़नायें दी जायं यह अकेले मंजूर अहमद के सोचने का सवाल नहीं है, सब राजनैतिक कार्यकर्ताओं को इसके लिए सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय क्रांति दल जिनकी सरकार थी, ने आन्दोलनों का बड़ा बायकाट किया। मैं भारतीय क्रांतिदल के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब उन्हें विरोध पक्ष में आना पड़ा तो माननीय चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्ति को मुजफ्फरनगर और मेरठ में जाकर जहां १४४ लगी हुई थी, वहां आन्दोलन का नेतृत्व किया।

गृह मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

१४४ नहीं लगी हुई थी।

श्री रामचन्द्र विकल—

दफा १४४ थी। मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें भी नेतृत्व करने की जरूरत पड़ गई। यह विरोध पक्ष तो ऐसा ट्रेनिंग स्कूल है कि यह चीज हर एक के सामने आ सकती है। हर एक राजनैतिक पार्टी को किसी न किसी जनहित आन्दोलन की आवश्यकता पड़ सकती है। यह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का देश व्यापी आन्दोलन था। अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं था और राज्यों में भी था। आखिर वहां कितने लोगों के साथ यातनायें हुई दूसरे राज्यों में कितने लोगों को कष्ट दिया गया जैसे उत्तर प्रदेश में दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बदले की भावना से काम करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। जनहित के सवालों को डंडे और पुलिस की ताकत से भावना दबाना भी जनतंत्र के हित में नहीं है। मैं जनतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टियों से कहना चाहता हूं कि इस गम्भीर घटना को देखते हुए उन कर्मचारियों को सदन के सामने पेश करायें और जुडिशियल इन्क्वायरी करायें। जुडिशियल इन्क्वायरी आपके अधिकार में न हो तो इस सदन की सर्वदलीय समिति जरूर बना दें जो यह देखें कि प्रदेश भर में राजनैतिक कार्यकर्ताओं के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हुये हैं। यह उस कमेटी के मातहत जांच करायें और तब मैं समझता हूं सारे मामले को सदन के समक्ष उपस्थित करें। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस सवाल को हल्के रूप से न छोड़ दिया जाय जितनी सरकार की तरफ से उपेक्षा हो रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी देख रेख में एक एक सदस्य का सम्मान सुरक्षित रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं जुडिशियल इन्क्वायरी, सर्व दलीय समिति तथा सदन के समय उन अधिकारियों को बुलवाये जाने के लिये पुनः प्रार्थना करता हूं।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, जितने माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, सभी इस १७ सितम्बर, वाली घटना से दुखित हैं। सबसे बढ़ कर दुख तब हुआ जब हमने देखा कि भूतपूर्व कारागार मंत्री जी के आदेशों का एक माह तक कोई पालन नहीं हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

किसके बारे में कह रहे हैं ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मैं माननीय स्वामी प्रसाद सिंह के लिये कह रहा हूं । यह उस समय कारागार मंत्री थे । उनके समय की यह घटना है । उन्होंने खुद यहां कहा कि उन्होंने आदेश दिये, मगर उनका पालन नहीं हुआ । आदेश देने के बाद एक माह तक वे मंत्री पद पर रहे, लेकिन बड़ी चिन्ताजनक बात यह है कि आई०जी० और डी०आई० जी० ने उनके आदेशों का पालन नहीं किया । मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह इस बात का प्रमाण है कि आज नौकरशाही प्रजातंत्र पर हावी है । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कांग्रेसी राज्य में, २०-२२ वर्षों तक इस प्रकार की मनोवृत्ति को बढ़ावा मिला है और हमको अब ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र पर खतरा आने वाला है अगर इस मनोवृत्ति को नहीं बदला गया । मैं तो मंत्री नहीं हूं, न रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि भूतपूर्व जेल मंत्री ने अगर तुरन्त कार्यवाही करने के आदेश दिये होते तो शायद वह अधिकारी बरखास्त या मोअत्तल हो गये होते ।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह---

हमारे माननीय सदस्य को शायद यह मालूम नहीं होगा कि जेल मैनुअल पुरानी परम्परा पर बना हुआ है और वही चालू है । उसके अनुसार एप्वाइंटिंग अथारिटी आई०जी० है । मंत्री कोई सीधे आदेश नहीं कर सकता । वे कहते हैं कि मंत्री इसमें कुछ नहीं कर सकता । वह तो केवल सिग्नेचर की मशीनरी है । आई० जी० से रिपोर्ट मांगी । उसने भेजी ही नहीं । फाइनल दस्तखत मंत्री के होते हैं, मगर वह दस्तखत करने की मशीनरी मात्र होता है । मैं रिपोर्ट बराबर मांगता रहा, मगर उसने नहीं भेजी । जेल मैनुअल में जेल मंत्री को कोई अधिकार है ही नहीं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मुझे खुशी है कि माननीय भूतपूर्व मंत्री जी के वक्तव्य से मैं और आशान्वित हो गया कि नौकरशाही थोड़ी नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रजातंत्र पर हावी है ।

श्री अध्यक्ष----

जनतंत्र में जेल मैनुअल को बदला जा सकता है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

मैं जेल मैनुअल की बात नहीं करता । यह तो एक घटना थी जो प्रकाश में आयी । ऐसी और न जाने कितनी घटनाएं होंगी । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे जेल मैनुअल को पढ़ें और उसको इस प्रकार का बनायें कि चुने हुये प्रतिनिधियों की उपेक्षा न हो, उनके अधिकारियों का हनन न हो ।

मान्यवर, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने भूमि वितरण का आन्दोलन चलाया था । वह बिलकुल अहिंसात्मक था और जहां तक मुझे मालूम है सारे उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह के अलावा कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं हुई, जिस पर लाठी या और कोई हरकत करने की जरूरत पड़े । मंजूर अहमद से मालूम हुआ कि वे उनके खिलाफ दरख्वास्तें देते थे । सब लोगों को छोड़ दिया जाये लेकिन उनको नहीं छोड़ा गया और वह दफा ३४२ के मुलजिम हो गये । १६ को रिहाई थी, रिहा नहीं किया था, और बन्द कर दिया गया और सारी चोटें रात भर पहुंचाई गई हैं । दोषी तो हमारे भूतपूर्व कारागार मंत्री रहे हैं, कालिख तो

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

उनके लग चुकी है अब अच्छा हो कि वर्तमान मंत्री जी ऐसा कोई कार्य न करें । भूतपूर्व मंत्री ने सत्यता को पाया है, यह काफी है हमारे लिये कि हम उस आदमी को इस सदन में लायें । हमें आशा है कि हम लोगों की भावना के अनुसार उनको सदन में लाया जायेगा ।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

मैं एक स्पष्टीकरण दूं । मैंने आई०जी० के जो पी० ए० हैं, और जिनके बारे में मुझे मालूम था कि वह उनके खासमखास हैं और जिन पर सुबा था कि वह करप्शन की जड़ में हैं । उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनको वहां से हटा दिया जाये । लेकिन खेद है कि जेल विभाग के सचिव, जो गृह विभाग के सचिव हैं उन्होंने उसको वहां से नहीं हटाया और हमें जवाब दे दिया कि आई० जी० इसके लिये तैयार नहीं हो रहे हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह घटना क्यों घटी ? श्रीमन, पहले परम्परा थी कि जब हम लोग सत्याग्रह करके जेल जाते थे तो सरकार की तरफ से यह आदेश चला जाता था कि उनको बाहर रखा जाये, हथकड़ियां न लगाई जायं । लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है, हमारे जो जेल मंत्री हैं, उनकी जो सरकार है उसकी तरफ से आदेश जाता है कि उनके साथ साधारण कैदियों सा व्यवहार किया जाये, और बाहर न सोने दिया जाय, उनके हथकड़ियां लगाई जायें । मैं कहना चाहता हूं कि यही आर्डर काफी था, जिससे नौकरशाही का मन बढ़ गया । वह आदमी जो इलाहाबाद का रहने वाला है वह कहता है कि इंदिरा जी तो हमारी मदद करती हैं, तुम हमारे खिलाफ क्या करोगे । तो जिसकी मदद इंदिरा जी का सिंहासन करे, उसका मन कितना बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा ? ऐसी स्थिति में अब कब कौन कहां पीटा जायेगा कोई ठिकाना नहीं, कब किसकी हत्या हो जायेगी कोई ठिकाना नहीं ? हम लोग प्रति दिन इसी तरह से पिटते रहेंगे ।

मुझे इस घटना के प्रति अत्यन्त क्षोभ व दुख है, इसलिये नहीं कि मंजूर अहमद जी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थे, बल्कि इसलिये कि उनके खिलाफ अन्याय हुआ और उन्होंने अन्याय का विरोध किया और संसोपा हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ती रही है और लड़ती रहेगी । संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने तो अन्याय के विरुद्ध लड़ना अपना धर्म बना रखा है । अतः मैं जेल मंत्री से चाहूंगा कि आप हम लोगों की भावना को देखते हुये जैसी जांच हम चाहते हैं, वह करा ली जाये और आप उसको बुलवा लें सदन के सामने लेकिन मैंने आपसे एक निवेदन किया था । उसको दंड मिलता । माननीय मंत्री जी से दूसरा निवेदन है कि उसको तत्काल मुअत्तल कर दें और मुअत्तल करने के बाद आप उसकी सतर्कता आयोग द्वारा जांच करवायें । यही मेरा निवेदन है ।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्यजनक युग है । इसमें कोई भी आश्चर्यजनक चीज घटित हो सकती है । मंजूर अहमद जी ने जो अपनी कहानी सुनायी, लगता था कि हम ३०–३५ वर्ष पीछे चले गये हैं जब कि यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी और राजनीतिक संघर्ष करने वालों के साथ, महात्मा गांधी के सत्याग्रहियों के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार इस प्रकार के निचले दरजे, तीसरे दरजे के जुल्म किया करती थी । हम को याद है कि आज से ३०–३२ वर्ष पहले इस प्रदेश को रायबरेली जेल में जब हम लोग बन्द थे तो वहां पर उस समय एक ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेम्बर मिस विल्किसन वहां पर पधारीं । जब वह जेल देखने आयीं तो राजनीतिक बंदियों से भी मिली । जब हमने उनको दास्तान सुनायी '(करीब करीब ऐसी ही थी दास्तान) तो पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने कहा कि माई रेस कुड नाट परपीटुएट दीज टिरैनीज, उन्होंने कहा कि वह शासन जो उनकी जाति के इतनी घटियल

किस्म की ज्यादती और जुल्म नहीं कर सकता है अहिंसात्मक सत्याग्रहियों के साथ । जब बार-बार उनसे कहा गया और पचासों सत्याग्रहियों ने कहा तो उन्होंने कहा कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है । तो वह अंग्रेजों के जमाने की बात थी । लेकिन आज देश आजाद है । यहां पर प्रजातंत्र है । वर्ष १९७० है । मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि १९७० व वर्ष में जब कि जमहूरियत की हुकूमत कायम है, ऐसी हुकूमत जो प्रदेश की करोड़ों जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और जो इस सदन के प्रति उत्तरदायी है और उस सदन के एक सदस्य के प्रति इतने थर्ड डिग्री मैथड्स किये जायं, आज के जमाने में यह सब घटना घटे, चाहे स्वामी प्रसाद जी की सरकार हो या वीरेंद्र वर्मा जी की सरकार हो यह कलंक की बात है । सरकार के विरुद्ध एक प्राइमाफेशी केस एस्टैब्लिश्ड केस है ।

माननीय मंजूर अहमद ने जो कहा और उसकी पुष्टि भूतपूर्व कारागार मंत्री ने की, माननीय मंजूर अहमद पर जो ज्यादती और जुल्य हुये हैं, उनकी जांच की, वे पूरे सही हैं । उन्होंने यह भी जांच की कि जेल सुपरिंटेंडेंट इतना भ्रष्ट आदमी था कि उसकी दुष्चरित्रता इस सीमा तक पहुंची कि जब वह जेल मंत्री थे उसने उनको भी भ्रष्ट करने का प्रयास किया । यह सारी बातें उन्होंने सूचित कर दी । मैं नहीं जानता कि किस को दीं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को भी यह रिपोर्ट दी । क्या इन्होंने सदन के अपने कैबिनेट क्लीग्स को भी यह सूचना दी और यदि कैबिनेट क्लीग्स को दी है और मुख्य मंत्री जी को भी दी है और उसके बाद भी यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है । खैर बहरहाल अब तो दूसरी सरकार है । मैं समझता हूं कि उन्होंने जो पहले स्लेट पर लिखा हुआ था उसको साफ कर लिया है । मैं तो अनुरोध करता हूं कि प्राइमा-फैसी केस है । यह आश्चर्य की बात है कि गृह मंत्री जी सोशलिस्ट पार्टी की इस्तुति करें और जो उसने कार्यक्रम प्रतिपादित किये हैं उसको सारा का सारा मान लें । सवा ६ एकड़ भी हो गया है और भूमि वितरण को भी मान लिया है ।

एक सदस्य--

अभी कहां हुआ है ?

श्री कृष्ण चन्द्र--

वह यह सब करते जा रहे हैं, नहीं करेंगे तो इनकी खैरियत नहीं है । तो यह सभी करेंगे । मान्यवर, सोशलिस्ट पार्टी के प्रोग्राम यह मानते चले जा रहे हैं लेकिन मन्जूर अहमद जी जो कि इस मानगीय सदन के सदस्य हैं और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, वह अपने हाई कमान्ड के निर्णय के अनुसार जेल गये और साथियों को ले गये, लेकिन उनके साथ जो जुल्म हुआ और जो अन्याय हुआ, उसके बारे में उपमंत्री जी ने इतने हलके फुलके ढंग से जबाव दे दिया, यह ठीक नहीं था, उनको तो बैलेन्स करना चाहिये था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

अब वह बतलायेंगे ।

श्री कृष्ण चन्द्र--

उन्होंने इतने हलके फुलके तरीके से जबाव दे दिया कि मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं था क्योंकि प्राइमा फैसी केस इस्टेबिलिश्ड है । इसके लिये जैसा कि कई सदस्यों ने निवेदन किया अपराधी को सस्पेन्ड कर देना चाहिये और जेल अधीक्षक के खिलाफ विजीलेन्स इन्क्वायरी बैठा देना चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

वह तो चला भी गया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र--

आप ने कहा कि अपराधी चला गया है चला गया और आप सोते रहे। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी काफी साफ सुथरे व्यक्ति हैं, कभी-कभी यह विश्वास हो जाता है कि यह कहां फंस गये इस दलदल में, यह इस सरकार में आये कैसे, लेकिन यह जो रुख लिया कि अपराधी चला गया, तो उसको पकड़वा कर बुलाइये। उसको गिरफ्तार कराइये और मुकदमा चलाइये लेकिन मान्यवर मुझको इस बात का भरोसा नहीं है। मान्यवर, आप कस्टोडियन हैं, रक्षक हैं इस सदन की गरिमा के और हमारे हितों और अधिकारों के रक्षक हैं, सरकार से कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय मन्जूर अहमद किस खयाल के आदमी हैं इससे कोई ताल्लुक नहीं है और न ही उनकी वफादारी किस तरफ है इसका प्रश्न उठता है। यह हो सकता है कि मंत्री जी कुछ करना भी चाहे तो उनके ख्यालात पर बेड़ियां पड़ जाती है और उनके कदम पर प्रतिबन्ध लग सकता है लेकिन मान्यवर आपके दिमाग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हो सकता है। आप निष्पक्ष हैं और हमारे अधिकारों के रक्षक हैं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार से न्याय करने के लिये कहें।

वे कहते है कि पेंशन ले कर चला गया, कहां चला गया, मेरठ में नहीं है, यू० पी० में नहीं है? मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है। मान्यवर, उस सुपरिन्टेन्डेन्ट के साथ भी वही बर्ताव होना चाहिये जो लोकसभा के अध्यक्ष ने उन दो पुलिस वालों के साथ किया जिन्होंने एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट को मारा पीटा था। करीब-करीब बिल्कुल वही स्थिति, वही सेचुएशन है और जैसा अपराध उन पुलिस वालों ने किया वैसा ही यहां जेल के सुपरिटेंडेंट व जेल के अधिकारियों ने किया। इसलिये मैं सरकार से कुछ नहीं मांगता, मैं तो आपसे मांग करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रश्न को अपने हाथ में लेकर अपने तरीके से नियम के अन्दर, संविधान के अन्दर और जो परिस्थिति की गम्भीरता है उसको दृष्टि में रख कर वह सब चीज कीजिये जो लोक सभा के स्पीकर श्री ढिल्लन ने वहां किया था और उस प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दें और उस अपराधी सुपरिटेंडेंट के प्रति आप एक ऐसी परम्परा कायम करें जिससे विधान सभा के माननीय सदस्यों के प्रति क्या, मैं तो कहता हूं कि मामूली आदमी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये, लेकिन विधान सभा के माननीय सदस्यों के प्रति बुरा बर्ताव करने के लिये वे एक हजार बार सोचें।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न सही माने में बहुत ही महत्व का है। आज इस प्रश्न पर जो चर्चा हो रही है उससे ऐसा लगता है कि शायद इस देश में पाखंड का जनतंत्र कायम हो गया है। जब जनतंत्र में जनता के चुने हुए नुमायन्दों के साथ इस प्रकार का अमानुषिक व्यवहार राज्य कर्मचारी करें और सरकार के जिन जेलों में, जिन अधिकारियों के संरक्षण में कदी रखे जाते हैं, वही कैदियों के साथ अमानुषिक व्यवहार करें तथा इस आदरणीय सदन के सदस्यों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करें और शासन जो हमारी जनतांत्रिक प्रणाली पर कायम है, वह असहाय अवस्था में पड़ी रहे, मैं समझता हूं कि जनतंत्र का यह एक मखौलमात्र अभी आपके सम्मुख इस आदरणीय सदन में हमारे भूतपूर्व कारागार मंत्री श्री स्वामीनाथ सिंह ने वक्तव्य दिया है, श्रीमन् उससे हमारा सर और भी लज्जा से झुक जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हो क्या गया है? हमारे मंत्री चाहे वे इधर के हों, चाहे भूत हों, जब कोई माननीय सदस्य या जनता के लोग जाते हैं उनके यहां तो वे क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि सचिव महोदय इसको जरा देख लीजिये, या निदेशक महोदय इसकी जरा देख लीजिये या आई० जी महोदय, इसको जरा देख लीजिये।

मैं कहता हूं कि अगर उनके काम करने में जैल मैनुअल बाधक है तो ऐसे जेल मैनुअल को जला डालना चाहिये और नया जेल मैनुअल बनाना चाहिये। अंग्रेजों के जमाने के जेल मैनुअल को खतम कर देना चाहिये। यदि सरकार ऐसा नहीं करती, तो वह सरकार पापी है और इस अवस्था को पैदा करने में किसी का दोष नहीं है, मैं तो कहता हूं कि अब तक इधर जितने मंत्री

हुये हैं वे सभी इस पाप के पापी हैं जिन्होंने ऐसी दुर्व्यवस्था कर दी जिससे विधायकों के साथ इस तरह के अमानुषिक व्यवहार होते हैं। मैं भूतपूर्व कारागार मंत्री की नीयत पर कुछ नहीं कहता कि किस तरह से उन्होंने जांच की लेकिन अपने समय में जब उन्होंने एक जेल की जांच की थी और जेलर के खिलाफ उन्होंने कार्यवाही करने को सोची। तो उन्हीं के दल के एक वरिष्ठ मंत्री ने बीच में आकर अपनी टांग अड़ा दी और उस जेलर का कुछ भी बाल बाका न हो सका। मैं कहना चाहता हूं कि एक मंत्री की राय हो कि जेलर को हटा दिया जाना चाहिये और उसी दल के वरिष्ठ मंत्री की राय हो कि वह जेलर रहेगा तो इससे ज्यादा हास्यास्पद और लज्जा की क्या बात हो सकती है।

शर्मा जी ने जैसा कहा कि इस प्रकार की स्थिति पैदा करने की जिम्मेदारी किस की है तो यह जिम्मेदारी हम सब सदस्यों की है। हमने ऐसी स्थिति पैदा की है। हमारी आपकी वजह से सरकार बनती है। हमारी आपकी वजह से नालायक मंत्री कुर्सी पर बैठते हैं। जिस हल्के ढंग से यह वक्तव्य आया उसकी भी मैं भर्त्सना करता हूं। उनके साथी के साथ इस तरह का व्यवहार हो और वे इसे इतने हल्केपन से लेते हैं। शायद आप भी जेल गये होंगे। अगर न भी गये हों तो उस आन्दोलन में इनके भी साथी रहे। उस आन्दोलन में इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो और इस प्रकार का वक्तव्य सरकार की ओर से आवे तो यह बड़ी लज्जा की बात है। श्रीमन्, जब तक ऐसे मामलों में आदरणीय सदन कोई निर्णय नहीं लेगा तब तक सरकार कोई काम नहीं कर पायेगी। मैं आपका अधिक वक्त नहीं लेना चाहता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको शुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न स्वीकार करें और उन अधिकारियों को अपने कटघरे में तलब करें और जो उचित दंड सदन समझे दिया जाय। इसमें किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। जो अधिकारी दोषी हैं, चाहे वह रिटायर भी हो गये हों, उन्हें आना चाहिये और दंड देना चाहिये।

मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को भी इस मामले में निर्णय लेना चाहिये और जो जेल मैनुअल ऐसे मामलों में बाधक है उसे जला कर एक नई मैनुअल आप बनावें। मैं कहना चाहता हूं कि इस सवाल की अहमियत को हमें पार्टीबाजी में नहीं कम करना चाहिये। श्री मंजूर अहमद जी की शिकायत रही भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी से तो मैं ऐसा नहीं मानता। हमारे मंत्री इस हद तक जायेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। चाहे वह विरोध ही क्यों न करते हों वह ऐसे बर्ताव की प्रेरणा लेंगे, यह मैं नहीं मानता। अगर ऐसा लांछन हम लगाते हैं तो हम इस सवाल की अहमियत को कम करते हैं। हमारे जिले में जब मैं जेल में गया तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और उनकी सहानुभूति वाले लोग आये तो पूछने पर कोई शिकायत नहीं मिली। एक बात शम्भूनाथ चौधरी ने उठायी। यह उस समय की सरकार का दोष था, नालायकी थी कि उन्होंने इस प्रकार की हिदायत अपने जेलरों को नहीं दी कि अगर कोई बाहर सोना चाहता है तो बाहर सोने की इजाजत हो। हम कई बार जेल गये हैं, कांग्रेस हुकूमत के जमान में भी गये लेकिन यह आदेश गये कि अगर बाहर सोना चाहें तो सो सकते हैं। इस प्रकार की छूट पिछली सरकार में नहीं मिली। अनुचित काम सरकार की तरफ से हुआ है। मौजूदा सरकार राजनीतिक कैदियों के साथ सुन्दर व्यवहार के लिये हिदायत देगी यदि सरकार इसको मुनासिब समझे तो अवश्य करना चाहिये। मान्यवर, यह ऐसा मामला है जिसको आप अपने हाथों में लेंगे और जो इस अपराध के दोषी हैं उनको दन्ड दिलवाने की चेष्टा कृपा कर करें।

श्री अध्यक्ष--

आपको कोई वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना है तब आप कहें।

श्री अनीसुर्रहमान--

आप उसको उत्तर समझ बैठे हैं उत्तर तो अभी देना है।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है अगर माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी, गृह मंत्री जी ने यह कहा होता तो मुझको कोई आश्चर्य नहीं होता। मान्यवर, मुझे अत्यन्त अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मंत्री जी जिन्होंने उत्तर दिया है एस० एस० पी० के नेता है और उस पार्टी के नेता है जिस पार्टी ने इस संघर्ष की शुरुवात की थी। जब उनकी ही पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है, इतना भयंकर दुर्व्यवहार किया जाता है फिर वह इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं जिसको सुन कर आश्चर्य होता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज आप संविद सरकार में हैं, एक जामाना था हम भी उस तरफ संविद सरकार में थे और हमको इस बात का यकीन नहीं आता है कि संविद सरकार से देश या प्रदेश के लिये इस प्रकार का काम होगा। इसको देखकर हमारे जो समाजवादी भाई हैं उनको विश्वास हो गया है कि जो संविद के मंत्री हैं उनसे समाजवादी काम नहीं हो सकता है।

मान्यवर, जब तक जन संघर्ष नहीं होगा इसके विरोध में न्याय नहीं मिल सकता। यदि यह नहीं होता है तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा। इसमें गिरफतारियां होंगी, मजदूरों और किसानों को जेलों में जाना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपने कुर्सी को पाकर इस धारणा को भुला दिया है। जनता के प्रतिनिधि जब जनता की मांगों को लेकर जन संघर्ष में जेलों में डाल दिये जाते हैं तो उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। आप स्वयं अपनी पार्टी की राय को जानें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनसंघ के साथ और बी० के० डी० के साथ बैठकर जिन्होंने पिछली सरकार के साथ रहकर लाठियां चलाई हैं, आप अपनी राय को भी बदल न दें। मान्यवर, यह प्रश्न केवल मंजूर अहमद साहब का ही नहीं है, प्रश्न केवल एस० एस० पी० का ही नहीं है यह एक बुनियादी प्रश्न है। मान्यवर, राष्ट्रीय आन्दोलनों के समय में आप भी जेलखानों में रहे हैं। जेलों के अन्दर किस तरह से लाठी चार्ज की जाती है यह आपसे छिपा नहीं है। जेलों में किस प्रकार से तन्हाइयों में लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है मान्यवर यह बात आपसे कोई छिपी नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी की जाती थी वह किस प्रकार की होती थी। राष्ट्रीय आन्दोलनों में लोगों पर किस प्रकार से मार लगाई जाती थी मान्यवर इससे आप भलीभांति परिचित हैं। कुछ लोग जो यहां बैठे हैं उनको इस बात का पूरा-पूरा तजुर्बा है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने वाले हमारे जन प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार किया जाता था इससे हमारे मंत्री जी भी सम्भवतः परिचित ही हैं।

मेरे माननीय मित्र को जेलों का बहुत तजुर्बा है, जेल की नौकरशाही का तजुर्बा है, तभी उन्होंने बड़े हलके ढंग से कह दिया कि मेजिस्टीरियल इन्क्वायरी कराई गई थी। माननीय मन्जूर अहमद उस इन्क्वायरी में शामिल नहीं हुए, लिहाजा सरकार कुछ नहीं कर सकती है मान्यवर, आपको मालूम है कि वह कहां की घटना है, वह घटना है जेल की चहार दीवारी के अन्दर की। मान्यवर, वहां कौन साक्षी हो सकता है उस घटना का, साक्षी होंगे जेल के कर्मचारी। आज वही आफीसर जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, जिसके खिलाफ जांच की मांग की गई है, वह जेल के अन्दर मौजूद रहते हैं, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट वहां मौजूद रहता है, वहां सुपरिन्टेन्डेन्ट अपने पद पर मौजूद रहता है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को समझेंगे कि वह जेल का कर्मचारी जिसकी नौकरी उस जेलर के हाथ में रहती है, वह निर्भीकतापूर्वक साक्षी दे सकेगा? क्या माननीय मंत्री जी समझते है जेल का वह कैदी जिसके ऊपर आज भी सुपरिन्टेन्डेन्ट बना है, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बना है, निर्भीक तरीके से अपनी साक्षी देने को तैयार होगा? और अगर साक्षी देने के लिये तैयार होगा तो यदि मंजूर अहमद साहब के साथ यह हरकत हो सकती है, अगर एक एम० एल० ए० के साथ, एक विधायक के साथ यह हरकत हो सकती है, तो उस कैदी के साथ क्या वह हरकत नहीं हो सकती, जो गवाही देने के लिये आयेगा।

माननीय मंत्री जी जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मन्त्री है, जेल जा चुके है, पार्टी के अन्दर जो कहते है कि जन संघर्ष चलायेंगे और जेल जायेंगे, आज इस मन्त्री पद से जो वक्तव्य आता है तो अफसोश होता है। मान्यवर, आप तो उस जिन्दगी को देख चुके हैं और उसके बावजूद भी यह बात कही जाती है। यह प्रश्न सदन के सामने आ चुका है, भूतपूर्व मंत्री कह चुके हैं आई० जी०

के बारे में कह चुके हैं, उन तमाम भ्रष्टाचार के बारे में कह चुके हैं जिन भ्रटाचार की शिकायत माननीय मंजूर अहमद ने सरकार से की थी उस जेल के अधिकारियों के विरूद्ध उनकी सत्यता के बारे में भूतपूर्व मन्त्री जी स्वयं इस सदन के अन्दर कह चुके, फिर भी बदकिस्मती है। अफसोस होता है जो उन्होंने जबाव दिया। एक मन्त्री होकर के क्या इस तरह से इस प्रदेश का शासन चलायेंगे, क्या नीति का निर्धारण करेंगे।

इस प्रदेश के अन्दर, मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्रि मंडल का हुक्म चलेगा या नौकर शाही का। अगर मन्त्री जी शिकायत को सही समझते है और आई० जी० के पास भेजते हैं और आई० जी० की जुर्रत हो सकती है कि मंत्रि मंडल के आदेश को बलायेताक रख सकें। आज सौभाग्य की बात है कि संयुक्त समाजवादी दल के लोगों के हाथ में यहां की बागडोर है। बड़े बहादुर लोग हैं, संघर्ष की बात करते हैं। आज आपके हाथ में हुक्म देने की ताकत संविधान ने दे रखी है। लेकिन जिस बहादुरी के साथ आप पिछली सरकार की कमजोरियों का मुकाबला करते थे, लड़ा करते थे, उसी बहादुरी के साथ मंत्रिमंडल में बैठ कर लड़ने की क्यों नहीं हिम्मत करते। इसलिये कि अब हिम्मत नहीं है।

मान्यवर, जैसा शर्मा जी ने कहा पिछले ११ सितम्बर को इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह साहब जो इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं जानबूझकर, उनका यह वक्तव्य देश और प्रदेश के सभी अखबारों ने प्रकाशित किया था कि जेलखाना पिकनिक प्लेस नहीं है। क्या मतलब था, मतलब यह था कि चौधरी साहब जेल की खूबियों को जानते थे।

उनकी सरकार के अन्दर जो मंत्री रहे हैं वे भी जेल गये हैं। इस समय माननीय वीरेन्द्र वर्मा हैं वह भी जेलों के अन्दर रह चुके है। (व्यवधान) शायद न गये हों तो मंत्री जी बतलायेंगे (व्यवधान) रिलेवेंट नहीं है वह जेल गये या नहीं गये। मेरा निवेदन यह है कि क्या मौका था इस बात का करने का कि जेलें जो है पिकनिक प्लेस नहीं है। जेलों के बारे में कुछ नियम बने हुए है और अधिकारी उन नियमों का पालन करते हैं। चौधरी साहब जानते थे इस बात को कि इंडायरेक्ट तरीके से तमाम जेल अधिकारियों को यह इशारा करना चाहिये।

चौधरी चरण सिंह साहब के जमाने में जेलों के अन्दर जो लोग जेलों में गये, चाहे जमीन के प्रश्न को लेकर गये, चाहे भूमि के प्रश्न को ले कर गये अधिकारियों को एक इशारा था कि आप कृपा करके जेल के अन्दर उनको सबक सिखाओ। खुले आम ऐलान किया गया था कि जेलों के अन्दर पिटाई और दमन होगा, लाठी चार्ज होगा। यही कारण है राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा जब अंग्रेज इस देश में थें तब प्रोफेसरों, डाक्टरों तथा ग्रेजुएट्स को बी क्लास न दिया गया हो। अकेले चौधरी चरण सिंह का शासन रहा है जिसमें इस तरहसे जेलों में राजनीतिक मसलों पर पढ़े लिखे लोगों, ग्रेजुयेट्स, डाक्टर्स, प्रोफेसर्स, लाइयर्स को बी क्लास में रखा गया हो, सब को सी क्लास में रखा गया। सहारनपुर से सुप्रीप कोर्ट में दरख्वास्त की गयी तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट गर्ग साहब को बी क्लास दी गयी। पिकनिक प्लेस में जाने का वक्तव्य जानबूझ कर दिया गया। बड़ी मुखालिफत की गयी इस वक्तव्य की माननीय मंत्री जी जिस पार्टी के हैं उन्होंने इस वक्तव्य की मुखालिफत की। सबने यह कहा कि यह वक्तव्य जेल के अधिकारियों को एक इशारा है कि दमन करो और दमन की लहर चली।

मेरठ के अन्दर, कानपुर के अन्दर लाठी चार्ज हुआ। बस्ती के अन्दर जेलों के अन्दर मजदूर किसानों की पिटाई शुरू हुई। इस बात को हल्के तरीके से लेना अनुचित होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि इस माननीय सदन के एक सदस्य को जानबूझ करके एक अधिकारी ने इस पृष्ठ भूमि में कि उन अधिकारियों के विरुद्ध यह माननीय सदस्य लगातार सरकार को लिखते रहे थे जिसकी जांच सरकार के मंत्री ने भी की और जिस जांच को सरकार के मंत्री ने सही समझा। इस चीज से क्षुब्ध होकर इस माननीय

[श्री गोविन्द सिंह]

सदस्य को जेल अधिकारियों ने पिटाई की। यह प्रश्न सीधा-सादा विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है, और इस प्रश्न को मैं समझता हूं कि आप अपने हाथ में लें। प्राग्दर्शन में साबित हो गया। जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है उसमें ड्यूरेशन आफ इंजरीज की बात होती है, किस अवधि के अन्दर चोट आई, वह उसमें मौजूद है कि उस अवधि में आई है जब माननीय मंजूर अहमद जेल के अन्दर मौजूद थे। अव्वल तो एक माननीय सदस्य किसी तथ्य को सदन के अन्दर कहते है उसको सत्य समझना चाहिये जब तक कि उसको कोई झूठा साबित न कर दे लेकिन उस तरफ का पक्ष इस शिष्टाचार को जानबूझ कर भूल जाता है, उस शिष्टाचार के व्यवहार को जो एक माननीय सदस्य के प्रति होना चाहिये उसको भी वह नहीं रखना चाहता।

अब कानूनी पोजीशन क्या है। जानबूझ कर के माननीय मंजूर अहमद की पिटाई की गयी क्योंकि उन्होंने बहैसियत एक विधायक के मांग की कि यह जेल मैनुअल के अन्दर एक नियम है कि जो इस माननीय सदन का सदस्य होगा वह जेल विजिटर भी होगा। इस सदन के सदस्य की हैसियत से वह जेल का नान-आफिशियल विजिटर भी हो गया। नान-आफिशियल विजिटर होने के नाते उसका तो कर्त्तव्य है कि वह जेल के अन्दर की तमाम अनियमितताओं को देखे और सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट करें। इस चीज की वजह से उनकी जानबूझकर पिटाई की गई है। मान्यवर, यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है। इसको आप स्वीकार करें।

मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी अब तो शासन में आ गये है, ठीक है पिछली सरकार ने जो कुछ गलतियां की हैं किन्तु अब आप तो आ गये है अब तो कृपया इम्पार्शियल इन्क्वायरी इस सदन की समिति द्वारा मेरठ में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में गठित करें। ठीक है यदि श्री स्वामी प्रसाद सिंह कमजोर थे। अब तो बहादुर रहनुमा आप पहुंच चुके हैं, आप अब अपनी बहादुरी दिखाइये। मान्यवर, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अब तो कम से कम सम्बन्धित अधिकारियों बल्कि जेल के अन्दर जो भी स्टाफ उस वक्त मौजूद था, उस पूरे स्टाफ को निलम्बित करके एक नान-आफिशियल इनक्वायरी आप वहा बैठा दें। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं और अपनी बहादुरी का परिचय दें।

श्री अध्यक्ष--

(श्री मोहन लाल कपूर का नाम पुकारने पर) चूंकि अब समय कम रह गया है अतः आप संक्षेप में ही बोलें क्यों कि और भी लोग बोलने वाले हैं।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ी शांतिपूर्वक और ध्यान से सदन की सारे बहस को सुना और मैंने समझा कि यह सारी बहस भावनाप्रद है और तथ्यों के विपरीत है। दूसरी बात यह है कि यह घटना श्री मंजूर अहमद साहब को लेकर कहीं जा रही है। इन दोनों बातों को मैं यहां पर स्पष्ट करूंगा। मान्यवर, मैं बोलना नहीं चाहता था इस बहस पर, क्यों कि मैं भी मेरठ से ही चुनकर आया हूं और श्री मंजूर अहमद भी मेरठ से ही है इसलिये मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ ताकि बहस भावनाप्रद ही केवल न रहकर कुछ सही तथ्यों पर भी चले। इसीलिये मैं, आपके सामने कुछ ऐसी बात रखूंगा ताकि आपके मस्तिष्क में भी इसका निष्पक्ष प्रभाव पड़े। यह आन्दोलन भूमि छीनने का चला था। हो सकता है कि यहां पर उपस्थित कुछ दो एक पार्टियां उसको पसन्द करें परन्तु यह तथ्य है कि जो यह भूमि छीनने का आन्दोलन था वह निश्चित रूप से जनतंत्र में चलने वाला अन्दोलन नहीं होना चाहिए। परन्तु उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को न देखकर मैं यह कहना चाहता हूं कि (व्यवधान)।

---

*वक्ता ने ' ग ' का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा)--

मान्यवर, आप कह रहे हैं कि तथ्यों से परे है इसका क्या मतलब है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल कपूर--

यह आन्दोलन प्रदेश व्यापी आन्दोलन था और प्रदेश में सभी जगह लोग पकड़े गये और जेलों में भी गये और मेरठ में भी लोग जेल में गये। मैं यह पूंछना चाहता हूं कि आपके मेरठ के अलावा और कोई शिकायत नहीं आयी और यही शिकायत क्यों आयी। मान्यवर, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मंजूर अहमद साहब को पूरी सुविधाएं दी गई हैं, उनको अलग बैरिक में रखा गया था किन्तु जब उन्होंने खुद जेल के अधीक्षक से निवेदन किया जो इनको सत्याग्रहियों के बीच में रखा गया। उसके बाद क्या हुआ कि लगातार ३-४ दिन तक चौधरी चरणसिंह की एफिजी ले जाई गई। तीसरे रोज फिर एफिजी जलाई गयी। उस दिन एफिजी के साथ-साथ एक हंडिया भी थी और उसको एक बैरक से दूसरे बैरक में ले जाया गया। दूसरे बैरक में जाने के बाद उसको फोड़ दिया गया और उस एफिजी को जलाया गया। वहां के द्वारपाल ने जब ताला बन्द करने के लिये उन लोगों के द्वारा ताली छीनने का प्रयत्न किया गया। जब ताली छीन ली गयी तो वहां पर जो नम्बरदार लोग होते ह उनमें और सत्याग्रहियों में कुछ छीना झपटी हुई। वह भी दो चार थे। वहां पर कोई खतरे की घंटी नहीं बजायी गयी। जेल के और अधिकारी भी वहां पर उस समय नहीं आये। नम्बरदारों और सत्याग्रहियों के बीच आपसी झगड़ा था। दोनों ओर से लोगों को चोटें आयीं लेकिन यह कि मंजूर साहब वहां थे और जेल अधिकारियों द्वारा पीटा गया, यह बात गलत है। यह एक पक्ष है।

दूसरा पक्ष यह है कि माननीय स्वामी प्रसाद जी ही सबसे ज्यादा दोषी हैं। अगर वे समझते हैं कि अरोड़ा साहब या जो कोई भी हो, वह कारप्ट है तो मैं पूछना चाहता हूं कि उसके बाद उन्होंने एक महीने तक मंत्रिमंडल में रह कर क्या किया। अगर कुछ नहीं कर सके तो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया। माननीय मुख्य मंत्री या और दूसरे अपने साथियों से उन्होंने कुछ कहा। एक जेल का सुपरिन्टेन्डेन्ट और उनके मंत्री रहते हुए ऐसी बात करे यह मुनासिब नहीं है। उनको ऐसी हालत में तुरन्त ही त्याग-पत्र दे देना चाहिये था। मैं सुपरिन्टेन्डेन्ट के बचाव के लिये कुछ नहीं कहना चाहता। अगर उनमें से कोई दोषी है तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिये। लेकिन चूंकि उन्होंने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया, इसके लिये वे सबसे बड़े दोषी है। लेकिन यह बिलकुल गलत है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट ने माननीय मंजूर अहमद साहब को मारा। उसके विरुद्ध करप्शन की बात सही हो सकती है, उसके लिये आपको उसे सस्पेंड करना चाहिये था लेकिन नहीं किया।

स्वामी प्रसाद जी ने ही इंक्वायरी बिठाई थी उसमें आपने क्या किया। उसकी रिपोर्ट में और आज के आपके वक्तव्य में यह भेद कैसा है। नंबरदारों और सत्याग्रहियों में जो झगड़ा हुआ उसमें क्या फैसला लिया गया। आपको उस समय जो उचित था वह करना चाहिये था। उस समय तो आपने कुछ किया नहीं और आज आप इस प्रकार से कह रहे हैं। मैं कहता हूं इस मामले के तथ्यों के आधार पर जांच के लिये दिया जाना चाहिये। तथ्यों के आधार पर ही इसके बारे में दूसरी मैजिस्टोरियल इंक्वायरी बैठानी जानी चाहिये। पहली जो मैजि० इंक्वायरी बैठी थी उसमें मंजूर साहब को ३-४ बार नोटिस दिया गया लेकिन उन्होंने उसके सामने जाना स्वीकार नहीं किया। और यहां पर असेम्बली में आकर मामले को वे उठा रहे हैं। जो कुछ वहां वे इस समय कह कहे हैं, वहां कहना होता तो सारे तथ्य सामने आ जाते।

आप भी अगर इस मामलें में इंक्वयारी करना चाहें तो कर लें और उस इंक्वायरी को करने के बाद ही कोई निर्णय आप लें। अगर आप वहां की जेल में जायंगे तो आपको मालूम होगा कि १० साल पहले जो जेल थी उसमें और आज की जेल में बहुत अन्तर है। कितना ही परिवर्तन उसमें हो गया है। जेलर और सुपरिन्टेंडेन्ट दोनों में वैमनस्य होने के कारण जेलर ने इन बातों की बात दिया है। इसमें दोष जेलर का हो सकता है, सुपररिन्टेंडेंट का इसमें कोई दोष नहीं है।

[श्री मोहनलाल कपूर]

जेल में पिछले दो सालों में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ । ट्यूबवैल लगाया गया है, बिजली लगायी गयी है, रेंडियो लगाया गया है । वहां यह पर जो कायापलट हुई है वह भी नागरिकों से दान लेकर ही हुई है और इस प्रकार से भी सरकार का पैसा बताया गया है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी इंक्वायरी की आवश्यकता समझते है तो आप स्वयं इंक्वायरी जरूर करें । मैं समझता हूं मैं स्वयं इस बता को मानता हूं कि अगर मंजूर साहब के साथ कोई ज्यादीती हुई है और जांच में यह बात मालूम होता है तो निश्चित रूप से चाहे अरोड़ा साहब हों या कोई साहब हों उनको दण्ड मिलना चाहिये । लेकिन वे इन्क्वायरी के सामने जाते नहीं है और आप भी स्वयं इसकी इंक्वायरी कर लें और तथ्यों के आधार पर एक्शन होना चाहिये, भावना के आधार पर नहीं होना चाहिये । मैं समझता हूं कि वह घटना मंजूर साहब के साथ नहीं हुई बल्कि यह तो सत्याग्रहियों और लम्बरदारों के बीच में ताली छीनने पर हुई है ।

श्री मंजूर अहमद--

अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी माननीय मोहन लाल जी कपूर कह रहे है । मैं एक बात कहना चाहता हूं और हाउस में भी लिख कर देना चाहता हूं अपना इस्तीफा । मेरे पास मेडिकल आफिसर का डाक्टरी मुआयना है और दूसरे मेरे पास मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों की लगातार चिट्ठियां है कि आपकी दरख्वास्त प्राप्त हुई । आपने जो गबन और भ्रष्टाचार संबंधी शिकयतें दी है उनकी जांच कर रहे हैं । तीसरी बात यह है कि मैं अपने मित्र से कहूंगा कि केवल जेलर सुपरिंटेंडेंट की बात क्या है । अगर सुपरिंटेंडेंट ठीक होते तो यह मारपीट न होती मैं जनता हूं कि सुपरिंटेंडेंट उनके रिश्तेदार हो सकते है और जेलर उनका कोई रिश्तेदार नहीं था । मैं उनके बीच में और उनके बीच में कहना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ मार पीठ नहीं हुई, मेरा सामान नहीं लूटा गया और जैसा कहा कि हकीम साहब के मुंह में पेशाब किया गया । अगर ऐसा नहीं किया गया हो तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा या अगर उनकी बात झूंठी साबित हो तो वे इस्तीफा दे दें ।

(माननीय रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

आपकी अंतिम तकरीर होगी ।

श्री उदित नारायण--

श्रीमन्, मैं बोल नहीं रहा हूं । आपको केवल सूचना दे रहा हूं । जिस समय यह घटना हुई है उस समय शमीम साहब मौजूद थे । इसलिये उनकी बात सुन लें ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन् मैं इस मसले को जो माननीय मंजूर अहमद साहब के साथ हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि आप दस मिनट में समाप्त करें ।

*श्री रियासत हुसैन--

बहुत अच्छा । खासतौर से इसलिये कि उसी जेल में जेल मंत्री और मैं एक साथ रह चुके हैं और जिस तरीके से राजनीतिक बंदियों के साथ उस मेरठ जेल में व्यवहार किया जाता है उसका मुझे तजुर्बा है । उस समय न तो सुपरिंटेंडेंट अरोरा साहब थे और न जेलर कपूर साहब थे, न डी० आई० जी० मुकुन्दी साहब थे, न आई० जी० थे और न चौधरी चरण सिंह जी थे । इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

घटना में बदला लेने की खातिर और मेलाफाइडी इटेंशन से जान बूझ कर सुपरिटेंडेंट, जेलर, डी० आई० जी०, आई० जी० और मुख्य मंत्री चरणसिंह जी इस घटना के दोषी हैं। माननीय स्वामी प्रसाद जी ने एक बात कही। इसके बाद मेरी निगाह आपकी तरफ है कि इस शासन के द्वारा इसमें कुछ होने वाला नहीं है। यह सीधा सादा प्रश्न है। मंजूर साहब ने जेल में भ्रष्टाचार के संबंध में इसी सदन में प्रश्न उठाये हैं। ६-७-१९६९ को उन्होंने जेल के अन्दर होने वाले करप्शन के बारे में दरख्वास्त भेजी हैं और यही सब कारण हैं जिनकी वजह से मैं यह कहने का हक रखता हूं कि शासन के मैलाफाइडी इंटेंशन से उनके साथ इस जेल में इस मौके को पाकर देशव्यापी आन्दोलन में १० अगस्त को मंजूर साहब जेल में गये और उन्होंने जेल के अन्दर से कलेक्टर को भिन्न-भिन्न तिथियों के ऊपर सूचनायें भेजीं कि जेल में क्या करप्शन हो रहा है। मंजूर अहमद साहब एम० एल० ए० होने के साथ-साथ जेल के विजिटर भी हैं और उन को पूरा अधिकार है जेल का मुआयना करने का। उन्होंने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया और डी० एम० को लिखा। डी० एम० तो जेल में नहीं गये बल्कि सिटी मैजिस्ट्रेट साहब खुद जेल में छोटे-मोटे मामलात के लिये गये। डी० आई० जी० मुकन्दी साहब जेल में गये और उन्होंने २६ बोरे गेहूं के जो उस फार्म के थे सुपरिन्टेन्डेंट साहब के घर पकड़े। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद साहब ने कहा कि उन्होंने उनको दरी आफर की थी उसी तरह से डी० आई० जी० मुकन्दी को भी उन्होंने आफर की होगी।

११-९-१९७० को एक सौ आदमी एक-एक दिन की सजा के बाद वहां से छोड़े गये। उनके छोड़ने में जो दिक्कतें थीं उसका माननीय मंजूर अहमद ने जेल में भी विरोध किया। इससे भी वह इरीटेट हुये जेल के अधिकारी। इसकी मंजूर अहमद को पहली सजा क्या मिली? १२-९-१९७० से उनकी मिलाई बन्द कर दी गई। आप खुद जानते हैं कि राजनीतिक बन्दी की मिलाई बन्द कर दिया जाना कितनी बड़ी सजा है और उन को तनहाई में भेज दिया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि सब राजनीतिक बंदियों में एजिटेशन पैदा हुआ और उस एजिटेशन में स्लोगन्स किसके खिलाफ लगते हैं? हमें याद है कि बाबू सम्पूर्णानन्द जैसे वरिष्ठ नेता के खिलाफ जब खाद्य आन्दोलन हुआ था तो नारे लगाये गये थे। आप चौधरी चरण सिंह के खिलाफ अगर नारे लग गये तो उनका यह कहना कि जेलें पिकनिक नहीं हैं, तो जेलें पिकनिक हों या न हों, लेकिन आज वह कुर्सियां पिकनिक जरूर बन गयीं हैं।

माननीय मंजूर अहमद को अलग बन्द कर दिया गया और आखिरकार जब १६ तारीख को उनके रेलीज का आर्डर आया तो उनको रेलीज के कमरे में बुला कर, हालांकि सारी कार्यवाही हो चुकी थी, उनसे कहा गया कि अभी कागजात में कुछ कमी रह गयी है, इनको फिर वापस, तनहाई में भेज दिया गया और ९ बजे रात को सुपरिन्टेन्डेन्ट, जेलर और उनके और आदमी नम्बरदार वगैरह डंडे लेकर पहुंच गये और उनके हाथ, पैर बांध दिये और मेज के ऊपर जर्सी रख कर पीछे से सलाखें लगी रहती हैं उनमें इनको लटका दिया गया। यह सजा १६ तारीख की रात को दी गयी। फिर अगले दिन १७ तारीख को ५ बजे यह छोड़े गये और तब शाम को ७ बजे इन्होंने एक सरकारी मेडिकल आफिसर से अपना मुआयना कराया। अब प्रश्न उठाया गया कि वह चोटें बाहर लगी होंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि जब उसके अन्दर ड्यूरेशन में लिखा है कि २१ घंटे पहले यह चोटें लगी होंगी और २१ घंटे का अगर हिसाब लगायें तो ८-९ बजे का टाइम १६ तारीख की रात का होता है। इसके बाद मंजूर अहमद साहब की दरख्वास्तों पर कोई खास कार्यवाही नहीं की गयी, मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई।

श्रीमन, इस सदन के अन्दर बड़े-बड़े प्रश्न आये हैं, मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई हैं। उनका क्या हश्र हुआ वह आप ही जानें। इस घटना के दो हिस्से हो गये। एक वह हिस्सा जो माननीय मंजूर अहमद, सदस्य, विधान सभा के साथ १६ तारीख की रात को जेल में हुई। जिसका जिक्र माननीय स्वामी प्रसाद सिंह जी, भतपूर्व मंत्री जी ने किया, इसके दोषी वहां के जेलर, सुपरिंटेंडेंट, कलेक्टर, डी० आई० जी०, आई० जी० और मुझे यह कहने में भी कोई हिचक नहीं है

[श्री रियासत हुसैन]

कि माननीय मुख्य मंत्री जी उस वक्त मुख्य मंत्री थे वह भी थे। जब उन्होंने कहा कि जेलें पिकनिक नहीं हैं और उसके नतीजे, पर गोरखपुर, मेरठ और बस्ती में यह घटनायें हुईं। लेकिन अब जेल मेनुअल बीच में आ गया, आई० जी० कहना नहीं मानते लेकिन आई० जी० भले ही मिनिस्टर का कहना न मानें लेकिन ऐसी हालत में आपका श्रीमन, कुछ खास कर्त्तव्य हो जाता है, आपके सामने आज मसला है कि मिनिस्टर और आई० जी० के बीच में तो जेल मैनुअल है लेकिन इस सदन के माननीय सदस्यों के जो अधिकार हैं और प्रिविलेंजेज जो हमारे हैं उन विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये और निर्णय उन पर लेने के लिये यह सदन बिलकुल आजाद है, खुदमुखतार है और उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी सीधी सी बात है कि मंजूर अहमद जी के साथ ऐसी हरकत करने वाले दोषी लोगों को इस सदन में बुलाया जाना चाहिये और इस सदन के सामने सारा मामला तय हो और इस शक्ल में आपको ही इसका अब निर्णय करना चाहिये।

दूसरी तरक इसी पार्टी के जो एक दूसरे राजनैतिक कार्यकर्त्ता रहे जिनके मुंह में पेशाब किया गया, तरह-तरह की उनको गालियां दी गईं और मारा पीटा गया और इस तरह से उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और यह जो २ लाख रुपए का भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है उस सब के लिये अलबत्ता मैं जेल मंत्री जी व होम मिनिस्टर साहब से उम्मीद करूंगा कि निष्पक्ष जुडीशियल इन्क्वायरी के लिये इसके ऊपर वह एक कमीशन मुकर्रर करायें लेकिन जहां तक मंजूर अहमद के साथ ज्यादती हुई है, उस प्रश्न को आप को लेना चाहिये क्योंकि यह सवाल इस सदन के सम्मान और इज्जत का सवाल है। यह बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री शमीम आलम से) क्या आप जेल में उस वक्त थे ?

श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

मैं जेल में उस वक्त नहीं गया था, मैं १८ सितम्बर को गया था। मैं वहां उस दिन श्री राम सेवक यादव के साथ गया था उन लोगों को देखने के लिये कि जिनके चोटें लगी थीं। पार्टी के काम से मैं मेरठ १८ सितम्बर को गया था, मेरठ कचहरी में मुझे श्री रामसेवक यादव, एम० पी० वह विधायक श्री मंजूर अहमद मिलें, उन्होंने सारा ब्योरा मुझे बताया था उन्होंने जेल निरीक्षक की हैसियत से अपने हमराह मुझ से चलने को कहा। मैं वहां मेरठ जेल में गया। सबसे पहले वहां का वाकया यह है कि वहां के सुपरिंटेंडेंट ने श्री मंजूर अहमद को हमारे हमराह जेल में जाने की इजाजत नहीं दी जब कि जेल मैनुअल में है कि जिले का विधेयक जेल का नान-आफिशियल विजिटर होता है और वह मुआयना कर सकता है लेकिन उन्होंने मंजूर अहमद साहब को जेल में जाने की इजाजत नहीं दी। मैं और श्री रामसेवक यादव जेल में गये और जब हम लोगों अन्दर कैदियों के पास पहुंचे तो उनको एक जगह पर इकट्ठा कर रखा था, हम लोगों ने उनसे मालूम किया तो वहां एक अजीब खौफोहिराफ का आलम था, एक कैदी ने भी जबान खोलने की जुर्रत नहीं की, तमाम कैदियों की कुछ इस तरह से उन्होंने बना रखा था और गोलमाल कर रखा था।

जब श्री रामसेवक यादव ने उनसे पूछा तो एक कैदी ने कुछ जबानी कहा और वह बिलख-बिलख कर रोने लगा, उस वक्त वहां कयामत का आलम था और वह नजारा देखकर मेरी और श्रीरामसेवक यादव, एम०पी० की आंखों में भी आंसू आ गये, एक-एक कैदी ने अपनी-अपनी चोटें हमें दिखाईं। मैं गृह मन्त्री जी से अदब के साथ कहूंगा कि यह हंसने का मौका नहीं है, वह इस बात को अपने जहन में रखें कि जब उनके भाई एक केस में मुलजिम बने थे तो उन पर क्या गुजरी थी यह हंसने का मौका नहीं है उनके लिये (शेम शेम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक-एक कैदी ने हमें अपनी चोटें दिखानी शुरू कीं। एक नौजवान हमसे वहां पर मिला। उसकी कमर के ऊपर इतनी चोटें थीं कि वह चित भी नहीं लेट सकता था। वहां पर कोई भी राजनैतिक कैदी नहीं था जिसके

शरीर पर चोटें न आयी हों। मंजूर साहब तो, जैसा मैंने कहा, रिहा हो चुके थे। लेकिन वहां पर उन लोगों ने जो बयानात दिये उनसे जाहिर होता है कि राजनीतिक कैदियों के साथ ऐसा व्यवहार का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता है।

जब हम जेल से वापस आये तो माननीय राम सेवक यादव ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की और जिलाधीश से मिलने गये। मालूम हुआ कि वे मौजूद नहीं थे और फिर हम ए० डी० एम० साहब से मिलने गये और जो वाकेयात थे उनसे उसी रोज बयान किया और माननीय रामसेवक यादव ने शायद लिख कर भी दिया और यहां पर हमारे माननीय मंत्री जी खड़े होकर बड़ी आसानी से फरमा गए कि ये मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी के सामने ही नहीं गये। श्रीमन, मुझे बड़ा दुख हुआ कि सियासी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। जो लोग गवर्नमेंट हो जाते हैं वे नौकरशाही के गुलाम हो जाते हैं तो बिना उस पर विचार किये इस प्रकार का जबाव दे दिया। उधर की कुर्सियों पर जब लोग बैठ जाते हैं तो एक ही किस्म के जवाब आते हैं। उनको जवाब तो यह देना चाहिये था कि वाकया हुआ या नहीं हुआ और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह एक माननीय सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है। श्रीमन, यह एक मामूली प्रश्न नहीं है। हम सब लोग यह देखते हैं कि एडमिनिट्रेशन के लोगों की जब शिकायत करते हैं, कि फलां विभाग में फलां अधिकारी करप्शन कर रहा है, और यह हमारा फर्ज भी हो जाता है कि मंत्री महोदय के नोटिस में वे बातें लावें, तो वे अधिकारीगण जब हम उनके चंगुल में आते हैं तो वे हमें बख्शते नहीं हैं। तो यह श्रीमन, आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फौर इस पर आपको कोई निर्णय लेना चाहिये।

*श्री अनीसुर्रहमान—

श्रीमन, चर्चा के लिये आपने किसी नियम के अन्तर्गत जो स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य को मालूम है, यह विषय सदन के समक्ष रखा। जब तक चर्चा के रूप में इस पर विचार न किया जाता तो सरकार की ओर से क्या जबाव दिया जाता। मैं माननीय सदस्यों से यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का एक सिपाही हूं और क्या मेरे उधर के साथियों को यह यकीन हो सकता है कि जब यह फाइल मेरे पास आयी होगी, उसको मैंने डिटेल में न पढ़ा होगा। मैंने इसके एक एक अक्षर को पढ़ा है। १२६, १२३ या १२९ जो सत्याग्रही थे, उनके बयानों को मैंने पढ़ा है। अगर, जैसा माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा वैसा रिकार्ड में होता तो इस फाइल का स्वरूप ही दूसरा होता लेकिन जो गल्ती थी, उसकी ओर मैंने इशारा कर दिया। माननीय सदस्यों को चोटें आयीं, यह इस पत्रावली में कहीं पर नहीं है। अगर आपने अपना डाक्टरी मुआयना भी सिविल सर्जन द्वारा अस्पताल में करा दिया होता तो उसकी रिपोर्ट होती। मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का एक सिपाही हूं और मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने मैनुअल जेल को नहीं पढ़ा है। यह तो मैंने सारी बात बतलाई है।

आप यह कहते हैं कि उसकी इन्क्वायरी नहीं हुई। मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी के अन्दर जो बन्दी आये हैं गवाही के लिये वे सोशलिस्ट बन्दी हैं। उनके बयानात मैंने पढ़े हैं और जो सारांश निकलता है वह यह है कि १५३ बन्दी हुये जिसमें १२६ सत्याग्रही हैं। १५३ में १२६ का जो हिस्सा है वह सोशलिस्ट का हिस्सा है। उनके बयानात का जो हिसा है इन्क्वायरी की रिपोर्ट के हिसाब से कोई निष्कर्ष निकालना चाहे तो साफ निकल आयेगा। उसके बाद हम निष्कर्ष निकालें। माननीय रामसेवक यादव ने जो एम० पी० हैं कहीं भी मंजूर अहमद साहब का जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपनी आंखों से अर्ज किया होगा। मेरे सामने तो कहीं आता नहीं है। रामसेवक यादव ने कहीं भी हवाला नहीं दिया है कि चोट भी मंजूर अहमद साहब पर पड़ी थीं। जनतंत्र की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनीसुर्रहमान]

हत्या जब यहां गुप्ता जी बैठे हुये थे तो मेरी आंखों के सामने हो रही थी। छः महीने अस्पताल रह कर गया हूं। अगर सम्माननीय सदस्य भूल जाते हैं तो कैसे याद दिलाऊं। जितने दिन भी मैं हूं अहिंसात्मक आन्दोलनों की निष्पक्ष जांच कराऊंगा।

श्री मंजूर अहमद---

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी फाइल में डाक्टरी मुआयना है।

श्री अध्यक्ष---

आप इसके बाद फरियाद कर सकते हैं। वे चाहते हैं रामसेवक यादव का जो बयान है वह निकाल कर बता दें।

श्री अनीसुर्रहमान---

किठौर में इन्होंने डाक्टरी जांच कराई है।

रामसेवक यादव जी का जो स्टेटमेंट है वह दो सफे का है उसमें कहीं भी मंजूर अहमद साहब की चोट का जिक्र नहीं है। आप कहें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---

वह कहते हैं कि हम इसे मान लेंगे।

श्री मंजूर अहमद---

आप खुद पढ़ें। मुझे इन पर यकीन नहीं है।

श्री अनीसुर्रहमान---

१२६ कारागार के बाहर निकले हुए सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के स्टेटमेंट के अनुसार उस समय की सरकार ने क्या निर्णय लिया होगा वह तो वे जानें। उस समय की सरकार के जो मंत्री थे वे उधर चले गये इत्तफाक से मंजूर साहब भी उधर चले गये। जेल मंत्री भी वहां मौजूद हैं। इस सदन के सदस्य होने के नाते और मर्यादा के नाते तहकीकात होनी चाहिये। उस तहकीकात में जो चीज निकलती है उससे भागने की गुन्जायश नहीं रहती है। जो मैजेस्टीरियल इन्क्वायरी हुई है जिसे पिछली सरकार बताकर गई है उससे मैं कहने की जुर्रत करता हूं। उसमें कहीं भी मंजूर अहमद साहब की चोट का जिक्र नहीं है। १२६ सोशलिस्ट सत्याग्रहियों ने शिकायत नहीं की आठ या दस दिन पहले करप्शन की या इन्तजाम की भी शिकायत नहीं की, कि हमारे साथ ज्यादती की गई है। जितने दिन भी हम यानी दस अगस्त से २८ तारीख तक रहे हैं हमारे साथ कोई अन्याय का व्यवहार रहा हो। उसमें कहीं भी ये अल्फाज नहीं आये हैं। किसी द्वेष के कारण या किसी प्रोपेगेन्डा के कारण हमारे साथ अन्याय होता रहा हो जैसा अभी यहां जिक्र किया गया है।

मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी कभी ऐसे बयानों की परवाह नहीं करती। सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में इस पार्टी ने जो सत्याग्रह किया था, उस समय भी ५-६ हजार आदमी जेल गये थे। सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य विधान सभा के सामने भी गिरफ्तार हुये हैं। अगली सरकार के लिये कोई नयी नीति निर्धारण का प्रश्न नहीं है। इस घटना का संबंध है उसकी जांच हो चुकी है। आपने उसको यहां चर्चा का विषय बनाया, ठीक है, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि जांच में कहीं भी यह बात नहीं आयी कि श्री मंजूर अहमद के साथ कोई ऐसा व्यवहार किया गया हो जो एम० एल० ए० होने के नाते ज्यादती की गयी हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

उनको बोलने दें, कृपया शांत रहें ।

श्री अनीसुर्रहमान---

मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, श्री मंजूर अहमद के चोटें लगने की बात कहीं जांच में नहीं आयी है । दूसरी बात यह कि श्री मंजूर अहमद साहब की गिरफ्तारी और छूटने में महीने, डेढ़ महीने का अन्तर है । इस समय में उन्होंने कभी कोई शिकायत भ्रष्टाचार के संबंध में नहीं की । उसके बाद ११ तारीख की है । जबकि ६ तारीख को वे छूटे हैं । यह घटना ११ तारीख से संबंधित है और १२ को मिलाई बन्द कर दी गयी थी । उसका कारण था । कुछ बन्दी ११ तारीख को रिहा होने जा रहे थे । श्री मंजूर अहमद साहब उनके समक्ष भाषण करना चाहते थे । इसलिये वहां के अधिकारियों ने ऐसा करने से उनको रोका । उन्होंने कहा कि उनको खाना आदि खिला कर जाने दो । कुछ इस तरह की बातें थीं । इसलिये वे आर्डर्स हुये । उसके बाद मान्यवर, क्या-क्या हुआ, अर्थी तक जलाई गयीं । तो इस सब से जाहिर हो जाता है कि श्री मंजूर अहमद के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया जिसको लेकर कोई बड़ी जांच समिति बिठाई जाय । माननीय सदस्य अगर कोई और तथ्य बतायेंगे तो उस सिलसिले में जांच के लिये यह सरकार तैयार है, इस सरकार के दरवाजे उसके लिये सदा खुले हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते है, कल ११ बजे तक के लिये ।

(इसके बाद सदन ७ बज कर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१५ दिसम्बर, १९७० ।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९९ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार
कृषि (अभियंत्रण) विभाग
संख्या ई–३४५/१२ए
लखनऊ, दिनांक जनवरी, १५, १९७० ।

विविध

प्रदेश में छोटे किसानों के हित की रक्षा करने और उनको कृषि उत्पादन के उन्नत उपायों के संबंध म आवश्यक समस्त सुविधायें प्रदान करने तथा उनकी विविध समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से भी राज्यपाल महोदय इस विज्ञप्ति की तिथि से उत्तर प्रदेश लघु कृषक परामर्शदात्री परिषद् को गठित करते हैं। परिषद् के सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

(१)	कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
(२)	उप कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(३)	सचिव तथा आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास ..	,,
(४)	सचिव, नियोजन विभाग	,,
(५)	सचिव, सिंचाई तथा विद्युत् विभाग	,,
(६)	विशेष सचिव, सहकारिता विभाग	,,
(७)	विशेष सचिव, कृषि विभाग	,,
(८)	विशेष सचिव, वित्त विभाग .. .. .. (जो संस्थागत वित्त से संबंधित हों)	,,
(९)	विशेष सचिव, सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा लघु सिंचाई	,,
(१०)	अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद्	,,
(११)	निबंधक, सहकारी समितियां	,,
(१२)	मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग	,,
(१३)	निदेशक, नलकूप	,,
(१४)	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम के एक प्रतिनिधि ..	,,
(१५)	प्रदेश के प्रत्येक राजस्व मंडल से छोटे किसानों के एक-एक प्रतिनिधि जो राज्य शासन द्वारा मनोनीति किये जायें ..	,,
(१६)	उन्नत खेती करने वाले कृषि संबंधी विषयों के तीन विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायं । ..	,,
(१७)	उत्तर प्रदेश विधान मंडल के छः सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायं	,,
(१८)	जनरल मैनेजर, उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक ..	,,
(१९)	कृषि निदेशक	पदेन सदस्य, सचिव ।

२—इस परिषद् का मुख्य उद्देश्य तथा कार्य निम्न प्रकार होगा ।

(१) प्रदेश के छोटे किसानों की समस्याओं का अध्ययन तथा उस पर विचार एवं परामर्श ।

(२) कृषि संबंधी विभिन्न सामग्रियों को छोटे किसानों को सरलता से उपलब्ध कराने में जो कठिनाइयां हों उनको दूर करने के उपाय के संबंध में सुझाव ।

(३) व्यवसायिक बैंकों से तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की समस्याओं पर विचार-विमर्श तथा सुझाव ।

(४) कम जोत के कारण जो किसान उन्नत कृषि के लिए सुविधाओं से पूरा लाभ नहीं उठा पाते उन्हें सामूहिक रूप से ट्रैक्टर, नलकूप, पंप सेट इत्यादि विभिन्न साधनों से लाभ पहुंचाने के उपायों के बारे में सुझाव ।

(५) छोटे किसानों की अन्य समस्याओं के निराकरण के बारे में विचार-विमर्श तथा सुझाव ।

३—यदि आवश्यक हो तो परिषद् के अध्यक्ष अधिक से अधिक ३ अतिरिक्त सदस्य आमेलित (को-आप्ट) कर सकते हैं तथा विशेषज्ञों को बैठक में आमंत्रित कर सकते हैं ।

४—परिषद् स्थायी तथा तदर्थ समितियां नियुक्त कर सकती हैं और उनमें बाहरी विशेषज्ञों को भी सम्मिलित कर सकती है ।

५—परिषद् एक परामर्शदात्री निकाय है जिसका कोई प्रशासकीय कार्य नहीं होगा । चार महीनों में परिषद् की कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिये। परिषद् का मुख्यालय लखनऊ में होगा तथा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश परिषद के पदेन सदस्य, सचिव होंगे । परिषद् की बैठक लखनऊ में या ऐसे अन्य स्थानों पर, जिसे अध्यक्ष महोदय समय-समय पर निश्चित करें, होगी ।

६—बैठक की तिथि की सूचना सभी सदस्यों के पास यथासंभव एक पक्ष पूर्व भेज दी जायेगी। परिषद् का सदस्य सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन से टिप्पणियों सहित कार्यसूची तैयार करेंगे और उसे सदस्यों में परिचालित करेंगे । कोई भी सदस्य प्रस्तावित बैठक में यथा-संभव १५ दिन पूर्व सदस्य-सचिव को सूचना देकर किसी भी विषय को कार्यसूची में सम्मिलित करने का सुझाव दे सकते हैं । परिषद् के सदस्य सचिव किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर पत्र-व्यवहार द्वारा सदस्यों का मत प्राप्त कर सकते हैं ।

७—परिषद् के सदस्य-सचिव, परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करके उसे अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात् यथाशीघ्र सदस्यों के पास भेजेंगे । प्रत्येक बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जायेगी । सदस्य-सचिव पिछली बैठक की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन परिषद् की सूचना तथा आलोचना के लिये प्रस्तुत करेंगे ।

८—यदि कोई सदस्य, अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना परिषद् की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न हो तो अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उन्हें हटाया जा सकता है ।

९—परिषद् के सदस्य,-सचिव प्रत्येक बैठक की कार्यवाही तथा परिषद् की संस्तुतियों के अनुसार की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन की तीन प्रतियां नियमित रूप से और यथाशीघ्र सरकार को सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ।

१०—परिषद् की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रिक भत्ता के संबंध म आवश्यक आदेश अलग से प्रसारित किया जायेगा ।

आज्ञा से,

अ० दास,

विशेष सचिव, कृषि विभाग ।

संख्या ई–३४५/१/१२ए ।

प्रतिलिपि परिषद् के अध्यक्ष महोदय तथा समस्त सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

अ० दास

विशेष सचिव, कृषि विभाग ।

संख्या ई–३४५/२/१२ए ।

प्रतिलिपि कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित ।

आज्ञा से,

अ० दास

विशेष सचिव, कृषि विभाग ।

संख्या ई–३४५/३/१२ए ।

प्रतिलिपि अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

अ० दास

विशेष सचिव, कृषि विभाग ।

संख्या ई–३४५/४/१२ए ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

(१) श्री राज्यपाल के सचिव ।

(२) मुख्य मंत्री जी तथा समस्त मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्रियों के निजी सचिवों को उनके सूचनार्थ ।

(३) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।

(४) समस्त मंडलों के आयुक्त ।

(५) समस्त जिलाधिकारी ।

(६) समस्त मंडलीय संयुक्त / उप विकास आयुक्त ।

(७) सूचना निदेशक, लखनऊ ।

आज्ञा से ,

अ० दास

विशेष सचिव, कृषि विभाग ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०२ पर)

स्वास्थ्य सहायकों की सूची जिनकी सेवायें २८-२-७० के अपरान्ह में समाप्त की गयीं

१—सर्व श्री कांती स्वरूप
२— ,, रमेश चन्द्र
३— ,, बलराज सिंह यादव
४— ,, देवानी राम सक्सेना
५— ,, मंगल सिंह
६— ,, राम सिंह
७— ,, सुशील कुमार सिंह
८— ,, भगौती प्रसाद वर्मा
९— ,, श्री रामसिंह
१०— ,, सूर्य मणी सिह
११— ,, भानुप्रताप सिंह
१२— ,, रामसरन सिंह वर्मा
१३— ,, इंद्रजीत सिह अग्रवाल
१४— ,, डी सी सत्यार्थी
१५— ,, वी एन त्यागी
१६— ,, लाटूरी सिंह
१७— ,, पीताम्बर सिंह
१८— ,, राजेश्वर
१९— ,, सन्तराम वर्मा
२०— ,, छत्तरसिंह
२१— ,, शिवरामसिंह
२२— ,, रामवीर सिंह
२३— ,, लक्षमन सिंह
२४— ,, नन्दनसिंह
२५— ,, एस एल गुप्ता
२६— ,, जगदीश्वर सिंह
२७— ,, राजपालसिंह
२८— ,, हेमसिंह
२९— ,, चमनसिंह
३०— ,, चमन प्रकाश
३१— ,, जगत सिंह
३२— ,, बी० एस० गंगवार
३३— ,, वेद प्रकाश शर्मा
३४— ,, जगदीश प्रसाद जैन
३५— ,, धर्मबीर सिंह
३६— ,, बिजेंद्र वीर गुप्ता
३७— ,, परस राम
३८— ,, यसवन्त सिंह त्यागी
३९— ,, शिव लाल सिंह
४०— ,, सुरेन्द्रसिंह बलयान
४१— ,, सर्वश्री चरनसिंह
४२— ,, रामप्रसाद
४३— ,, श्रीप्रकाश
४४— ,, छीदासिंह राना
४५— ,, मेघराज सिंह
४६— ,, सियाराम यादव
४७— ,, एच० सी० कपूर
४८— ,, बीरपालसिंह
४९— ,, मूलचन्द
५०— ,, वी पी शर्मा
५१— ,, रुपलाल
५२— ,, अनुपचन्द शर्मा
५३— ,, रामअभिलाष सिंह
५४— ,, जैपालसिंह
५५— ,, रामकुमार
५६— ,, हरिपाल सिंह
५७— ,, लियाकत हुसेन
५८— ,, श्यामलाल
५९— ,, फैजहुसेन
६०— ,, देवदत्त शर्मा
६१— ,, सूरजभान
६२— ,, ओम प्रकाश
६३— ,, प्रेम राज सिंह
६४— ,, शिव पती पाठक
६५— ,, वहीद अहमद
६६— ,, राजेन्द्र सिंह
६७— ,, छीदा सिंह
६८— ,, चन्द्रमल
६९— ,, ओम बाबू सक्सेना
७०— ,, जगवीर सिंह
७१— ,, जैनाथ त्यागी
७२— ,, राम कुमार त्यागी
७३— ,, रामफल सिंह
७४— ,, चन्द्र मोहन
७५— ,, महेन्द्र सिंह
७६— ,, अजय प्रकाश
७७— ,, राम गोपाल
७८— ,, जै प्रकाश

७९ सर्वश्री ईश्वर चन्द्र
८०— ,, गंगा सरन सिंह
८१— ,, विशम्भर सिंह
८२—७ ,, श्याम लाल
८३— ,, खेम चन्द यादव
८४— ,, भूषण सिंह
८५— ,, कृष्ण सिंह
८६—सर्वश्री देवेन्द्र सिंह
८७— ,, कृष्ण औतार
८८— ,, हरबीर सिंह
८९— ,, नारायण सिंह
९०— ,, जगत सिंह
९१— ,, लक्ष्मण सिंह
९२— ,, महेन्द्र सिंह।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०८ पर)

जिला अस्पताल, बलिया को वर्ष १९६९–७० में विभिन्न योजनाओं के लिए दिये गये अनुदान का विवरण

मद का नाम	धनराशि (रु० पैसे में)
१—आकस्मिक व्यय	८,१७५.००
२—दवाओं के लिए	३९,७४७.००
३—रोगियों के आहार के लिए	१८,७०८.००
४—एक्स-रे फिल्म के लिए	७५०.००
५—सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए	१,२५०.००
६—साज-सज्जा के लिए	५,१६८.४३
७—वस्त्र तथा बिस्तरों के लिए	३,७९६.५५
८—ऐन्टी रैबिक इलाज के लिए	४,०००.००
९—अस्पताल की मरम्मत के लिए	२,०३८.००
कुल योग ..	८३,६३२.९८

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २४० एल० ए०—१९७१—८४५ ।

संसद पुस्तकालय